राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम सत्र, १९६५ का १०वां दिवस [संख्या ८

बुधवार, दिनांक २९ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक विधान सभा भवन, जयपुर में म. पू. ११.०५ बजे प्रारम्भ हुई ।

[राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, उद्योग, यातायात, देवस्थान, आयुर्वेद, विद्युत, स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, सहकारी, विकास, श्रम एवं सिंचाई-विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न; श्री दिग्विजयसिंह।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उनके द्वारा अधिकृत होने पर मैं पूछ रहा हूं; प्रश्न संख्या १७५ ।

(श्री दामोदरलाल व्यास उत्तर देने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : अधिकार-पत्र नहीं हैं ।

(प्रश्नोत्तर १७५-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १७६

श्री मुक्तिलाल मोदी ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिह ।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर रोडवेज की बसें तथा राष्ट्रीयकरण की योजना

१७७. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में अब तक जिन जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हुआ है या राष्ट्रीयकरण करने की योजना है, उनकी ड्राफ्ट स्कीम कब कब प्रकाशित की गई ?

(२) राष्ट्रीयकृत मार्गों की फाइनल स्कीम कब कब प्रकाशित की गई और उन पर रोडवेज की गाडियां कब कब से चालू हुई ?

(३) क्या यह सही है कि ड्राफ्ट स्कीम और गाडियां चालू होने के बीच जो समय लगा वह आवश्यकता से अधिक था ? यदि हां, तो प्रत्येक के क्या क्या कारण थे ?

(४) स्कीम में त्रुटियां होने के कारण कितना विलम्ब हुआ ? इन त्रुटियों के लिये

(श्री भैरोंसिंह)
दोषी कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(५) क्या एक स्कीम में कोई त्रुटि मालूम होने पर दूसरी स्कीमों में भी उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति हुई है ? यदि हां, तो किस किस प्रकार की त्रुटि और किन किन स्कीमों में ?

कृपया उत्तर का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) अभी तक जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है या राष्ट्रीयकरण की योजना हैं उनकी सूची मय प्रारूप योजना (ड्राफ्ट स्कीम), प्रकाशित होने की तिथि के साथ, सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(२) राष्ट्रीयकृत मार्गों की सूची मय उन पर प्रकाशित की गई स्वीकृत योजनाओं की तिथि व रोडवेज द्वारा लगाई गई गाडियों की तिथि के साथ सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(३) जी हां, कुछ योजनाओं के लागू करने में समय अधिक लगा जो कानूनी आपत्तियों के कारण लगा । इन मार्गों की सूची मय कारणों के सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(४) योजनाओं में कोई कमी नहीं थी । कुछ योजनाओं में जो भी कमियां बताई गई उनका एकमात्र कारण सम्बन्धित आर० टी० ओ० से परमिटों की सही सूची प्राप्त न होना था, जिसके विषय में उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

(५) जी नहीं, कानूनी त्रुटि कोई नहीं हुई । जो कुछ भी खामियां पाई गई हैं यह अपूर्ण सूचनाओं के कारणवश थीं ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि आर० टी० ओ० के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो आपने पिछले सत्र में भी इस प्रकार का आश्वासन दिया था; क्या कार्यवाही की गई है, आप बता सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : ३ आर. टी. ओज. को; श्री भार्गव, श्री शर्मा और श्री शंकरलाल, इन तीनों को चार्जशीट दे दी गई है और अपोइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट इसको पर्स्यु कर रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : ये आर. टी. ओ. कहां कहां के हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपको बताया न कि श्री शंकरलाल, श्री बी. के. शर्मा और श्री भार्गव, इन तीनों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और चार्जशीट दे दी गई है और अपोइन्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : जो ड्राफ्ट स्कीम बनाई गई है उसमें भी गलतियां डिटेक्ट हुई हैं जो कि पूर्व ड्राफ्ट में भी थीं ?

श्री मथुरादास माथुर : अमूमन जो गलतियां ड्राफ्ट में थीं वे रूट्स के ओवरलैपिंग के बारे में हुआ करती हैं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस स्कीम के साथ जिस समय लॉ डिपार्टमेन्ट

Page No 3

(श्री भैरोंसिंह)
विचार कर रहा था उस समय आर. टी. ओ. की तरफ से गलत स्टेटमेन्ट दिया गया कि जो अहमदाबाद तक जाने वाली स्कीम है उसके अन्तर्गत रेसीप्रोकल अरेन्जमेन्ट्स करने के लिए गुजरात सरकार ने हमको अनुमति दे दी है ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक अहमदाबाद रूट का संबंध है उसके लिए हम लोगों का लॉ डिपार्टमेन्ट से तय हो गया। हमने गाडियां वहां लगाना शुरू कर दीं और उसके ऊपर हाई कोर्ट से स्टे हो गया। रेसीप्रोकल अरेन्जमेन्टस अहमदाबाद से तय हो गये उसके बाद में स्टे में यह कहा कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाये रिट पिटीशन का तब तक रोडवेज भी अपनी गाडियां चला सकती है। उसके आधार पर इस समय रोडवेज भी वहां पर गाडियां चला रही है और प्राइवेट पार्टी वाले भी चला रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आपने ओरीजिनल ड्राफ्ट पब्लिश किया उसके बाद में जब यह मामला लीगल रिमेम्ब्रन्सर के पास गया तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेन्ट ऑफ फैक्ट्स जो सबमिट किये जाते हैं उनके अन्दर उल्लेख कर दिया गया कि अहमदाबाद से रेसीप्रोकल बेसस पर तय कर लिया गया है, जब कि स्थिति यह थी कि उस समय तक अहमदाबाद सरकार से कोई बातचीत नहीं चली थी।

श्री मथुरादास माथुर : इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इस समय मेरे पास स्टेटमेन्ट ऑफ फैक्ट्स नहीं हैं। मगर यह बात निश्चित है कि गुजरात सरकार ने इससे एग्री कर लिया है और हमारे यहां उदयपुर से रतनपुर तक जाने का सवाल है वहां पर हमारा रूट है और हाई कोर्ट ने रतनपुर तक किया है। अहमदाबाद सरकार से आगे बातचीत हो गई है, उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला हो जाये उस समय रेसीप्रोकल बेसस पर अरेन्जमेन्ट्स तय कर लिये जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : चित्तोड से उदयपुर जाने वाले मार्ग के ऊपर जब ६ मार्गों के बारे में कोई सूचना आर. टी. ओ. ने नहीं दी और उसके बाद में जो स्कीम पब्लिश कर दी उस समय क्या गवर्नमेन्ट की मन्शा थी कि इसमें चित्तोड से उदयपुर वाया मंगलवाड इसका राष्ट्रीयकरण करना है? अगर ऐसा था तो जो अब आपने सूची दी है उसमें परिवर्तन क्यों किया ?

श्री मथुरादास माथुर : चित्तोड से उदयपुर, इसमें यह ऐतराज किया गया था कि लीगल रिमेम्ब्रन्सर की तरफ से हमारा रूट बदलकर दूसरी स्कीम पेश कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : उसमें यह था कि चित्तोड से मंगलवाड जाते समय इस स्कीम को आपने ड्रॉप कर दिया और दूसरा मावली की तरफ से रूट्स में जिनकी गाडियां चलती थीं उनके नाम मेन्शन नहीं किये गये। उस समय यह मार्ग था चित्तोड से उदयपुर वाया मंगलवाड, उस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया जाये, यह बाद में बदला क्यों ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरा जहां तक ख्याल है मैं इसकी डिटेल्स तो अभी नहीं कह सकता लेकिन जहां तक मेरी मेमोरी काम करती है, यह था कि कुछ कच्चे रूट्स हैं और ये पक्का रूट चाहते थे। हमने कहा कि

Page No 4

(श्री मथुरादास माथुर)
रूट का नेशनलाइजेशन तो कर देना चाहिए, बाद में उस पर विचार कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : भीलवाडा से उदयपुर में कौन से मार्ग का नेशनेलाइजेशन होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : यह मैंने उत्तर में कहा है।

(विराम)

मैंने प्रश्न के उत्तर में कहा है कि चित्तौड़-मंगलवाड होकर होगा।

श्री भैरोंसिंह : कौन से मार्ग से ?

श्री मथुरादास माथुर : चित्तौड़ और मंगलवाड़ होकर।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सबसे पहले चित्तौड़-मंगलवाड-उदयपुर इस रूट को नेशनलाइज करने के लिए पब्लिश किया था, लेकिन बाद में चैंज किया गया और चैंज करने के बाद चित्तौड, फतेहनगर, मावली, उदयपुर को पब्लिश किया गया और उसके बाद में मंगलवाड रूट कैसे आ गया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो कॉर्पोरेशन ने तय किया है।

श्री भैरोंसिंह : कॉर्पोरेशन ने यह निर्णय लिया तो उस समय गवर्नमेंट ने क्यों चैंज किया, जिसको आज उचित समझ रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह तो कॉर्पोरेशन ने ही निर्णय लिया है कि किस मार्ग का नेशनलाइजेशन किया जाय। वैसे हमारा आइडिया यह है कि अजमेर से अहमदाबाद तक हम लिंक हो जायं जल्दी से जल्दी। जो छोटे २ ऑब्जेक्शन्स हैं उनमें न पड़ कर ऑल्टर्नेटिव रूट अडोप्ट कर लें लेकिन अजमेर से अहमदाबाद तक लिंक हो जायं। उदयपुर से अहमदाबाद तक तो हो गया है। अब अजमेर से भीलवाडा और भीलवाड़ा से उदयपुर वाया चित्तौड, इन दोनों के लिए ड्राफ्ट स्कीम बन गई हैं। यह आल्टर्नेटिव रूट तैयार है। जो डेवलपमेंट रूट्स हैं वे फौरन अडॉप्ट नहीं होते थे इसलिये इसको अडॉप्ट किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कांकरोली और नाथद्वारा होकर अहमदाबाद तक का रूट नेशनलाइज करने की स्कीम थी और इस तरह की स्कीम पब्लिश भी की गई थी ? और इसी कारण कांकरोली में रोडवेज़ के खर्चे से कुछ इमारतें वगैरह भी बनाई गई थीं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह बात ठीक है, पहले यह सोचा गया था। अब क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग है, बहुत सी डिफिकल्टीज हैं; आइडिया यही है कि अजमेर से अहमदाबाद तक जल्दी से जल्दी लिंक किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : अहमदाबाद से जितनी भी सवारियां आती हैं वे ज्यादातर नाथद्वारा, कांकरोली के लिए आती हैं और इसी पर्पज के लिए उदयपुर और अहमदाबाद के रूट को नेशनलाइज करने का विचार किया था। अगर यह नहीं आती हैं तो यह पर्पज ही हल नहीं होगा। कांकरोली तक हम डाइरेक्ट सवारी नहीं दे पाते हैं तो उस हालत में गवर्नमेंट को चाहिए कि उदयपुर-कांकरोली-अहमदाबाद रूट को नेशनलाईज किया जाय। इसमें कारण साफ है कि वहां के जो बस ओपरेटर्स हैं उनका इंटरेस्ट है, उनकी गाडियां भीलवाडा वाया नाथद्वारा-कांकरोली तक आती हैं।

Page No 5

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो गया है।

श्री मथुरादास माथुर : वेस्टेड इंटरेस्ट का प्रश्न नहीं है। मैंने भीलवाडा-उदयपुर रूट के कॉलम में बताया है कि भीलवाडा-कपासन-उदयपुर मार्ग की सडक पूर्णतया ठीक न होने के कारण लीगल रिमेंम्ब्रेन्सर ने इस योजना को अस्वीकार कर लिया; तदुपरान्त सरकार के आदेश प्राप्त करने हेतु लिखा गया कि क्या राष्ट्रीयकरण दूसरी तरफ यानी मंगलवाड या गंगापुर-कांकरोली होते हुए कर दिया जाय। सरकार ने कोई आदेश न देकर इसको उक्त कमेटी के लिए जो मुख्य सचिव के सभापतित्व में एक सुचारू रूप से राष्ट्रीयकरण की योजना बनाने हेतु बनाई गई थी, छोड दिया। इस कमेटी ने अपनी कोई सिफारिश नहीं दी। इसी बीच में स्टेट रोडवेज का निगम बना दिया गया। इसके बाद अब निगम ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीयकरण चित्तौड-मंगलवाड होकर किया जावे। इसकी कार्यवाही चालू है।

श्री भैरोंसिंह : क्या बताया, राजसमन्द ?

श्री मथुरादास माथुर : राजसमन्द नहीं, राष्ट्रीयकरण चित्तौड-मंगलवाड होकर किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल।

जयपुर जिले में अपंग और असहाय व्यक्तियों को लंगर के नाम पर मिलने वाली सहायता।

१७८. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या जयपुर जिले में अपंग और असहाय व्यक्तियों को लंगर के नाम पर कोई सहायता मिलती है ? यदि हां, तो इसका कुल वार्षिक बजट कितना है ?

(२) इस लंगर के वितरण की क्या व्यवस्था है और क्या सरकार इस बजट में वृद्धि करने की सोच रही है ?

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदर लाल व्यास) : (१) जी हां। जयपुर जिले में अभ्यागतों ब्राह्मणों एवं मन्दिरों को लंगर दिया जाता है जिसका वार्षिक बजट १३,३००) रु. का है।

(२) लंगर का वितरण मन्दिर श्री रामचन्द्रजी, सिरह ड्योढी बाजार, जयपुर एवं माजी साहब की छत्रियां, आमेर रोड जयपुर पर किया जाता है। आमेर रोड पर ८ किलो जौ रोजाना अभ्यागतों को वितरण होता है तथा मन्दिर श्री रामचन्द्रजी में प्रति माह की २३, २४ एवं २५ तारीख को लगभग १५ मन्दिरों तथा १५० ब्राह्मणों को लगभग २४ क्विन्टल अनाज वितरण होता है; इसके अलावा १२ पैसे रोजाना का घास गायों को डाला जाता है और २ किलो आटे की रोटी तथा ५० पैसे के चने रोजाना अभ्यागतों को वितरण किये जाते हैं। सरकार का इस बजट में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह किस फण्ड में से दिया जाता है ? इसकी व्यवस्था कैसे की जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चेरिटी फण्ड में से। इसकी व्यवस्था दो स्थानों पर है, यह मैंने बताया ना।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह जो दो-तीन स्थानों पर वितरण किया जाता है वह किस प्रकार से किया जाता है ? क्या उपयुक्त पात्र को वह मिल जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको बताया ना कि दो जगह दिया जाता है। एक तो रामचन्द्रजी के मन्दिर में और दूसरा आमेर रोड पर मांजी साहब की छत्रियों पर। इन दोनों जगहों पर व्यवस्था है। यह व्यवस्था देवस्थान डिपार्टमेन्ट द्वारा की जाती है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मैं फिर आपसे अर्ज करता हूं कि यह तेरह सौ रुपये की राशि बिल्कुल मीगर और पैटी है। इसकी आप अवश्य जानकारी करें कि इसका वितरण ठीक तरह से होता है या नहीं और जो उचित पात्र है उसको मिलता है या नहीं। वैसे ही तेरह सौ रुपया पैटी अमाउन्ट है जिसकी रोटी और दाल बांटी जाती है लेकिन वह भी अगर बीच में ही रह जाय और सही आदमी को न मिले तो यह बहुत अनुचित बात है। इस बात को आपके नोटिस में लाने का मेरा पर्पज है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका मतलब है कि वितरण ठीक नहीं होता। मैं इसकी जरूर जानकारी कर लूंगा, बशर्ते आप मुझे कुछ सहयोग करें इसमें और मौके पर कोई बगैर नोटिस के जांच करवा दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह तो अनुभव के आधार पर कह रहे हैं।

प्रश्न संख्या १७९

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १८०

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

राजस्थान स्टेट रोडवेज के राज्य में डिपोज व वर्कशॉप

१८१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज के राज्य में कहां कहां डिपोज व वर्कशॉप हैं और उनमें कहां कहां कितने कितने रुपयों के मोटर पार्ट कब कब से पड़े हैं ? पूरे आंकड़ों की डिपोवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सच है कि उदयपुर में डिपो व वर्कशॉप का मकान बन कर तैयार है ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों में तैयार हुआ ? क्या वहां रोडवेज की बसें जाती हैं ? यदि नहीं, तो मकान क्यों बनाया गया और इस समय किस काम में आता है ?

यातायात मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) राजस्थान स्टेट रोडवेज के डिपो व वर्कशॉप की सूची मय उनमें पड़े मोटर पार्ट्स की कीमत की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(२) जी नहीं, डिपो की अभी कोई बिल्डिंग बन कर तैयार नहीं हुई। हां, वर्कशॉप की आधी बिल्डिंग बन कर तैयार हो गई है, जिस पर जुलाई सन् १९६५ तक १,५६,२००) रुपये खर्च हो चुके हैं। इस

(श्री मथुरादास माथुर)
मकान को निगम की गाडियों के खडे करने व वहां पर मरम्मत, धुलाई, देखभाल आदि के काम में लाया जारहा है। निगम की गाडियां उस ओर १५-८-६५ से प्रारम्भ हो गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह फर्माया कि वहां वर्कशॉप बिल्डिंग तैयार है। जब गाडियां पहले नहीं चलने लगीं तो वर्कशॉप पहले क्यों बनाया गया ?

श्री मथुरादास माथुर : वर्कशॉप पहले बनाना तो करेक्ट प्लानिंग है। पहले वर्कशॉप नहीं बने और गाडियां शुरू कर दें तो गाडियां रिपेयर नहीं होती हैं। गाडियां ऑफ दी रोड होजायं तो उनको ठीक कहां करें ? यह करेक्ट प्लानिंग है कि वर्कशॉप पहले बने। स्टेशन के बिना तो काम चल सकता है; जमीन पर गाडी को खडा किया और चला दिया, लेकिन वर्कशॉप के बिना उनको ठीक कैसे किया जाय जब वे आफ दी रोड हो जायं। गाडियां चलाने से पहले वर्कशॉप बनाया जाय यह करेक्ट प्लानिंग है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने यह बताया कि जो पार्ट्स हैं वे एक जगह रहते हैं, सैंट्रल वर्कशॉप से मिलते हैं। मेरी जानकारी है कि लाखों रुपयों के पार्ट्स ऐसे खरीदे गए जो गवर्नमेंट की गाडियों में काम में नहीं आते हैं और वर्षों से बेकार पडे हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी है कि गवर्नमेंट के पास में कॉरर्पोरेशन के ४,२५,३६० रु० के पार्ट्स पडे हुए हैं, ये सारे पार्ट्स काम में आने वाले हैं। जो गाडियां खरीदी गई थी उन्ही के कनेक्टेड पार्ट्स हैं जो समय समय पर काम में आते हैं। गाडियों की रिपेयर में काम में आते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आप यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाडियों के पार्ट्स की कमी है, क्योंकि हम कन्डक्टर, ड्राइवर और डिपो मैनेजर से पूछते हैं वे यह कहते हैं कि पार्ट उपलब्ध नहीं हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : उस वक्त उपलब्ध नहीं होते हैं। जब गाडी रास्ते में खराब हो जाती है और आप पूछते है कन्डक्टर से कि गाडी खराब हो गई है उसको ठीक करो तो उस वक्त उनके पास नहीं होते हैं क्योंकि उनको साथ में दे नहीं सकते वर्ना तो बडा करप्शन हो जायेगा। स्पेयर पार्ट्स वर्कशॉप और स्टोर्स में रहते हैं। मेरे पास ४ लाख के पार्ट्स हैं उनमें अगर कोई पार्ट एवेलेबल न हो तो मंगा कर दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनफूलसिह।

श्री उमरावसिह ढाबरिया (बनेडा) : जैसा कि आपने यह फर्माया अभी कि कुछ जगह वर्कशॉप खोल दिए हैं, और यह भी सही है कि बिना वर्कशॉप के जो टैक्निकल आदमी हैं उनकी आज्ञा के बिना कोई आदमी गाडी लाइन पर नहीं लगायेगा तो जयपुर और अजमेर के बीच में दो डिलक्स बसें लाइन पर लगती हैं उनके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये दोनों डिलक्स खराब हैं और जिनका ढाई या तीन घंटे में जयपुर से अजमेर पहुंचने का समय है वे ४,५ और ६ घंटों में पहुंचती हैं और यहां तक होता है कि रास्ते में खराब हो जाती है; जब ड्राइवर से पूछते हैं कि क्यों आप एसी गाडी लाते हैं तो वे कहते हैं कि वर्क-

Page No. 8

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
शॉप हमको इसी तरह की देता है। वर्कशाप वाले देखते नहीं हैं। या तो आप डिलक्स गाडियों को बन्द करदें जिसके ऊपर कि आप एक रुपया किराये का ज्यादा लेते हैं और एफिशियेन्सी से नही चलाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास डिलक्स गाडियों की कमी है और हमारे पास जो रोज डिलक्स गाडियां चलती हैं वे दो ही हैं। वे जब डिपार्टमेंट बना तब खरीदी गई थीं और वे अपने रिक्वीजिट माइलेज से ज्यादा चल चुकी हैं और अब वे ओवरहॉलिग मांगती हैं लेकिन ओवरहॉलिग करने के लिये एक बहुत बडे वर्कशाप की जरूरत है जिसको कि सेंट्रल वर्कशॉप कहते हैं। ट्रेन्ड पर्सन्स नहीं होने की वजह से वर्कशाप को ऑपरेट नहीं कर सके हैं। अब रेल्वे डिपार्टमेंट ने अपने चीफ इन्जीनियर को स्पेयर किया है जिन्होंने एक हफ्ता पहले ही ड्यूटी जोइन की है। वर्कशॉप पहले से ही तैयार कर दिया जाना चाहिये था जो कि नहीं हो सका। इसकी डिफीकल्टी २–३ महीने कम महसूस होगी। और नई गाडियां डिलक्स प्राप्त करने की कोशिश में लग रहे हैं, लेकिन एमर्जेन्सी की वजह और फॉरिन एक्सचेन्ज की कमी आदि सब बातों को सोचना पडता है। इसलिये अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि नई गाडियां खरीद कर लाइन पर लगा सकें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: फॉरेन एक्सचेन्ज कौन सी गाडियों में लगता है। ये तो ले लैण्ड या टाटा मर्सीडीज हैं जो कि हिन्दुस्तान में बनती हैं। हिन्दुस्तान में बनी गाडियों के लिये आप फॉरिन एक्सचेन्ज की बात करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : कई पार्टस् इन गाडियों में इम्पोर्टेन्ड हैं। सेन्ट पर्सेन्ट यहां के नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आप तो पूरी गाडियां खरीदते हैं तो आपको तो फॉरिन एक्सचेन्ज नहीं चाहिए। आप तो पूरी गाडी खरीदते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : हम तैयार गाडियां खरीदते हैं लेकिन यू हेव टू स्टेन्ड इन क्यू। फिक्स्ड नम्बर में गाडियां मिलती हैं। और एमर्जेन्सी का नाम इसलिये लिया था कि एमर्जेन्सी में कोटा रिड्यूस कर देते हैं सिविल पॉपूलेशन का। नॉर्मल रूट्स के लिये भी गाडियों की कमी पड रही है, और जैसी मिलती हैं मन्थली इन्स्टालमेंट पर वह लगा देते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इन डिलक्स गाडियों का दूसरी साधारण गाडियों से एक रुपया किराया ज्यादा लेते हैं और गाडियां इतनी खराब हैं कि रास्ते में रुक जाती हैं या जो निश्चित टाइम है पहुंचने का उसके बाद पहुंचती हैं। इसलिये जब तक ये गाडियां तैयार न हो तब तक के लिये इन डिलक्स गाडियों को बन्द कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि लोगों को एक रुपया ज्यादा देने को मजबूर न होना पडे और उनका समय भी खराब न हो।

श्री मथुरादास माथुर : डिलक्स गाडियां रोज खराब होती हों इस बात को मैं नहीं मानता हूं। डिलक्स कम हैं और खराब होने पर रिप्लेसमेंट के लिये गाडियां नहीं हैं इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन कई लोग इतने शौकीन हैं कि वे डिलक्स में ही ट्रेवल करना पसन्द करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि निगम

Page No 9

(श्री मथुरादास माथुर)
को आमदनी होती है तो उसको बन्द क्यों किया जाय; दूसरी गाडियां रिप्लेसमेंट के लिये नहीं आयेंगी तो आपके सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

श्री दुर्गालाल बादवार (हवामहल, जयपुर): इस गुजिश्ता वर्ष में, गये एक वर्ष में, क्या मंत्री महोदय को स्वयं को इस बात का अनुभव है है कि वे ट्रान्सपोर्ट की गाडियों में बैठे हों और ५०-६० मील उनमें कहीं गये हों ताकि उनको पता चले कि वे मार्ग में भी ठीक चलती हैं। उनको इस बात का व्यक्तिगत अनुभव भी है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं पूरा अनुभवी हूं, मैं औसत आदमी हूं। आप बस में बैठने की बात कहते हैं मैं तो बैलगाडी में बैठ सकता हूं; मैं कई बार इन गाडियों में बैठा हूं और आज भी कई दफा इन गाडियों को सडक पर दौरे के समय रोकता हूं और चैक किया करता हूं और देखता हूं कि उनके पास स्पेयर पार्टस हैं कि नहीं, उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स हैं कि नहीं। मैं मुसाफिरों से भी पूछता हूं कि उनको कोई तकलीफ है क्या? एक डिफिकल्टी मेरे सामने है कि सेन्ट्रल वर्कशॉप जो कि अजमेर में बन रहा है वह तैयार नहीं हुआ है। उसके तैयार करने में बम्बई रोडवेज कॉर्पोरेशन से सहायता ली जा रही है, रेल्वे का सहयोग लिया जा रहा है और एक बहुत अच्छा वर्कशॉप डेवलप करने के बाद में यह डिफिकल्टी नहीं आयेगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा कि मन्त्री महोदय ने यह....

अनेक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय,''

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि वे बस को चैक करते हैं तो मैं बडे अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि जब वे चैक करने के लिए बस पर जाते हैं तो कौन से चैकिंग इन्सपेक्टर का बिल्ला लगा कर जाते हैं, कौनसी ड्रेस पहन कर जाते हैं? क्या यूनिफॉर्म है आपका कि जो बता सकें कि आप चैकिंग करने वाले इन्सपेक्टर हैं?

श्री मथुरादास माथुर : मेरी यूनिफॉर्म मेरी शक्ल है और मेरा बिल्ला मेरा डैजिग्नेशन है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपकी शक्ल के तो छप्पन सौ आदमी हिन्दुस्तान में हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! श्री मनफूल सिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): एक बात पर आप प्रकाश डालेंगे कि जिस बस में वे बैठकर सफर करते हैं वह बस किसी प्राईवेट ओनर की होती है या स्टेट ओन्ड बस होती है? तो आपके लिए क्या यह प्राइमा फेसी नहीं होता है कि बस के मालिक को कोई दण्ड देते हों या सजा देते हों या उस बस को डिस्क्वालिफाइ करते हों पार्टीज की बेसिस पर? आप हार्ट सर्च करके जवाब दें।

श्री मथुरादास माथुर : हार्ट सर्च करने का मौका नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि मैंने कहा कि बस के अन्दर ट्रेवल किया है तो वह रोडवेज कॉर्पोरेशन की बस ही है?

Page No 10

(श्री मथुरादास माथुर)
उससे सम्बन्ध है। रोडवेज कॉर्पोरेशन की बसें चलती हैं उनको चैक करता हूं। उसके अलावा एम. एल. एज. माननीय सदस्य ट्रेवल करते हैं तो उनकी चिट्ठियां आती हैं तो उनसे ज्ञान होता है। मैं उनका जवाब देता हूं चिट्ठियों का और एन्क्वायरी कराता हूं और गुनहगार को सजा भी देता हूं। सभी कार्यवाही की जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मंत्री जी ने एम० एल० एज० का रेफरेन्स दिया है तो क्या माननीय मंत्रीजी ने इस बात की चेष्टा की है कि जो एम० एल० एज० कम्पुलेन्ट बुक के अन्दर कोई शिकायत लिखते हैं, उसके बारे में कम्प्लेन्ट होती है तो उसकी जांच भी होती है ?

श्री मथुरादास माथुर : एम०एल० एज० जो कुछ भी चिट्ठी लिख देते हैं . .

श्री भैरोंसिंह : चिट्ठी लिखने का सवाल नहीं है। There is a complaint book.

श्री मथुरादास माथुर : But that does not come to the Minster. Every complaint does not come to me.

श्री भैरोंसिंह : The Minister does not come in the picture, Sir, हम यह कहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मैंने स्वयं ने आपको पत्र लिखा है उसका आज तक जवाब नहीं मिला है।

कई माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष· · ·

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह प्रोग्रेसिव है या रिट्रोग्रेटिव ?

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह है कि आप किस अधिकार से रोडवेज की गाडियों का चैकिंग करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मिनिस्टर की हैसियत से।

श्री भैरोंसिंह : मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है कॉर्पोरेशन में। आप मुझे बता दें कि रोडवेज कॉर्पोरेशन बना है उसमें इन्सपेक्टर की ग्रेड या कन्डक्टर की ग्रेड में या सब-इन्सपेक्टर की ग्रेड में हैं आप ? आप किस हैसियत में आते हैं कि चैकिंग करते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं मिनिस्टर की ग्रेड में हूं।

श्री भैरोंसिंह : मिनिस्टर को कोई अधिकार नहीं है। The Minister has no powers.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : रूल्स में मिनिस्टर को चैकिंग ऑफिसर नियुक्त कर दिया है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष: Enough questions have been put. Next question please.

प्रश्न संख्या १८२

श्री मनफूलसिंह।

(अनुपस्थित -कृपया आगे देखिये)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री सुराणा।

नगरपालिकाओं की सीमा में सडकें

१८३. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा अजमेर व बीकानेर की नगरपालिका सीमा में कुल कितनी मील सडकें सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति हैं ?

(२) पिछले पांच वर्षों में उक्त अलग अलग शहरों में विभाग ने सडकों के संधारण (मेन्टेनेन्स) व मरम्मत में कुल कितना रुपया खर्च किया है ? इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) नगरपालिका सीमा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के आधीन सडकें निम्न प्रकार हैं :

जयपुर में ४६.१० मील, जोधपुर में ११७ मील ६ फर्लांग, उदयपुर में २२ मील, अजमेर में १०॥ मील तथा बीकानेर में ५२ मील २ फर्लांग। कोटा से आंकडे प्राप्त किये जा रहे हैं जो आने पर प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

(२) गत पांच वर्षों में निम्न प्रकार व्यय हुआ है:—

जयपुर शहर में	८,७४,०८७) रु०
जोधपुर में	७,११,०६३) रु०
उदयपुर में	२,६१,००३) रु०
अजमेर अनुमान	१,७७,००९) रु०
बीकानेर में	२,०३,२९९) रु०

कोटा से आंकडे आने पर प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह आपने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर की सडकों की जो माइलेज दी है वह सारे डिवीजन की दी है या सिर्फ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर नगरपालिका की सीमा में जो सडकें हैं उनको बताया है ? यदि मैं गलती नहीं करता हूं तो जयपुर में ४६ मील, जोधपुर में ११७ मील कौन सी हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : नगरपालिका की सीमा में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकार में जो सडकें हैं वे बतलाई हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जोधपुर में ११७ मील, जयपुर में ४६ मील, उदयपुर में २२ मील, अजमेर में १०॥ मील के फिगर्स दिये हैं। बीकानेर के क्या फिगर्स बतलाये हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : बीकानेर में ५२ मील २ फर्लांग बतलाये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : बीकानेर में नगरपालिका की सीमा में ५२ मील लम्बी कौन सी सडक है और जोधपुर में ११७ मील लम्बी कौनसी सडकें हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : Metailed Road 12.03 miles.

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो रोड माइलेज दिया है उसके अनुपात से खर्चा जयपुर शहर में ८,७४,०८७), जोधपुर में ७,११,०६३) और उदयपुर और बीकानेर में २ लाख से कुछ ऊपर बताया है। बीकानेर में मैन्टिनेन्स का जो २ लाख का

Page No 12

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
खर्चा आपने बताया है उससे रिपेयर्स करते हैं इसका कोई ताल्लुक माइलेज से रखा है या नहीं या कोई नियम है क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेक्टिव से संबंधित ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो हमारी लिस्ट पर हैं वहां पर जैसी जरूरत पडती है वैसा वहां पर खर्च करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह रोड पी.डब्ल्यू.डी. को म्युनिसिपेलिटी ने ट्रांसफर की हैं या यू. आई. टी. ने ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे ख्याल से दोनों ही ने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब कोई ट्रांसफर करना चाहे पी. डब्ल्यू. डी. को तो मैन्टीनेन्स कौन करवायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी ट्रांसफर का कोई सवाल नहीं है। ऐसी सडकें जिनकी मरम्मत नगरपालिका नहीं करवा सकती उनके बारे में सरकार विचार कर सकती है, ट्रेफिक कन्वीनियेन्स को देख कर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि नगरपालिका की जो सडकें पी. डब्ल्यू. डी. को ट्रांसफर्ड हैं वे आम हैं, कोलोनीज की नहीं है ? आपने कहा कि ट्रैफिक की कन्वीनियेन्स को देख कर ट्रांसफर कर सकते हैं तो क्या जयपुर शहर की जो सडकें पी. डब्ल्यू. डी. को ट्रांसफर की गई वे कोलोनीज की थीं, गवर्नमेन्ट स्कीम की नहीं हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा अनुमान है कि नहीं हैं। जयपुर की कई ऐसी सडकें खराब थीं जिनको म्युनिसिपैलिटी ठीक नहीं करवा सकती थी इसलिये उनको सरकार ने ठीक करवाया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोधपुर, बीकानेर की सडकें पी. डब्ल्यू. डी. को ट्रांसफर कर दी गई हैं और मेन्टेनेन्स का खर्चा भी वही करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसको दूसरी तरह से भी मान सकते हैं। They should look-after the maintenance of the roads and not the P.W.D.

यह तो सहायता के रूप में पी. डब्ल्यू. डी. कर रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने फैसला कर लिया है कि सारी रोड्स मेन्टीनेन्स के लिये म्युनिसिपैलिटी को री-ट्रांसफर कर दी जायं ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा फैसला लिया नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जयपुर म्युनिसिपैलिटी की सडकें ४६ मील लम्बी हैं और बीकानेर की ५२ मील लम्बी आपने बताई हैं; इसी तरह से जोधपुर में ११७ मील की सडकें विदिन म्युनिसिपल लिमिट बताई हैं जो पी. डब्ल्यू. डी. के पास हैं। मैं सोचता हूं, बीकानेर में ५२ मील सडकें कौनसी हैं और मथुरादासजी भी सोचते होंगे कि जोधपुर में ११७ मील लम्बी कौनसी सडकें हैं ? जयपुर की ४६ मील हैं और बीकानेर की ५२ मील हैं लेकिन मेन्टेनेंस का खर्चा जयपुर की सडकों के लिये बीकानेर की सडकों की बनिस्पत चार गुना अधिक किया गया है। वहां पर ८ लाख और बीकानेर में २ लाख कुछ हजार रुपये हैं। मेन्टेनेन्स

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
के खर्च में इतना फर्क होने का क्या कारण है ? जबकि आप स्वयं देख चुके हैं कि बीकानेर में सडकों की स्थिति अच्छी नहीं है और आप महसूस कर चुके हैं कि वहां पर रिपेयर्स करवाने और ठीक ढंग से बनवाने की आवश्यकता है। इस डिस्क्रीपेन्सी को दूर करने के लिये आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो सडकें खराब हैं और हमारी लिस्ट पर हैं उनकी रिपेयर्स करवाते हैं और जो म्युनिसिपैलिटी की हैं उनके पास पैसा नहीं होने से वे रिपेयर्स नहीं करवा सकते। रहा सवाल आंकडे सही हैं या नहीं, बीकानेर की सडकें ५२ मील की हैं या नहीं, ये आंकडे फिर से मंगवा कर पेश कर दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या इसमें वे सडकें इन्क्ल्यूड की गई हैं जो बस रूट पर हैं ? कौनसे आधार पर ली गई हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : म्युनिसिपैलिटी की जो सडकें हैं और मेरी लिस्ट में जो माइलेज दर्ज है वह मैंने बताया।

श्री मुरलीधर व्यास : आधार क्या है ? ५२ मील म्युनिसिपल का लिमिट मानने का आधार क्या है ? ५२ मील कैसे मानी गई ?

श्री हरिश्चन्द्र : आधार कुछ नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : या तो यह आधार होगा जिन रोड्स पर बसेज चलती हैं; बीकानर से गंगाशहर जाती हैं, बीकानेर से नोखा जाती हैं उन सडकों को भी इनमें मान लिया होगा।

श्री हरिश्चन्द्र : वह मुझे रखने का शौक नहीं है। यदि म्युनिसिपैलिटी रखना चाहे तो आज ले सकती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : म्युनिसिपैलिटी आपको देना चाहती है ?

श्री मुरलीधर व्यास : आधा मील का टुकडा आपकी रोड से मिलता है उसको बनवाये बिना मजदूर जो कारखाने में जाते हैं वे परेशान हैं। इसके लिये आपको लिखा, सी. एम. को लिखा, आधा मील का टुकडा क्यों नहीं बनवा देते ?

श्री हरिश्चन्द्र : सडक बनाने के लिये प्रश्न नहीं पूछा है मैन्टिनेन्स के लिये पूछा है। आपने जो प्रश्न उठाया है उसको भी मैं कन्सीडर कर रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : कब बन जावेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसका सवाल नहीं है। It is under my consideration.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): मैं प्रश्न करना चाहता हूं। ११७ मील, ५२ मील, ६० मील, और अजमेर में १०॥ मील। पोपुलेशन के लिहाज से राजस्थान का सैकिंड सिटी अजमेर है. सवाल यह आता है कि कहां तो म्युनिसिपैलिटी की सारी सडकें उदयपुर की आपने ले ली, जोधपुर में ११७ मील का मतलब यह है कि सारी की सारी सडकें वहां की आपने ले लीं। उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर की सारी सडकें आपने ले लीं लेकिन अजमेर ने आपका क्या बिगाडा है ? मैं पूछना चाहता हूं इस बदकिस्मत को १०॥ मील ही क्यों दी है ? जहां २॥ लाख की पोपुलेशन है, राजस्थान का सैकिंड सिटी है उसकी सडकों की मैन्टिनेन्स आप क्यों नहीं कर रहे हैं ?

(श्री, ज्वालाप्रसाद शर्मा) उदयपुर की सारी सडकें आपने क्यों ले ली हैं ? सारा खर्चा वहां का आप उठाते हैं। जयपुर में क्या है, जोधपुर में क्या है; सबने मिलकर क्या बंटवारा कर लिया है या मामला क्या है ? अजमेर ने आपका क्या बिगाडा है ?

श्री भैरोंसिंह : अजमेर से कौल साहब चुन कर आये हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसका उत्तर देना चाहिये। मामला क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : आपने जो इन्फोर्मेशन मांगी वह दे दी। पोलिसी डिसाइड करने का सवाल नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आया आप मानते हैं, यह डिस्ट्रीब्यूशन है क्या म्युनिसिपैलिटी का ? मैं आपके ऊपर चार्ज लगा रहा हूं कि यह इनइक्वीटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन है शहर शहर में। शहर शहर में आप फर्क करते हैं। जब पी. डब्ल्यू. डी. सहायता करने और टूटी हुई सडकें बनाने का हामी है तो म्युनिसिपैलिटीज की हालत देखते हुए सब के साथ में इक्वीटेबल ट्रीटमेन्ट होना चाहिये। अजमेर की साढ़े दस मील के बजाय सौ मील सडक ली जायगी या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : अजमेर की सौ मील सडक लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अजमेर क्या अनाथालय बना हुआ है जिससे आप कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उदयपुर की बाकी सडकें भी आप ले लीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय ने बीकानेर की नगरपालिका की कुछ महत्वपूर्ण सडकें जिनकी स्थिति खराब है और जो स्वायत्त शासन में थीं और नगरपालिका में थीं, पी. डब्ल्यू. डी. रोड्स पर लेने का आश्वासन दिया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया था। जब मैं बीकानेर गया था तो मैंने कहा था, जिस सडक के लिये मैंने आपको बताया उसकी हालत खराब थी और म्युनीसिपैलिटी ने ५ हजार खुद के कोष से दिये थे, उसके लिये दस हजार मैंने देने का वायदा किया और वह दिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वैसी ही महरबानी अजमेर के लिये भी कर दीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र : यहां पर बैठ कर कोई इस तरह का डिसीजन नहीं होता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या नगरपालिका ने आपको इस संबंध में लिखित प्रस्ताव भेजा है या चेयरमैन ने रिक्वैस्ट भेजी है कि इन इन रोड्स को पी. डब्ल्यू. डी. रोड्स पर ले लीजिये ? क्या आपको इस तरह का प्रस्ताव मिल चुका है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मुझे याद नहीं। एक चिट्ठी जरूर आई थी, वह चिट्ठी मेरे समक्ष है। वह उस सडक के बारे में है जिसके लिये मैंने कहा कि मैंने दस हजार रुपये दिये हैं

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

Page No 15

कृषि कार्यों के लिये दी जाने वाली बिजली

१८४. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कृषि कार्यों के लिये जो बिजली दी जाती है, वह औसतन कितनी दी जाती है ?

(२) प्रति यूनिट कितना चार्ज किया जाता है ?

(३) अन्न उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सस्ती दरों पर अधिक बिजली उपलब्ध कराने के प्रश्न पर सरकार क्या सोचती है ?

(४) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कितने प्रतिशत गांव आ चुके हैं और अखिल भारतीय औसत क्या है ?

(५) क्या ९ पैसे प्रति यूनिट से अधिक जो चार्ज किया जाता है वह केन्द्रीय सरकार सहायता के रूप में देने का विचार रखती है और क्या इस प्रकार का कोई विचार चल रहा है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) : (१) विद्युत् उपयोग के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार वर्ष ६४–६५ में कृषि और सिंचाई कार्यों के लिये विद्युत् का उपयोग ७७.९६ लाख यूनिट्स था । राजस्थान राजकीय विद्युत् मंडल के क्षेत्रों में इसी वर्ष उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की गई विद्युत् से उपरोक्त उपयोग का प्रतिशत २.३३ प्रतिशत था ।

(२) राजस्थान राजकीय विद्युत् मंडल द्वारा कृषि व सिंचाई, कार्यों के लिये वितरित की गई विद्युत् की दर निम्न है । सम्पूर्ण विद्युत् उपयोग १३ नये पैसे प्रति यूनिट · · ·

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी कितनी ?

श्री चन्दनमल वैद : १३ नये पैसे प्रति यूनिट उपरोक्त दर में १ नया पैसा प्रति यूनिट रिबेट दी जाती है । अगर मासिक बिल पर लिखित तिथि तक जमा करा दें तो ।

(३) दर उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी बिजली की उपलब्धता है ।

(४) अनुमानतः १.९ प्रतिशत ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी ?

श्री चन्दनमल वैद : अनुमानतः १.९ प्रतिशत । राजस्थान में और भारत में ९.५ प्रतिशत है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी ?

श्री चन्दनमल वैद : आप हिन्दी में कम समझते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अंग्रेजी में पढ़ा था । आप बता दीजिये कितनी ?

श्री चन्दनमल वैद : ९.५ प्रतिशत है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके दांत उखड़ गये हैं । जोर से बोलें जरा ।

श्री चन्दनमल वैद : (५) विचार चल रहा है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह विचार कब से चल रहा है ?

श्री चन्दनमल वैद : भारत सरकार के द्वारा जब जब सेमीनार और कान्फ्रेन्स होती हैं उनमें भारत सरकार के द्वारा विचार होता

(श्री चन्दनमल वैद)
हैं। अभी अपना निश्चित् अभिमत नहीं बताया है। इसलिए कहा, विचार चल रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो पर्सेन्टेज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का है, वह आल इंडिया के परसेन्टेज से कम परसेन्टेज राजस्थान का क्यों है ?

श्री चन्दनमल वैद : हर साल स्थिति बदलती रहती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : हर साल ग्राम विद्युतीकरण को बढाते चले जा रहे हैं। क्रेश प्रोग्राम के नीचे डेढ करोड से ढाई करोड तक खर्चा कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राम विद्युतीकरण का जो लक्ष्य है, वह आल इंडिया के परसेन्टेज तक कब तक पहुंच जायगा फोर्थ फाइव ईयर प्लान में ?

विद्युत मंत्री, (श्री हरिश्चन्द्र) : जैसा माननीय सदस्यों को मालूम है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में तीन सौ विलेजेज इलेक्ट्रिफाइ करने का था। तीन सौ की जगह राजस्थान ने करीब ग्यारह सौ, बारह सौ विलेजेज को ऑलरेडी इलेक्ट्रिफाइ कर दिया है। मैं अनुमान करता हूं कि क्रेश प्रोग्राम के जरिये और जो धन-राशि उपलब्ध हो जायगी उससे तृतीय पंचवर्षीय योजना के एण्ड तक डेढ हजार, दो हजार के बीच तक गांव पहुंच जायेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेट्स के बारे में क्या है ? जो रेट चार्ज करते हैं, १३ नये पैसे कृषि कार्य के संबंध में, क्या सरकार आवश्यक नहीं समझती कि खाद्य उत्पादन की दृष्टि से इस रेट को ९ पैसे किया जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : जैसा डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बताया, भारत सरकार यह विचार कर रही है कि नौ पैसे रेट होनी चाहिए लेकिन वह ९ पैसे उसी हालत में हो सकते हैं, जब सेन्टर गवर्नमेन्ट हमको सब्सीडाइज करे। इसके लिये मैं जरूर कहता हूं कि ९ पैसे तक रेट जानी चाहिये। यह मसला भारत सरकार के विचाराधीन है कि वह सब्सिडी दे या न दे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने स्वयं भारत सरकार को लिखा है, खाद्य उत्पादन की दृष्टि से बिजली की रेट ९ पैसे की जाय और बाकी के लिये भारत सरकार सब्सिडी दे।

श्री हरिश्चन्द्र : हमने सपोर्ट किया है, नौ पैसे हो तो अच्छा है। लेकिन नौ पैसे उसी हालत में हो सकते हैं जब भारत सरकार फाइनेन्शियल बर्डन ले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें इनीशियेटिव किसका है, पहल किसने की है; भारत सरकार का प्रपोजल चल रहा है या राज्य सरकार ने प्रपोजल भेजा है कि बिजली की दर कम की जाय ?

श्री हरिश्चन्द्र : दोनों ही हैं। ओरिजिनेट भारत सरकार की तरफ से हुआ है। हमसे बातचीत की तो हमने भी कहा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हैवी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा सब्सीडाइज करने और तीन नये पैसे की रेट से बिजल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
देने के बाद भी जो चौथी पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना में तो मुख्यतया कृषि का लक्ष्य रखा है, उसको देखते हुए राज्य सरकार सोचती है कि अपनी तरफ से वह नौ नये पैसे रेट कर दे या इससे भी कम कर दे ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसा कोई विचार अभी तो नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह विचार क्यों नहीं है ? यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों है ? क्या हैवी इंडस्ट्रीज के मुकाबले कृषि को ज्यादा मान्यता देने को तैयार नहीं हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : कृषि का लोड फैक्टर बहुत कम है। अनुमानतः कृषि का लोड फैक्टर ४० परसेन्ट है और हैवी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रो कैमिकल का ८० प्रतिशत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: लोड फैक्टर ९० तक का है और ज्यादा बिजली डिस्ट्रीब्यूट करें और सब्सीडाइज करें तो कृषि का लोड फैक्टर भी इन्क्रीज हो जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र : वह नहीं हो सकता। कैसे होगा ? वर्षा के दिनों में पम्प नहीं चलते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कई ड्राई एरिया में भी बारिश के दिनों में चलते हैं। कई इलाके हैं जहां एक दो इंच से दस इंच तक बारिश होती है। तो राजस्थान का जो एरिया ऐसा है कि जहां दस इंच से ज्यादा रेन नहीं होती है, वहां सब्सीडाइज रेट पर बिजली दें तो निश्चित् रूप से लोड फैक्टर इन्क्रीज होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : क्या यह सही है कि राजस्थान को छोड कर हिन्दुस्तान के बहुत सारे प्रोविन्सेज हैं जिनके अन्दर इरिगेशन पर्पजेज के लिए बिजली छः नये पैसे, ७ नये पैसे, ८ नये पैसे पर यूनिट दी जाती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ऐं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : राजस्थान को छोड़कर मद्रास, बंगलोर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र–इन प्रान्तों में बिजली छः नये पैसे से ८ नये पैसे पर यूनिट कृषि के कार्यों के लिये सप्लाई की जा रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह सूचना मेरे पास नहीं है। मैं कह नहीं सकता कि ये आंकडे सही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह पृथक प्रश्न है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं सूचना दे रहा हूं। जिन प्रांतों का मैंने नाम लिया है वहां इरिगेशन के काम के लिए बिजली ६ नये पैसे से ८ नये पैसे पर यूनिट पर दी जा रही है और आप डी. सी. एम. को ३ नये पैसे के हिसाब से बिजली देते हैं उसके लिये आपने गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से नहीं पूछा। लेकिन जब इरिगेशन के लिए ९ नये पैसे करना चाहते हैं तो गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं। और चाहते हैं कि वे कहें तब करें। जो मैं दूसरे प्रांतों के फिगर्स दे रहा हूं वह सही है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इरिगेशन अच्छी तरह से हो और अनाज का प्रोडक्शन बढ़े तो यह जरूरी है कि ९ नये पैसे और ७ नये पैसे पर यूनिट में बिजली दें।

Page No 18

श्री उपाध्यक्ष : **ऑर्डर** प्लीज !

प्रश्न संख्या १८५

श्री गोविन्दसहाय ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, यह गंभीर बात है, और राज्य सरकार जो कृषि की उपेक्षा कर रही है वह स्पष्ट होकर सामने आती है। हैवी कैमिकल के लिये तो तीन नये पैसे तक चले जायं लेकिन कृषि के लिये नौ पैसे नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : That is all.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कृषि की बहबूदी हो, उसके लिए बिजली उपलब्ध हो, यह अमान्य है ! यह गंभीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

ओवरसियरों तथा जूनियर इंजीनियरों की सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति

१८६. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ओवरसियरों तथा जूनियर इंजीनियरों (कनिष्ठ अभियन्ताओं) को सहायक अभियंता (एसिस्टेन्ट इंजीनियर) के पद पर पदोन्नत करने के प्रश्न पर विचार किये जाने के निमित्त क्या विभाग उनकी कोई वरिष्ठता सूची (सीनियोरिटी लिस्ट) रखता है और क्या विभाग द्वारा पूर्व में पदोन्नति के मामलों पर विचार किये जाने के समय इस सूची का अनुसरण किया गया है ?

(२) सन् १९६१ से अब तक कितने ओवरसियरों तथा जूनियर इंजीनियरों की पदोन्नति सहायक इंजीनियरों के पद पर की गई है ?

(३) क्या यह सही है कि पदोन्नत किये गये कुछ ओवरसियर मान्यता प्राप्त संस्थाओं से नहीं हैं ? कृपया ऐसे व्यक्तियों के नाम, उन्हें पदोन्नत किये जाने के कारणों सहित बतावें।

(४) क्या यह सही है कि ऐसे बहुत से जूनियर इंजीनियरों को जिनकी सर्विस लम्बी है व मैरिट भी ठीक है प्रोमोट नहीं किया गया है व उनके मुकाबले जूनियर आदमियों को प्रोमोशन दे दिये गये हैं ? कृपया ज्यादा सर्विस वाले प्रोमोशन नहीं पाने वाले व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन के क्या नियम हैं और कम सर्विस वाले व्यक्तियों को प्रोमोशन दे देने के क्या कारण हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) :

(१) जी हां।

(२) २४ को पदोन्नत किया गया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सुनने दो।

श्री हरिश्चन्द्र : (३) जी हां, ८ ऐसे हैं जिनकी सूची प्रस्तुत है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : (४) यह है।

Page No 19

(श्री हरिश्चन्द्र)

(५) सारांश नियम परिशिष्ट (ब) संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सुनने में नहीं आया। कुछ सम्माननीय सदस्य आपस में बातचीत कर रहे थे। कुल मिला कर कुछ सुनने में नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष: आई कान्ट हैल्प।

श्री जुझारसिंह : मंत्री महोदय ने फर्माया, ८ अनक्वालिफाइड ओवरसियर्स को असिस्टेन्ट इंजीनियर बनाया गया है। इन लोगों में से कई पन्द्रह साल की सर्विस पुट-इन कर चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनको कब प्रोमोट किया गया है और दूसरे जिन सालों में प्रोमोट किया गया है उस तारीख पर ऐसे ओवरसियर मौजूद थे जो क्वालीफाइड थे और जिनकी लैंथ ऑफ सर्विस ज्यादा नहीं थी तो कम भी नहीं थी।

श्री हरिश्चन्द्र : कौन से अनक्वालिफाइड ओवरसियर्स ?

श्री जुझारसिंह : आपने फरमाया कि अनक्वालिफाइड ओवरसियर्स को प्रोमोशन दिया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र : रूल्स के अनुसार ७५ परसेन्ट तो डाइरेक्ट रिक्रूट किये जाते हैं और २५ परसेन्ट प्रोमोशन से होते हैं। प्रोमोशन से असिस्टेन्ट इंजीनियर होने वाले ओवरसियर्स की क्वालिफिकेशन इस प्रकार है।

"B. E. (Civil) or qualifications declared equivalent by Government with 3 years' service as Engineering Subordinate (Civil), from a recognised institution with 10 years' requisite experience as Engineering Subordinate (Civil) . . ."

श्री जुझारसिंह : यह तो लिस्ट मेरे पास आ गई है।

श्री हरिश्चन्द्र : इसमें आप तीसरी लाइन में देखिये।

"Or others with 15 years requisite experience as Engineering Subordinate (Civil) . . ."

श्री जुझारसिंह : My point is different.

श्री हरिश्चन्द्र : Though they qualify but they have to put in 15 years service.

श्री जुझारसिंह : मेरा यह निवेदन है कि एक तो क्वालिफाइड है जिसकी १५ साल की सर्विस है और दूसरा अनक्वालिफइड है।

श्री हरिश्चन्द्र : यू.डी.सी. एक आदमी नीचे से प्रोमोट होकर जाता है, उसके लिये २५ परसेन्ट पोस्ट हैं और बाकी ७५ परसेन्ट पोस्ट डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती हैं और उनका अपोइन्टमेंट पी० एस० सी० से होता है।

श्री जुझारसिंह : मेरा कहने का मतलब यह है कि एक ओवरसियर है वह तो है क्वालिफाइड और दूसरा अनक्वालिफाइड है। इनमें से एसिस्टेन्ट इंजीनियर के पद पर जिन ओवरसियरों का प्रोमोशन हुआ उनमें से क्वालिफाइड आदमियों के मुकाबले

(श्री जुझारसिंह)
अनक्वालिफाइड कितने हैं और उनका कौनसी तारीख को प्रोमोशन हुआ है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तारीख तो मेरे पास नहीं है।

श्री जुझारसिंह : जिस तारीख को प्रोमोशन हुआ उस तारीख को क्वालिफाइड ओवरसियर्स होते हुए भी अनक्वालिफाइड को प्रोमोशन दिया गया

श्री हरिश्चन्द्र: He need not be senior.

श्री जुझारसिंह : My point is that he needs........

श्री हरिश्चन्द्र : Seniority is assigned by the Public Service Commission.

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या ये रूल्स जिनका आपने हवाला दिया है (रेफर किया है) क्या ये रूल्स पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : एप्रूव्ड हैं लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब ये रूल्स अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं तो आपने इसको फाइनल समझ कर किस प्रकार से प्रोमोशन दिया है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ये प्रोमोशन्स एडहोक हुए हैं। These are ad hoc promotions.

श्री भैरोंसिंह : ये प्रोमोशन्स किसी कमेटी द्वारा हुए हैं या यों ही डिपार्टमेन्ट ने किये हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : ये प्रोमोशन्स चीफ इंजीनियर और एक दूसरे अधिकारी थे उन्होंने किये हैं। ये एड हॉक प्रोमोशन्स फाइनल तब माने जावेंगे जब ये रूल्स फाइनल हो जावेंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या ये प्रोमोशन्स उसी कमेटी के द्वारा किया जो रूल्स में मुकर्रर हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिये चीफ इंजीनियर को पॉवर्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है कि १५-१५ साल की सर्विस के ओवरसियर्स को प्रोमोशन्स दिये, मगर आपके रूल्स में यह है कि जो प्रोमोशन्स दिये जावेंगे वे प्रोमोशन्स डिपार्टमेन्टल कमेटी के द्वारा दिये जावेंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : सारा फोर्मुला ही एडॉप्टेड है। आपका प्रश्न दूसरा है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है।

श्री हरिश्चन्द्र : ओवरसियरों का अपोइन्टमेन्ट पी० एस० सी० के द्वारा होता है। उसमें से एसिस्टेन्ट इंजीनियरों के प्रोमोशन्स के लिये २५ परसेन्ट का रेशियो रखा हुआ है। ७५ परसेन्ट एसिस्टेन्ट इंजीनियर्स का अपोइन्टमेन्ट डाइरेक्ट होता है। जिनको आप अनक्वालिफाइड कहते हैं उनकी २२ वर्षों की सर्विस है। वे डिपार्टमेन्टल रूल्स के अन्डर में चलते हैं और उनके प्रोमोशन्स होते हैं। इसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह ओवरसियर क्वालिफाइड है इसलिये उसको जल्दी प्रोमोट कर दिया जावे। २५ परसेन्ट का डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन का रूल है उसके अनुसार प्रोमोशन देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह बताया है कि जिन ८ व्यक्तियों को प्रोमोशन दिया गया है वे सारे के सारे रूल्स के अन्तर्गत आते हैं और

Page No 21

(श्री भैरोंसिंह)
१५ साल की क्वालिफाइड सर्विस उनकी है। मगर रूल्स में आपने कहा है कि उनका प्रोमोशन डिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा होगा जो कमेटी अभी नहीं बनी है। इसलिये ये सारे प्रोमोशन्स अनवेलिड हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : ये सारे प्रोमोशन्स अभी एडहॉक हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें प्रोमोशन्स, अपोइन्टमेन्ट्स और कन्फरमेशन आदि सभी दिये हुए हैं। जब आपने एक फोर्मूले को एडॉप्ट किया है तो आपको सबको एडॉप्ट करना होगा। इसमें डिपार्टमेन्टल कमेटी के द्वारा प्रोमोशन की बात है जो आपने अभी कॉन्स्टीट्यूट नहीं की है। इसलिये जब उनके प्रोमोशन का मामला उस कमेटी के सामने नहीं आए तो वह प्रोमोशन अनवेलिड है।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि एडहॉक बेसिस पर प्रोमोशन देकर जो वेकेन्सीज हों उनको फिल-अप करने की सरकार को पॉवर्स हैं उनके अनुसार फिल-अप कर दिया। They will be confirmed by the departmental promotion committee later on.

श्री भैरोंसिंह : क्या आपने चीफ इंजीनियर को इस प्रकार के पॉवर्स डेलीगेट किये हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : एडहॉक प्रोमोशन्स के पॉवर्स हैं। Ad hoc promotion is not a permenent promotion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपको इस बात की जानकारी है कि एडहॉक प्रोमोशन्स एसिस्टेन्ट इंजीनियरों के बारे में हाई कोर्ट में रिट हुई और हाई कोर्ट ने इस सम्बन्ध में जजमेंट दिया है कि एडहॉक बेसिस पर प्रोमोशन किये हैं उन्हें रद्द किया जावे? Departmental committee will have to consider all the cases on merits. यह डिसिजन हाई कोर्ट से हुआ है। आपके एडहॉक एरेन्जमेन्ट को रिजेक्ट किया है।

श्री हरिश्चन्द्र : Rules have been amenεded now.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आपने जो एडहॉक प्रोमोशन्स दिये हैं; क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड ओवरसियर्स की टर्म एक ही हो तो क्वालिफाइड को छोड़ कर आपने किसी अनक्वालिफाइड को प्रोमोशन्स दिये हैं, ऐसी कोई एग्जाम्पल आपके पास है?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास कोई उदाहरण नहीं है। आपके पास कोई हो तो आप बता दें।

(कुछ माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न अवर समाप्त हो रहा है।

कुछ माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा समय बढ़ाया जाता है, आज भी बढ़ाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : यदि एक प्रश्न के लिए समय देना होगा तो सभी को समय देना होगा।

(विराम)

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगित प्रश्न है

(श्रीमती गौरीपूनिया)
उसका उत्तर दिला दिया जाए । यह बहुत जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले का स्थगित प्रश्न है । श्रीमती गौरी पूनिया ?

(१२ मध्यान्ह)

स्थगित प्रश्न

(२३-९-६५)

ग्राम आलनियावास के पास लूनी नदी का कटाव

७०. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम आलनियावास के पास जो लूनी नदी बहती है उसने अपना मार्ग बदल दिया है और अब वह गांव से दो सौ गज दूर ही रह गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस नदी के कटाव में गांव वालों के १० या १२ कुए बह गये हैं और उनकी चाही की जमीन भी बरबाद हो गई है, पर फिर भी उनसे लगान वसूल किया जाता है ?

(३) क्या सरकार इस नदी को बांध कर गांव को डूबने से बचाने का विचार रखती है और क्या इसका सर्वे करवा लिया गया है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) इस विभाग को जानकारी म नहीं है और न ही पहले कोई एसी शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है ।

(२) लगान वसूली का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है ।

(३) निरीक्षण के पश्चात् ही कुछ कहा जा सकता है तथा जांच व सर्वे करवाने हेतु लिखा गया है ।

श्रीमती गौरी पूनिया : जांच व सर्वे कराने के लिये कब लिखा गया है ?

श्री दिनेशराय डांगी : आपका प्रश्न आने के पश्चात् ।

श्रीमती गौरी पूनिया : मुझे निश्चित अवधि बता दीजिये कि यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायगा; कहीं ऐसा तो नहीं हो कि गांव बह जाय और आप जांच और सर्वे ही कराते रह जायं ?

श्री दिनेशराय डांगी : निश्चित अवधि तो बिना जांच के मैं नहीं बता सकता, पर इसमें शीघ्र ही जांच करवा कर उचित कार्यवाही की जायगी ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायतों की लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा जांच

१७५. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायतों की हर वर्ष लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा जांच की जाती है ?

(२) क्या राज्य सरकार ऑडिट द्वारा एतराजों पर उनकी पूर्ति करवाती है और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर एक्शन लेती है ?

(श्री पंचायत मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां।

(२) ऑडिट में किये गये आक्षेपों की पूर्ति पंचायत समिति द्वारा करवाई जाती है व आरोपों के सम्बन्ध में जिलाधीश द्वारा कार्यवाही की जाती है।

सीमेंट फैक्ट्री, सवाई-माधोपुर में राज्य सरकार के शेयर

१७६. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपुतली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सीमेंट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर में राज्य सरकार के कितने शेयर हैं ?

(२) इस फैक्ट्री के शेयरों का आज बाजार में क्या मूल्य है ?

(३) राज्य सरकार को इन शेयरों से अब तक कितनी हानि व कितना लाभ हुआ ?

उत्तर

(१) १००) रु० प्रति हिस्से की दर से ७५,००० अधिमान्य हिस्से।

(२) क्योंकि फैक्ट्री के सारे अधिमान्य हिस्से राज्य सरकार के पास हैं इसलिये बाजार में उनके मूल्य का प्रश्न नहीं उठता।

(३) राज्य सरकार को कम्पनी से इन अधिमान्य हिस्सों पर प्रति वर्ष २,२५,००० रुपया ब्याज मिलता है।

आयुर्वेदिक औषधालय 'सी' श्रेणी को 'बी' श्रेणी में परिवर्तित करने का माप-दण्ड

१७९. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डूंगाना): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) आयुर्वेद औषधालय 'सी' श्रेणी को "बी" श्रेणी में परिवर्तित करने का क्या माप-दण्ड है ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार के पास ग्राम थांवला, भैरूंदा तथा आलनिया बास, पंचायत समिति रीयां के औषधालयों को "बी" श्रेणी में परिवर्तित करने की मांग आई है ? अगर हां, तो इन्हें कब तक "बी" श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जायगा ?

उत्तर

(क) औषधालय "सी" श्रेणी से "बी" में परिवर्तन हेतु निम्न आधार हैं :—

(१) दैनिक रोगी संख्या ५० से अधिक हो।

(२) जनता द्वारा विभाग से दिये गये नक्शे के अनुसार भवन की व्यवस्था की गई हो।

(३) ५ मील की परिधि में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं हो।

(४) जहां पर आने-जाने का साधन सुलभ हो।

(ख) मांग जरूर आई है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में उच्चस्तरीयकरण हेतु कोई प्रावधान स्वीकृत नहीं है। अतः उच्च-स्तरीयकरण सम्भव नहीं है।

विद्युत् मंडल द्वारा खरीद

१८०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि विद्युत्

Page No 24

(श्री मुरलीधर व्यास)
मंडल द्वारा समस्त चीजें केन्द्रीय कार्यालय विद्युत् बोर्ड के जरिये खरीदी जाती हैं ?

(२) क्या सरकार यह उचित मानती है कि विद्युत् मंडल द्वारा आवश्यक वस्तुएं जिले के या डिविजन हेडक्वार्टर्स से नियमानुसार खरीदी जायं ताकि राज्य के विद्युत् बोर्ड से वहां के स्थानीय लोगों को भी व्यवसायिक काम हो सके ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) स्थानीय व्यापारी टेन्डर भर सकते हैं।

सूरतगढ़ में ५० बेड का हॉस्पिटल बनाने की सरकारी योजना

१८२. **श्री अमरफूलसिंह** (सूरतगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सूरतगढ़ में ५० बेड का हॉस्पिटल बनाने की सरकार की योजना है ?

(२) यदि हां, तो इस हॉस्पिटल को बनाने का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) उक्त अस्पताल का निर्माण कार्य राजस्थान कैनाल के बजट से होने को है; अभी तक कोई स्वीकृति राजस्थान कैनाल बोर्ड से नहीं आई है।

आयुर्वेद विभाग में औषधियां क्रय करने हेतु स्वीकृत धनराशि

१८५. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष ६३-६४ व ६४-६५ में आयुर्वेद विभाग में औषधियां क्रय किये जाने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा दोनों वर्षों में कितनी राशि की औषधियां खरीदी गई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि स्वीकृत धनराशि से कम राशि की औषधियां खरीदी गईं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) सम्बन्धित विषय में औषधि-क्रय विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष १९६३-६४

औषधि क्रय स्वीकृति प्रावधान	औषधि क्रय राशि	अभ्यर्पण
८,१८,०००	५,१८,०००	३,००,०००

वर्ष १९६४-६५

८,१८,०००	५,२३,०००	२,९५,०००

(२) जी हां।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में काम देने की व्यवस्था

७३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने लोगों को काम पर लगाने की व्यवस्था थी तथा उनमें से कितने किन किन कामों में लगाये जा सके तथा कितने लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नौकरी के लिये कार्ड दर्ज करवाये तथा कितनों को काम मिल सका ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रश्न के पहिले भाग का सम्बन्ध योजना विभाग से है।

श्रम विभाग प्रश्न के केवल दूसरे भाग से सम्बन्धित है कि कितने लोगों ने एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेन्ज में नौकरी के लिये कार्ड दर्ज करवाये, इत्यादि। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेन्जों में नाम लिखने वालों व रोजगार प्राप्त करने वालों की जिलेवार सूची संलग्न तालिका में दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम नींबडी कलां आयुर्वेदिक औषधालय में नर्स

७४. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम नींबडी कलां आयुर्वेदिक औषधालय में नर्स है ? अगर नहीं है, तो कब तक भेजने की व्यवस्था की जायगी ?

(२) क्या यह सही है कि वहां की जनता द्वारा नर्स की मांग कई बार की गई है ? अगर हां, तो अब तक इस ओर ध्यान न देने का क्या कारण है ?

उत्तर

जी नहीं, क्योंकि ग्राम नींबडी कला (नागौर) 'सी' श्रेणी का औषधालय होने के कारण वहां वैद्य के अतिरिक्त उप-वैद्य का पद ही स्वीकृत है, नर्स का नहीं।

जी हां। नर्स का पद 'सी' श्रेणी औषधालय में स्वीकृति न होने के कारण।

पंचायत समिति क्षेत्र पिडावा में आयुर्वेदिक औषधालय

७५. **श्री गोविन्दसिंह** (पिडावा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति क्षेत्र पिडावा जिला झालावाड में सब-तहसील सुनेल के इलाके को छोडकर सन ५२ से मार्च, ६५ तक कितने आयुर्वेदिक औषधालय सरकार ने कब कब खोले ?

(२) क्या यह सही है कि १४,००० की आबादी पर एक आयुर्वेदिक औषधालय के हिसाब से तहसील पिडावा में कम से कम ४ आयुर्वेदिक औषधालय खुलने चाहिये जो अभी तक नहीं खुले हैं ? यदि हां, तो इस कमी को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) दो औषधालय खोले गये। एक पिडावा में तथा दूसरा हिम्मतगढ में १९६०-६१ में।

(श्री आयुर्वेद मंत्री)

(२) जी हां। यहां की जनसंख्या के अनुसार ४ औषधालय आवश्यक हैं जिनमें दो पूर्व से ही चल रहे हैं। अब एक और का ही प्रस्ताव वहां की जिला परिषद से आया है।

झर मन्दाडा पंचायत क्षेत्र चोर बावडी का तालाब

७६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या झर मन्दाडा, पंचायत क्षेत्र चोर बावडी, तहसील गोगुन्दा में कोई पुराना टूटा-फूटा तालाब है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है?

(२) क्या सरकार ने इस तालाब की टूट-फूट के बारे में पहले कभी जांच भी करवाई थी?

उत्तर

(१) जी हां। पंचायत समिति इसकी सर्वे करा रही है।

(२) जी नहीं।

पंचायत समिति अन्ता, जिला कोटा में बैलों के लिये तकावी की रकम

७७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा): क्या पंचायत मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष पंचायत समिति अन्ता, जिला कोटा में बैलों के लिये तकाबी की कुल कितनी रकम स्वीकृत की और उसमें से कितनी रकम तकाबी के रूप में वितरित की गई?

(२) कितने काश्तकारों को तकाबी दी गई और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कितने काश्तकार हैं?

उत्तर

(१) इस वर्ष अभी तक कोई रकम स्वीकृत नहीं की गई है। गत वर्ष कुल २,६०,०००) रुपये की रकम स्वीकृत की गई थी जिसमें से २,०६,७५२) रुपये की रकम वितरित की जा चुकी है।

(२) कुल २६२ काश्तकारों को तकाबी दी गई। उसमें से ६९ काश्तकार अनुसूचित जाति के व ४९ अनुसूचित जन जाति के हैं।

पंचायत समिति की जीप का उपयोग

७८. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पंचायत समिति गंगापुर ने पंचायत समिति की जीप का पंचायत समिति की सीमा के बाहर गत चार सालों में कितनी बार, किन कारणों से उपयोग किया है?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिविल हॉस्पिटल, गंगानगर में मरीजों की मृत्यु

७९. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जून व जुलाई में, १९६५ में सिविल होस्पीटल, गंगानगर में कितने मरीजों की मृत्यु हुई?

(श्री केदारनाथ)

(२) इनमें से कितने मरीज ऑपरेशन के बाद मरे ?

उत्तर

(१) जून व जौलाई में गंगानगर अस्पताल में ४० मरीजों की मृत्यु हुई है।

(२) इनमें से ऑपरेशन के बाद १० मरीज मरे हैं।

पंचायत समिति, दूदू में ओवरसियर का रिक्त स्थान

८०. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, दूदू में ओवरसियर का स्थान गत एक साल से खाली पड़ा है ?

(२) यदि हां, तो अब कब तक भरे जाने की उम्मीद है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

प्रतापगढ़ जनरल अस्पताल में डॉक्टरों के पद

८१. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) प्रतापगढ़ जनरल अस्पताल में कितने डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं और अभी कितने डॉक्टर कार्य कर रहे हैं ? यदि कम हैं तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इस अस्पताल में मरीजों को दवाइयां और पट्टियां नहीं मिलती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जनरल अस्पताल प्रतापगढ़ में डाक्टरों के ५ पद स्वीकृत हैं जिनमें ३ डाक्टर कार्य कर रहे हैं; राजस्थान में डाक्टरों का भारी अभाव होने के कारण रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की जा सकी।

(२) जी नहीं।

जिला बांसवाड़ा, पंचायत समिति पीपलखूंट में बंध व एनीकट के लिये राजकीय धनराशि

८२. **श्री विट्ठल भाई** (बांसवाडा-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बांसवाडा में पंचायत समिति पीपलखूंट में सन् १९६४-६५ में छोटे बंध व एनीकट बनवाने के लिये कितनी धनराशि सरकार से मंजूर हुई थी ?

(२) अब तक उक्त पंचायत समिति में कितने बंध व एनीकट का काम शुरू किया गया और कितने बन चुके हैं ?

उत्तर

(१) ६००० रु० की राशि दी गई।

(२) दो तालाबों पर कार्य चल रहा है व तीन एनीकट का सर्वे किया जा चुका है। कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है।

कोटा व जोधपुर में ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेन्टर

८३. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम सेविका ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा व जोधपुर में मंडोर में

(श्री हरि प्रसाद शर्मा)

बनाये गये हैं ? यदि हां, तो इनका निर्माण कौन से वर्ष में किया गया और इन पर कुल कितने रुपये खर्च किये गये हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सेन्टरों को अब बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह ट्रेनिंग का कार्य कितने वर्षों तक चलाया गया और इसमें कितनी ग्राम सेविकाओं को ट्रेनिंग दी गई तथा ट्रेनिंग कार्य पर कुल खर्चा प्रारम्भ से लेकर अन्त तक कितना हुआ ?

(३) क्या यह सही है कि अब ग्राम सेविकाओं की आवश्यकता नहीं मानकर उक्त ट्रेण्ड सेविकाओं को अन्य विभागों में बदल दिया गया है ?

(४) ट्रेनिंग सेन्टर से संबंधित स्टाफ का खर्चा अब तक कितना हुआ और ग्राम सेविकाओं पर कितना किया गया ?

उत्तर

(१) जी हां, कोटा व मण्डोर में क्रमशः सन् १९५५ व १९६१ में प्रारम्भ किये गये। इन पर लगभग १,२७,००८) रु० खर्च हुए।

(२) जी नहीं। ग्राम सेविकाओं का प्रशिक्षण कार्य सन् १९६३ तक चला। कुल २२४ ग्राम सेविकायें प्रशिक्षित की गई व प्रशिक्षण पर लगभग ४,३५,०००) रु० खर्चा हुआ।

(३) जी हां।

(४) स्टाफ पर ९१,०००) रु० व ग्राम सेविकाओं के प्रशिक्षण पर १,७०,०००) रु० खर्चा हुआ।

बरारताल–देवगढ़ सडक

८४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पिछले वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जो बरारताल-देवगढ सडक बनाई गई थी उस पर कितना व्यय हुआ ?

(२) यह सडक कितने मील लम्बी है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सडक पर कलवर्टस् नहीं बनाये जाने के कारण सडक अधूरी है और बरसात में उस पर ट्रक, बस आदि नहीं चल सकते ?

(४) क्या सरकार इस सडक पर कलवर्ट्स बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) ५,५४,७२९) रु० मार्च, ६५ तक व्यय हुआ है।

(२) १५ मील।

(३) जी हां, अधिक वर्षा होने पर आवागमन में कठिनाई होती है।

(४) क्रोस ड्रेनेज वर्क्स योजना में स्वीकृत नहीं है।

झालावाड से गऊ घाट तक की सडक पर व्यय

८५. श्री **भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) खानपुर, जिला झालावाड से गऊ घाट तक की सडक पर राजस्थान बनने

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')
के बाद से अब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितना धन किस काम में खर्च किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि खानपुर से बडोरा तथा बडोरा से शेरगढ तक पक्की सडक भूतपूर्व स्टेट के समय बनाई गई थी ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने इस पक्की सडक की टूट–फूट पर कितना धन खर्च किया ?

उत्तर

(१) खानपुर से बडोरा रोड पर ३१,१७७) रु० रिन्यूअल पर तथा बडोरा से गऊघाट के भाग में २५,२१४ मरम्मत पर व्यय हुआ है खानपुर से बडोरा रोड के मरम्मत के आंकडे राजस्थान निर्माण के बाद से निकाले जा रहे हैं जो आने पर पेश कर दिये जावेंगे।

(२) खानपुर से बडोरा पक्की सडक है बडोरा से शेरगढ कच्ची फेयर वेदर रोड है जो विभाग की सूची पर नहीं है। पक्की सडक का वार्षिक मरम्मत व्यय लगभग ५,२००) रु० का है।

बांसवाडा में चम्बल बांध की बिजली

८६. **श्री बिट्ठल भाई** (बांसवाडा-सु.) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला बांसवाडा में चम्बल बांध की बिजली लाने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

मोडक से रावत भाटा वाया घाटा हर्कलिंगपुरा सडक का सर्वे

८७. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि मोडक से रावतभाटा वाया घाटा हर्कलिंगपुरा सडक का सर्वे कराया जा चुका है व सरकार द्वारा इस सडक को बनवाने के लिए अणुशक्ति कमीशन से सिफारिश की गई है ? यदि हां, तो इस सडक को कब तक बनायी जाने की उम्मीद है ?

(२) एटोमिक पॉवर कमीशन द्वारा मंजूर नहीं किये जाने की सूरत में क्या राज्य सरकार इस सडक को या चेचट से रावत भाटा को जोडने वाली किसी दूसरी सडक को बनाने की योजना रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(३) क्या यह सही है कि चेचट से रावत भाटा वाया खेडा-रूद्धा व घाटा दीपपुरा होती हुई फेयर वेदर रोड मौजूद है और उस पर बसों का ट्रेफिक चालू है, परन्तु उसका अब सरकार ने या संबंधित पंचायतों ने संधारण करना छोड़ दिया है ?

(४) क्या सरकार वर्षों से फेयर वेदर के रूप में चली आ रही है, इस सडक को सुधारने और उसका संधारण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) सर्वे हो चुका है। जी हां। अणुशक्ति कमीशन से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(२) यह सड़क तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है चतुर्थ योजना में इस सडक को सम्मिलित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(३) जी हां। यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के व्यय निमित्त स्वीकृत धन-राशि

८८. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वित्तीय वर्ष ६४-६५ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के व्यय के निमित्त कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई और उसमें से कितनी व्यय हुई ?

(२) व्यय की गई राशि में से मार्च, १९६५ के महीने में कुल कितनी राशि व्यय हुई ?

उत्तर

(१) वर्ष ६४-६५ में ९,१५,४२,४००) रु० स्वीकृत किया गया था और खर्चा ९,२६,२९,६८०) रु० हुआ है।

(२) माह मार्च, १९६५ में १,५५,२९,८८६) रु० का व्यय हुआ है।

नाथद्वारा तहसील के ग्रामों में बिजली

८९. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नाथद्वारा तहसील के देलवाडा, कोठारिया, खमनोर व गांव गुडामदा में बिजली लगाने की क्या योजना है ?

उत्तर

कोठारिया को १९६५-६६ के क्रेश डवलपमेन्ट प्रोग्राम में ले लिया गया है। अन्य ग्राम किसी योजना में अभी स्थान नहीं पा सके हैं।

नेशनल हाई–वे

९०. **श्री अमरसिंह** (दूदू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नेशनल हाई-वे नं०८ को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितना चौडा करने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

४१३ माइल को दुगुनी चौडाई दिये जाने का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री मोतीलाल चौधरी।

(१२.०२ म. प.)

प्राक्कलन समिति के अठारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री मोतीलाल चौधरी (सभापति, प्राक्कलन समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग संबंधी प्राक्कलन समिति, १९६२-६३ के तीसरे प्रतिवेदन में समाविष्ट आभिस्तावों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति के अट्ठारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित)

(१२.०४ म.प.)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री विजयपाल कटारा।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरवडी ब्लॉक में सुरक्षित जंगल को नाजायज तौर से काटने सम्बन्धी, चारा याचकों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका और दूसरी ग्राम मानपुर (तहसील सलूम्बर) में तालाब के डूब में आई हुई जमीन के बदले जमीन दी जाने संबंधी हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(१२.०५ म.प.)

राष्ट्र विरोधी शब्द कहने विषयक स्थगन प्रस्ताव

(श्री गिरधारी लाल व्यास और श्री योगेन्द्रनाथ हांडा दोनों एक साथ बोलने खडे हुए)

श्री उपाध्यक्ष : आँर्डर प्लीज!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : एक सूचना का प्रश्न है। एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना मैंने सदन को दी है....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे सूचना मिली है कि वह ११ बजे के बाद दी गई है, आगे देखा जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं साहब, मैंने टाइम नोट किया है, ११ बजे से पहले दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : एजुकेशन मिनिस्टर साहब को मेमोरण्डम मिल गया है। एजुकेशन मिनिस्टर साहब को आदेश दे दिये जायें कि वे इस संबंध में जानकारी करके कल वक्तव्य दे दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने ११ बजे से पहले सूचना दी है। मेरे टाइम का नोटिंग है। वह प्रस्ताव बडा आवश्यक है, राष्ट्र विरोधी शब्द कहे गये हैं जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा। काफी माननीय सदस्यों ने स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष : वह जिस समय ले लिया जायगा, उचित आदेश दे दिया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप आदेश दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह है ही नहीं तो कैसे आदेश दे दूं?

(१२.०६ म. प.)

सदन की आगे होने वाली कार्यवाही विषयक व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज कार्यवाही बहुत ज्यादा है। कल सब की सैन्स ले ली थी, यह बिजनेस थोडे समय में समाप्त हो सके तो अच्छा है; इसलिये १० मिनट से अधिक नहीं बोलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १० मिनट से ज्यादा नहीं बोलने की बात तो निभ नहीं सकेगी।

राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६५ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक मांगें वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई हैं उनके संबंध में जो विनियोग विधेयक पारित करने के लिये प्रस्तुत किया गया है, उसके संबंध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा १९ करोड और कुछ लाख की मांगें यहां प्रस्तुत की गई हैं जबकि थोडे दिनों पहले हमने १२५ करोड के करीब का अपना बजट पास किया था। इसके बाद २० करोड की मांगें सदन में प्रस्तुत की जा रही हैं। यह भी कहा गया कि इतने थोडे समय में इस प्रकार की इतनी बडी मांगें रखना उचित नहीं है, खास कर वैसी दिशा में जब कि हमारे देश में संकटकालीन परिस्थिति चल रही है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनमें कई मांगें इस प्रकार की हैं कि जिनका पूरा करना नितान्त आवश्यक है। १९–२० करोड की मांगें हैं इनको दो तीन हिस्सों में बांट कर देखा जाय तो पता चलेगा कि कुछ तो खेती से ताल्लुक रखती हैं जिस पर कि हमारे देश की सरकार और जनता बहुत ज्यादा जोर दे रही हैं।

दूसरी कुछ मांगें हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती से बढाने के संबंध में हैं, आर. ए. सी. की बटालियनें खडी करने के लिये और उनको कई प्रकार की फैसिलिटीज देने के लिये हैं।

तीसरी है सिंचाई के संबंध म, जिसके द्वारा खेती-बाडी के प्रोडक्शन को बढाना चाहते हैं।

चौथी वे मांगें हैं जिसके द्वारा इन्डस्ट्रीज के प्रोडक्शन को बढाने के लिये ऑल एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढाने के बारे में ऋण की मांगें प्रस्तुत की गई हैं।

अगर इन चारों प्रकार की मांगों को देखें तो इनके अलावा मंत्रियों का खर्चा है ४ लाख का। तो यह चार-पांच तरह की मांगें इसमें प्रस्तुत की गई हैं, इनके अलावा और तो छोटी-मोटी मांगें हैं। ये जो चार-पांच तरह की मांगें रखी गई हैं, इन मांगों की जो आलोचना की गई है उनमें खास तौर से मंत्रियों की बढोत्तरी पर आलोचना की गई है और दूसरी चार कारें खरीदने के संबंध में आलोचना की गई है। जहां तक मंत्रियों की बढोत्तरी का सवाल है, मंत्रियों की बढोत्तरी करते हुए राजस्थान सरकार यहां के एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाकर एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से चला सके तो यह चार लाख कोई बडी बात नहीं है। इसके लिये चार मंत्री और बढा दिये जायं तो कोई बात नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ज्यों ज्यों मिनिस्टर बढ़ते हैं त्यों त्यों प्रशासन बिगड़ता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा सुझाव है कि राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चलाना चाहते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट पर एक एक मंत्री रहे, जिसकी जिम्मेदारी रहे कि डिस्ट्रिक्ट के रोज मर्रा के काम को देखने की कि वहां एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरह से चल रहा है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यानि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की पोस्ट को अबोलिश कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : और जो माननीय सदस्य तहसीलों से चुनकर आये हैं, उनको तहसीलदार बना दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : तहसीलदार बनाने का सवाल नहीं। २०–२२ मंत्री तो पहले हैं ही, चार-पांच ही और घट रहे हैं, चार-पांच मिनिस्टर और बढा दिये जायं तो वे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से देख सकते हैं, वहां की इरिगेशन की, रेवेन्यू की और अन्यान्य प्रकार को कठिनाइयों को महीने में एक मीटिंग करके वहां की कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे तो ज्यादा अच्छा और सस्ता होगा। और वहां की जनता की कठिनाइयों को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : मंत्री लोग तो कांग्रेस के संगठन को चलाने के जिम्मेदार हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कांग्रेस का संगठन भी इसके साथ चलता है। हमारे मंत्री एक जगह बैठ कर एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे तो ठीक ही रहेगा, इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप ज्यादा मजबूत होगा।

कृषि के संबंध में जो मांगें वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई हैं उनसे लोन्स की सुविधा मिली है, फेमिन के संबंध में जो काम वहां हुए हैं, जिनके पैसे नहीं मिले हैं उनके संबंध में मांगें रखी हैं। माननीय सदस्यों ने यह बात रखी कि इस एमर्जेन्सी के समय में इस प्रकार की मांगें रखना उचित नहीं है। इस संकटकालीन स्थिति में खर्चों को कम करने की आवश्यकता है।

मगर जब हम चाहते हैं कि हमारे देश का उत्पादन बढे और हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पडे, जैसे अमरीका और दूसरे देश हैं तो यह तभी हो सकता है कि जब हम कृषि और सिंचाई की ओर और दूसरे **ऐसे सब्जेक्ट्स** की ओर जिनसे उत्पादन बढ सकता है उनकी ओर ज्यादा ध्यान दें। इसलिए हमें देखना है कि बजट में ऐसी कौनसी मांगें हैं जो फालतू हैं या उचित हैं जिनसे कृषि उत्पादन या औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो सकती है और जहां फालतू खर्चा है उसको न रख कर उसको अस्वीकार करें। इसमें हम देखते हैं कि बहुत से ऋणों की बातें कही गई हैं। कमानी एण्ड कम्पनी है जिसको ऋण किसी वजह से दिया जाता है। आज नाइलोन की आवश्यकता नहीं, मोटे कपडे की आवश्यकता है। जहां तक उत्पादन का सवाल है, अगर आप नाइलोन का उत्पादन करते हैं तो फॉरन एक्सचेन्ज मिलता है जो आज इस देश के लिए अत्यन्त आवश्यक है। विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी तो हम जिन चीजों को बाहर से मंगवाना आवश्यक समझते हैं, उनको हम मंगा नहीं सकते। इस प्रकार से कृषि उत्पादन के अंदर जो मांग रखी गई है, सिंचाई के संबंध में, जैसे राजस्थान कैनाल या दूसरे कैनाल्स के संबंध में जो मांगें हैं वे हमारे राजस्थान को हरा-भरा करने के लिए और इस प्रदेश को हिंदुस्तान के अंदर ऐसा बनाने के लिए कि वह खाद्यान्न के मामले में सारे हिंदुस्तान का भरण-पोषण कर सके। तो ऐसी मांगों को यदि हम अस्वीकार करेंगे और कहेंगे कि ये अविवेकपूर्ण हैं तो मैं समझता हूं कि उनका यह अविवेक है जो इस प्रकार की बातें करते हैं।

दूसरी बात रक्षा प्रयत्नों के बारे में यहां १,११,००,०००) रु० पुलिस और आर. ए. सी. की नई बटालियन भर्ती करने के लिये धन-राशि रखी गई है, यह नितांत आवश्यक है। आज आवश्यकता इस बात

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
की है कि बच्चा बच्चा पुलिस और फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करे। वित्त मंत्री ने सिर्फ एक बटालियन बढाने की मांग की है। यदि वे दो-चार बटालियन बढाने के लिये कहते· · · ·

श्री भैरोंसिंह : एक बटालियन में कितने आदमी होते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे कहने का मतलब है कि जितनी व्यवस्था रखी गई है वह अगर और मजबत की जाती तो अच्छा रहता। जैसे वित्त मंत्री महोदय कह रहे हैं कि ४ बटालियन और रखी जा रही हैं उससे देश की व्यवस्था में ज्यादा मजबूती आएगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हम सब को मिलकर रक्षा–प्रयत्नों में मजबूती लाना चाहते हैं। इस संबंध में एक बात कही गई कि अलग अलग पार्टीज खडे होकर अपनी तरफ से अपनी-अपनी बातें करती हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह की बातें न करें, जब देश पर संकट है तो ऐसी बातों को छोड कर एक दूसरे की आलोचना न करें। हम सब को एक होकर इस बात का प्रयत्न करना पडेगा। एक माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बात कही कि मुख्य मंत्री ने चौपड पर खडे होकर बात कही कि हमने प्रधान मंत्री से यह कहा था कि हमें पाकिस्तान पर हमला करने का मौका दिया जाय। इस प्रकार की बातें करना उन सदस्यों को शोभा नहीं देता। किसी एक आदमी का पाकिस्तान से लडाई करने का सवाल नहीं है। सब को एक साथ मिलकर देश की रक्षा की व्यवस्था करनी है। अगर मुख्य मंत्री ने कहा तो सारे राजस्थान के निवासियों की तरफ से उनका जोश और हौसला देखकर इस प्रकार की बात कही होगी कि हम भी पाकिस्तान के छक्के छुडाना चाहते हैं और हमें भी इस प्रकार का अवसर दें और जब राजस्थान को अवसर मिला तो उन्होंने बाडमेर की तरफ पाकिस्तान के छक्के छुडा दिये और उनके क्षेत्र में ३० मील घुस गए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ये जो मांगें रखी गई हैं उनमें ऐसी बात नहीं है कि हम उनको अस्वीकार कर दें। ये हमारे देश के उत्पादन बढाने के लिये और देश को मजबूत करने के लिये, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई व्यवस्था करने के लिये, रखी गई हैं, जो कि स्वीकार करनी चाहिए तभी हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रदेश को मजबूत कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,· · ·

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनट।

श्री भैरोंसिंह : जब से अधिवेशन शुरू हुआ है मैं आज ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : १५ मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : कोशिश करूंगा दस मिनट में लेकिन उसके बावजूद भी यदि सफल नहीं हुआ तो आपका सहयोग चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो विनियोग विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, इस विधेयक में मांगों के रूप में जो मुद्दे रखे गए थे वह विधान सभा ने कल

(श्री भैरोंसिंह)
पारित किए हैं और उन्हीं का कन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट इस विनियोग विधेयक के रूप में सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। आज पूरा देश पाकिस्तान के आक्रमण के कारण अपनी रक्षा के प्रयत्नों में लगा हुआ है। राष्ट्रपति से लेकर देश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात के प्रयत्न में है कि हमारे सुरक्षा प्रयत्न किस तरह सुदृढ हों और सुरक्षा बनाये रखने के लिए हम कैसे मितव्ययी हों। आज से तीन दिन पहले देश के प्रधान मंत्री ने गांधी मैदान के अन्दर भाषण देते हुए कहा और जनता से इस बात की अपेक्षा की कि अगर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अपनी सुविधाएं, जो कुछ हम ले रहे है या हमें मिल पा रही हैं, उन सब का त्याग करें और यदि आवश्यकता पडे तो हम भूखे रहकर भी सुरक्षा प्रयत्नों को ज्यादा से ज्यादा सुदृढ बनाने की चेष्टा करें। वास्तव में यह बात सही है और संकट भी बहुत बडा है। इस संकट का मुकाबला करने के लिये जनता के हर वर्ग के व्यक्ति जितनी भी वह कुर्बानी कर सकता है उसके लिए तैयार रहना पडेगा।

यह तो आपको और सदन को ज्ञात है कि १९६२ के अक्टूबर में २० तारीख को चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था। उस समय से लेकर आज तक हमारे देश में संकटकालीन स्थिति है, उस स्थिति में सरकार और जनता का कोई कर्तव्य होता है। वह कर्त्तव्य आज हमारे नेतागण जनता को बताते चल रहे हैं और जनता भी इस बात का प्रयत्न कर रही है कि नेताओं के मार्ग पर वह चलकर इस बात को अनुभव करे कि वास्तव में संकटकालीन स्थिति है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में और राजस्थान के मंत्रिमंडल में इस प्रकार की संकटकालीन स्थिति का मामूली-सा आभास भी नहीं है। ८ अप्रेल, १९६५ में पाकिस्तान ने कच्छ क्षेत्र पर आक्रमण किया, ३० जून १९६५ में हमने युद्ध-विराम पाकिस्तान से किया।

लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति तो यह है कि ३० जून को हम सीज फायर कर रहे हैं और उसी संकटकालीन स्थिति में जो ६२ से चल रही है और जो ८ अप्रेल, १९६५ को ज्यादा एक्यूट बन गयी, ३० जून तक सब लोगों को जिसके बारे में शंकायें थीं कि क्या होगा और क्या होने वाला है, उस समय हमारे प्रधान मंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान ने कच्छ में युद्ध विराम जरूर किया है लेकिन हमें सावधान होकर, सतर्क होकर, चलने की आवश्यकता है। ३० जून के पहले कच्छ के अन्दर पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, २ जून को चार नये मंत्रियों ने राजस्थान में शपथ ग्रहण की। मैं ऐसा समझता हूं कि ६२ में आम चुनाव हुए, नया मंत्रिमंडल बना उस समय मंत्री थे ६५ तक काम किया है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने और राज्यपाल ने कहीं कोई इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कमी है इस कारण एडमिनिस्ट्रेशन गिरा है, इसको सुधारने के लिये मंत्रिमंडल की संख्या बढायी जाय। लेकिन मंत्रिमंडल में चार नये सदस्य बन गये, चार नये मंत्री बन गये, लेकिन विभाग तो जितने होंगे उतना ही काम होगा। उदाहरण के लिये रखना चाहता हूं कि एक मंत्री को केवल समाज कल्याण विभाग दिया गया। उसका बजट राजस्थान के और जितने डिपार्टमेन्ट्स हैं उन सारे डिपार्टमेन्ट्स से कम है। समाज कल्याण विभाग का एक डाइरेक्टर, ४ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर।

(श्री भैरोंसिंह)

फन्ड्स के अलोकेशन्स का काम है। एक मिनिस्टर को वह विभाग दिया गया है। एक मिनिस्टर को हिन्दी विभाग दे दिया। कुछ विभाग दूसरे मिनिस्टरों से लेकर दे दिये। यह सब कुछ एक राजनैतिक भूख थी लोगों की उसको मिटाने का प्रयत्न किया गया है। आप यह मान कर चलते हैं कि मंत्रिमंडल की संख्या ज्यादा होने से एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होगा, यह मैं कम से कम मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जून से लेकर अब तक राजस्थान में एफिशियेन्सी के नाते, एन्टीकरप्शन के नाते, नेपोटिज्म को रोकने के नाते, रेड टेपिज्म को रोकने के नाते इफेक्टिवली काम करके बताया हो ऐसा न जनता का विश्वास है और न ही सदन में सरकार बता सकती है कि चार मंत्रियों के आने के बाद करप्शन दूर हो गया, इन-एफिशियेन्सी दूर हो गयी, रेड टेपिज्म दूर हो गया, राजस्थान से नेपोटिज्म दूर हो गया और लोगों की ग्रिवान्सेज हैं उनको इमिजियेटली मीट करने की व्यवस्था कर ली? यहीं तक नहीं जब ये मंत्री बने उसके साथ-साथ मंत्रियों को जो रियायतें मिलती हैं, बंगले की रियायत मिलती है, मोटर की रियायत मिलती है, बिजली की और पानी की सुविधायें मिलती हैं, उन सब सुविधाओं को मिला कर एक्सपेन्डीचर के नाते राजस्थान के टैक्स पेयर पर कितना बोझा पडा है अधिक, जब कि आज इस संकटकालीन स्थिति में राजस्थान की सरकार से मार्ग-दर्शन की अपेक्षा थी, मितव्ययता की अपेक्षा थी, राजस्थान को सरकार जो जनता को मार्ग-दर्शन देने वाली कही जाती है, मार्ग-दर्शन के बजाय यह बोझा और, मन्त्रिमण्डल को स्वयम् मितव्ययता अपनानी थी, उसके बजाय चार-चार मन्त्रियों को और नियुक्त करके टैक्स पेयर के ऊपर थोप दिया जाय; यह कहां का न्याय है? क्या उपयोगिता है? यदि आवश्यकता थी तो कई डिप्टी मिनिस्टर्स बेकार बैठे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है सिवाय दौरे करने के और केवल खाली दफ्तरों में बैठने के और वहां पर भी अपनी झेंप मिटाने के लिये दफ्तर से फाइल ले जायं। न तो उनके पास काम है और न उनके पास काम ही आता है। उप-राजस्व मन्त्री पहले लोगों की निगाह में काम करते थे लेकिन जब से कुम्भारामजी राजस्व मन्त्री बने हैं उनको भी उन्हीं डिप्टी मिनिस्टर की लाइन में लाकर खडा कर दिया गया है और आज वे भी बेकारों की गिनती में खडे हो गये हैं; उनके पास भी कोई काम नहीं है। आज यह स्थिति है तो यह सोचने का विषय है। आज गरीब जनता आपके इन टैक्सों से पीडित है। उस पर फिर आप इस प्रकार मन्त्रियों की संख्या बढा कर और फिजूल खर्च करके बोझा बढायें, डिप्टी मिनिस्टरों की वॉलीबॉल की टीम खडी कर दी जाय और उसका उपयोग न हो, मन्त्रिमन्डल में और मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि जनता से मितव्ययता की अपेक्षा करें, टैक्स पेयर से टैक्स देने की अपेक्षा करें, संकटकालीन स्थिति में जनता से संगठित होकर सुरक्षा प्रयत्नों में योगदान देने की अपेक्षा करें तो सबसे पहले राजस्थान की सरकार को मन्त्रियों की संख्या घटा कर २२ से १० ही कर देनी चाहिये। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की हुकूमत मितव्ययता और सुरक्षा प्रयत्नों को दृढ करेगी। लेकिन वैसा नहीं है।

कुछ गजट नोटिफिकेशन्स बताऊंगा। कहते हैं कि संकटकालीन स्थिति में हम

(श्री भैरोंसिंह)

मितव्ययता करेंगे । अप्रेल ३०, १९६५, केबीनेट सेक्रेटरी, इसमें क्या व्यवस्था की है :

"7 A. Notwithstanding anything contained in these Rules, the Governor may, in appropriate cases, grant to a Minister of the State any concession or special facilities, including the reimbursement thereof outside the State for the items specified below:–

(i) Medical Treatment.

(ii) Medical attendance or travelling allowance for any such journey performed by him, and

(iii) Accommodation, including diet, for the purposes of such treatment.

This amendment shall be deemed to have come into effect on March 8, 1965."

मैं यह मानता हूं और मनुष्यता के नाते हमारा यह कर्तव्य भी होता है कि कोई आदमी बीमार हो जाय और गरीब हो, कईयों को टी.बी. हो जाती है तो कोई अलाउन्स देते हैं, मुफ्त में दवाइयां देते हैं, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि राजस्थान का मन्त्री बीमार हो, अयोग्य हो जाय, सरकारी काम न कर सके उसको इंग्लैंड में इलाज के लिये भेजा जाय, सरकारी खर्चे से भेजा जाय, सरकारी खर्चे पर उसके साथ डाक्टर भेजा जाय और यहां पर आजाय मद्रास और हैदराबाद में सरकारी खर्चे पर इलाज कराया जाय, यह उचित है। मैं इसको उचित नहीं समझता । यह मानवता के नाते उचित हो सकता है, आपकी निगाह में, मन्त्री महोदय, अपनी जेब से दें यह खर्चा या कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से दें लेकिन टैक्स पेयर के ऊपर, कोई मन्त्री बीमार हो जाय और वह इंग्लैण्ड जाकर इलाज कराये और सरकार उसका सारा खर्चा भरे, डॉक्टर साथ जाय सरकारी खर्चे से, यह सारा बोझा डाला जाय और इस एमर्जेन्सी के समय जब कि आप लोगों को मितव्ययता के लिये पाठ पढाते हैं, यह बड़े ही शर्म की और लज्जा की बात है।

एक नोटिफिकेशन निकलता है उस समय जब कि कच्छ के रन में उधर हमारे जवान दुश्मन से लोहा ले रहे थे, हमारे देश की सुरक्षा के लिये जी-जान दे रहे थे। उस वक्त ये रूल्स प्रकाशित हुये "In the Rajasthan Ministers (Travelling Allowances and Use and Maintenance of Conveyance) Rules, 1963."

इसके द्वारा भत्ता जो २१) रु. था उसको ३१) रु० कर दिया गया। हमें यह याद होगा कि पिछले सत्र में एक मन्त्री को तनख्वाह १ हजार मिलती थी उसकी बजाय १२५०) का प्रावधान किया, डिप्टी मिनिस्टर को ८००) के बयाज २००) बढाकर हजार रुपये का प्रावधान किया। उस समय मन्त्रियों ने कहा था कि इससे आगे हमारी भूख नहीं रहेगी। इससे संतोष हो जायगा, लेकिन उनको इससे भी संतोष नहीं। यदि हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं तो संतोष की भावना नहीं दिखाई देती ह। ऐसा लगता है कि उनको यह मौका मिल गया है, जितना जनता को खाया जाय उतना खाया जाय। इतना ही नहीं नोटिफिकेशन में आगे लिखा है :

(श्री भैरोंसिंह)

"(a) in sub-rule (iii), for the expression '275 litres per month', the expression "6000 litres per annum" shall be substituted."

इसका मतलब यह हुआ कि एक महीने में पहले तीन हजार एक सौ (३१००) लीटर पैट्रोल उनको मिलता था। इमर्जेन्सी आगयी भारत सरकार को पैट्रोल की जरूरत पड़ी। भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही पैट्रोल के लिये चिन्तित हैं, सुरक्षा व्यवस्था में यह काम आता है। हमारे मन्त्रियों को पहले ३१०० लीटर पैट्रोल मिलता था मुफ्त में उपयोग करने के लिये, उन मिनिस्टरों ने और राजस्थान की हुकूमत ने कहा कि ३१०० लीटर से काम नहीं चलेगा ६ हजार लीटर होना चाहिये। ये हैं सुरक्षा के लिए आपके प्रयत्न। राजस्थान की सरकार जनता से कहती है कि हम को मदद इसमें करना चाहिये। इतना ही नहीं फिर रूल्स बनाते हैं:– "These rules may be called the Rajasthan Ministers (Concessions on account of Electricity and Water) Rules, 1965."

उसमें आगे चल कर लिखते हैं: "For purposes of section 5A of the Rajasthan Ministers Salaries Act, 1956 (Rajasthan Act 43 of 1956), each Minister shall be entitled to the concession of payment by Government for him and on his behalf throughout his term of office of all charges due from him on account of consumption of electricity and water at his residence."

यह पहले भी व्यवस्था थी, उपाध्यक्ष महोदय। मुख्य मन्त्री महोदय ने इस सदन में आश्वासन दिया था और इस प्रकार के सर्क्यूलर्स, ऑर्डर्स थे कि मिनिस्टर्स पचास रुपये तक का पानी प्रयोग कर सकते हैं, ७५) रुपये की बिजली प्रयोग कर सकते हैं; उससे ज्यादा यदि खर्चा होगा पानी-बिजली का तो वह मन्त्रियों को जमा कराना होगा। मन्त्रियों को मौका मिल गया और यह व्यवस्था कर ली कि चाहे जितना पानी खर्च करें, चाहे जितनी बिजली खर्च करें वह सब खर्चा जनता का होगा, उसका सब का भार जनता वहन करेगी। आज जब कि बिजली में कटैलमेन्ट होना चाहिये इस प्रकार अन्धा-धुन्ध मन्त्री लोग बिजली का प्रयोग न करें लेकिन उनको इजाजत दी गई कि चाहे जितनी बिजली वे खर्च करें। बिजली की कमी की वजह से कृषि में बिजली न पहुंच सके, उसके बिना फसल नष्ट हो जाय और फसल नष्ट होने पर जनता को खाने को अनाज न मिले और उनको भूखों मरना पड़े इसकी राज्य सरकार को चिन्ता नहीं। उनको तो चिन्ता इस बात की है कि जो मन्त्री कोयलों पर रोटी पकवाते थे उनकी रोटी हीटर पर बननी चाहिये, हीटर की रोटी में ही उनको गरमी आ सकती है। प्रशासन का काम करने में हीटर की ज्यादा आवश्यकता होती है जो उनको हीटर की रोटी से ही वह हीट मिल सकती है, इससे अधिक शर्म की चीज और क्या हो सकती है। आप घर में बैठ कर अपनी मर्जी से रूल्स बना सकते हैं जो कन्सेशन्स नहीं मिलने वाले थे वह कन्सेशन्स ले लिये और इधर जनता के मनोबल को ऊंचा करने की बातें करते हैं और दूसरी तरफ अपना स्वार्थ-लाभ करने की चेष्टा करते हैं।

Page No 39

(श्री भैरोंसिह) .

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन्स रखना चाहता हूं। एक दो मैंने रूल्स देखे हैं, राजस्थान की हुकूमत ने दो प्रकार के रूल्स बनाये हैं: "The Rajasthan Grant of Loans to Growers of Grapes Rules, 1965.

जो अंगूरों की खेती करेगा उसको दस हजार रुपया प्रति बीघा के हिसाब से लोन दिया जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा: : एक बीघे पर नहीं, एक एकड पर दिया जायगा।

श्री भैरोंसिह : I correct myself. आज, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में दो ही ग्रेप ग्रोअर्स रिकॉग्नाइज्ड हैं; एक तो हमारे मुख्य मन्त्रीजी और दूसरे राजस्थान के खाद्य मन्त्री, श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा : साठ सत्तर ग्रेप्स ग्रोअर्स हैं, जिन लोगों ने इस साल अंगूर लगाये हैं। और मैं आपकी सूचना के लिये निवेदन कर दूं जहां तक हम दोनों का ताल्लुक है हमने कोई लोन नहीं लिया है।

श्री भैरोंसिह : जैसा कि मंत्रीजी ने कहा कि बहुत सारे ग्रेप ग्रोअर्स हैं जिनकी संख्या पचास-साठ के करीब उन्होंने बतायी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके अंगूर नहीं लगे थे उस समय रूल्स क्यों नहीं आये?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिये नहीं आये कि मेरे अंगूर लगने के बाद मुझे भी भरोसा हुआ और दूसरों को भी भरोसा हुआ कि राजस्थान में अंगूरों की खेती हो सकती है।

श्री निरजननाथ आचार्य (उप-मंत्री; गृह) दूसरों को वे सार (sour) लगने लगे।

श्री भैरोंसिह : आपने जिस प्रकार से रिसर्च किया उस से राज्य सरकार को पता लगा कि अंगूरों की खेती यहां हो सकती है, लेकिन गंगानगर का किसान जो रिसर्च कर रहा है वह बेकार है। जब राजस्थान के खाद्य मंत्री के यहां और मुख्य मंत्री के यहां अंगूर लग गये तो उसके लिये लोन की सुविधा प्रदान कर दी कि एक एकड पर दस हजार रुपया लोन दिया जायगा...

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें बुरा क्या किया, वह तो समझा दें।

श्री भैरोंसिह : जो समझने वाले हैं उनके लिये तो इतना ही कहना पर्याप्त है और जो समझाने पर भी बिलकुल नहीं समझते उनके लिये समझाना व्यर्थ है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इन रूल्स के अन्दर यह भी नहीं है जिस प्रकार जो भी एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं, उनके लिये इन्टरेस्ट प्रेस्क्राइब होता है, लेकिन इसमें इन्टरेस्ट किसी प्रकार का प्रेसक्राइब नहीं किया। अब व्यक्तियों को देखकर कि किन किन ने लोन लिया है उसके अनुसार रेट इन्टरेस्ट की निर्धारित होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे रूल्स की बात जिसमें दे रखा है : These rules may be called the Rajasthan Ministers' Advances for Purchase of Motor Car Rules, 1965

कोइन्सीडेन्स देखिये? इधर तो पाकिस्तान हम पर आक्रमण कर रहा है और उधर हमारी सरकार जनता के एक्सचेकर पर आक्रमण कर रही है। जिन जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमारी सीमा की सुरक्षा की और कर रहे हैं उधर हमारे मंत्री लोग

Page No 40

(श्री भैरोंसिंह)
अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। मंत्री लोग यह चाहने लगे कि हमें बीस हजार रुपया लोन मिल जाना चाहिए, हम गाडी खरीदेंगे; उसके लिये लोन मिलना चाहिये। मंत्री लोग पांच वर्ष के पीरियड के लिये आते हैं, पिछली बार भी पचास प्रतिशत मंत्री हट गये, लेकिन उसके बाद भी यह व्यवस्था कर दी गई कि जो हार गये उनसे भी लोन रिकवर कर लिया जायगा। आज इन्डिया के अन्दर कहीं भी इस प्रकार टेम्पोरेरी इलेक्ट्रोरेट्स को कानूनी रूप से लोन लेने की सहूलियत दी जाय, कहीं भी नहीं है। राजस्थान विधान सभा में माननीय सदस्य चुनकर आते हैं उनको लोन नहीं दे सकते और मैं इसका पक्षपाती भी नहीं कि लोन मिलना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री महोदय इस बात की तस्वीर प्रस्तुत करें लेकिन हमारे मंत्री तो यह कर रहे हैं कि उनको बीस हजार रुपये लोन के गाडी खरीदने के लिये मिल जांय इससे ज्यादा और कोई शर्म की चीज नहीं हो सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय कई बार इस प्रकार की चर्चा करते हैं, हम आज सुरक्षा के प्रयत्नों में लगे हुए हैं इसलिये हाउस की मीटिंग एडजोर्न कर देनी चाहिये। क्योंकि हमें बोर्डर पर जाना पडता है जवानों का मनोबल बढाने के लिये।' जनता का मनोबल बढाने के लिये उनसे सम्पर्क रखना पडता है।' लेकिन जब हम उनके कारनामें देखते हैं तो कई बार ऐसा गुस्सा आता है कि चाहे हमें पुलिस पकड कर ले जाय इसकी चिन्ता नहीं, मानवता के नाते हम अपना गुस्सा दबाकर रखते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं फ्री हेन्ड होता तो जनता द्वारा उन पर थूकाता, हम थूकते और जनता को उनका तिरस्कार करने के लिये कहते और राज्य सरकार से कहते कि ऐसे मंत्रियों को बर्खास्त किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम आज कहते हैं कि एक एक पैसे की बचत करिये। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक मंत्री महोदय ने टेलीग्राम दिये, मैं पढकर सुनाता हूं। यह टेलीग्राम सरकार के मंत्री फाइनेन्स मिनिस्टर, श्री बालकृष्ण कौल ने दिये हैं

No letter since 21st July. Leave expires 13th. Anxious. Wire departure.—Finance Minister

२१ जुलाई से कोई पता नहीं, इसलिये उनका चिन्तित होना स्वाभाविक है। "Leave expires 13th. Anxious Wire Departure"

चिन्ता हुई, फिर तार देते हैं। फाइनेन्स मिनिस्टर तार देते हैं, कहां देते हैं? अजमेर नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली, कलकत्ता नहीं, कानपुर नहीं, तार दिया जाता है काबुल। तार किसको दिया जाता है? आपको और मुझे नहीं दिया जाता है। उनको दिया जाता है जिनका किस्सा मानिक चन्दजी सुराणा ने इस सदन में रखा था; कुमारी प्रतिभा को। तार का सिक्वेन्स देखिये, उनको बड़ी बेचैनी है इस कारण माननीय मंत्री महोदय दुबारा तार देते हैं: "Your telegram. Central Government Booked seat ' 12th. 14th. Contract Air office. Wire Departure—Finance Minister."

सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कोशिश की जाती है कि काबुल से हवाई जहाज में उनके आने

(श्री भैरोंसिह)

के लिये सीट रिजर्व कराते हैं । भारत के ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री से बात-चीत की जाती है कि इनके लिये सीट का रिजर्वेशन होना चाहिये । जिस दिन सीट रिजर्व हुई वह नहीं आ सकीं । फिर लिखते हैं :

"Your leave expires 13th instant. Due to administrative reasons further extension not possible except on medical ground. Join duty on due date—Failure to join will amount, dereliction of duty. Registrar Government Secretariat."

टेलीग्राम इन्डियन एम्बेसी को है । डायरेक्ट बातें करते हैं । आखिर फोरिन एम्बेसी से किस प्रकार बातें की जाती हैं उसका भी मेन्युअल होता है । इन्हें मेन्युअल की परवाह नहीं । परवाह है केवल उससे बातचीत करने की । फिर श्रीमानजी का तार जाता है इन्डियन एम्बेसेडर, काबुल को :

"Kindly request Medical Officer examine K. Pratibha. State employee on leave. She is directed to present herself for examination and report if ill—Finance Minister."

फिर प्रतिमाजी को तार जाता है ।

"Present yourself before M.O. Indian Embas [illegible] examination. Wire compliance— "

इन्डियन एम्बेसी को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिये लिखा जाता है । फिर तार जाता है इन्डियन एम्बेसी काबुल के Medical Officer को "Reference Finance Minister yesterday telegram to Ambassador. Kindly examine Pratibha care Rahtogi UNTAB whether fit flying back to India and report—Registrar, Government Secretariat."

फिर प्रतिभा को तार जाता है । इनको तसल्ली नहीं । उसको जल्दी से जल्दी बुलाने की व्यवस्था की जाती है ।

"Reference telegram 11th. Further leave refused unless M.O. Indian Embassy certifies fitness to fly back India—As already informed seat booked 12-14 in start-Registrar, Government Secretariat."

फिर तार दे रहे हैं ।

"Pratibha, care Rahtogi. Why for dereliction of duty and non-compliance of Government orders should you be not suspended and charge-sheeted. Submit explanation telegraphically. Booking Seat your responsibility.

Deputy Secretary, Appointments-B".

फिर तार जाता है Finance Minister का

"Your letter 12th. Cannot help indiscipline and mean tactics. Kaul, Finance Minister."

मैं नहीं समझता what are the mean tactics ? एक क्लर्क, एक स्टेनोग्राफर से डाइरेक्ट डील करने की रेस्पोन्सिबिलिटी कहां से फाइनेन्स मिनिस्टर को आ गई ?

(श्री भैरोंसिह)

छुट्टी उसकी मन्जूर की जावेगी या नहीं, यह रेस्पोन्सिबिलिटी किस प्रकार से सीधी मिनिस्टर पर आ गई? सेक्रेटेरियेट मेनुअल के एक एक लफ्ज़ को मैंने पढ़ा है। डाइरेक्टली उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इन्टर-फियर करने का अधिकार मिनिस्टर को नहीं है। हां, कोई वह रिप्रेजेन्टेशन करे, केसेज उनके पास जाते हों, सेक्रेटरीज़ के नोटिंग के साथ जाते हों तो वे डील कर सकते हैं। पर हमारे मिनिस्टर साहब एक तरफ तो कहते हैं: "why you should not be suspended for dereliction of duty." फौरन आओ। साथ साथ यह कहते हैं, "नहीं आ रही हो, your letter dated 12th."····

ठाकुर श्री रघुवीरसिंह बिसाऊ (मंडावा): काबुल हैल्थ रीजन्स पर गयी थी क्या?

श्री भैरोंसिह: आप तसल्ली रखिये। बडे रोमान्टिक लैटर्स हैं। दो बार लेटर के रेफेरेन्स आते हैं। पहला टेलीग्राम आता है: "No letter since 21st July"

दुबारा टेलीग्राम आता है। "Your letter dated 12. Cannot help indiscipline and mean tactics."

अब 'मीन टैकटिक्स' कैसे और क्यों किया? क्या बात थी ऐसी? यह तो कौल साहब जानें, मुझे पता नहीं। १३ को छुट्टी समाप्त हो रही थी। नहीं आई। टैलीग्राम पर टैलीग्राम जाते हैं और आखिर आ गई। कौल साहब ने बुलाने का बड़ा प्रयत्न किया। तान्त्रिक के पास रात-रात बैठे रहते हैं। बड़ी मेहनत की। बड़ा इन्तजार हो रहा था। २८ तारीख को आखिर काबुल से रवाना होकर जयपुर आ गई। इधर लड़ाई हुई थी, हमारे जवान सीमा पर बैठे हैं। मिनिस्टर लोग वहां जाकर उनको हिम्मत दिलाते हैं। हमारे राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को भी सीमा पर जाना चाहिये था जहां देश के जवान अपना खून देश की हिफ़ाजत के लिये बहा रहे थे, पर वहां नहीं गये, राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर कहां जाते हैं; प्रतिमा को लेने के लिये दिल्ली पधारते हैं। हवाई जहाज से रिसीव करने के लिये दिल्ली जाते हैं इन्तजार हो रही थी, कब प्रतिमा आवे।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा): ओन एपोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, तारों की कुल संख्या कितनी थी?

श्री भैरोंसिह: ९ हैं, जिनमें पांच कौल साहब के हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला: क्या इन पर होने वाले खर्चे की भी जानकारी है आपको?

श्री भैरोंसिंह: खर्चे के लिये कौल साहब सफाई देंगे। मैं नहीं। उनके कहने के बाद अगर मुझे सफाई देने की जरूरत हुई तो मैं भी बता दूंगा।

दुश्मन से हमारी सेनाएं सीमा पर अपनी जान की बाजी लगा कर लड़ रही हैं। प्रत्येक राजस्थानी बूढ़ा, बच्चा तक, जोधपुर में बमबारी हुई, कितने आदमी मरे, घायल हुए उनके प्रति समवेदना से भरा हुआ है। राजस्थान के मुख्य मन्त्री दौड़े हुए वहां जाते हैं। सान्त्वना देते हैं, हिम्मत बन्धाते हैं। गडरा रोड से हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। दुश्मन का डटकर मुकाबला हो रहा है, इस सब की चिन्ता हमारे राजस्थान के इन फाइनेन्स मिनिस्टर को नहीं है। उनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं। कोई लेना-देना नहीं।

(श्री भैरोंसिंह)

उनको तो चिन्ता है कि प्रतिभा कब काबुल से आवे। काबुल से प्रतिभा आ रही है। राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर को चिन्ता है। वे हवाई जहाज पर पहुंचे, प्रतिभा उतरी, उनका स्वागत किया। अपने साथ बिठा कर लाये। दिल्ली में ठहरे और रात को नौ बजे वहां से रवाना होकर अलवर के सर्किट हाउस में आये। वहां एयर कन्डीशन्ड कमरे में साथ साथ ठहरे। अब क्यों ठहरे, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसके बारे में मुझे ज्ञान भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तथ्य सदन के सामने रख रहा हूं।

अब इतना ही फैक्ट नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। इतनी ही बात होती तो विशेष चिन्ता की बात नहीं थी। पर फैक्ट यह है कि हमारे मन्त्री महोदय ने सबसे पहला काम जो किया, तार दे दिये। और तार ही देकर सब्र नहीं किया। टेलीफोन भी आपने किये। काबुल सीधा टेलीफोन बुक कराये। आपको तो बस एक ही चिन्ता थी कि किसी प्रकार काबुल से जल्दी वह आवे। आने के बाद पता लगा। हो सकता है राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी को लड़ाई की चिन्ता हो, लड़ाई में लड़ने वाले जवानों को राहत देने उनके कुटुम्बियों की देखभाल करने की चिन्ता होगी, वे यह सोचते होंगे कि बटालियन के लिये फाइनेन्स का किस तरह से प्रवन्ध किया जावे, इस विशेष परिस्थिति में किस तरह से पैसे का इन्तजाम किया जावे, इसकी चिन्ता होगी। और इसके लिये अपने सहयोगियों से या अन्य व्यक्तियों से सलाह मशविरा करने की जरूरत हो गई हो। मैं भी अपने सदन के सामने स्थिति कार्यालय से रात को ग्यारह बजे, बारह बजे और एक-एक बजे तक काम खत्म करके मकान पर जाता हूं तो अजमेरी गेट के सामने कॉफी हाउस पर कौल साहब की मोटर गाडी खडी मिलती है। कौल साहब की गाडी खडी है। मैं समझता था कि यहां कोई एमर्जेन्सी की मीटिंग चल रही है। शायद विचार किया जा रहा है कि दुश्मन को सीमाओं से कैसे खदेडा जावे, इसके लिये कितनी बटालियनों की आवश्यकता है और उसके लिये किस तरह से फाइनेन्स की व्यवस्था की जावे और इसलिये फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां मीटिंग में शरीक होने पधारे होंगे और इसलिये उनकी गाडी यहां खडी होगी। पर एक दिन देव संयोग से उनको सीढ़ियों से उतरते मैंने देख लिया और तब समझा कि यहां तो कोई एमर्जेन्सी की मीटिंग-वीटिंग कुछ नहीं है, यहां तो कौल-प्रतिभा मीटिंगें चल रही हैं। इसका अन्दाज मैं नहीं लगा सकता कि ये मीटिंगें कैसी होती हैं। मुझे कहना भी नहीं चाहिये कि किस प्रकार की मीटिंगें वे होती थी।

आज की इस स्थिति में मैं प्रतिभाजी के बारे में भी कुछ जानकारी, जो मुझे हो सकी है, सदन को देना चाहता हूं। आप अजमेर में ए० डी० सी० के तौर पर अपोइन्ट हुई। कौल साहब फाइनेन्स मिनिस्टर थे वहां पर भी। इनके डिपार्टमेन्ट में इनकी नियुक्ति हुई। आपके प्रयत्नों से ये यू० डी० सी० बनीं, without any chance, superseding others chances.

१-४-५५ को फिर ऑर्डर इश्यू किया। मिनिस्टर अपने पी० ए०, स्टेनोग्राफर के नाम पर इस पोस्ट पर अपोइन्ट कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर पी० ए० के रूप में उसका अपोइन्टमेन्ट कर दिया गया। अब जहां तक स्टेनोग्राफी का सवाल है, न

(श्री भैरोंसिंह)
उस वक्त कुछ इनको आता था, न आज आता है। न वे हिन्दी की टाइप जानती हैं और न अंग्रेजी की। थोड़ा बहुत अंग्रेजी का टाइप करना अभी अभी सीखा है। वह भी मेरे से अच्छा जानती नहीं होंगी। मैं बीस की स्पीड से टाइप कर सकता हूं तो वे १९ से ही कर पावेंगी। इसके बाद में वे १६० से ३३० की ग्रेड में आई।

राजस्थान का मर्जर हुआ। अजमेर राजस्थान में मिला। तो पता चला कि ३३० की ग्रेड में होने वाले को स्टेनोग्राफर होना चाहिये तो अब इनको स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर एडजस्ट कैसे किया जाय? इनको तो स्टेनोग्राफी आती नहीं। एल० डी० सी० की पोस्ट पर लगा दिया। उनसे स्टेनोग्राफी का किसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया गया। मर्जर के बाद एब्जोर्प्शन के लिये सिलेक्शन कमेटी बैठी। उसका प्रोमोशन का केस बनाया गया। केस सिलेक्शन कमेटी के पास गया। उसने लिख दिया कि यह प्रोमोशन के लिये फिट केस नहीं है। अब समस्या पैदा हुई कि इनको किस प्रकार से एब्जोर्ब किया जाय। तो परसनल स्टाफ में लिया। इनको एडजस्ट करने के लिये स्टेनोग्राफर्स की दो ग्रेडें बनाई गईं। एक सीनियर ग्रेड और दूसरी जूनियर ग्रेड। कोशिश इस बात की कीगई कि सीनियर स्टेनोग्राफर्स की ग्रेड में इनका सिलेक्शन हो जावे। इसकी लिस्ट प्रकाशित की गई। पर उसमें इनका नाम नहीं आ सका। तो रनिंग ग्रेड में ४८५) रु० के रनिंग ग्रेड में वे नियुक्त कर दी गईं। ये हमारी प्रतिभाजी सन् ५२ से लेकर अब तक कौल साहब के फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में विभिन्न पोस्टों पर कभी एल० डी० सी०, कभी यू० डी० सी०, कभी स्टेनोग्राफर, कभी पी० ए० रहती आई हैं।

अब प्रतिमाजी यहां नहीं रहतीं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी सब मालूम है, वर्ना आप भी टोक दीजिये।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मुझे समय की चिन्ता है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको समय की चिन्ता है, ऐसे कारनामे करने वाले मन्त्रियों को यहां से निकाला जावे, इसकी आपको चिन्ता नहीं। समय की चिन्ता आप मत करिये। इस मन्त्री को बर्खास्त करवा कर हम सरकार का बहुत रुपया बचावेंगे। मैं जल्दी समाप्त करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इसके बाद में पोजीशन आई कि ये ४८५) की रनिंग ग्रेड में आ गई। मैं आज भी यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी ये स्टेनोग्राफी का काम नहीं जानतीं। टाइपिंग का काम नहीं जानतीं। राजस्थान के बहुत अच्छे से अच्छे स्टेनोग्राफर्स और टाइपिस्ट जिनको जिन्दगी भर यह ग्रेड नहीं मिलती, कोशिश करते करते थक गये हैं कि यह ग्रेड उनको मिले। पर कैसे मिले? ये फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के कृपा-पात्र नहीं हैं। कहते हैं हमें नहीं मिल सकती ये ग्रेड। हमारे पर चूंकि मन्त्रीजी की मर्जी नहीं है। इसलिये हमारा जो हक है, जो हमें हमारे हक का प्रोमोशन मिलना चाहिये, नहीं मिलता और उस के बदले में ऐसे मरजीदान अन-क्वालिफाइड लोगों को मिल जाता है क्योंकि ये मिनिस्टर की कृपा-पात्र हैं। इनको क्वालिफाइड नहीं होते हुए भी प्रोमोशन पर प्रोमोशन दिये जा रहे हैं।

(श्री भैरोंसिंह)
इतना ही नहीं । सबसे बड़ी खेद की बात तो यह है कि कुमारी प्रतिभा सन् ५२ से लेकर ६५ तक कुमारी थी और अब उनकी शादी हो गई ।

यह सबसे बडा चिन्ता का विषय है और फिर चिन्ता इस बात की भी हो गई कि खैर शादी हो गई तो हो गई, पर शादी होने के बाद वह अपने पति के साथ काबुल चली गई, और चली भी गई तो चली गई, फर जल्दी नही लौट रही । वहां इतनी क्यों ठहर गई, यह चिन्ता हो गई। हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यह बर्दाश्त नहीं कर सकते । शादी क्यों हो गई ? शादी हो गई तो पति के साथ क्यों चली गई और चली गई तो इतने ज्यादा दिन क्यों वहां ठहर गई ? इसलिये टेलीग्राम पर टेलीग्राम देकर बुलाया गया । सरकारी खर्चा किया गया, टेलीफोन किये गये कि राजस्थान में आओ, जल्दी आओ । नेन्स मिनिस्टर को तुम्हारी चिन्ता हो रही है । और अब चली आई तो कौल साहब की चिन्ताएं दूर हो गई । प्रतिभा यहां आ गई, उनकी चिन्ता मिट गई । फाइनेन्स में कितना घोटाला हो गया, कितना क्या हुआ इसकी चिन्ता नहीं, उनकी चिन्ता तो एक मात्र यह थी कि प्रतिभा आए किसी तरह से ।

ये प्रतिभाजी वही हैं जिनके बारे में मानिकचन्दजी सुराणा ने कई बातें यहां सदन में पहले । मैं उस सम्बन्ध में कौल साहब को एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहूंगा । आप बड़े नाराज हुए थे उस समय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सप्लीमेन्टरी डिमान्ड तक ही सीमित रहिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : The House is in a mood to hear him. Very important facts are coming to light. The Chair is only interested in the disposal of business. The House will co-operate and pass as many Bills as the Governmet likes within half an hour.

श्री उपाध्यक्ष : We are seized at the present moment with supplementary demands and we should confine our debate to that. We should not digress from it.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, आप रंग में भंग कर रहे हैं । आप यह कहानी पूरी सुनने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : Be brief please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) आप कहिये । अगर टाइम चाहिये तो आपको और टाइम मिलेगा । आपकी जो कहानी है उससे हमारे सिर शर्म से झुक जाते हैं, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के ये कारनामे सुन कर । हम पूरी तरह यह कहानी सुनना चाहते हैं ।

एक माननीय सदस्य : सिर तो हमेशा के लिये झुके ही रखना चाहते हैं ये ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : शर्म आनी चाहिये उनको । जो बीच में टोकते हैं, उनको शर्म आनी चाहिये ।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : जोश में होश को न भुलावें ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : होश तो आप भूले हुए हो । आपने काले कारनामों की परम्परा डाल दी है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं हैं इनके कारनामे। इनके कारनामे और भी बुरे हैं। किस तरह २२ को सीज़ फायर हुआ हम सब जानते हैं। वहां २३ को ये मिनिस्टर जहां गोले गिरे थे, जहां हमारे लोगों का खून बहा वहां जाकर मिठाइयां खा रहे थे लाम्बिया स्टेशन पर। वे हमारे मिनिस्टर इस एमर्जेन्सी में किस तरह का बर्ताव करते हैं, यह इसका नमूना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं सदन को जानकारी कराना चाहता हूं ......

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी ले चुके हैं, अब थोड़ा संक्षेप में रहें।

श्री भैरोंसिह : मैं बहुत संक्षेप में हूं। मैं तो खुद ही संक्षेप में बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह जानकारी करा दूं क्योंकि शायद कौल साहब कॉन्ट्राडिक्ट करें कि शादी नहीं हुई, यह उसकी शादी का इन्वीटेशन कार्ड है। शादी का जो इन्वीटेशन कार्ड इश्यू किया है वे सज्जन काबुल में रहते हैं, उनका इन्वीटेशन कार्ड है और यह कोई श्री रस्तोगी हैं ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप कोई भी कागज यहां पर रेफर नहीं कर सकते। यदि रेफर करते हैं तो आप उन्हें टेबल पर रख दें।

श्री भैरोंसिह : जो कागज होंगे उनको सब को रख दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, श्री मानिकचन्द जी सुराणा ने यहां पर १३ मार्च, १९६५ को एक विवाद इस विधान सभा में खड़ा किया था और उसमें उस समय भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि श्री सुराणाजी जैसे एक जिम्मेदार सदस्य, जो कोलायत से निर्वाचित होकर आते हैं, उन्होंने हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब पर इस प्रकार के चार्ज लगाये और वह भी एक अविवाहिता लड़की के लिए इस प्रकार की बातें सदन में कहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं कोई मौका ढूंढ रहा था कि मैं सुराणाजी को किस तरह से जवाब दूं, लेकिन मुझे वह मौका नहीं मिला और वे सब बातें कह गये। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे चिंता भी हुई कि कम से कम मैं इस तथ्य की जानकारी तो करूं और जानकारी करने के ऊपर मुझे सारी डिटेल्स मालूम हुई।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपील करना चाहूंगा कि आपकी सरकार के वित्त मंत्री ने पहले जब यह मामला सदन के सामने आया था तो उन्होंने कहा था कि यदि आपकी सरकार के वित्त मंत्री को इस प्रकार से बे-इज्जत करने देंगे तो यह समझ लें कि डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, पहला सिद्धान्त। दूसरे, उन्होंने कहा कि आज मैं यहां बैठा हूं, कल आप बैठ सकते हैं और अगर इसी प्रकार की बातें उछालनी शुरू कीं तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। यह डिसिप्लिन और डेमोक्रेसी के दो सिद्धान्त हमारे वित्त मंत्रीजी ने उस दिन सदन के अन्दर कहे हैं। अब मैं डेमोक्रसी और डिसि-प्लिन के नाम पर विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन नहीं करना चाहता और कांग्रेस के सदस्यों को याद दिलाता हूं कि यू० पी० के एक मिनिस्टर श्री चतुर्भुज शर्मा को एक मामूली से चार्ज के ऊपर यू० पी० के कांग्रेस वालों ने मंत्रि मंडल से कान पकड़ कर निकाल दिया और वहां की कांग्रेस ने ही श्री अलगूराय शास्त्री का भी यही हाल किया। मैं कांग्रेस

(श्री भैरोंसिंह)

वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर गांधीजी का आदर्श रत्ती भर भी हमारे प्राण और शरीर में है तो यह प्रमाणित मामला है, इसके लिए यदि राजस्थान के अन्दर आप वित्त मंत्री बने रहते हैं तो ऐसा मान कर चलें कि गांधीजी का नाम लेना गांधीजी की भावना कांग्रेस से निकल गई। यदि आप इसका प्रमाण-पत्र चाहें तो कॉफी हाउस के सामने रात के दो बजे तक गाडी खडी रहती है, उसे देख लें। मैं शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों से कहलवा सकता हूं कि इनकी गाडी यहां रात के दो-दो बजे तक खडी रहती है या नहीं। यदि टेलीग्राम्स जो भेजे गये हैं उनके बारे में कोई प्रमाण-पत्र चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस से जानकारी कर ली जाये, सेक्रेटेरियट से टेलीफोन किये गये, लड़की पर कोअर्शन किया गया। अलवर ठहरे। लड़की के पास में दो दो बजे तक कॉफी हाउस में रहते हैं—इससे और ज्यादा आप और क्या सुबूत लेना चाहते हैं कि हमारे वित मंत्री महोदय का चरित्र सन्देह से पूर्ण है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि एमर्जेन्सी के नाम पर सुरक्षा के प्रयत्नों को सुदृढ़ करना है, सेना के अन्दर आत्म विश्वास पैदा करना है, दुश्मन को लड़ाई में पस्त करना है तो राजस्थान में करप्शन नहीं चलेगा और यदि हमारे राजस्थान के अन्दर करप्शन चलेगा तो दुश्मन इससे लाभ उठायेगा और इसलिए विधान सभा का परम कर्त्तव्य है कि ऐसे करप्ट मिनिस्टर को राजस्थान के मंत्रि मण्डल से निकाला जाये और इस प्रकार का आदर्श रखें कि राजस्थान के अन्दर ऐसे लोगों की गुंजाइश नहीं है। इससे राजस्थान की दो करोड़ जनता का आत्मबल ऊंचा होगा। आज इस एमर्जेन्सी के मौके पर राजस्थान के अन्दर करप्शन के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के फिजूल खर्ची की गुंजाइश नहीं है। मैं इस सदन को निवेदन करना चाहता हूं और सदन के माननीय सदस्यों के लिए छोड़ता हूं कि इन सारी बातों का इन्फरेन्स क्या निकलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और अंत में मैं फिर सदन से अपील करूंगा कि राजस्थान की सीमा सुरक्षा का भार राजस्थान की जनता पर, चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर, चुनी हुई सरकार पर राजस्थान के दो करोड़ जनता है इससे उसका मनोबल गिरेगा यदि कौल साहब फाइनेन्स मिनिस्टर बने रहते हैं। इसलिए आप लोगों का भी परमकर्त्तव्य है कि कौल साहब से हाथ जोड़कर कह दें कि वह पद छोड़कर चले जायें और अगर नहीं जाते हैं तो गवर्नर महोदय से कह दें कि डिसमिसिल का नोटीफिकेशन निकाल दें। लेकिन ये मंत्री-पद पर बने रहेंगे तब तक जनता का मनोबल ऊंचा नहीं होगा और राजस्थान की जनता किसी प्रकार का सेक्रीफाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगी। इसलिए मैं इस विनियोग विधेयक के ऊपर दूसरे किसी के संबंध में न बोलते हुए स्वयं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के बारे में आरोप रखते हुए कि उनका चरित्र गिर चुका है उससे जनता का मनोबल नीचा होगा, सुरक्षा प्रयत्नों में कमी आयेगी इसलिए हमारी यह अहम ड्यूटी है कि उनसे निवेदन करें कि वे इस पद से चले जायें. यदि निवेदन स्वीकार नहीं करते हैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि उनको बर्खास्त कर दे। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) हमारे बूढ़े बालम हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.): उपाध्यक्ष महोदय, १९ करोड़ की मांगों के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इन मांगों में कुछ मांगें तो हमारे राज्य की रक्षा के लिए रखी गई हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, जो टैलीग्राम माननीय श्री भैरोंसिह जी ने पेश किये हैं और सदन में पढ़े हैं, इनको सदन की मेज पर रखने का आदेश दें।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर): मैं टैलीग्राम और इन्वीटेशन दोनों ही सदन की मेज पर रख देता हूं। यह शादी वाला इन्वीटेशन भी रख देता हूं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग का हम स्वागत करते हैं लेकिन कई खर्च इस प्रकार के हैं कि जो एमर्जेन्सी के टाइम पर मैं समझता हूं कि ठीक नहीं हैं जो मंत्रियों के ऊपर खर्च किये गये हैं। हमारे यहां एमर्जेन्सी सन् ६२ से लागू है, जब से चीन ने हमारे ऊपर हमला किया तभी से हम यह समझते चले आ रहे हैं कि दूसरे कई मदों में कटौती करके राष्ट्रीय रक्षा में यह पैसा लगाया जाये, लेकिन इन दिनों में ४ मंत्रियों का लेना मैं समझता हूं कि यह राजस्थान में अच्छा नहीं है। बल्कि जो मंत्री हैं उनमें से भी कमी करने की आवश्यकता थी। क्या आवश्यकता आपड़ी थी ? क्या इन मिनिस्टरों के बिना हमारे राजस्थान का काम नहीं चलता था ?

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारे यादव साहब अपने नाम के आगे 'यादव' लिखते हैं और तारीफ यह है कि वे शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में हैं। मैं समझता हूं कि "यादव" शिड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में आते ही नहीं हैं। या तो उनके नाम के आगे से "यादव" शब्द हटा देना चाहिए। ये यादव हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं हरिजनों का, यह समझ में नहीं आता। या तो जो हमारी लिस्ट बनी हुई है उसके मुताबिक अपने नाम के आगे लिखना शुरू कर दें ताकि हरिजनों के प्रतिनिधि बन सकें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): फिर क्या लिखें ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': शिड्यूल्ड कास्ट में जो भी हों वह लिखें।

दूसरी बात यह है कि मुझे मालूम है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए अभी उदयपुर में हमारी सलाहकार कौंसिल की मीटिंग हुई थी। वहां हमारी कोई ७०-७५ बालिकाओं के दो छात्रावास चलते हैं। एक छात्रावास में ७० दूसरी में ७५ भील बालिकाएं हैं। जिन लोगों ने भील छात्रावास चलाये हैं उनको तो मैं तारीफ करूंगा लेकिन पहले तो छात्राओं को ४५ रुपये प्रति माह दिये जाते थे और अब घटाकर २७-२८ रुपया कर दिया है। वे बालिकायें जो कि ऊंची क्लासेज में पढ़ती हैं आज महंगाई के टाइम पर २८ रु० में काम नहीं चल सकता। तो उन्होंने कौंसिल के सदस्यों के सामने अपनी प्रार्थना की थी कि हमारे कम से कम ४५) रु. से कम नहीं किये जायें। लेकिन सरकार ने उधर ध्यान न देकर एमर्जेन्सी का नाम लेकर २७-२८ रुपये कर दिये और इधर लाखों रुपये केबिनेट पर बढ़ा दिये हैं जिसको मैं उचित नहीं समझता।

(श्री भरवलाल 'कालावादल')
(१ म० प०)

भील बालिकाओं के विकास में तो यह पैसा नहीं दिया। सलाहकार कौंसिल के मेम्बरों ने इन बालिकाओं की मांग पर यह आश्वासन दिया कि हम इसके लिए लड़ेंगे। यह आश्वासन देकर आए थे कि जो ४५ रुपये छात्रवृत्ति के मिलते हैं तो हम छात्रवृत्ति के खर्च को कम नहीं होने देंगे। मगर हमारी सरकार ने उन छात्राओं के २७ और २८) रु० कर दिए। इसलिए मैं आज इस विधेयक के द्वारा मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इस एमर्जेन्सी में मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे कई मिनिस्टर हैं उनके बाल बालिकाओं को बड़ी २ छात्रवृत्तियां मिलती हैं। इन मिनिस्टरों की बालिकाओं को छात्रवृत्ति ऊंची दर पर मिलती है और हमारी इन गरीब बालिकाओं को २७ और २८ रुपये छात्रवृत्ति मिलती है। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है कि इस एमर्जेन्सी में छात्रवृत्ति कम क्यों कर दी, २८) रु० की जगह अगर २०) रुपय भी कर दें तो भी हमको बर्दाश्त है, मगर दूसरी जगह के खर्चे को देखते हुए आज इन गरीब बालिकाओं को भी पूरी छात्रवृत्ति दी जाय। एक तरफ एमर्जेन्सी का नाम लेकर गरीबों की बालिकाओं को कम दें और दूसरों को लाखों रुपया बढा दिया। इस विधेयक के द्वारा मैं आपको यही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी जवाब दें।

(तीन-चार सदस्य बोलने के लिए खडे हुए)

मैं समझता हूं कि समय काफी हो गया है, हमारे पास काफी बिज़नेस है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : पांच मिनिट मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अन्त में बोल लें।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : मैं सिर्फ पांच मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं चाहूंगा कि सवा बजे सरकारी पक्ष से जवाब शुरू हो जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पांच पांच मिनिट बोलने दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (वनेडा): उपाध्यक्ष महोदय, आप ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं कि कल यह तय हो चुका था कि हम इसको शीघ्र समाप्त कर देंगे ताकि आगे के बिजनेस को लिया जा सके।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं केवल इतना ही कहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनिट से अधिक न बोलें, ताकि दो या तीन आदमी बोल लें।

श्री राधाकृष्ण गोयल : तीन ही खड़े हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय १९ करोड़ की अनुपूरक मांगे सदन में प्रस्तुत हुई हैं। इस समय जो हमारे देश के ऊपर संकट है और संकट को देखते हुए जिस प्रकार की मांगे प्रस्तुत की गई हैं उनमें से कुछेक मांगों को छोड कर बाकी मांगे वाजिब सी प्रतीत होती हैं। मैं तो यह सोचता था कि देश के अन्दर जो इतना बड़ा सकट आया है और देश के अन्दर जो हमारी समस्याएं

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

है उनम दो समस्यायें ही मुख्य हैं। एक देश की सुरक्षा और दूसरी हमारी खाद्यान्न की समस्या। इन्हीं दोनों समस्याओं के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैं तो यह समझता था कि इस अनपूरक मांगों के अन्दर कृषि की माग रखी गई वह इतनी थोड़ी है कि वह बहुत बडी मात्रा में होती तो उपयुक्त होता। कृषि के खर्चे के लिए यह मांग १९ करोड़ के बजाय ३९ या चालीस करोड़ होती तो भी कोई बात नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात होती क्योंकि कृषि उत्पादन देश के लिए इतनी मुख्य समस्या है कि जब से पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान के साथ युद्ध छेड़ा है तब से हमने देखा कि जो दूसरे मुल्कों से हमारे देश के अन्दर अनाज आता था उनकी भावना आज इस देश के प्रति दूसरी है, आज उनकी भावना क्या ह यह आपको विदित है।

मैं इस समस्या के ऊपर थोड़ा सा इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब रबी की फसल आई तो बाजार के अन्दर गेहूं, जौ और चना आया। अलवर को सरप्लस डिस्ट्रिक्ट करके वहां से १ लाख ९३ हजार क्विन्टल चना इकट्ठा किया गया और व्यापारियों को यह अधिकार दिया गया कि आधा चना सरकार को बेच कर आधा चना बाहर भेज सकते हैं। जो चना अलवर के बाजार से १ लाख ९३ हजार क्विन्टल इकट्ठा किया गया उसमें से बहुत सा चना दूसरे प्रान्तों को भेज दिया गया। खैर, मुझे इस बात की गिला नहीं है कि वह गुजरात को क्यों दिया या बंगाल को क्यों दिया। परन्तु दूसरी तरफ बात यह है कि जो एक लाख ९३ हजार क्विन्टल चना जिले में आया और जिसमें से सरकार के खजाने के अन्दर भी गया, आज उसी जिले के लिए सिंचाई के साधन नहीं हैं, नहरें नहीं हैं। बिजली की सुविधा नहीं है। और कुओं की सिंचाई ही एक मात्र साधन है उसके लिए सिंचाई की सुविधाओं के लिए मैं समझता हूं कि जिस जिले को सरप्लस क्षेत्र चने के लिए घोषित किया गया है उस जिले के कई लाख ही नहीं कई करोड़ का बजट उस जिले की सिंचाई व्यवस्था के लिए होना चाहिए। वहां पर पम्पिंग सैट्स और कुओं के लिए बजट रखना चाहिए परन्तु वह देखने को नहीं मिला। दूसरी तरफ जो सुरक्षा प्रयत्नों के लिए जो बजट रखा गया है वह भी इतना अधिक नहीं है कि जिसको कि हम इस समय काफी कह सकते हों।

इस अनुपूरक मांग में जो बहुत सी छोटी मोटी चीजें हैं, डिक्री के पैसे चुकाने हैं या और किसी प्रकार का लेना है, किसी प्रकार का देना है उनको छोड़ कर इस समय सुरक्षा प्रयत्नों में पैसा लगाना चाहिये और कृषि उत्पादन बढाने के लिए ही हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। इस अनुपूरक मांग में १।३ हिस्सा तो केवल राजस्थान नहर के लिए है और २।३ हिस्सा बहुत सी ऐसी चीजों के लिए है जिसको हम देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने के काम में लाना चाहते हैं। मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अपने सुरक्षा प्रयत्नों को मजबूत करना चाहिए और सुरक्षा प्रयत्नों को मजबूत करने के लिए खर्च करना चाहिए। दूसरी तरफ हमारी जो खाद्यान्न की समस्या है जो आज हमारे सामने मुंह बाये खड़ी है और आप देखते हैं कि बाजार के अन्दर आज जौ नहीं मिलता है, आज बाजार में चना

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

नहीं मिलता है, आज बाजार के अन्दर और खाद्यान्न नहीं मिलते हैं। मेरे अलवर के बाजार के अन्दर जहां एक लाख ९३ हजार क्विन्टल चना एकत्रित किया गया आज उसी बाजार के अन्दर चने की इतनी बड़ी दिक्कत है। वह भी आम आदमी को आसानी से नहीं मिल पाता है। ऐसी समस्या आज मुल्क में है।

जब देश के अन्दर खाद्यान्न की समस्या भयंकर रूप से घोषित हो गई है तो उस समय हमको कृषि उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा बजट प्रस्तुत करना चाहिए और जो कटाव की, एक्सपेरीमेंटल स्टेज की भावना है उसको छोड कर इस ओर प्रयत्न करना चाहिए। तभी कृषि का उत्पादन बडी मात्रा में हो सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले से यह कटाव की स्थिति राजस्थान के अन्दर पैदा हो रही है तो जिन जिलों के अन्दर कृषि उत्पादन अधिक होता है उन जिलों में कटाव को रोकने का प्रयत्न होना चाहिए लेकिन इसके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

अगर हमको आज सुरक्षा का ध्यान है तो जनता का मनोबल तब ही ऊंचा हो सकता है जब उनकी सबसे बड़ी समस्या जो खाद्यान्न की है और पहनने के कपडे की है, वह सॉल्व होगी। कपड़े के लिये भी जनता इतनी परेशान नहीं जितनी खाद्यान्न के लिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के लिये कुओं की व्यवस्था अगर मार्च तक स्थगित करेंगे तो आठ महीने और लेट हो जायेंगे। आठ महीने में कुआं तैयार होता है और सिंचाई के साधन जब होंगे तो किसान सिंचाई कर सकेगा। आप अगर पम्पिंग सेट्स को २६ जिलों में बांटें और कुओं का बंटवारा करें तो आपको मालूम होगा कि इतने नाकाफी हैं कि यह सुरक्षा प्रयत्नों के लिय एक शुभ लक्षण नहीं नजर आता।

इसलिये मैं तो खाद्य मंत्री और वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि आपने बजट के अन्दर क्या रखा है? आपने चार मंत्री बढाए हैं, उनका उपयोग होगा, और नहीं हैं तो आप उनका उपयोग करें यह आपका कर्त्तव्य है। प्रशासन का उपयोग करना आपका कर्तव्य है। मित्तव्ययता लाना भी आपका कर्त्तव्य है। आप ही इस बात का प्रतीक हैं और आपको लोगों को बतलाना पडेगा कि जब मंत्री मंडल मित्तव्ययता से काम करेगा तो हमारा प्रशासन भी मित्त-व्ययता से काम करेगा और तब लोग भी मित्तव्ययता करेंगे। तो इन मांगों से अधिक और भी मांगें होती लेकिन कृषि के लिये होती, सुरक्षा के लिये होती तो अच्छा होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे सामने एप्रोप्रियेशन बिल उपस्थित है उसके बारे में बहुत ज्यादा मैं न कहकर कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहूंगा। जहां पर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने करीब २० करोड़ रुपये का यह एप्रोप्रियेशन बिल इस हाउस के सामने रखा है मैं बहुत ही अदब के साथ आपके द्वारा फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने इन २० करोड़ रुपयों में से करीब ७-७॥ करोड़ रुपये जो इनको केन्द्रीय सरकार से लोन के रूप में मिलने वाला है उसका इन्होंने जिक्र किया है इसमें लेकिन बकाया ११-११॥ करोड रुपयों

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

का डेफिसिट बजट इस स्टेट का रहेगा । कोई फाइनेन्स मिनिस्टर हो, कोई सरकार हो, जब तक खर्च के मुकाबिले में उसकी आमदनी किस तरह से होगी यह भी इसके साथ साथ नहीं देते हैं तो मैं नहीं समझता कि वह सरकार अपने खर्चे का बजट इस विधान सभा के सदस्यों के सामने रखकर अपने बहुमत की हैसियत से या सरकार होने की वजह से उनके पास से पास करवा लें, तो मैं मंत्री महोदय को आपके द्वारा नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपना जवाब देते वक्त यह बतावें कि इसके अन्दर जो ११-११॥ करोड़ का डेफिसिट है, यह किस तरह से पूरा करना चाहते हैं ?

अभी अभी जयपुर से आने वाले विरोधी दल में बैठने वाले माननीय सदस्य से कुछ बातें सुनी । अभी जो आपने आई. ए. एस. ऑफिसर्स का रिवाइज्ड स्केल दिया है उसके आधार पर उनको १८००) के बजाय २२००) और २५००) के बजाय ३०००) रुपये कर रहे हैं । यह सारा बोझ हमारे बजट के ऊपर और हमारी स्टेट पर पड़ने वाला है । उसका आपने इसके अन्दर कोई जिक्र नहीं किया है, और वह सारी चीज जब आप उनको देंगे तो मैं समझता हूं कि एक्सेस डिमाण्ड की तरह ६६-६७ के अन्दर उनको इस सदन से पास करवायेंगे जब कि वह खर्चा इस साल के अन्दर करना पड़ेगा ।

आज एमर्जेन्सी का नाम लिया जाता है, आज सुरक्षा का नाम लिया जाता है, और इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कारखानों में काम करने वाले करोड़ों हमारे मजदूर भाइयों ने दो अक्टूबर जो कि पूज्य महात्मा गांधी का जन्म-दिन है उस दिन भी काम करेंगे और उस दिन की तनख्वाह सुरक्षा फण्ड में देने का एलान किया है । मैंने भी इस सदन में एक स्थगन-प्रस्ताव के द्वारा कहा था पर वह आया नहीं इसलिये जिक्र नहीं करना चाहता हूं, पर मैं कहना चाहता हूं कि जहां विद्यार्थियों से लेकर, गरीब मजदूरों से लेकर हरेक आदमी हमारे इस सुरक्षा के खर्चे को बराबर करने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार है वहां हमारी सरकार जिन लोगों को १८००) और साढ़े बाईस सौ तनख्वाह मिलती है उनको एकदम से ४००) रु० की तरक्की करना चाहती है । दूसरी तरफ मिनिस्टरों पर ६-६ लाख का खर्चा करना चाहते हैं । आप यह कहते हैं कि हम तो समाजवादी हैं और समाजवाद लाना चाहते हैं, लेकिन एक-एक मिनिस्टर पर करीब ८ महीने में १,२०,०००) रु० खर्च होता है । आप अन्दाजा लगाइये कि एक महीने में कितना खर्चा होता है । उस खर्चे से आप समाजवाद लाना चाहते हैं ? समाजवाद लाने वाले व्यक्ति अगर इस तरह के होंगे तो हमारे जो गरीब लोग हैं कि जिनको आप ४५) रु० तनख्वाह देते हैं, जिनका मेग्जीमम ९५) या ९०) रु० रख रखा है और दूसरी तरफ ३०००) रु० रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर क्या असर होगा ? दूसरी तरफ ८ महीने में १,२०,०००) रु० एक मिनिस्टर पर खर्चा कर रहे हैं ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं जिन्होंने यह बजट रखा है उनके लिये हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुरजी शास्त्री जो कि उनकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जब प्रधान मंत्री का स्थान ग्रहण किया था तो उसके कुछ दिनों बाद कहा था कि मैं हिन्दुस्तान के मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि १०,०००) रु० से ज्यादा पैसों की गाड़ी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

में बैठना बन्द कर दें। आज हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमको २५ हजार की गाडी चाहिए, वह भी फोरिन की गाडी चाहिए, हिन्दुस्तान की गाडी नहीं चाहिए। आपने तो बिड़लाजी को कॉन्ट्रेक्ट दे रखा है, उनको एम्बेसेडर बनाने का ठेका दे रखा है, आप उनकी एम्बेसेडर में क्यों नहीं बैठना चाहते? क्यों फोरिन की जो गाडी है २५ हजार की लेकर बैठना चाहते हैं?

इतना ही नहीं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान के अन्दर यह हो रहा है कि ब्लैकमार्केट को बन्द किया जाय और खास तौर से इस एमर्जेन्सी में बन्द किया जाय। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमारे लिए विदेशों से गाडी मंगाओ जिसमें कि फोरिन एक्सचेंज लगगा और हमारी केंद्रीय सरकार और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब कहते हैं कि फोरिन एक्सचेन्ज की कमी हो रही है इसलिये उसको बचाने की जरूरत है, और यह गाडी खरीदने के लिए फोरिन एक्सचेंज खर्च करना चाहते हैं। यही नहीं बल्कि यह इन्होंने जिस तरह का इसमें कहा है, मैं आपसे बडे अदब के साथ कहना चाहता हूं कि हमें मितव्ययता करनी चाहिए, खर्चे में कमी करनी चाहिए। राजस्थान में ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनको अगर छोड़ दिया जाय··

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जिसमें होने वाले खर्चों में कमी करदी जाय, अगर फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो यह बजट रखा है अगर इसके साथ वे यह भी रखते कि हम कितना खर्चा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कम करेंगे, हमारे डिपार्टमेंट में जो नाजायज खर्चे हैं उनको कम करेंगे और उससे हमारे यहां इतनी बचत होगी, तो मैं समझता हूं कि यह कुछ उपयोगी होता।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं पांच मिनिट में थोड़ी सी जरूरी बातें कहना चाहूंगा और वह यह है कि इसके अन्दर ऐसी बातें रखी गई हैं कि जिनके द्वारा आप लोगों को कुछ भी सहायता प्राप्त होती हो। हमारी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के भी एक माननीय सदस्य अभी अभी इसी २५–२६ तारीख को जोधपुर के इलाके के अन्दर बम्बार्डमेंट हुआ है उस जगह जाकर आये हैं। उधर के भी माननीय सदस्य उनके साथ थे। उनका एक स्टेटमेंट भी अखबार में आया है। मैंने उसको पढ़ा है और उनसे मिलकर जानकारी की। बहुत ही ताज्जुब के साथ कहना चाहता हूं कि जहां पर बम्बार्डमेंट से २० आदमियों की झोंपड़ियां जल गई, उनके पास पहनने के लिये, सब के खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा तो उन २० परिवारों को ७८४) रु० मुआवजा देते हैं और दूसरी तरफ एक मिनिस्टर पर ८ महीने में १,२०,०००) रुपये खर्च करते हैं। मैं कैसे कह सकता हूं और कैसे राजस्थान की २ करोड़ १० लाख की जनता को यह विश्वास हो सकता है कि यह सुरक्षा का प्रबन्ध करेंगे? ये जो बोर्डर पर रहने वाले लोग हैं और लड़ाई में दुश्मनों का बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं उनको सहायता देंगे और हमारे राजस्थान को बचाने की और हिन्दुस्तान को बचाने की जिम्मेदारी यह सरकार अपने हाथ में लेगी······

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जो इस तरह के नाजायज खर्चे या तो अपने लिए करते हैं या अपने पास वालों या इनको

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

बनाने वाले करोड़पतियों पर करते हैं, चाहे वह कोटा में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, चाहे कलकत्ता में रहें, चाहे जिनके कारखाने उदयपुर में हों। मैंने कल कहा था और आज फिर एक बात और कहना चाहता हूं कि जब इसी सदन में जिंक स्मेल्टर का सवाल उठा था तो माननीय मंत्री महोदय ने एक बात कही थी कि हमने चार करोड़ रुपया दिलाने की सिफारिश हमारे दिल्ली के लोगों को की है। मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारे मंत्री महोदय ने उसी सवाल का जवाब देते हुए राज्य सभा में कहा है · · · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

और उसका एक कटिंग मेरे पास मौजूद है। सरकार के मंत्री महोदय ने यहां पर यह कहा था कि हम चार करोड़ रुपया देना चाहते हैं लेकिन दिल्ली में यह कहा गया है कि उन्होंने लिखा है राजस्थान सरकार ने १९६४ में इसी कम्पनी को ६ करोड़ रुपया उधार देने के लिए सिफारिश की है। या राज्य सभा में जो एक सदस्य ने जवाब चाहा था अपने सवाल का उसमें कहा है, और उसमें साफतौर से कहा है कि इस कम्पनी को जो पहले ऋण दिया गया है उसकी दो किश्त चढ गई है और वह दो किश्त चुकाने के काबिल भी नहीं है इसलिए ऐसे व्यक्ति को ऋण नहीं दिया जायेगा और हमारी सरकार उसको ऋण देना चाहती है, और नाइलोन फैक्ट्री वाले को ऋण देना चाहती है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि नाइलोन फैक्ट्री फोरिन एक्सचेन्ज कमाती है। मुझे नहीं मालूम होता है कि मीडियम क्लास का थ्रेड आपकी कोटा की नाइलोन फैक्ट्री बनाती है वह इंगलैंड जाता है, अमेरिका जाता है या रशिया जाता है? किस तरह से फोरिन एक्सचेन्ज उस इन्डस्ट्री से कमाया जाता है? तो बड़े अदब के साथ मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि फिजूल खर्ची को कम कर दिया जाय और इसके साथ ही इस खर्चे को मीट करने के लिए आमदनी किस तरह से फाइनेन्स मिनिस्टर साहब करना चाहते हैं उसका जिक्र सदन में किया जाय, सदन को विश्वास में लिया जाय।

कोई भी टैक्स लगाने की बात आर्डिनेन्स के द्वारा या किसी सप्लीमेन्टरी बजट के द्वारा इस एमर्जेंसी में नहीं लायेंगे। सिवाय एमर्जेन्सी के खर्चे को मीट आउट करने के लिये, इन मिनिस्टरों या पूंजीपतियों को देने के लिये जनता पर टैक्स नहीं लगायग।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय · · · · · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ ५ मिनट। उसके बाद सरकार की ओर से जवाब होगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : राज्य सरकार ने २० करोड़ की राशि स्वीकृत करने के लिये विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें चार मंत्रियों पर किये जाने वाला व्यय भी शामिल है। वैसे मुख्य मंत्रीजी को अधिकार है कि वे कितने ही मंत्री अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें, लेकिन जो व्यय उन पर किया जा रहा है वह वर्तमान स्थिति को देखते हुए ठीक प्रतीत नहीं होता। मंत्री लोग जो आते हैं उनमें कर्त्तव्यपरायणता की भावना तो कहने को ही होती है लेकिन वे अपने अधिकारों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। आम तौर पर जनता में चर्चा होती रहती है कि कुछ मंत्रियों को छोड़ कर अधिकांश मंत्रियों और उपमंत्रियों के विरुद्ध शिकायत है कि जो वरिष्ठ

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

और राष्ट्रीय आचरण, नैतिक आचरण और आर्थिक मामलों के संबंध में उनका आचरण होना चाहिये उस संबंध में लोगों के मन में भ्रान्तियां हैं और शिकायत है। इससे जनता का मानस उनके प्रति जो श्रद्धा का होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। इसलिये मैं आपके द्वारा मंत्रियों को विशेषकर उन चार मंत्रियों को जिन्होंने शपथ ली है और पुरानों को भी निवेदन करूं कि अपना आचरण केवल बातों से ही ऊंचा नहीं रखें बल्कि अपने कर्त्तव्यों और आचरण के द्वारा राजस्थान के नागरिकों को विश्वास दिलावें जिससे कि उनके प्रति अविश्वास का कारण नहीं हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इन मंत्रियों के ऊपर जो अपव्यय अब तक होता रहा है उसमें भी किसी प्रकार की कमियें नजर नहीं आ रही हैं। खास कर दो बातें ऐसी जनता के सामने आती हैं उनको जो राज्य सरकार की ओर से जो मोटर वाहन मिली हुई हैं उनका दुरुपयोग होता है और उनमें खर्च होने वाला पेट्रोल बडे बेहूदे ढंग से खर्च किया जाता है। साधारण बात के लिये उनके चपरासी गवर्नमेन्ट वेहिकल को लेकर घूमते रहते हैं। बिना सरकारी कार्य के छोटी मोटी मीटिंगें अपने मुजाहिदों को खुश करने के लिये करते हैं और गांव गांव में दौरा करते हैं। वे वहां पर केवल इसलिये जाते हैं कि जो नियमित शासन चल रहा है उसमें हस्तक्षेप करें और अपने मुजाहिदों को शक्तिशाली बनावें। इसके लिये वे प्रशासन पर आक्रमण करते हैं और स्वच्छ प्रशासन को निकम्मा करने की कोशिश करते हैं और जो राशि खर्च करने के लिये हम स्वीकृति देते हैं उनका उपयोग उनके लिये करते हैं। उसका उपयोग ठीक ढंग से हो दुरुपयोग न हो तो ज्यादा अच्छा हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक कुमारी के संबंध में······

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): अब वह कुमारी नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कुमारी नहीं, अब श्रीमती है; उनके संबंध में कहा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यदि आप ऐसी कथाएं सुनना चाहें तो उन्होंने तो एक महिला के संबंध में कहा है, पर ऐसे मंत्री मौजूद हैं जिनके बारे में सौ सौ महिलाओं के साथ बलात्कार और व्यभिचार करने के किस्से हैं··

श्री विजयसिंह झाला : आप क्या बता सकते हैं ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं बता सकता हूं। उपाध्यक्ष महोदय चाहेंगे तो सिलसिलेवार सूची दे सकता हूं। वरना मैं उचित समझता हूं कि आज जो देश में वातावरण है उसको देखते हुए इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जाय। यदि ध्यान दिया जाय तो उसका कुछ न कुछ परिणाम निकलना चाहिए, वर्ना केवल बातों से क्या फायदा······

श्री विजयसिंह झाला : एक कथा तो सुना दो।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप बैठ जाइये।

श्री विजयसिंह झाला : बगैर आधार के आपको लान्छन नहीं लगाना चाहिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आप बैठ जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं निवेदन करना चाहता था कि इस सदन में बहुत सी बातें

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

कही जाती हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं पर परिणाम किसी का नहीं निकलता। जो स्थिति सन् ६२ में यह सदन जब पहली बार यहां मिला उस समय थी वही आज है उसके बाद न यहां भ्रष्टाचार में कमी हुई, न अपव्यय में कमी हुई और न दूसरी बातों में कमी हुई, इसलिये जो भी भाषण यहां पर हुए उनका कोई परिणाम नहीं निकला। चिन्ताजनक बात तब हो जाती है जब सदन में जो कुछ कहा जाता है उसकी ओर ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो यह दुर्भाग्य की बात है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे देश में संकट की स्थिति बनी हुई है उसको टालने के लिये देश को शक्तिशाली बनाना है तो मंत्रिमंडल के सदस्य यह निश्चिय करें कि केवल बातों से नहीं अपने कर्त्तव्यों से और आदर्शों से वे उदाहरण पेश करें जिससे जनता का कोई व्यक्ति उन पर लान्छन नहीं लगा सके और अंगुली नहीं उठा सके। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बजट में जो राशि रखी है उसको हम बर्दाश्त कर सकेंगे। इस प्रकार की बातें जो सदन में और सदन के बाहर आती हैं वे दुखदाई हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज तीसरा दिन है जो इस विनियोग पर बहस हो रही है। जब इस पर बहस शुरू हुई तो कुछ माननीय सदस्यों ने यह जाहिर किया कि जो यह २० करोड़ के करीब मांग रखी गई है वह बड़ी अनुचित है और उसमें बहुतसा फिजूल खर्चा है। जब दलील सामने पेश करने लगे माननीय सदस्य तो दो तीन चीजों पर ही उन की सारी दलील का इन्हें सार था, यह था चार मिनिस्टरों की तनख्वाहों पर और उनसे संबंधित जितने खर्चे थे या कुछ इन्डस्ट्रियलिस्टों को जो कुछ रुपया दिया गया उसके संबंध में। दो चीजें इस किस्म की थीं। जो जो माननीय सदस्य खड़े हुए, विपक्षी होने से उन्होंने इस किस्म से मेग्नीफाइ करके उन चीजों को रखा जैसे २० करोड़ का खर्चा इन्हीं के संबंध में हो रहा हो।

श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप इन सब खर्चों को देखें तो मालूम होगा कि इसमें करीब ६ करोड़ से ऊपर को वे स्कीम्स हैं जिनमें एग्रीकल्चर को बढ़ावा है। हमारे प्रधान मंत्री को तो बहुतसों ने कोट किया, उन्होंने कहा है उत्पादन बढाया जाय और डिफेन्स को बढाने में रुपया खर्च किया जाय। जहां तक उत्पादन बढाने का ताल्लुक है यह देखना पडेगा ६ करोड जो अधिक उत्पादन बढाने का है लेकिन ६ ही करोड़ नहीं इससे ज्यादा यदि आप देखें तो करीब ६ करोड़ का खर्चा इरिगेशन से ताल्लुक रखता है तो १२.१३ करोड के करीब एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखता है, उत्पादन से ताल्लुक रखता है। इसलिये १४। करोड़ रुपये गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के किसी रूप में एग्रीकल्चर असिस्टेन्स के लिये हैं।

मैं माननीय सदस्यों को इतना और निवेदन करूंगा कि इसमें दो किस्म के और इखराजात हैं। एक तो यह आखिर का साल है तीसरी योजना का, तीसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल है इसलिये इसमें बहुत सा एडवान्स एक्शन है। बहुत सा रुपया इस किस्म का मिला है कि उस वक्त, जिस वक्त बजट बनाया था, उसके लिए हमने टोकन ग्रान्ट रखी और उसके पूरे डिटेल्स आपको नहीं दे सके और इस साल हमको

(श्री बालकृष्ण कौल)
फोर्थ प्लान, फोर्थ फाइव ईअर प्लान की पहली साल का एडवान्स एक्शन लेना है। तो इन सब फिगर्स को आप देखें तो आपको मालूम होगा कि यह जो बीस करोड़ की आपको राशि मालूम होती है, इसके क्या कारण हैं। यह ठीक है कि छः लाख में से भी चार लाख रुपया-चार लाख रुपया, जो मिनिस्टर आये हैं, जिनकी नियुक्ति हुई है, उनके खर्च में है। यह क्यों रखे गये किस लिये रखे गए-यह तो आप जानते हैं कि जिस पर यह जिम्मेदारी डाली जाती है हुकूमत को चलाने की, यह उसका फर्ज होता है, यह उसका डिस्क्रीशन होता है और है। अब हर आदमी उसके डिस्क्रीशन को क्वेश्चन करता है, तो मैं समझता हूं, यह कोई ज्यादा प्रोपर नहीं है।

माननीय सदस्यों ने कुछ नाइलोन का जिक्र किया, नाईलोन फेक्ट्री का। मैंने अपने जवाब में, जब मैंने डिमाण्ड्स का जवाब दिया था, उस वक्त जवाब दिया था कि यह हमारी नीति का सवाल है, उसके सबब से हम कुछ इन्डस्ट्रीज को थोड़ा लोन देते हैं। लेकिन इतना मैं निवेदन कर दूं कि जो मुझे मालूम है कि यह नाइलोन थ्रेड आपके डिफेन्स पर्पजेज के लिए भी काम में आता है। इसलिये फोरिन एक्सचेंज की बात तो एक माननीय सदस्य ने कही, लेकिन साथ ही साथ आज कल यह डिफेन्स में भी काम आता है। तो जिस वक्त हमने रुपया दिया था तो इस ख्याल से नहीं दिया था........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): नाइलोन थ्रेड डिफेन्स के किस काम में आता है?

श्री बालकृष्ण कौल: इससे पैराशूट बनते हैं और रोज बनते हैं।

इतना ही मान लीजिये जितना मैं निवेदन कर रहा हूं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि हमने जो मांग रखी और जो आंकडे आपको बहुत लम्बे-चौड़े मालूम होते हैं, इसके दो कारण हैं–एक तो क्योंकि एडवान्स एक्शन थर्ड फाइव ईयर प्लान की लास्ट ईयर होने की वजह से लिया और दूसरे फोर्थ फाइव ईयर प्लान की फर्स्ट ईयर है इसकी वजह से ज्यादा दिखाई देता है और इसमें १९ करोड़ में से सवा चौदह करोड़ तो गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से आया है।

माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें की लेकिन ज्यादा जोर उनके अन्दर इन चीजों पर था कि इन्होंने इस वक्त केपिटलिस्ट्स और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को रुपया दिया, और चार मिनिस्टरों को रखा। श्रीमान्, हमारे सदन में बहुत से रूल्स को कोट किया गया और यह कोशिश की उन रूल्स को कोट करने के लिये, जैसे कि मिनिस्टर इस वक्त दोनों हाथों से रुपया लूट रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: कोई शक है क्या?

श्री बालकृष्ण कौल: मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों का डी. ए. इक्कीस रुपये किया गया जिस वक्त, उस वक्त अंगुली नहीं उठाई गई और जब मिनिस्टरों का डी. ए. ३१) रुपये किया गया तो अंगुली उठाई गई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ३१) रुपये पहले बाहर के लिये किया गया। उसके वाद किया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं उस पर आ रहा हूं। आप महरबानी करके बैठ जाइये। जब आप बोल रहे थे उस वक्त मैं शांति से सुन रहा था। अब मैं बोल रहा हूं तो आप शांति से सुनिये।

श्री भैरोंसिंह : आप क्या बोल सकते हैं ?

श्री बालकृण कौल : मैं जवाब दे रहा हूं। तो श्रीमान्........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): औन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं क्योंकि सम्माननीय सदस्य ने सवाल उठाया। वह जिस वक्त में उठाया उस वक्त पर्टीक्यूलर पोइन्टेड प्रश्न था। जिसके बदले आप चाहें तो तीस कर दें, वीस कर दें, दस कर दें। यह सरकार ने मंजूर किया और सरकार ने बिल रखा और जिस तरह पार्टियों ने तय किया उसमें आप खुद शामिल हैं। खुद कभी एलान करते हैं बजट के अन्दर और जब आप बजट के अन्दर एलान करते हैं तो हम प्रोटेस्ट करते ह कि हमें नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि सबके ऊपर मोटिव इम्प्यूट करना शर्म की बात है कि सदन के सारे सदस्यों के ऊपर रुपये के मामले में इस प्रकार का लांछन लगायें हम सरकार को वह रुपया दान में देने के लिए तैयार हैं। वह रुपया वापिस ले लें। वह वापिस ले लें, उसमें कतई एतराज नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यह कतई गलत बात है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा था, उस वक्त यदि फाइनेन्स मिनिस्टर को आपत्ति थी तो उसका वे विरोध कर सकते थे। तब भी सरकार ने बिल पेश किया था और सदन से पास करवाया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह भी कोई दलील है आपकी ! सौ रुपट्टी देकर आप यह दलील देना चाहते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मंत्रियों का इसी कारण से बढ़ा देना चाहिए, यह कोई अच्छी दलील नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह दलील देकर आप मंत्रियों का चार लाख बढ़ाते हैं खर्चा, तो इस दलील के बिना भी हम मंजूर करते हैं और यह सौ रुपये हम वापिस देने को तैयार हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हम वापिस देने को तैयार हैं, आप ले लें।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : हमें सौ रुपये वापिस करते हैं। आप वापिस ले लीजिये। किस तरह बोलते हैं आप ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कतई सहन करने की चीज नहीं है। आप सौ रुपट्टी बढ़ा कर लाखों करोडों रुपयों को एप्रोप्रियेट कराना चाहते हैं। इस धनराशि को सहन नहीं कर सकते।

श्री जयनारायण सालोदिया : हम चैलेंज करते हैं। हम सौ रुपये वापिस करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह चार हजार, छः हजार डनलप का बिल एप्रोप्रियेट कराना चाहते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : ये शब्द वापिस ले लें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मैं अपोजोशन के सदस्यों की तरफ से कह सकता हूं कि इन्होंने पन्द्रह को इक्कीस किया है और सौ हमारे घूमने का एलाउन्स किया है, वह हम सहर्ष वापिस करने के लिये तैयार हैं, क्योंकि ट्रेजरी बैंचेज से ऐसी दलील देने का कोई अधिकार नहीं होता।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे अफसोस यह है ······

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मंत्री को जानकारी दे दूं कि इस संबंध में निर्णय हुआ था उस समय मुख्य मंत्री और बाकी के मिनिस्टर भी थे, जिसमें फाइनेन्स मिनिस्टर यह भी थे। तो इस मामले को ·······

श्री बालकृष्ण कौल : मैं नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : आप थे।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: चीफ मिनिस्टर थे तो आप थे।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं यदि माननीय मंत्री उस मीटिंग के मिनिट्स, या उसमें क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था–उसको डिस्क्लोज करेंगे तो उसको मैं भी करूंगा, जैसे ये कर रहे हैं अब भी। तो पहले आप कह दीजिये जो आपको कहना है, फिर मैं कहूंगा।

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे अफसोस यह है, माननीय सदस्य, इसको जिस रूप में मैं कह रहा था उसको समझने का कष्ट क्यों नहीं करते ?

श्री भैरोंसिंह: इसी रूप में रखा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसी रूप में रखा है। चार मिनिस्टर बढ़े, और जो खर्चा बढ़ा है–उसको इस रूप में रखना चाहते हैं। इस लाइट में आप हमारा मुंह बन्द करना चाहते हैं। चार मिनिस्टर के लिए नहीं कहें–आप इस लाइट में हमारा मुंह बन्द करना चाहते हैं !

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय ···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिस लाइट में रख रहे थे, वह सदन में लाइट पहुंच चुकी है। वह आपकी लाइट है, क्योंकि एम. एल. एज. के बढाया है, उसके विरुद्ध जो कुछ मंत्रियों को फैसिलिटी दी है उसको एप्रोप्रियेट कराना चाहते हैं। कई माननीय सदस्य जो आत्म सम्मान रखते हैं वह ठुकराते हैं इस सौ रुपये को। यह कोई तरीका नहीं है कि कांफीडेन्शियली जो बात तय हो चुकी है उनको आप इस तरीके से यहां रखें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : और जो कमिटमेन्ट हो चुका है उसका आप इस तरह से यहां पर पोस्ट मॉर्टम करें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों की भावना का आदर करता हूं और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कम्पेरेटिव टर्म्स में न कहें।

("हिअर-हिअर" की आवाज)

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लेते तो ठीक हो जाता। लेकिन आपने जो आदेश दिया है वह सिर आंखों पर। क्योंकि २१) और ३१) रुपये पर बहस थी हमारे ऊपर कि हमने ३१) रुपये ले लिये और इस वक्त जब हमला हुआ है देश पर, इस तरह का खर्चा गैर मुनासिब है। मैं तो यह निवेदन कर रहा था, ३१) रुपये लिये हैं, इस रियासत से बाहर जहां भी जाय तो ... के खर्च के लिये हैं, वह आमदनी बढ़ाने के लिये नहीं लिये गये थे, न उनके २१) रुपये किये गये वह आमदनी बढ़ाने के लिये किये गये। क्योंकि खर्चा बढ़ गया है, उस खर्च को पूरा करने के लिये ३१) रुपये किये गये और २१) रुपये किये गये। इसलिये जो ३१) रुपये किये, उसमें यदि कोई मंत्री बाहर जाता है राजस्थान से, जहां कोई सहूलियतें नहीं होती हैं वहां के लिए ३१) रुपये दिये जाते हैं। इसलिए नहीं कि आमदनी बढ़ायें.......

श्री भैरोंसिंह : जहां सहूलियतें नहीं होती हैं वहां के लिए मिलेगा, वहां के लिए नहीं मिलेगा जहां सहूलियतें हैं, यह कहां है ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिए दो ग्रेड बना दिये हैं, एक तो जो राजस्थान के बाहर जायें मंत्री तो उनको ३१) रुपये मिलेंगे और जो रियासत में है उसको २१) रुपये मिलेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अब रियासतें कहां रह गई हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : इसलिये मैं निवेदन कर रहा था, माननीय सदस्य मेरी उस बात को पूरी सुन लें ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप केवल राजशाही के जोम में ही हैं, आप अपने आपको राजा समझ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य जो बहुत जोर जोर से यहां तकरीर कर रहे हैं उन्होंने यह कहा कि अब मिनिस्टर लोग भी लोन लेने लगे हैं और सरकार ने २० हजार तक का लोन कार के लिये सेंक्शन किया है। मैं यह कहूंगा कि यह लोन है। और यह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से भी दिया जाता है और उसी तरीके से यहां पर भी यह किया गया है। यह लोन है यह कोई मुफ्त रुपया नहीं है। जो भी मिनिस्टर कार के लिये रुपया लेना चाहेगा उसको जो कार की कीमत होगी उसके लिये रुपया मिलेगा। इसमें मेग्जिमम २० हजार रूपया रखा गया है, मिनिस्टर चाहे तो इसके लिए १५ हजार या १४ हजार ही ले और यह रुपया उसको अपनी मिनिस्टरी की अवधि के अन्दर ही पूरा करना होगा। यह तो एक प्रकार का लोन है। इस पर इन्ट्रेस्ट है। इन्सटालमेंट्स है...

श्री भैरोंसिंह : सारे इन्सटालमेंट्स तो पूरे ५ वर्षों में नहीं होंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर उस दिन उसका लोन पूरा नहीं होगा तो उसको पूरा का पूरा रुपया देना होगा।

श्री भैरोंसिंह : यह तो इसमें नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : आप रूल्स को देख लीजिये। यह रुपया कोई मुफ्त में नहीं दिया गया है। मैं यह भी अर्ज कर दूं कि जो मोटर वे खरीदेंगे वह मोर्टगेज रहेगी...

श्री भैरोंसिंह : मोटर लेकर भाग जावें तो आप क्या करेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : मोटर मोर्टगेज रहेगी, उसकी इन्श्योरेन्स होगी। जिस प्रकार गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लोन दिया जाता है उसी प्रकार दिया जाता है।

(शोरगुल के कारण अश्रव्य)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे इस प्रकार इन्टरप्ट किया जावेगा और बोलने नहीं दिया जावे तो मेरे लिये बोलना मुश्किल हो जावेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आर्डर !!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो आप इश्क मोहब्बत के मैदान में आइये।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : हांडा साहिब आप काफी अच्छे आदमी हैं, बहुत समझदार हैं। You are not a student.

श्री बालकृष्ण कौल : मैं चेअर से निवेदन करूंगा कि अगर मुझे चेअर प्रोटेक्शन देगी तो मैं बोल सकूंगा वरना नहीं। अगर इसी तरह से इन्टरफियरेन्सेज होते रहे तो मैं बोल नहीं सकूंगा, मैं बैठ जाऊंगा। इस तरह से तो कोई जवाब नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! आॅर्डर !!

श्री बालकृष्ण कौल: तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से यह जाहिर करने की कोशिश की गई है कि जैसे मिनिस्टर दोनों हाथों से रुपया लूट रहे हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह तो सही बात है।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो आम तौर पर··

श्री भैरोंसिंह : ४८ इन्स्टालमेंट्स में पेमेन्ट करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया: तब तक मंत्री नहीं रहेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : यह इसमें एग्रीमेंट है कि जिस दिन मिनिस्टर जावेंगे वे उस दिन पूरा पैसा एक एक पैसा देकर जावेंगे। यह एग्रीमेंट में है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अगर नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : उनकी मोटर मोर्टगेज रहेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : रुपया नहीं देंगे तब तक मिनिस्टर बराबर रखेंगे, यह कर दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो आप इन्फरेन्स निकाल रहे हैं। तो उन्हीं कायदों से जिस प्रकार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लोन मिलता है मिनिस्टरों को भी मिलने के लिये रखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किन ऑफिसरों को ४८-इन्सटालमेंट्स में लोन मिला है यह तो आप बतला दीजिये ? यह तो केवल आपके लिये ही है।

श्री बालकृष्ण कौल : किसके ४८ हैं या ३६ हैं, यह मैं नहीं कह सकता। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रूल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स

(श्री बालकृष्ण कौल)
के लिये हैं, जिस बेसिस पर उनको लोन मिलता है उसी बेसिस पर उनको भी लोन मिलता है ।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ! !

श्री बालकृष्ण कौल : तो जो चीज रखी गई है, उसके क्या माने हैं ? उसके यह माने हैं कि वे गाड़ी मोर्टगेज करवाएंगे और वह मिनिस्टर अपनी अवधि में उस कार का पूरा रुपया उतार देगा । यह कन्डीशन है ।

मैं यह निवेदन कर रहा था आपसे कि इस किस्म से जो बातें रखी गई हैं· · · · ·

श्री भैरोंसिंह : पेट्रोल के लिये क्यों बढ़ाया गया ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, इस तरह से मुझे डिस्टर्ब किया गया तो मुझे मजबूर होकर बैठना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : अगर आप बैठ जावेंगे तो हम आपको खड़ा कर देंगे । आप बैठ कर देखिये । हम खड़ा कर देंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल : यह बात मैंने बहुत देखी है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : "बैठना और खड़ा करना", यह क्या बात है ?

एक माननीय सदस्य : मैं यह चाहूंगा कि कबड्डी का एक पाला हो जावे · · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर हम चूके तो राजस्थान की दो करोड़ जनता कान पकड़ कर खड़ा कर देगी।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने उस कथा को जो माननीय सदस्यों ने यहां रखी और जिसको सदन ने बहुत अटेन्शन से सुना, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में मैं पहले निवेदन कर दूं · · · ·

एक माननीय सदस्य : चीन वाला कहीं हमला नहीं हो जावे ।

श्री बालकृष्ण कौल : आप बोलने देंगे या नहीं ? यह तो कोई तरीक़ा नहीं है !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज आप भी एडवर्ड एट्थ की तरह से क़ुर्बानी करही दें ।

श्री बालकृष्ण कौल : जिस भावना से माननीय सदस्य ने सारी बातें रखने की कोशिश की, जिस तरह से क्रोनोलोजिकल तरीके से रखने की कोशिश की और रखी और उसके पीछे क्या भावना है, जो माननीय सदस्य यहां तशरीफ़ लाये हैं, दूर दूर जगहों से अपने अपने क्षेत्र से आये हैं, उनको क्या खबर इन सब चीज़ों के बाबत कि यह बात क्या है और इसकी असलियत और उसकी नौइयत क्या है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बता दीजिये, साहब ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अभी यह कह रहा था कि माननीय सदस्य इसकी जानकारी करने की कोशिश करें कि उस फ़ैमिली से मेरे ताल्लुकात कब से हैं क्योंकि इस फ़ैमिली से, उनके हालात से वाक़िफ़यत नहीं थी, उन्होंने अधूरेपन से जितनी चीज थी रखी और बार बार उन्होंने यह कहा कि माननीय सदस्य इससे इनफ़रेन्स लेते हैं, यह सोच लें कि इसके क्या माने हो

(श्री बालकृष्ण कौल)

सकते हैं। मैं नम्र रूप से निवेदन करूंगा कि आपको यह भ्रम सा है, आपने इन सारी चीजों की बुनियाद उसी पर बना दी।······

श्री भैरोंसिंह : आप स्पष्ट रूप से सुनना चाहते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने सुन लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का मौका दें ताकि मैं अपनी बात को कह दूं। इसलिए मुझे कहने दें।

मैं यह कह रहा था कि अजमेर में १९१० में आया था और उस खानदान से मेरे १९३० से ताल्लुकात हैं; तो इसलिये····

श्री भैरोंसिंह : इस लड़की की डेट ऑफ बर्थ बता दीजिये, अगर इस खानदान से आपके १९३० से निकट सम्बन्ध हैं तो?

श्री बालकृष्ण कौल : आप तसल्ली रखिये, मैं अपनी बात कह रहा हूं····

श्री भैरोंसिंह : मैं लज्जा के कारण जिस बात को नहीं कह सका था अब कहूंगा। आपने सदन को गुमराह करने की कोशिश की तो मुझे स्पष्ट तौर पर कहना पड़ेगा कि इस फैमिली से आपके सम्बन्ध क्या हैं?

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर यही तरीका है जवाब देने में रुकावट का, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बार बार कहते हैं कि मैं यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, चेअर कैसे इजाजत दे रही है? करना हो कर लें, वे कर क्या लेंगे? उनको करना था वह कर लिया।

श्री मुरलीधर व्यास : आपको करना था वह आपने किया।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कह रहा था कि यह इन्सान की भावनाओं पर मुनस्सर है। क्योंकि वह लड़की है इसलिये सब इल्जाम उस पर भी आ सकते हैं, मुझ पर भी आ सकते हैं और ये सब इन्फरेंसेज हैं। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि तारों को पढ़िये, उधर के तारों को नहीं दिखाया गया। पहला तार तो मैं नहीं मानता कि मेरी तरफ़ से है, वह उसके भानजे की तरफ से है

श्री भैरोंसिंह : भानजे की तरफ से तो है, not to be telegraphed.

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे कहने दीजिये, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि आप भी हैं, आपके ताल्लुकात भी होते हैं अड़ोस-पड़ोस से।

श्री विजयसिंह झाला : किस प्रकार के ताल्लुकात····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, I take a serious objection to it.

हमारे ताल्लुकात सभ्यता के ताल्लुकात हैं, इस प्रकार के नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब के ताल्लुकात यही मानेंगे।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया कि जिसकी जैसी भावना होगी वैसा मान लेगा।-एक ऐसी

(श्री बालकृष्ण कौल)
चीज इस सदन में लाई गई है कि जिसको लाना ज्यादा मुनासिब नहीं था। पर मैं जो कुछ कह रहा हूं मेरा स्टेटमेन्ट सुन लें।

मैं जानना चाहता था कि माननीय सदस्य ने यह चीज यहां रखी इसका क्या मकसद था? दो ही मकसद हो सकते हैं; या तो यह हो सकता है कि सरकारी रुपये का अपव्यय हुआ या यह कि मैं बहुत खराब हूं।

श्री भैरोंसिंह : दोनों बातें सही हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : आप अपने दामन में मुंह डाल कर देखें कि आप क्या हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं फिर चार्ज लगाता हूं कि आपके संबंध इल्लीगल हैं, सभ्य फेमिली के संबंध नहीं हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : असल चीज यह है कि जिसकी जैसी भावना है उसी तरह से वह उसकी तर्जुमानी करता है।

श्री भैरोंसिंह : मेरी भावना है या नहीं, पर आपको खुली छूट नहीं मिलेगी।

श्री बालकृष्ण कौल : यह रखने का मतलब क्या है? २८ तारीख को कौल साहब उसे लेने के लिये दिल्ली गये। माननीय सदस्य को यह पता नहीं कि २८ तारीख को मैं कोआपरेटिव बैंक का उद्घाटन करने गया था।

श्री भैरोंसिंह : २२ को गये हैं, २८ को नहीं गये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं यह स्टेटमेंट दे रहा हूं। जिस माननीय सदस्य को यह खबर नहीं कि २२ को उद्घाटन कर रहा हूं या २८ को कर रहा हूं और कह रहे हैं कि २२ को उद्घाटन किया, २८ को उद्घाटन नहीं किया ....

श्री भैरोंसिंह : ऐरोड्रोम क्यों गये? एयर कन्डीशन्ड गाडी में लेकर सर्किट हाउस पहुंचे या नहीं?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्यों को इस पृष्ठ-भूमि में सोचना चाहिये कि उस फेमिली से, उनके बच्चों से, भाइयों से, बेटों से ताल्लुकात हैं और इस भावना से देखें तो क्या वैसा इन्फरेन्स निकाल सकते हैं। जिस फेमिली से मेरे इतने पुराने ताल्लुकात हैं उस लडकी को प्रोटेक्शन देने का क्या मेरा अधिकार नहीं था? उस घर का बडा होने के नाते जितना प्रोटेक्शन मैं दे सकता हूं, इसमें बुरा क्यों लगा?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्यों, वहां बोम्ब गिर रहे थे क्या?

श्री बालकृष्ण कौल : जिस खानदान से, जिस सारी फेमिली से ताल्लुकात इतने पुराने चले आ रहे हैं ....

एक माननीय सदस्य : आप बच्चों की तरह समझते हैं उसे?

श्री बालकृष्ण कौल : उस आदमी की क्या जिम्मेदारी होती है? जितना भावना का ताल्लुक है, उसका जवाब मैंने दे दिया। एक यह आरोप लगाया गया कि मैंने उसकी वहां इतनी तरक्की करा दी, यहां करा दी ४८५) पर प्रोमोशन दिला दिया.....

श्री भैरोंसिंह : आप एक बात बता दीजिये, आप उस लडकी को शर्मेंदी गाये या नहीं?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कुछ नहीं बताऊंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : इस लडकी की शादी में कौल साहब गये थे या नहीं, यह बता दीजिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : I refuse to answer it.

यह ४८५) के ग्रेड का मैं जवाब देना चाहता हूं । जो नेपोटिज्म का सवाल है कि ४८५) कहां से मिल गया ? वह सैकन्ड ग्रेड स्टेनोग्राफर है, फर्स्ट ग्रेड स्टेनोग्राफर और सेकिंड ग्रेड स्टेनोग्राफर का रनिंग ग्रेड एक हो गया, तो उसको तो लोस हो गया, क्योंकि वह सीनियर मोस्ट है, उसको लोस हुआ; वही पे जो उसे पहले मिलती थी उसी पर रनिंग ग्रेड में फिक्स हुई । तो यह सदन में कहना कि ४८५) रु० पर फिक्स कर दिया ....

श्री भैरोंसिंह : आप यह बताइये कि वह स्टेनोग्राफी जानती है क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : वह तो उसको पूछिये कि जिसने उसको रखा है । इतना मैं जानता हूं कि मेरे नोट्स ले लेती है ।

तो इस तरह से कहना कि उसका ग्रेड बढा दिया; ४८५) पूरे फिक्स मैंने कर दिया, यह गलत है । किसी भी चीज को कोई दूसरा रूप देना हो तो सीधी बात को भी उल्टे रूप में रखा जा सकता है । माननीय सदस्य नहीं जानते, न किसी बैक ग्राउन्ड को वे समझ सकते हैं, हर एक का खून उबल सकता है, उस पृष्ठभूमि में रखने में ।

यह विनियोग पर बहस है, यह विनियोग विधेयक पर बहस नहीं । यह करैक्टर एसेसिनेशन है, करैक्टर पर हमला है । जब से यह स्टेबल गवर्नमेन्ट बनी है सब करेक्टर एसेसिनेशन के आधार पर हमले किये गये हैं । जब से सुखाडिया साहब ने स्टेबल गवर्नमेंट बनाई इस प्रकार के करैक्टर एसेसिनेशन किये गये हैं । कभी सुखाडिया साहब पर तो कभी किसी पर करैक्टर एसेसिनेशन किये गये हैं, इस गरज से कि यह गवर्नमेंट वीक हो जाय और अब यह सामने आ गया है कि सवा साल का पीरियड रह गया है । यही चीज है इसके पीछे, और कोई भावना नहीं है । तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये चीजें जितनी आप करना चाहें करिये, पर दुनिया भूल नहीं सकती कि करैक्टर एसेसिनेशन क्या चीज होती है ।

यही कह कर मैं अपना जवाब समाप्त करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात पूछना चाहता हूं, फेमिली ताल्लुकात की बात आपने रखी तो उस लडकी की शादी में गये या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : This is out of point.

श्री भैरोंसिंह : यह बिलकुल इससे संबंधित है । मैं फिर चार्ज लगाता हूं कि इनका संबंध इल्लीगल है ।

श्री बालकृष्ण कौल : कोर्ट में जाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विनियोग विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता ।

श्री भरोंसिह : Noes have it, Sir

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): Noes have it, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : Ayes have it Sir.

(मत विभाजन सूचक घंटी के पश्चात्)

(२.०० म. प.)

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः प्रश्न रखता हूं। प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

(विरोधी दल के कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खडे होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कल यह तय हुआ था कि इस विधेयक को अधिक से अधिक दो बजे तक पारित कर देंगे।

श्री भरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : बाकी बिल्स को विदिन टाइम पास करवा देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आगे के जो दो बिल्स हैं उनको पास कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : एक रिजोल्यूशन है और दो बिल्स हैं इसलिये ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह रिजोल्यूशन भी पास हो जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को पारित किया जा रहा है उस पर काफी बहस हुई ...

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : थर्ड रीडिंग बिल के अन्दर किस प्रकार और कैसे बहस हो सकती है उसकी सीमाएं होती हैं। मैं समझता हूं कि इस पर हम दो-तीन दिनों से बहस कर चुके हैं और अपने पास काफी काम है। इस प्रकार के बहस की सीमा है और सदन में इस प्रकार के बहस की इस विनियोग विधेयक पर आवश्यकता नहीं है। एक तो बहस जरूरी नहीं थी और यदि की जाय तो सीमा के अंदर की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूं कि तृतीय वाचन के समय जब विवाद हो उस संबंध में हमारे फाइनन्स बिल के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार जो कुछ बातें कटौती प्रस्तावों के समय नहीं ली गई हैं उन्हीं की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा सकता है; तो इन सीमाओं को मद्देनजर रखते हुए यह बिल विचारार्थ लिया जाय और इसके अलावा मैं यह भी संकेत करना चाहता हूं कि ....

श्री भरोंसिह : जो कौल साहब ने सीमा निर्धारित की है उसके बाहर नहीं जाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इस बात का मुझे विश्वास है कि आपका सहयोग मिलेगा ताकि यथा समय आधे घंटे के अंदर सारी चीज हो जायगी, लेकिन उसके अलावा फाइनेन्शियल बिजनेस जिस प्रकार से सीमित करके पारित करना होता है उस चीज के लिए आसन को बाध्य

(श्री उपाध्यक्ष)
न किया जाय और यथा समय समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका उल्लेख इस सदन में आ चुका है । मैं खास तौर से इस विधेयक में जो १२-१३ लाख रुपये जन-सुरक्षा की दृष्टिकोण से रखे गए हैं और आज जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमें राज्य में क्या कदम उठाने चाहिए इस सिलसिले में हमारे कौल साहब कहते तो मैं समझता कि सरकार अपना ध्यान जरूरी कामों की ओर आकर्षित करती है । आज इस खर्च के अन्दर ऐसे मुद्दे हैं जो किसी हालत में न्यायसंगत नहीं हैं और दूसरी तरफ जब हम अपनी सीमाओं की परिस्थितियों को देखते हैं कि किन परिस्थितियों में हमारे सिपाही लड़ रहे हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे सरकार है ही नहीं ।

कल जब मोरारजी देसाई के भाषण को सुना तो उन्होंने उसमें दो-तीन बातें महत्व की कहीं कि किस प्रकार मंत्रिमंडल के लोग, विधायक और विरोधी पक्ष, ये सब मिलकर इन संकटकाल स्थिति को दूर कर सकें । संकटकाल की परिस्थितियों को दूर करने के मामले में मंत्रियों का दृष्टिकोण क्या है, सदन क्या चाहता है, किस प्रकार से उनकी भावना है, मंत्रियों के खर्चे करने के पीछे क्या कारण हैं ? प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि अगर आपको देश के मनोबल को ऊंचा करना है तो खाने के खर्चे में भी बचत करके देश की सुरक्षा में ध्यान लगा सकते हैं । हम इस प्रकार के वक्तव्य पर गौरव है, इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने मार्गदर्श किया है । मैं हूं तो विरोधी पक्ष का, लेकिन आज लालबहादुर शास्त्री ने जो बातें कहीं उससे हमारे देश का सिर ऊंचा हुआ है. लेकिन उसको कौन रोकेगा; कोई लाल बहादुर अकेले दिल्ली में बैठकर तो नहीं कर सकते । इसलिये और लाल भी चाहिए, मोहनलाल है और भी कई लाल मंत्रिमंडल में आ गए हैं, उन सब को सोचना पड़ेगा और केवल जो लालबहादुर या मुरारजी देसाई कहते हैं उससे जनता का मनोबल ऊंचा नहीं हो सकेगा । आपको कदम उठाने पड़ेंगे । आज जो मांग रखी गई है मंत्रियों की संख्या बढ़ाने की और उनके खर्चे की, वह बिल्कुल अनावश्यक है । अगर आपको थोड़ी बहुत धरती के प्रति ईमानदारी है, मातृभूमि की रक्षा करने का विचार है तो आपको ४-६ मंत्री कम ही करने चाहिये । इस प्रकार आप अपनी फौज को बढ़ाते जा रहे हैं, यह खर्चा बिल्कुल अनावश्यक है ।

आपको जैसलमेर बोर्डर का किस्सा सुनाता हूं । हमारे जवान किस तरह से लड़ रहे हैं । एक जवान की बोर्डर की लड़ाई में सब गोलियां समाप्त हो गईं तब उसने मरे हुए आदमियों की गोलियां लीं और अपनी बन्दूक में डालीं । X X X X

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : जो बातें डिफेंस से संबंध रखती हैं उनको इस तरह यहां नहीं कहना चाहिए ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह गौर करने की चीज है कि X X X X

श्री मोतीलाल चौधरी : X X X

श्री मुरलीधर व्यास : X X X

श्री मोतीलाल चौधरी : आपको ऐसी बात कहने का अधिकार नहीं है ।

X X अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज ।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ मिस लीडिंग चीजें कही हैं । यह कहना कि x x x x x एक प्रकार से यह गलत चीज है । x x x एक आदमी कोई शौर्य से वैसा काम करे तो उसके लिये यह कहना कि x x x

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूं कि आदमियों में बहुत शौर्य है और आर्मस एम्मुनिशन भी हमारे पास बहुत हैं .....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

मैं निवेदन करूंगा कि इस तथ्य पर विचार करें । जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि जो बातें नहीं आयी हैं उन पर प्रकाश डाला जा सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आर. ए. सी. के लिये कहा था कि वहां .....

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज को एक्सपन्ज किया जाय ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please ! please hear me.

इस प्रकार से जो कोई विषय डिफेन्स सम्बन्धित हो, यह हमारे यहां इस वाद-विवाद के स्कोप में भी नहीं है । आज की परिस्थिति में इसका और कुछ आशय हो सकता है । ऐसी स्थिति में ऐसी बात नहीं कही जाय x x x हमें यहां पर आजादी है कि हम अपने देश के बारे में और खर्चे के विषय में कहें, लेकिन डिफेन्स के बारे में कुछ ऐसा-वैसा अवांछनिय तरीके से कहे जायं तो अनुचित हो सकता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह बात तो मुख्य मंत्रीजी ने स्वयम् ने कही थी कि हमारे बहादुर किस प्रकार लड़े थे । इसीलिये मैंने कहा था कि हमारे बहादुर x x x x उसने गौरव प्राप्त किया है ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज !

श्री हरिदेव जोशी : यह हमारी फोर्सेज को डिमोरेलाइज़ करती हैं बातें । इसको एक्सपन्ज किया जाय ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह देश भक्ति आपकी ही नहीं है । हम भी देश भक्त हैं और देश भक्ति की बातें करते हैं .....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज !

---

x x x x अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहना चाहता हूं कि विरोधी दल ने भी देश भक्ति के साथ ही बात कही है। जो भी बात कही है सद्-भावना के साथ में कही है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

आपने मेरी बात ही पूरी नहीं होने दी। मैं अपनी बात कह दूं, फिर आप कहें।

जिस प्रकार से पहले कहा गया, मैं यह चाहूंगा कि x x x x उसको मैं एक्सपन्ज करता हूं।

(राज्य-पक्ष द्वारा करतल-ध्वनि)

रूल १५२ में वाद-विवाद के विषय में कहा गया है :

"152. Scope of discussion on supplementary grants. The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants nor policy underlying them; save in so far as it may be necessary to explain or illustrate the particular items under discussion.

यह डिमान्डस के बारे में है और इसके साथ साथ १५४ (६) में कहा गया है :

"If an appropriation Bill is in pursuance of supplementary grant in respect of an existing service, the discussions shall be confined to the items constituting the same, and no discussion shall be raised on the original grant nor the policy underlying it have in so far as it may be necessary to explain or illustrate a particular item under discussion."

इसका ख्याल रखते हुये जो कुछ भी कहा जाय वह उचित होगा।

मैं निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में ही कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे बड़ी खुशी है। कोई लफ्ज एक्सपंज हो जाय, कोई ऐतराज नहीं है। देश के प्रति कोई बात होती है तो आपकी दृष्टि से हमारी भावना बुरी हो और आपकी भावना अच्छी हो, क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी हैं, बहुत देश प्रेमी हैं। जहां तक विरोधी दल के सोचने का सवाल है और देश में संकटकाल का सवाल है हमारे सामने दृष्टिकोण वही रहेगा, अपने देश के प्रति हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। हमारा देश है। देश किसी व्यक्ति और पार्टी का केवल नहीं होता है। आप संकटकालीन परिस्थिति की बात करते हैं। इसी मंत्रि-मंडल ने चार-पांच दिन पहले ही घोषणा की थी कि जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं और जिला परिषद् हैं उनका चुनाव नहीं होगा, हम उसको स्थगित करते हैं। लेकिन बूंदी में २७ तारीख को चुनाव हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह रिलेवेन्ट नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह इसी से सम्बन्धित है। आप इस प्रकार हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते। आपने जन-सुरक्षा के लिये १२ लाख रुपया रखा है। जन-सुरक्षा समितियां

---

x x x x अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाल गये।

(श्री मुरलीधर व्यास)
बनी हैं। सरकार ने एक भावना व्यक्त की और किस प्रकार के सरकार के आचरण है उसी पर कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने यह घोषणा की ....

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : This is irrelevent, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास : बिल्कुल रिलेवेन्ट है। यह जन-सुरक्षा समिति के अन्तर्गत खर्चा करने का है......

(शोरगुल)

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपका रूलिंग चाहिये कि यह सब रिलेवेन्ट है या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास : संकटकालीन परिस्थिति में .....

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : २० अक्टूबर को चीन का हमला हुआ, यह आपके आदमी कहेंगे कि नहीं कि हमला हुआ। ऑपोजीशन का नहीं कहेगा क्या ? आप कहेंगे, लेकिन आप बैठे रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे।

(शोरगुल, "बैठ जाओ" की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !!

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : विरोधी पक्ष इस प्रकार दबने वाला नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। जो कुछ आपकी ओर से कहा गया उससे मिसइन्टरप्रिटेशन न हो इस कारण ऐतराज किया था। आपने उसको एक्सपन्ज कर दिया है। I do not want to repeat it.

श्री मुरलीधर व्यास : इस संकटकालीन परिस्थिति के अन्दर विरोधी दलों के साथ आप सही दृष्टिकोण अपनाते हैं, एक नीति जो आपने निर्धारित कर दी है कि इस संकटकालीन स्थिति के अन्दर आपने घोषणा की है कि कोई अविश्वास प्रस्ताव किसी भी संस्था के चुनाव, चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आदि नहीं आ सकेंगे और न कहीं पर चुनाव ही होंगे। यह घोषणा २४ तारीख को की गई, उसके बाद यहां इन्फोर्मेशन भेजी गई, सेक्रेटरी ने बातचीत की कि बूंदी में जो चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर विचार नहीं होना चाहिए; लेकिन होता क्या है, २७ तारीख को यह सूचना पहुंच जाने के बावजूद भी चूंकि वहां प्रजा समाजवादी पार्टी का चेयरमैन था उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले लिया गया। लेकिन यह तो आपका दुर्भाग्य समझिये कि इतना आपकी तरफ से होने के बावजूद भी आप वहां पर मात खा गये, लेकिन आप अपनी करनी से चूके नहीं।

आज की परिस्थिति में आप देश में शान्ति कायम रखना चाहते हैं तो आपको सब के साथ समान दृष्टिकोण रखना होगा। आप इस समय में विरोधी दलों का सहयोग चाहते हैं तो आपको एक ही दृष्टिकोण सब के लिये रखना होगा। संकटकालीन परिस्थिति में व्यक्तिगत दृष्टिकोण, दलगत दृष्टिकोण देश का दृष्टिकोण नहीं हो सकता।

(मुरलीधर व्यास)

जैसा कि अभी भैरोंसिह जी ने कहा, मैं उस बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता लेकिन एक बात कह दूं, मुख्य मंत्री के खिलाफ भी ऐसी बातें हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं जैसा गत सत्र में मानिकचन्दजी सुराणा ने चार्ज लगाये लेकिन उस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं आज की जो घटना सामने आयी है, उससे पता चलता है कि मंत्री जी का चरित्र कैसा है वे मंत्री जैसे पद पर बैठे हुए तार देते हैं, वहां पर जाते हैं, यह क्या पद का दुरुपयोग नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह जबरदस्त मामला है। मैं यह भी जानता हूं मुख्य मंत्री जी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि अगर मैं उनकी पोल खोलूंगा तो वे मेरी भी पोल जानते हैं, उसका पर्दाफाश कर देंगे। ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोग मंत्रि मंडल में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। आज जिस प्रकार का दृष्टिकोण हमारे मंत्रियों का बन गया है, आज जिस प्रकार का चरित्र इनका है उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि इनमें केवल अपने एशो-आराम को कायम रखने की भावना है। आज देश की जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए जो चरित्र आज हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों का है, आज वे जिस प्रकार से धन का, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, दिन-रात इनके खर्च बढाये जा रहे हैं, इनकी संख्या बढायी जा रही है उसमें कमी करनी होगी। वे यह समझते हैं कि जो कुछ हमने किया है वह ठीक है। इस संकटकालीन मौके पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मंत्रि मंडल के सदस्यों की जो फौज खडी कर रखी है उसको कम करें। आप जब देश को ऊंचा समझते हैं तो इतना ही कहना चाहता हूं आपको ही केवल मातृभूमि से प्यार है, यह आपको दम्भ नहीं रखना चाहिए। आपसे ज्यादा प्यार हमें देश से है। हम इस मौके पर कहना चाहते हैं कि मंत्रियों की संख्या में कमी करें और जो चरित्र के लिहाज से गिर गये उनको मंत्रि-परिषद् से अलग कर दें। इतना ही मैं इस विषय में कहना चाहता हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, · · · · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष ऑर्डर! ऑर्डर!! आगे की बहुत कार्यवाही समाप्त करनी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर): उपाध्यक्षजो, मैं केवल तीन मिनट ही बोलना चाहता हूं · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्षमा चाहता हूं, आप कृपाया स्थान ग्रहण करें। आगे की कार्यवाही अभी शेष है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि प्रस्तुत बिल को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर · · · · · ·

श्री मानसिंह महार : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, उपाध्यक्ष जी, मामला बहुत अहम है। आप एक तरफ तो एक माननीय सदस्य को घंटे, डेढ घंटे का समय दे देते हैं, दूसरी तरफ जो सदस्य क्लेरिफिकेशन करना चाहते हैं उनको समय नहीं दिया जाता, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं इस विषय पर जरूर बोलूंगा।

(श्री मानसिंह महार)

हम लोग जो अपना दृष्टिकोण इस विषय में रखना चाहते हैं जरूर बोलेंगे। मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाये जांय उसके बारे में कुछ न कहा जाय, यह सदन के अन्द गलत परम्परा डाल रहे हैं। मंत्रियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाये जायं उनको हम कान्ट्राडिक्ट करना चाहते हैं। इल्लीगल कनेक्शन का आरोप लगाया है, हम उसको बरदाश्त नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : Don't drag out of the rules. This has been put to vote already.

श्री मानसिंह महार : हमने तो सुना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : I will put it again.

श्री भैरोंसिंह : If you put it again, then you first dispose of the point of order.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। आज की स्थिति में जिस प्रकार का वातावरण मैंने सदन में देखा वह अनरीअल वातावरण है। डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट रूप से जो कुछ कहा जा रहा है चाहे वह लव अफेयर हो या कैरेक्टर एसेसीनेशन हो, आरोप-प्रत्यारोप हों, इस सदन की प्रतिष्ठा और परम्परा है, वर्तमान में जो इश्यु हमारे सामने है, उसी पर स्टिक हों। आज जो समस्या हमारे देश के सामने है उसके संदर्भ में मेरिट पर बातचीत हो, यह बहुत अच्छा है। बहुत हद तक मैं स्पीकर नहीं और न स्पीकर की तरफ से रूलिंग देने बैठा हूं; लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपके जो आदेश हैं उनके संबन्ध में हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा. अगर सम्माननीय सदस्यों के बोलने पर ही आपके द्वारा व्यवस्था हो जाती है और दूसरी तरफ एक ही माननीय सदस्य को ४५ मिनिट तक बोलने की इजाजत दे देते हैं। हम भी आखिर इस सदन में एक सदस्य की हैसियत से बैठते हैं और हमको भी अधिकार है बोलने का। आपको चाहिये कि आप व्यवस्थित ढंग से कार्यवाही को कन्ट्रोल करें। हमारा भी नम्रता पूर्वक निवेदन है कि टाइम को एक्सटेन्ड करें। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो यह आपको अधिकार है। लेकिन इस अधिकार को आप इस रूप में काम में लायेंगे, शासनारूढ दल के कहने पर, तो मुझे यह दुख के साथ कहना पड़ता है इसके साथ मैं प्रोटेस्ट करूंगा इज्जत के साथ। मेरे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। हम लोगली हमारी जिम्मेदारी कम समझें, लेकिन आपको तो बड़ा दिल रख कर जिम्मेदारी को पार पटकना है। आपकी जिम्मेदारी को हम जब एप्रीशियेट करेंगे तब दोनों हाथ से ताली बजती है। मेरा करबद्ध निवेदन है, जिस प्रकार अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे देश के आगे दल की भावना तुच्छ है, देश सबसे बड़ा है; देश किसी एक दल का या किसी एक व्यक्ति का नहीं, उस पर किसी एक की मोनोपोली नहीं, [illegible] पेट्रियोटिज्म किसी व्यक्ति वि[illegible] या दल विशेष का नहीं है। इसलिये सदन की परम्परा को निभाते हुए सहिष्णुता के साथ जो कुछ समस्यायें हमारे सामने हैं उनको हल करने के लिये सहयोग दें, उधर से भी सहयोग दें और इधर से भी सहयोग दें। आप हमारी उचित बात को नहीं सुनना चाहते हैं तो वह अहितकर होगी, उससे दुर्भावनायें फैलेंगी। आज की संकटकालीन स्थिति को देखते हुए मेरा विनम्र

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
निवेदन है कि सभी माननीय सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना फर्ज अदा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने फरमाया उसको मैंने आदर से सुना और मैं यह मानता हूं और नेता महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि इस विषय पर कल से बहस प्रारम्भ हो गई थी । बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी ने तय किया था कि इस बिल को कल ही पारित कर दिया जावे। हमारी संसदीय पद्धति और परम्परायें नियमों से बंधी रहती हैं; अगर वे परम्परायें या नियम न रखे जायं तो किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं चल सकती और न कोई समय का नियन्त्रण ही रह सकता है । जो परम्परायें या नियम हैं, पार्लियामेन्टरी प्रणालियां जो सारे विश्व में प्रचलित हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमारे यहां भी नियम उसी संदर्भ में बने हैं। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी की रिपोर्ट आती है उसको हाउस एडॉप्ट कर लेता है । उसी के अनुसार हम चलते हैं। ताहम भी जब कल माननीय सदस्यों की राय रही कि इस पर बहस और होनी चाहिये, इसको आज के लिये भी विचारार्थ लिया गया और इसके आगे की काफी बकाया कार्यवाही को देखते हुए अधिक से अधिक दो बजे तक समाप्त कर दिया जावेगा और फिर क्रम से दूसरी कार्यवाही ले ली जावेगी। तो उसी ओर में ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इसीलिए तो इस आशय का निवेदन किया था कि कुछ समय पर अंकुश रक्खें। अब यह बात अलग है कि किसने कितना समय लिया । आसन यह अपेक्षा करता है कि जो पार्टी के नेता हैं या जो और दूसरे प्रकार से हैं, वग़ैरह सब हैं, वे निर्णीत समय का स्वयं ध्यान रखें एवं रखवाएं। आसन और किसी पार्टी के नेता को अधिक समय के लिए एकोमोडेट करता है तो वह परंपरागत है । वह प्रोटेक्शन प्रत्यक ऐसे नेता को, बल्कि प्रत्येक माननीय सदस्य को उचित प्रोटेक्शन दिया जाता है । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि बराबर समय का ख्याल न रख कर बहस चलती रहे। इसके बाद में भी तथ्य सदन में रखे गये और यह कहा गया कि अगर दो नहीं, तो ढाई बजे तक समाप्त कर दिया जावे । इस आशय का निवेदन किया था । माना कि किसी को प्रतिबाधित करने की मेरी मंशा नहीं । सदन का सहयोग मुझे मिलता है और मैं भी सदन के आशय के अनुसार ही चलता हूं । आसन का यह कर्त्तव्य है । तो इस परम्परा और आपसी सहयोग को ध्यान में रखते हुए काम किया जावेगा तो ठीक है ; नहीं तो प्रत्येक माननीय सदस्य बोल सकते हैं। १७६ सदस्य हैं, वे अगर सभी बोलने लग जावें और आसन को अगर यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह कहीं रोक लगावे तो मैं समझता हूं कि एक महीने में भी यह सप्लीमेन्टरी डिमान्ड और सप्लीमेन्टरी जो विधेयक आया है डिमान्ड्स के ऊपर, यह समाप्त नहीं हो सकेगा । इसीलिये ये सारे नियम रखने की आवश्यकता पड़ती है ।

जिस समय मैंने कहा कि अब मैं इस को वोट के लिये पुट करूं, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी, वह बात बाद में शुरू की गई। मुझे इसकी कोई कठिनाई नहीं । मैं फिर भी अकोमोडेट करने को तैयार हूं, परन्तु हाउस मुझे यह तो संकेत दे कि इस चीज को कहां तक चलाना है, ताकि आगे का कार्य भी सम्पादित हो सके। तो मैं माननीय

(श्री उपाध्यक्ष)
सदस्यों से चाहूंगा कि अब २।। बजे हैं, कब तक वे चलना चाहते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका जो भी निर्णय हो वह सर्वमान्य होगा। हमारे लिये शिरोधार्य होगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह सर्व मान्य होता तो यह प्रश्न उठता ही नहीं।

मैंने, यद्यपि सदन की परम्परा का अनुसरण किया, फिर भी किसी बात के कहने के कई अवसर मिलते हैं। तो रूल्स के अनुसार जब वोट पर रख दिया जाता है तो फिर न तो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठता है, न दूसरे प्रश्न उठते हैं। अब अगर सदन यह चाहे कि उन नियमों को, परम्पराओं को तोड़ा जावे तो रूल्स भी सदन ही बनाता है। तो बावजूद इसके भी मैं आगे बढ़ने को तैयार हूं। परन्तु अगर इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर की कोई भी वकत है तो उनके अनुसार जब वोट पर रख दिया गया हो और फाइनेन्शियल बिज़नैस रूल्स के मुताबिक टाइम की सीमा निर्धारित करने का आसन को अधिकार दिया है तो इतना विश्वास तो आसन को देना ही होगा कि किस समय आसन कहां रोके। अगर मुतवातिर यह कहा जावे कि इस तरह से रोक कर अनुचित किया आसन ने, तो इस तरह से तो फिर आसन पर यह अविश्वास होगा और इसलिये मैं केवल विनम्र निवेदन यह करता हूं कि अगर परम्पराओं के अनुसार हमें चलना है तो हमें कुछ अंकुश अपने पर लगाना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त न करें। करें। इसके लिये और समय मिल सकता है। पर अगर मैंने वोट पर रख दिया है और रूल्स की सैंक्टिटी को रखना है तो मैं समझता हूं, आपका सहयोग इसमें अपेक्षित है।

श्री मानसिंह महार : आप तो केवल आधा घंटे का समय दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : I can suspend the rules.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप बिराज जावें, तो मैं थोड़ा निवेदन कर दूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो कुछ भी सदन की मर्यादाओं और परम्पराओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, उसके लिये हम सब बहुत आभारी हैं आपके। पर मैं निवेदन एक यह करना चाहता हूं कि जब किसी सब्जेक्ट पर डिबेट चलती है तो सदन में उसका मन्त्री द्वारा जवाब दिया जाता है और फिर वह वोट पर रखा जाता है। अब सरकार यह चाहे कि डिबेट नहीं चले तो या तो गवर्नमेन्ट की तरफ से रिप्लाई होना चाहिये, या क्लोज़र मूव होना चाहिये। अब इसमें रिप्लाई चूंकि हुआ नहीं और न क्लोज़र मूव हुआ तो सारा सदन इसी इम्प्रेशन में था कि डिबेट चल रही है। अब अगर उनको डिबेट का जवाब नहीं देना है, कुछ इनकन्वीनियेन्स है उनको जवाब देने में या कि कुछ ऐसे मुद्दे उठे हैं जिसका कोई जवाब उनके पास नहीं है और इसलिये जवाब नहीं देना चाहते तो क्लोज़र मूव करते। इनके बिना डिबेट कन्क्लूड होनी नहीं मानी जा सकती। इसके बावजूद भी अगर सरकार यह चाहे कि बीच में ही डिबेट समाप्त करके वोट के लिये पुट अप कर दिया जाय तो वे क्लोज़र मोशन पहले रूल्स के अनुसार ला सकते हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अब जब कि न क्लोजर मोशन है, न रिप्लाई है तो कैसे वोट के लिये पुट अप हो सकता है ? इसमें कहीं किसी मिसअन्डर-स्टेन्डिग की वजह से अब अगर कोई ओमीशन हो गया है और सदन के विपक्ष के नेता ने भी कहा है तो आप अकोमोडेटिंग स्पिरिट दिखावें, मानसिंहजी महार को अगर वे बोलना चाहें तो परमिट करें। सदन में विरोधी पक्ष ने यह आश्वासन दिया है कि अगर उनको अकोमोडेट किया गया तो वे भी अकोमोडेट करने को तैयार हैं। जितना आज का लेजिस्लेटिव बिजनेस है उसको आज ही पास करेंगे ही निश्चित रूप से । इतना कोआँपरेशन अपोजीशन देने को तैयार है, तो गवर्नमेन्ट की तरफ से भी अकोमोडेट किया जाना चाहिये । इस छोटे से मसले पर आपत्ति होने का कोई सवाल खड़ा नहीं होना चाहिये । एक मेम्बर बोले, दो बोले । ढाई बजे तक चले साढ़े तीन बजे तक चले चार बजे तक चले; मैं अपोजीशन की तरफ से आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर इसमें सरकारी पक्ष अकोमोडेट करेगा तो पांच बजे तक हम भी सदन की बाकी की कार्यवाही समाप्त कर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मेरे चाहने का प्रश्न नहीं है । कितने सदस्य बोलेंगे और कब तक बोल कर समाप्त कर देंगे, इसका संकेत पहले मुझे मिल जाना चाहिये ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : चार-पांच तो बोलेंगे ही ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सिर्फ बीस मिनट लगेंगे इसमें ।

श्री हरिदेव जोशी (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की डिबेट में अनफोर्चुनेटली आप देखेंगे कि कहीं गलतफहमी हुई है । हमारी ओर से कहीं भी कोई किसी प्रकार का कोऑपरेशन नहीं दिया गया, यह सवाल पैदा नहीं हुआ । हमने तो सिर्फ माननीय सदस्य, बीकानेर से आने वाले बोलने खड़े हुए थे तो उन्होंने स्लिप ऑफ टंग से कुछ दूसरी चीज कह दी तो उसको मिस इन्टरप्रेट नहीं किया जावे, उसको एक्सपन्ज करने की बात कही । इसको नोन-कोऑपरेशन नहीं माना जावे । सिर्फ इतनी सी बात है ।

श्री मुरलीधर व्यास : बोलने वाले को दूसरे विषय पर भी नहीं बोलने दिया । विषय से सम्बन्धित ही है, प्रोसीडिंग्ज़ देख लीजिये आप ।

श्री हरिदेव जोशी : रहा प्रश्न अब समय एक्सटेन्ड करने का, तो आप क्वेश्चन पुट अप कर चुके हैं । और हमारी ओर से उस पर वोट हो चुके हैं । इसके बावजूद भी अगर आसन रूल्स रिलेक्स करना चाहता है तो हम इसको केवल आप पर छोड़ते हैं और आपके विवेक पर छोड़ते हैं । हम तो जैसा भी आप आदेश देंगे उसका पालन करेंगे । पर यह स्थिति तो रही नहीं जैसा माननीय सदस्य ने बताया था । वे बोल चुके हैं जो खड़े हुए हैं । काफी समय लेकर बोल चुके हैं और अगर रिपीटीशन हो तो यह अपोजीशन के देखने की बात है । आप किस तरह करना चाहते हैं । हमारी तरफ से खड़े होने की नहीं कहना है ? हम आप पर, केवल चेयर पर, यह छोड़ते हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बोलने देना चाहते हैं या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! सदन के समक्ष रूल्स का विषय प्रस्तुत है । एक बार

(श्री उपाध्यक्ष)
वोट लिया जा चुका है और उस परिस्थिति में यदि सदन यह उचित समझता है कि इस विषय में सस्पेन्शन ऑफ रूल होकर आगे कार्यवाही की जावे तो मैं रूल ३०६ की तरफ ध्यान आकर्षित करूंगा माननीय सदस्यों का कि जिसके अन्दर मोशन पुट कर दिया जावे। मैं अलाऊ करूंगा और उन रूल्स को सस्पेण्ड करके जितना समय चाहेंगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। तो रूल ३०६ को मूव कर सकते हैं––

"Any member may, with the consent of the Speaker move that any rule may be suspended in its'...."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I hereby move that this rule be suspended.

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, this is an extraordinary procedure. यह तो आपके ऊपर है, आप जो भी करना चाहते हैं वह कर दीजिए; लेकिन रूल को रिलेक्स मत कीजिए।

श्री भैरोंसिंह : यह ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जो निर्णय करना चाहते हैं वह कर दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इसकी ताईद करता हूं। मोशन का प्रश्न मेंजोरिटी, माइनोरिटी, "यस-नो" यह सब अनावश्यक है, आपका निर्णय सर्वमान्य होगा। आप निर्णय दें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यथाविधि रूल्स को सस्पेन्ड करने की मुझे इजाजत दी जाये तो उस प्रकार से करना होगा और फिर मैं यह चाहूंगा कि ३ बजने में २० मिनट बाकी हैं कम से कम ३ बजे तक यह चीज समाप्त हो जानी चाहिए। अगर यह कर दिया जाता है तो अच्छा रहेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर टाइम एक्सटेन्ड ही किया जाता है तो ३। बजे तक कीजिए, उसमें समावेश हो सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : उसमें एक सवाल पदा होगा, दूसरे लोगों को भी बोलने का और जवाब देने का मौका होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज! ३। बजे तक का समय बढ़ाया गया है। इस अर्से में मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य अगर ५-५ मिनट बोलें और जितने बोल सकेंगे वे ३ बजे तक बोल सकेंगे। उसके बाद में सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर होगा और कोई कार्यवाही रह जायगी तो रूल १५६ के अन्तर्गत टाइम लिमिट के लिए भी कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह मैं सदन की मंशा से प्रारम्भ करता हूं।

(विराम)

श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कोई तृतीय वाचन पर बोलने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मंत्री महोदय ने कुछ अपने व्यक्तिगत घरेलू मामलों को लेकर इस सदन में बात शुरु कर दी और हम लोगों ने कुछ अहम मसले उठाये थे उनकी हमें काफी जानकारी थी। उन्होंने हमें बताया कि हम लोग डार्क में हैं। मैं आपसे निवेदन करूं कि कल मैंने एक मुद्दा यह उठाया था

(श्री मानसिंह महार)

कि ग्रार० ए० सी० को भी वही फेसेलिटीज मिलनी चाहिए जो कि ग्रौर ग्रार्मीज वगैरह को मिलती हैं। तो उसके बारे में मंत्री महोदय ने इस प्रकार की बात कही थी मुझे कि हमने यह फैसला कर लिया है, यह हो चुका है– कल की बात है। तो इस महत्वपूर्ण मसले की इस सदन में थोड़ी चर्चा हो जाती ग्रौर हमें जवाब मिल जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस बहाव में बह कर माननीय मंत्री महोदय बाहर पधार गये ग्रौर जवाब नहीं दिया। इसलिए मजबूरन हमको खड़ा होकर यह कहना पड़ता है ग्रौर तृतीय वाचन पर हमने यह बात कही।

मैं एक ग्रौर ग्रहम मुद्दा उठाना चाहता हूं। ग्राज मैंने डिबेट सुनी ग्रौर मुझे उसका बहुत दुःख है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ट्रेजरी बेन्चेज पर जनसंघ के नेता जैसे सीनियर मेम्बर ने लांछन लगाया कि उनका किसी पर्टीकुलर महिला से इल्लीगल कनेक्शन है। यह बहुत शर्म की बात है। मैं कहता हूं कि जिन सदस्य ने इस प्रकार का लांछन लगाया वह भी कोई ग्रच्छी चीज नहीं है। लेकिन जो मंत्रीजी इस प्रकार की बात सुन कर दुम दबा कर भाग गए उनके लिए ग्रौर भी शर्म की बात है। मैं यह सही कहता हूं, सदन में लांछन लगाते हैं तो हम उसके लिए सीरियस हों। ग्राप इस तरह टाला खाकर नहीं भाग सकते ......

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : I have given my reply.

श्री मानसिंह महार : There was no reply. What reply did you give ?

श्री चन्दनमल बैद : ग्राप मौजूद नहीं थे।

श्री मानसिंह महार : मैं तो मौजूद था। मैंने पूरी स्पीच सुनी थी। ग्रापको क्लेरीफिकेशन पूरा देना चाहिए ग्रौर जो शब्द माननीय जनसंघ के नेता ने कहे ग्रगर वह सही नहीं हैं तो ग्राप उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाइये। ग्रगर जनसंघ के नेता ने गलत चार्ज लगाया है ग्रौर मैं यह भी कहता हूं कि यह चार्ज गलत है ग्रौर यह चार्ज कोई एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, लेकिन मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इसके लिए प्रिविलेज मोशन लायें। यह गलत बात है कि इस प्रकार की बात सदन में कही जाये ग्रौर उससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि इस प्रकार की बात कही जाये तो एक एक घन्टे का समय दिया जाय ग्रौर हम लोग बोलने के लिए खड़े हों तो मना कर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा निवेदन यह है कि इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन ग्राये। ग्रब मैं तीसरी बात की ग्रोर सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण मसला यह है कि इसमें सरकार ने ४० लाख रुपया फेमिन रिलीफ के लिए रखे। मैं यह कहना चाहता हूं ग्रौर मैंने कल भी कहा था, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। ग्राज सारे जयपुर जिले में ग्रौर करीब करीब ग्राधे राजस्थान के हिस्से में ग्रकाल पड़ा। इसके बावजूद ग्रगर ग्राप ४० लाख रुपया फेमिन रिलीफ में रखते हैं तो वह बहुत ग्रपर्याप्त है। खैर ! ग्रौर जवाब भी नहीं, तो मैं वित्त मंत्री जी से इतनी जरूर ग्राशा करता था कि ग्रब बारिश नहीं हुई ग्रौर ग्रकाल पड गया तो हम इस राशि को ग्रौर ग्रधिक करेंगे––यह दो शब्द तो कहते। लेकिन वह भी नहीं कहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, वह मैंने बताई है।

(श्री मानसहाँ महार)

चौथी बात, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं, उनको में रिपीट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार को राजस्थान की आर० ए० सी० के लिए मोडन इक्विपमेन्ट मंगाने के लिए कम से कम दो-चार करोड की रकम रखनी चाहिए और मोडर्न इक्विपमेन्ट्स मंगाने चाहिएं । इस तथ्य की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था । कम से कम आज जब कि हमारे सब की निगाहें बोर्डर पर हैं उस समय यह तो कह सकते थे कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं और जल्दी से जल्दी सप्लीमेन्टरी डिमाण्ड मागेंगे । और मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है में उनसे उम्मीद करूंगा कि वे इस चीज का कम से कम जवाब दें । आज हम डिफेन्स की ओर जाना चाहते हैं, यह नहीं चाहते कि अलवर के डाक बंगलों में गये या नहीं, या काबुल-कंधार में क्या हुआ, इससे हमें कुछ नहीं लेना-देना है । हमारा तात्पर्य यह है कि हम जानना चाहते हैं कि राजस्थान की सुरक्षा के लिए सेन्टर वाले तो करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसको कम से कम बता दें । आप हमारे सिपाहियों की बहबदी के लिए करते हैं तो आपने क्या क्या किया है ? अगर किया है तो आप उसको गुप्त क्यों रख रहे हैं ? मुझे मालूम है कि आपने ६-७ दिन पहले केबीनेट डिसीजन लिया है । आपने कहा है कि हम डार्क में हैं । अगर ऐसा कहते हैं तो आप खुद डार्क में हैं और देश का बहुत बुरा कर रहे हैं । यही चंद शब्द कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस थर्ड रीडिंग में बहुत लम्बी-चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन चन्द जरूरी चीजों के संबंध में जिनका सरकारी पक्ष की ओर से जवाब नहीं दिया गया और बारबार वह सदन में उपस्थित की गई ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

सबसे पहली चीज तो यह है कि १३ जून के आपने नोटीफिकेशन के जरिये मंत्रियों को रियायतें देने का एक भण्डार खोल दिया कि विदेश में जाकर वे चिकित्सा करा सकते हैं, विदेश के सारे आवास का खर्चा उनको प्राप्त होगा और हर प्रकार की सहूलियत उनको प्राप्त होगी । एक मंत्री का गुर्दा खराब हो जाये तो फोर्ड फाउन्डेशन की इमदाद से ऑक्सीजन पम्पिंग मशीन आ सकती है और इसके लिए ४ लाख रुपये की राशि उन्होंने प्राप्त कर ली, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, महान् शहीद भगतसिंह का साथी बटुकेश्वरदत्त बिना इलाज के मर गया, उसको विदेश में भेजने के लिए कोई राशि नहीं थी । आज मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा—देश की महान् निधि राहुल सांकृत्यायन और महा कवि निराला जी मर गए, सिसक सिसक कर मर गए और मरने के बाद उनकी निधियां बना दीं, उनके स्मारक बना दिये, उनके जुलूस निकाल दिये, लेकिन उनका इलाज विदेश में भेज कर इस सरकार द्वारा नहीं कराया गया और उनको भेजने का प्रबन्ध सरकार के पास नही था !

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात आज देश की पैंतालीस करोड़ जनता के हृदय के अन्दर शूल की तरह चुभती है । जब हमारी विदेशी पूंजी, हमारी फॉरिन एक्सचेंज केवल चार सौ करोड़ रह गई है रिज़र्व बैंक के पास, तब राजस्थान के मंत्री चार कारें एक एक लाख रुपये की विदेशों से खरीदते हैं । जब

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
देश के अन्दर फॉरिन एक्सचेंज की इतनी भयंकर स्थिति हो रही है उस समय राजस्थान के मंत्रियों के लिए कारों के लिए चार लाख रुपया तैनात किया जाय । जब देश का सिपाही अपना लहू बहा रहा हो वहां इस तरह की बातें हों ! इस छः लाख रुपये से कुछ होने वाला नहीं है । यह निधि कोई बड़ी निधि नहीं है । इकतीस सौ लीटर से छः हजार लीटर पेट्रोल मंत्रीजी को मिले, इसमें भी मुझे एतराज नहीं है । एमर्जेन्सी के समय में तीस लीटर पेट्रोल मिले, इसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यहां प्रश्न है देश के मोरल का, प्रश्न है इस देश के हृदय का । प्रश्न यह है कि देश के जीवन का, उसके प्रतीक स्वरूप का आज छः लाख का खर्चा उसकी भावना पर चोट पहुंचाता है । उस स्थिति को आप पहचानते नहीं हैं, इसीलिए आज हमें एतराज करना पड़ा है कि यह खर्चा नहीं होना चाहिए, ये चार मंत्री नहीं बढ़ाए जाने चाहिए । ये विदेशी कारें नहीं रखनी चाहिए । ये सुविधाएं नहीं रखनी चाहिए, ये रेफ्रीजरेटर नहीं चाहिए, ये डनलपपिलो नहीं चाहिए, ये डेकोरेशन्स नहीं चाहिए । यही कहा है मैंने । शायद आपकी मोटी बुद्धि में प्रवेश कर गया होगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यहां रेफ्रीजरेटर का सवाल नहीं है, आप तो हवा में बोल रहे हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें चालीस लाख रुपये फेमिन के लिए रखे हैं । राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी अकाल पड़ चुका है । मैं माननीय खाद्य मंत्रीजी से कहूं कि गंगानगर जिला जो बोर्डर का जिला है, जिसमें कि सबसे अधिक अनाज पैदा होता है और हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी अनाज की मण्डियों में से है उसी के बाजार में एक रुपये का एक किलो गेहूं नहीं मिलता है । आज हमारे यहां बीकानेर के अन्दर जो बोर्डर का जिला है उसमें केवल तीन डिपोज़ हैं सारे बीकानेर के अन्दर बोर्डर के क्षेत्र में और लोग चालीस चालीस, बीस बीस मील जाकर उन डिपोज से मोटा अनाज लाते हैं और उनको छः-छः, सात-सात दिन अनाज लाने के लिए लग जाते हैं; तो मंत्री महोदय को कहते हैं तो क्रोधित होते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर हम यह कहें कि बीकानेर जिले के अन्दर जहां पर कि अनाज की व्यवस्था पिछले कलेक्टर बहुत अच्छी तरह से करते रहे हैं और बड़ी कुशलता से व्यवस्था करते रहे हैं तो वहां आज एक महिला को कलेक्टर लगा दिया गया है उस जगह पर जो कि बोर्डर पर है और जहां की स्थिति भयंकर है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि राजस्थान के अन्दर एक महिला कलेक्टर है ....

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : महिला कलेक्टर पहले के कलेक्टर से अच्छा काम कर रही है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं स्वीकार नहीं करता इस बात को । आज भी सौ सौ क्विन्टल अनाज बीकानेर के कुछ परिवारों के पास बन्द पड़ा है । उनसे लोग मिलते हैं, डेपुटेशन ले जाते हैं । दो दो सौ आदमी उनके बंगले के बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन वे अपने नोशन को छोड़ना नहीं चाहती । वह यह स्वीकार नहीं करना चाहती कि बीकानेर में पिछले चार साल से अकाल पड़ रहा है । मैं उनको जानता भी नहीं हूं, मेरा उनसे कोई द्वेष नहीं है, मैं उनसे मिला भी नहीं हूं लेकिन यह स्थिति मौजूद है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप में ही सारा समय समाप्त हो जाएगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अन्त में मैं यह कहूंगा कि हर चीज को एमर्जेन्सी की दृष्टि से देखिए । एमर्जेंसी को एक नाटक मत बनाइए, एमर्जेंसी एक ड्रामा नहीं है । एमर्जेंसी को एक वास्तविक एमर्जेंसी अनुभव करके चलिए । आज अगर आपसे यह कहा जाय कि आप अपने स्ट्रोंगेस्ट ऑफिसर को बोर्डर के क्षेत्र में डेप्यूट कीजिए तो आप इसको गम्भीरता से स्वीकार कीजिए । उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले की आज स्थिति यह है कि एक नहर छः छः दफा टूटती है, बोर्डर के क्षेत्र में पानी नहर की टेल में नहीं पहुंचता है । बराबर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है, डेपुटेशन मिलते हैं लेकिन सरकार इस बात को प्रगट नहीं करना चाहती । अन्त में मैं जो श्री मानसिंह मेहरा ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेहरा नहीं महार ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : नहर और महर में फर्क नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने आर. ए. सी. के सिपाहियों के बारे में जो ध्यान आकर्षित किया मैं उसी सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा । जब रन ऑफ कच्छ के अन्दर आक्रमण हुआ तो उस समय आर. ए. सी. की बारह बटालियनों के लिये फ्री राशन देने की बात घोषित की गई । अब वह युद्ध समाप्त हो गया रन ऑफ कच्छ में सुलह हो गई, उसके बाद वह फ्री राशन बन्द कर दिया गया । आज इतनी बड़ी एमर्जेंसी के दौरान में से आर. ए. सी. चल रही है और राजस्थान के क्षेत्र में हमारी फर्स्ट डिफेंस फोर्स यह आर. ए. सी. है । कम से कम आज एमर्जेंसी के टाइम में तो हमें आर. ए. सी. के लोगों के लिये वह फ्री राशन दुबारा शुरू कर देना चाहिए । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि आप आर. ए. सी. के लिये आर्म्स, मोडर्न और स्टेंडर्ड आर्म्स लायें और उनको किसी प्रकार की आर्म्स की कमी नहीं होनी चाहिए । उनको उसी तरह से इक्विप कीजिए और उसी तरह से उनको हथियारों से लैस कीजिए जिस तरह से मिलिट्री को किया जाता है । अगर आप इनको उसी तरह से आर्म्स से लैस कर देते हैं तो यह भी इन्डियन आर्मी से किसी प्रकार कम साबित नहीं होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ी खेदजनक बात सदन में प्रस्तुत हुई किसी महिला को लेकर ....

श्री उपाध्यक्ष : यदि आप सारा समय ले लेंगे तो और नहीं बोल सकेंगे । तीन बजे से सरकारी पक्ष से जवाब होगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझे दुख है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की बात सदन के अन्दर आई और मैं इस बात से सहमत हूं कि यह कष्टदायक स्थिति, बेहतर होता आज सदन के अन्दर उत्पन्न नहीं होती । लेकिन मुझे इस बात का भी दुःख है कि जिस प्रकार का उत्तर माननीय वित्त मंत्री ने दिया वह उत्तर भी शोभा नहीं देता । मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि एक स्त्री को लेकर जो किसी की मां है, किसी की बहिन है, इस प्रकार की निकृष्ट चर्चा इस सदन में हो । लेकिन मैं इस बात से भी बहुत दुःखी हूं कि वित्त मंत्री महोदय एक बार भी उसके

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

परिवार से अपना कोई सम्बन्ध नहीं बतलाते, इसका जिक्र तक नहीं करते, जब दो बार यह प्रश्न सदन में उठा। आज वे कहते हैं कि उनका सन् १९३० से सम्बन्ध है उस महिला से। उपाध्यक्ष महोदय, जिन टेलिग्राम्स का और जिन लेटर्स का जिक्र किया गया, वित्त मंत्री महोदय अगर जिस तरह से अपने सम्बन्धों का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि जैसे सम्बन्ध आप लोगों के अपने पास पड़ोस के लोगों से हैं वैसे ही मेरे सम्बन्ध हैं तो उसका सबसे बड़ा सुबूत यह होता कि वे उन दोनों पत्रों को जिनका जिक्र अभी किया गया था, फौरन यहां मंगाते और सदन की मेज पर रख देते; सारी पोजीशन क्लिअर हो जाती। उनको लम्बा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं होती।

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

अन्त में मैं यही अर्ज करूंगा सरकार से कि यह ऐश और इशरत का वक्त नहीं है, यह मोटरें बढ़ाने का वक्त नहीं है दोस्तों, यह पूंजीपतियों को पैसा देने का वक्त नहीं है, मित्रों। महात्मा गांधी के सम्बन्ध में २ अक्टूबर को सेलीब्रेशन्स करेंगे। राष्ट्रपतिजी ने उसके सम्बन्ध में एक बहुमूल्य कल भाषण दिया है, उसका एक प्रोग्राम जारी किया है, कम से कम उस बापू का ख्याल करके जिसने दस पैसे रोज में गुजारा करने के लिये कहा था आज, तो तुम इन डनलपपिलो को ठोकर मार दो, आज तो तुम कम से कम इन ऐश्वर्य को ठुकरा दो, जब कि देश में भयंकर स्थिति है। बापू की आत्मा देख रही है मित्रों, तुम क्या कर रहे हो बापू के चेलों, कम से कम आज तो अपने आपको एक प्रतिशत चेला तो साबित कर दो।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आज एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर तृतीय वाचन पर चर्चा हो रही है उसमें हमारे आर० ए० सी० और दूसरे कुछ विषयों के ऊपर ··

श्री भैरोंसिंह : यह गवर्नमेन्ट रिप्लाई हो रहा है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस सदन का एक सदस्य हूं और उस हैसियत से मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके सिवाय ··

श्री रामकृष्ण गोयल (टोंक) : यह पोइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए पूछा गया है कि आसन का यह रूलिंग था कि ३ बजे तक सदस्य बोल सकेंगे। उसके बाद गवर्नमेन्ट का रिप्लाई होगा।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सारे दूसरे विषयों पर नहीं जाना चाहता, मगर एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं और वह यह है कि आज हमारी सीमाओं के ऊपर, जहां काश्मीर, पंजाब आदि क्षेत्रों में काफी तनाव है, वहां राजस्थान की सीमाओं पर भी कम तनाव नहीं है, बल्कि काफी ज्यादा तनाव है, और जैसा कि काश्मीर के क्षेत्रों में हमारी सैनाओं ने और वहां के बहादुर जवानों ने मुकाबला किया राजस्थान के क्षेत्र में हमारी आर० ए० सी० ने उन मुजाहिदों और पाकिस्तान की रेग्युलर फोर्स का सबसे पहले मुकाबला किया है और राजस्थान को इस बात के ऊपर गौरव है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की आर० ए० सी० किसी भी फोर्स के मुकाबले में कम साबित नहीं हुई है।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

उसने जो झटका बर्दास्त किया है और शत्रु को जो सबक दिया है वह भारत के इतिहास

(श्री हरिदेव जोशी)

में किसी प्रकार से कम नहीं आंका जायेगा। जहां तक राजस्थान की आर० ए० सी० का सवाल है माननीय सदस्य को पता होगा कि अब आर० ए० सी० डाइरेक्टली डिफेन्स सर्विसेज के कन्ट्रोल में है, कुछ एकाध दो बटालियनों को छोड़कर, और उसके मूवमेन्ट, उसको सुविधाएं और जो कुछ भी उसके ऊपर नियंत्रण है वह उनकी सलाह से, बल्कि उनके द्वारा किया जाता है। जहां तक राशन का सवाल है और दूसरी चीजों का सवाल है उसके बारे में वित्त मंत्रीजी आपको बतलायेंगे, मगर आर्म्स के बारे में शायद वे नहीं कह सकें, मगर एक चीज बहुत साफ है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : राशन फ्री किया जा रहा है कि नहीं।

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग) : है, आपको जानकारी नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि माननीय सदस्य को यह मालूम है, मगर सदन के अन्दर नाजायज चीज उठाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी चीज को प्रकट कराने के कम्युनिस्ट टैक्टिक्स हैं, उन कम्युनिस्ट टैक्टिक्सों को वे काम में लाते हैं। इसके बारे में राजस्थान सरकार निर्णय ले चुकी है और माननीय सदस्य को यह पता है कि हमारी आर० ए० सी० को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं मोर्चे पर और अगर कोई घायल होता है, अगर कोई मरता है तो; ये सारी चीजें स्पष्ट की जा चुकी हैं; सिवाय आर्म्स और एम्युनिशन्स के, जिनके बारे में गवर्नमेन्ट नहीं कह सकती है।

अब रहा सवाल यह कि एक माननीय सदस्य को जो इस सदन के सदस्य हैं उनके बारे में एक माननीय सदस्य ने कुछ चर्चा की। दुर्भाग्यवश आदमी कब बीमार होता है, कैसे होता है, क्या है, कैसे हो जायेगा भविष्य में, यह कोई नहीं कह सकता है। एक मानवीय दृष्टिकोण से राज्य सरकार ने इस सदन के एक माननीय सदस्य को कुछ सुविधा दी। इस सदन का सदस्य होने के नाते राज्य सरकार ने दी। हम लोग भी जो साधारण सदस्य हैं वे भी कुछ सुविधाएं लेते हैं, उनको भी शायद किसी प्रकार से कम नहीं आंका जायेगा। आज राज्य के कर्मचारियों को कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, दूसरे प्रकार के लोगों को सुविधाएं दी गई हैं, तो मन्त्री होने के नाते किसी व्यक्ति को इलाज के लिये सुविधाएं दी जायं और उसके बारे में कुछ नुक्ता-चीनी करते हैं तो सिवाय इसके कि मैं समझता हूं कि उसमें मानवता की दृष्टि का अभाव है, इससे ज्यादा नहीं कह सकता····।

श्री भैरोंसिंह : आप मानवता का अभाव कहते हैं और मेरी मानवता का सवाल करते हैं, तो आपमें कितनी मानवता है, उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मुझे कहना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद : आप बोलने दें।

श्री भैरोंसिंह : हाथ हिलाने से मैं नहीं बैठने वाला हूं :

मानवता का पाठ पढ़ाने वाले सदस्य··

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से सदन में कोलाहल)

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, I am authorised on the floor of the House, Sir.

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : आप यहां रो रहे हैं मानवता के लिए और वहां कालबेलिये रो रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मानवता एक मन्त्री के लिए ही जगती है ?

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक ....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर, सर ....

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था ....

श्री अब्दुलजब्बार : ऑन ए पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर, सर ....

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक राज्य सरकार के सुविधा देने का सवाल है, राज्य सरकार की दूसरी चीजों का सवाल है ....

श्री जोधसिंह चौहान : ऑन ए पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर, सर ....

श्री उपाध्यक्ष : There is a point of

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी का आदर करता हूं इस भावना का कि एक उप-मन्त्री के इलाज के लिये जो कुछ पैसा दिया गया है उसके ऊपर जो बात कही गई है, मैं उन शब्दों को नहीं दोहराना चाहता हूं लेकिन उनकी नॉलेज में लाना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य रिअम्बर्समेन्ट के बिलों के लिए ....

श्री फूलचन्द जैन : What is the point of order, Sir.

श्री अब्दुलजब्बार : वे रोते-फिरते हैं और उनको महीनों तक पैसा नहीं मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष : This is no point of order, but point of information.

श्री अब्दुलजब्बार : माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनको पैसा नहीं मिले ?

श्री उपाध्यक्ष : There is no point of order.

श्री हरिदेव जोशी : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था ; मैंने तो खाली यह कहा था कि सदन के सदस्य की हैसियत से वे कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हैं तो सवाल इस बात का है कि जिसके लिए मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि इन चीजों को नुक्ते-निगाह से न देखा जाय, बल्कि इस चीज से देखा जाय कि इस तरह से एक सदस्य अधिक गम्भीर दृष्टि से रुग्ण है तो हम सब की सहानुभूति उनके साथ होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में और अधिक निवेदन करना नहीं चाहता।

श्री भैरोंसिंह : मुझ पर, उपाध्यक्ष महोदय, जो चार्ज लगाया गया है कि मुझमें मानवता का अभाव है उसका उत्तर मैं दूंगा। मन्त्री महोदय या तो उसको स्पष्ट करें कि किस किस प्रकार का अभाव है, वर्ना मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : मानवता का अभाव मन्त्री में है।

Page No 84

श्री उपाध्यक्ष : चार्ज नहीं लगाया है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने किसी माननीय सदस्य का नाम व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। मैंने जिस चीज को सुना है....

श्री भैरोंसिह : आपने यह कहा था कि जिस माननीय सदस्य ने यह कहा उस माननीय सदस्य में मानवता का अभाव है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आपको सुना नहीं। अगर आपने भी इसको कहा हो तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

श्री भैरोंसिह : 'उचित समझता हूं और उचित नहीं समझता हूं,' यह दूसरी बात है, लेकिन जिस बात को आपने सुना नहीं और आपने मुझ पर चार्ज लगाया कि मुझ में मानवता का अभाव है तो या तो वे चार्ज को एस्टेब्लिश करें या प्रूव करें, वर्ना मैं बताऊंगा कि मानवता का अभाव कहां है। अमानवता की बात करने वाले मानवता की बातें करते हैं हाउस में।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य के किसी भी चेलेन्ज को स्वीकार करने को तैयार हूं। भूतकाल में भी किया है, आज भी स्वीकार करता हूं और आयन्दा भी स्वीकार करूंगा।

श्री भैरोंसिह : मानवता का अभाव कहां है, यह बताऊंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने आपके भाषण को नहीं सुना है और मुझे पता नहीं कि आपने क्या कहा है। और भी लोगों ने भाषण दिये। आपको पता नहीं कि क्या कहा गया था तो क्यों बुरा लगा। मैं केवल क निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य बीमार हैं और उनके बारे में राजस्थान सरकार ने कुछ अमुक प्रकार की सुविधाओं का विचार किया है, उसके ऊपर हमको भी जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने दृष्टिकोण रखा है वही दृष्टिकोण रखना चाहिये। उसके सिवाय हम दूसरी बात करते हैं तो एक मनुष्य के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। उसके मन को ठेस पहुंचाते हैं।

श्री भैरोंसिह : यह ठीक है। इसमें मानवता कहां आ गई?

श्री हरिदेव जोशी : निश्चित् रूप से।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मानवता कहां, इसमें संकट में आगया?

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, समय बीता जा रहा है। आपने सवा तीन बजे के लिए कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय मैंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कहा है कि जिन्हें क्रान्तिकारी बताया जाय, महान् आत्माएं बताई जायं, उनको तो ये सुविधाएं प्राप्त नहीं कराई जायेंगी। मझे इस बात का खेद है कि इसमें मानवता का अभाव कहां है? मैं इस चार्ज का जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिह : मैं भी इस चार्ज का जवाब दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री हरिदेव जोशी : रहा सवाल मशीन का, उपाध्यक्ष महोदय, जिसके बारे में चर्चा की गई राजस्थान खुश किस्मत होगा यदि

(श्री हरिदेव जोशी)

इस प्रकार की मशीन राजस्थान में किसी भी बहाने से आ जाय, आज राजस्थान के पास मेडिकल कॉलेजेज हैं मगर जो साधन होने चाहियें वे नहीं हैं, उसी का परिणाम है कि हमारे लोगों को आज भी कई विशेष बीमारियों में बाहर जाना पड़ता है। यदि राजस्थान सरकार अपने हॉस्पिटल्स में इसको उपलब्ध कर सकेगी तो राजस्थान की सेवा कर सकेगी। इन शब्दों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे स्पष्टीकरण करना है वह यह है कि माननीय सदस्य ने कहा वे इस भ्रम में हैं, उन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि मेरा भाषण उन्होंने नहीं सुना, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और मैं समझता हूं पूरा सदन इस बात को जानता होगा कि मैंने यह मुद्दा उठाया है····

श्री हरिदेव जोशी : दूसरों ने भी उठाया है·····

श्री भैरोंसिंह : मैंने मुद्दा उठाया उस समय यह स्पष्ट किया था कि मानवीय दृष्टिकोण से इसकी व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा प्रश्न यह था कि मानवीय दृष्टिकोण सारा पब्लिक एक्सचेकर नहीं होना चाहिये··

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य ने दूसरों का भाषण सुना होता तो शायद खड़े नहीं होते।

श्री भैरोंसिंह : मैं स्पष्ट कर देता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : स्पष्ट हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे ऊपर चार्ज लगाया है।

श्री हरिदेव जोशी : आपने दूसरों के भाषण सुने या नहीं?

श्री चन्दनमल बैद : आप ही टीकड़ी कमेड़ी हैं क्या? दूसरों ने भी भाषण दिये हैं?

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसे गधों से नहीं पूछता। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया तो मैं उचित नहीं समझूंगा····

श्री चन्दनमल बैद : आप नहीं समझेंगे तो हम भी नहीं समझेंगे।

श्री भैरोंसिंह : ये मन्त्री बने हैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जो ऐसे वर्ड्स उपयोग किये गये हैं उनको एक्सपन्ज कर दें।

श्री भैरोंसिंह : मैं कोई भाषण की बात नहीं कर रहा। केवल यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में हवा बनाने की कोशिश की गई है। आज जो बहस हुई है उससे कोई सुरक्षा प्रयत्नों में बाधा पहुंचे ऐसी बात नहीं है। इस प्रश्न को लेकर यहां जो चर्चा हुई है उससे ऐसा समझते हैं कि सुरक्षा का प्रश्न किसी पार्टी में ही सीमित है और उस पार्टी के सदस्य सुरक्षा के जिस मार्ग पर चलेंगे वही सुरक्षा है। लेकिन मैं सरकार को स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हम दुश्मन से लड़ेंगे और इसके लिये सरकार को सहयोग देंगे। जिस प्रकार सरकार दुश्मन से लड़ने के लिये क़ुर्बानी करने को कहेगी वह क़ुर्बानी करेंगे। लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि इस क़ुर्बानी की आड़ में जो लोग मजा लूटना चाहते हैं उनको मजा नहीं लूटने दिया जायगा। हम हमारा सहयोग

Page No 86

(श्री भैरोंसिंह)

और सर्विसेज सभी ऑफ़र करते हैं लेकिन उसकी आड़ में दूसरी बात नहीं करने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब सदन ने जिस प्रकार का अधिकार मुझे दिया है सवा तीन बजे समाप्त करने का, फाइनेन्शियल बिजनेस के अन्तर्गत समय को सीमित करता हुआ वोट के लिये में क्वेश्चन पुट करता हूं।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : 'ना' पक्ष जीता ? Noes have it Sir.

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भीमसेन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

संसद द्वारा स्वच्छता निरीक्षकों का व्यवसाय इत्यादि का विनियमन करने विषयक शासकीय संकल्प

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मन्त्री) : संकल्प इस प्रकार है:—

"चूंकि स्वच्छता निरीक्षकों, जो जन स्वास्थ्य एव स्वच्छता के प्रशासन से सम्बन्धित हैं, के व्यवसाय का विनियमन सार्वजनिक महत्व का विषय है तथा इनसे सम्बन्ध रखने वाली समस्याएं समस्त राज्यों में एक समान हैं,

और चूंकि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये विधान निर्माण का कार्य भारतीय संविधान की अनुसूची ७ की सूची २ की प्रविष्टि ६ एवं ११ में वर्णित विषयों से सम्बन्ध रखता है और जिनके कि में संविधान के अनुच्छेद २४९ एवं २५० में जैसा प्रावहित है उसके सिवाय संसद को राज्यों के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त नहीं है.

और चूंकि इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि ऐसे विधान निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाना चाहिए,

अतः भारत के संविधान क अनुच्छेद २५२ के खण्ड १ के अनुसरण में यह विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि इस राज्य में स्वच्छता निरीक्षकों का व्यवसाय (calling) तथा उससे सम्बन्धित अन्य समस्त विषयों अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का विनियमन इस राज्य में संसद द्वारा विधि बनाकर किया जायगा।"

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव माननीय सदस्यों को सर्क्युलेट कर दिया गया है और मैं उस प्रस्ताव के बैकग्राउन्ड पर इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि अब तक जो अपने यहां सैनिटरी इन्सपेक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग वगैरह हैं वे सब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होती थीं और अलग अलग स्टेट्स रेगुलेट करते थे।

भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ ने इस बात को महसूस किया।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! बातचीत कम हो तो बात सुनी जा सकेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : हैल्थ इन्सपेक्टर्स का पद बहुत ही आवश्यक है और महत्वपूर्ण है, इसलिये सारे हिन्दुस्तान म इन्डियन कौंसिल ऑफ़ सेनिटरी इन्सपेक्टर्स ट्रेनिंग, उनके ट्रेनिंग, इमोल्युमेन्ट्स, ड्यूटीज, फंक्शन्स आदि हैं, किस तरह से उनको कार्य करना चाहिये उसके लिये युनिफ़ोर्म पॉलिसी एडॉप्ट की जाय तो अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह स्टेट्स सब्जेक्ट में आता है इसलिये संविधान के आर्टिकल २५२ में जैसा कि प्रावधान है स्टेट लेजिस्लेचर अपने यहां प्रस्ताव पास करती है तो सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट लेजिस्लेचर पास कर सकती है। सेन्ट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हैल्थ ने हमसे इस तरह का प्रस्ताव पास करने को कहा था। वह प्रस्ताव आपको सर्क्युलेट कर दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह हमें कल मिला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप उसको पढ़ा हुआ समझें। मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव पास कर दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : आपने फ़रमाया था कि पास हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पास कैसे कर दें? बाकी समय में क्या करेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से .....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : करेंगे क्या बैठे बैठे?

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद दो बिल्स हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके बाद जो दो बिल्स हैं उनमें कुछ है नहीं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उनमें कोई खास नहीं है। एक सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) भाषण कराने हैं तो करा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह टाइम बढ़ जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिज़ोल्यूशन पर टाइम लगेगा। बिल्स पर बोल कर क्या करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, एक शासकीय संकल्प माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। संविधान की धारा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

२५२ के अन्तर्गत अगर किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो विषय राज्य सरकार की अनुसूची में है, कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को देना है तो उस सम्बन्ध में संकल्प वहां की राज्य विधान सभा को पारित करना आवश्यक है और इस दृष्टि से संविधान की धारा २५२ के अनुसार यह एक संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया है, जिसको यह राजस्थान सरकार पारित करे और यह अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे कि सैनिटरी इन्सपेक्टर्स के सम्बन्ध में जो कानून बनाने का अधिकार या उनकी सेवाओं का नियमन करने का अधिकार राज्य सरकार को है वह केन्द्रीय सरकार को दे दिया जाय और वह उनके सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था करें। माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने अपने बड़े संक्षिप्त भाषण में इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारी राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प को वह वापिस ले और इस संकल्प के स्थान पर संविधान की धारा २५२ के अन्तर्गत एक बड़ा ही व्यापक संकल्प इस सदन में प्रस्तुत करें और उस संकल्प में वे सारी बातें लिखें जिनके बारे में कानून बनाने का अधिकार हम केन्द्रीय सरकार को दे दें।

आज संकटकालीन स्थिति में विशेष तौर पर जो तथ्य और व्यवहार, और रवैया राज्य सरकार का है, उपाध्यक्ष महोदय, आप समझते हैं, केवल सैनिटरी इन्सपेक्टर्स के बारे में कानून बनाने का अधिकार, उनकी सेवाओं को रेगुलेट करने का अधिकार ही केन्द्रीय सरकार को नहीं देना चाहिये बल्कि समस्त वह कानून बनाने का अधिकार, और खास तौर पर वह कानून बनाने का अधिकार जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार गलत ढंग से कानून बनाती आ रही है, जिनके कारण इस सदन की मानहानि हुई है, इस सदन का कितना ही अपमान हुआ है। किस प्रकार के कानून राज्य सरकार ने इस सदन में पास कराये और किस प्रकार की बातें हमें अदालतों में सुननी पड़ीं। तो राज्य सरकार का व्यवहार और रवैय्या देखने के बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राजस्थान सरकार सक्षम नहीं रही है किसी प्रकार का लेजिस्लेशन बनाने के लिए; राज्य सरकार को चलाना है वह सही ढंग से चले, इसके लिए मैं कहता हूं कि ऐसा बड़ा काम्प्रीहेन्सिव और एक्जॉस्टिव रिज़ोल्यूशन इस सदन में पेश कीजिये और इस सदन से उस रिज़ोल्यूशन को पारित करा लीजिये, जिसमें यह हो कि राज्य सरकार के जितने अधिकार लेजिस्लेशन बनाने के सम्बन्ध के हैं, केवल यही नहीं कि सैनिटरी इन्सपेक्टर्स के सम्बन्ध में कानून बनाने की पॉवर है, सैनिटरी इन्सपेक्टर्स की सेवाओं का नियमन करने का लेजिस्लेशन बनाने की पॉवर सरकार को है वह केन्द्रीय सरकार को दे दी जाय-बल्कि सब लेजिस्लेशन बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे दिया जाय।

यह राज्य सरकार किस प्रकार के लेजिस्लेशन बनाती है, उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर मैं सदन का ध्यान उस बात की ओर दिलाना चाहता हूं, वह शायद सरकार को मालूम हो, लेकिन वह ज्वालाप्रसादजी को मालूम, भीमसेनजी को मालूम है और मानिकचन्दजी को मालूम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है कि पिछली बार, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल आया था, और उसके सम्बन्ध में उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने आपत्ति उठाई थी, और सदन के सदस्यों ने कहा था कि यह अन-कॉन्स्टीट्यूशनल है। राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल पास हुआ था, उसके पहले इस सदन ने फाइनेन्स एक्ट, १९६१ पास किया, फाइनेन्स एक्ट, १९६२ पास किया और फाइनेन्स एक्ट, १९६३ पारित किया और जब जब यह फाइनेन्स एक्ट आये और जब यह राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट) एक्ट आया उस समय इस सदन के अन्दर आपत्ति की गई थी, यह एक्ट है—यह कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा नहीं, यह अन-कॉन्स्टीट्यूशनल नहीं है। सरकार ने उस वक्त यह कह कर टाल दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उस राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन के सम्बन्ध में हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हुई, और कौल साहब उस समय इस विभाग के मन्त्री थे, तो सदन में एक बार यह सवाल उठाया कि यह टैक्सेशन का मामला है इस पर प्रेसीडेन्ट की आज्ञा होनी चाहिये तो राज्य सरकार ने देखा कि राज्य सरकार का १९५९ का ओरिजिनल कानून था, उसके बाद में सरकार ने १९६१ में टैक्सेशन की रेट बढ़ाई, १९६२ के अन्दर टैक्सेशन की रेट्स बढ़ाई और १९६३ के अन्दर टैक्सेशन की रेट्स बढ़ाई और उसके बाद में राज्य सरकार ने १९६४ के अन्दर एक ऑर्डिनेन्स निकाला। उसके

(३.२५ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

जरिये वह सारी गलती, जो सरकार ने की थी, को वेलीडेट किया और वेलिडेट किस बात को किया, वह किया कि १९६१, १९६२ और १९६३ में जो फाइनेन्स एक्ट पास किये थे उन पर प्रेसीडेन्ट की इजाजत नहीं थी, उन पर प्रेसीडेन्ट की प्रोपर पर्मीशन नहीं ली थी, जो संविधान के अनुसार लेनी चाहिये थी। इसलिये सरकार ने एक ऑर्डिनेन्स निकाला और उसके बाद में उस ऑर्डिनेन्स को कानून में तबदील करने के लिए बिल सदन के सामने आया।

जिस समय उस बिल पर इस सदन में विचार हो रहा था तो सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने, मुझे उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनमें मोती-लालजी और विजयसिंह जी झाला भी थे, एक आपत्ति प्रस्तुत की थी और आपत्ति के अन्दर यह बात कही थी कि यह अन-कॉन्स्टीट्यूशनल है, यह बिल संविधान के खिलाफ है और अल्ट्रा वायर्स है, इसलिये हम इस कानून को पास नहीं कर सकते, जिसके द्वारा वह ऑर्डिनेन्स एक एक्ट बनने जा रहा था। लेकिन बहरी सरकार ने अपने कानों में तेल डाल लिया और कुछ भी नहीं सुना और यह कहा कि हम कर सकते हैं और उस कानून को अपनी ग्रुप मेजोरिटी के आधार पर पास करा लिया। और उसके बाद, सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ सदन को यह सूचना देनी पड़ती है कि हमने उस कानून को पास कर दिया उससे सदन की तौहीन हुई है और केवल सरकार की तौहीन नहीं हुई है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उसमें नतीजा क्या हुआ कि हाई कोर्ट में उसे चेलेन्ज किया गया और हाई कोर्ट में चैलेन्ज करने के सिलसिले में वह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया। उसके बाद में, सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने उस सम्बन्ध में फैसला दिया, उस फैसले के अन्दर जो सरकार को लेजिस्लेशन करने को कॉम्पीटेन्स है, जो सरकार का लेजिस्लेशन बनाने का ब्रेन है और जो सरकार का कानून बनाने का तरीका है और सरकार की जो इन्टेलीजेन्स है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो सर्टी-फिकेट दिया है, उस सर्टिफिकेट के कारण उसे सदन की एक प्रकार से तौहीन कहनी पड़ेगी। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मुझे मालूम नहीं कि उसके बारे में सरकार को मालूम है या नहीं। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अन्दर यह है कि हाई कोर्ट में जब रिट पिटीशन चल रही थी उस वक्त राज्य सरकार ने ऑर्डि-नेन्स निकाल कर उसे कानून बना दिया। उसने कहा है कि सरकार इस तरह कानून नहीं बना सकती है और रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट से वैलीडेट नहीं कर सकती है जब कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन पैन्डिग हो। उस वक्त सरकार ने कहा था कि हम कानून में लिख देते हैं 'Notwithstanding any Judgement, decree or order of any court' यह आपने कानून में लिख दिया और आपने कानून बना दिया। लेकिन सरकार के समक्ष जो बातें इस सदन के अन्दर कही गई उन बातों की ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो आपत्तियां उस बिल के बारे में रखी गई उन आपत्तियों के ऊपर विचार नहीं किया और उन सारी बातों को नजर-अन्दाज करके सरकार ने ग्रुप मेजोरिटी के आधार पर कानून बना दिया और उसके बाद में जो पिछले सालों में गलती की थी उस पर इस सदन की मोहर लगवा ली, हां और ना की आवाज लगा कर, जैसा कि आप हमेशा करते हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? सभापति महोदय, उसका नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमेन्डमेन्ट एण्ड वेलिडेटिंग) बिल, १९६४ के अन्दर जो धारा ४ है, वह धारा ४ अल्ट्रा वायर्स है। वह धारा ४ क्या है, सभापति महोदय, धारा ४ के बारे में इस सदन में विशेष रूप से आपत्ति की थी। वह धारा ४ यह है :—

"4. Validation of certain sections of Rajasthan Act 14 of 1951, 11 of 1962 and 13 of 1963 and of tax levied, paid or payable fee paid or payable and action taken or things done during the period between 9th March, 1961 and the date of commencement of this Act."

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री) : सब जजमेंट्स पढ़ रहे हैं जो अल्ट्रा वायर्स हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, ९ मार्च १९६१ से लेकर सितम्बर, १९६४ तक, जिस समय यह कानून बनाया, इन तीन साल के अन्दर सारा जो गलत तरीके से सरकार ने टैक्स लोगों से वसूल किया, लोगों से फाइन्स की वसूली की, लोगों से जो फी वसूल की और लोगों के साथ बिना कानून के जो आपका रवैया रहा, जो रवैया आपने अख्तियार किया—उस सबको वेलिडेट करने का ऑर्डिनेन्स निकालने के बाद उसको बिल के रूप में इस सदन में लाया गया। इस सदन में उसका विरोध किया गया और सदन के कुछ जागरूक माननीय सदस्यों ने मांग की कि यह अन-कॉन्स्टीट्यूशनल है, यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अल्ट्रा वायर्स है, इस कानून को पास नहीं करना चाहिए। लेकिन सरकार ने ग्रुप मेजोरिटी के आधार पर उस कानून को पास कराया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, मैं समझता हूं कि उस जजमेंट को जो पढ़ेगा, वह पढ़ कर सोचेगा कि राजस्थान के अन्दर, राजस्थान की इस विधान सभा के अन्दर कानून के जानकार नहीं हैं। और यदि राजस्थान की इस विधान सभा में कानून के जानकार हैं तो सरकार ग्रुप मेजोरिटी के आधार पर उनकी बातों को नहीं सुनती है और यदि उनकी बातों को सुनती होगी तो उनको उसके विपरीत लीगल एडवाइस मिलती होगी। राजस्थान की सरकार है, उसमें लीगल कॉम्पीटेन्स नहीं; राजस्थान की सरकार कानून ठीक ढंग से नहीं बना सकती है। लेकिन सरकार ने कानून बना दिया और उसके पहले सरकार ने फाइनेंस एक्ट, १९६१ में पास किया, फाइनेन्स एक्ट, १९६२ में पास किया, लेकिन उनके ऊपर प्रेसीडेंट की इजाजत नहीं ली। जब कि कॉन्स्टीट्यूशन में लिखा हुआ है कि संविधान के अनुसार प्रेसीडेंट की इजाजत ली जानी चाहिए। लेकिन सरकार प्रेसीडेंट की इजाजत नहीं लेती और उसके बाद में इस सदन से कानून पारित कराती है और इस प्रकार सदन की तौहीन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है, उसके बाद में जब कोई कोर्ट में मामला गया और रिट पिटीशन हो गई तो फिर आर्डिनेन्स जारी करती है और इस सदन से वेलिडेटिंग और अमेन्डिंग बिल पास कराती है और कानून बनाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने २२ सितम्बर, १९६५ को फैसला किया है। उस २२ सितम्बर, १९६५ के फैसले में से मैं दो–तीन पैराग्राफ, जो छोटे छोटे से हैं, आपके सामने रखना चाहता हूं। यह जो चीफ जस्टिस हैं, श्री गजेन्द्र गड़कर, उनका दिया हुआ जजमेंट है। उन्होंने उसमें लिखा है........

"The Chief Justice then dealt with Section 4 which provides that certain Sections of the Finance Acts shall not be deemed to be invalid merely by reason that the provisions of Article 255 had not been complied with. It also validated the tax levied, paid or payable.

However benevolent they looked at Section 4, the Chief Justice said there was no escape from the conclusion that in enacting it the Legislature had clearly assumed that it could by itself cure the infirmity resulting from the non-compliance with Article 255 and all that it had to do was to obtain the assent of the President to its own view about its power to cure such an infirmity. The Chief Justice said, the Legislature was incompetent to declare that failure to comply with Article 255 was of no consequence."

अब आपने इस सदन को इन्कॉम्पीटेन्सी का सर्टिफिकेट दिलाया और वह भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कि यह लेजिस्लेशन और सरकार कानून बनाने के मामलों में इन्कॉम्पीटेन्ट है और चाहे जब गलत कानून बना देती है, गलत तरीके से कानून बना कर टैक्स वसूल कर लेती है, गलत फीस वसूल करती है और गलत कानून बना कर फाइन लोगों से वसूल कर लेती है और जब हाई कोर्ट में उस कानून को चैलेंज किया जाता है तो उसको

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वेलिडेट करवा लेती है वेलिडटिंग बिल पेश करके और मेजोरेटी के बल पर सरकार कहती है कि जो पक्ष में हों हां कहें, और हां करवा देती है और कानून पास करवा देती है, और वही कानून हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनवेलिड करार दिया जाता है, इससे सरकार अपने साथ साथ सदन की भी तौहीन कराती है। एक बार नहीं अनेक बार इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और एक बार नहीं अनेक बार सरकार को वेलडेटिंग बिल लाना पड़ा है। अगर यह सरकार कानून बनाने में इन-कॉम्पीटेन्ट है केवल सेनिट्री इन्सपेक्टरों के बारे में ही केन्द्र को अधिकार देने की क्या जरूरत है, जब तक संकट-कालीन स्थिति है, सारे कानून बनाने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को ही दे दिया जावे। जब तक देश में संकटकालीन स्थिति बनी हुई है, जब तक देश में झगड़े की स्थिति चल रही है, मैं तो यह कहूंगा कि सारे कानून बनाने के अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे दिये जावें और विधान सभा को भंग कर दिया जावे ताकि हम सब सुरक्षा के काम में, मदद के काम में लग जाएं। मैं कहता हूं कि देश में इस बात पर विचार करना चाहिये। बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री, संविधान के शास्त्री, देश की परिवर्तित स्थिति को देखते हुए, देश की एकता और अखंडता को बनाये रखना चाहते हैं और सारी परिस्थितियों में, मैं समझता हूं कि सारे देश में एक युनिफॉर्मिटी ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसके लिये सारे लेजिस्लेशन के पॉवर्स केन्द्रीय सरकार के हाथ में होने चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार जो हर काम में पहल करती है इस मामले में भी राजस्थान की विधान सभा को पहल करनी चाहिये। इस बात का विचार विधान सभा में प्रकट किया गया है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए और देश की स्थिति को देखते हुए देश के विकास की दृष्टि से इस प्रकार की भावना जागृत हो गई है और आवश्यकता इस बात की है कि हमारी विधान सभा केन्द्रीय सरकार के सामने इस बात के लिये पहल करे और पहले कदम उठावे और यहां पर ऐसा संकल्प लाये और उसे सदन में रख कर उसको पास करावें। सरकार चाहेगी तो बैठकें होंगी, इस संकटकालीन स्थिति में। मैं यह कहूंगा कि या तो सरकार के पास बिजनेस नहीं है जिसके कारण सदन की बैठकें नहीं होंगी और संकटकाल में जब सदन की बैठकें नहीं होंगी तो कानून कहां से पास होंगे। कानून तो संकटकाल में भी चाहिये इसलिये यह सबसे अच्छा होगा कि कानून बनाने के अधिकार संकटकालीन स्थिति में केन्द्रीय सरकार को दे दिये जावें।

इसके अलावा अभी जिस प्रकार का एटमॉस्फीयर बाना उसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आज आपका नम्बर है तो कल किसी दूसरे व्यक्ति का नम्बर आ सकता है। इसके अलावा यह जरूरी नहीं है कि सारे मामले एक ही व्यक्ति की जानकारी में हों। और भी दूसरे कई सदस्य हो सकते हैं जिनको जानकारी में कई बातें हों और वे उन्हें यहां पर रखें और फिर उत्तर हो। इस प्रकार अगर आरोप और प्रत्यारोप होते रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा इसलिए सबसे अच्छा होता कि वित्त मंत्रीजी को कोई अच्छा सलाहकार सलाह देता। मैं समझता हूं कि किसी ने उनको अच्छी सलाह नहीं दी। मैं नहीं कह सकता कि किसी ने उनको सलाह दी या नहीं। यह तो श्री नाथूरामजी साहब

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

को पता होगा। उन्होंने या दूसरों ने उनको एडवाइज की या नहीं कि जिस प्रकार इंगलैंड के बादशाह एडवर्ड ८ ने अपनी प्रेमिका के लिये गद्दी छोड़ दी उसी तरह से वे अपनी प्रेमिका के लिये गद्दी छोड़ दें और यह उदाहरण प्रस्तुत करें कि जब वह अपनी प्रेमिका के लिये गद्दी छोड़ सकता है तो कौल साहब को भी कहना चाहिए था कि वे भी अपनी गद्दी छोड़ दें। इससे जिस प्रकार से इंगलेन्ड के बादशाह का नाम इतिहास में हुआ उसी प्रकार इतिहास में और सभी विधान सभाओं में राजस्थान के वित्त मंत्रीजी का नाम भी हो जाता कि यह इंगलैन्ड का बादशाह ही ऐसा नहीं है जिसने अपनी प्रेमिका के लिये गद्दी छोड़ी हो; हमारे यहां पर राजस्थान के फाइनेन्स मिनिस्टर भी ऐसे हैं जो अपनी प्रेमिका के लिये गद्दी छोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनको किसी ने इस प्रकार को अच्छी सलाह नहीं दी। यह एडवाइज उनको आचार्यजी दे सकते थे। लेकिन उन्होंने उनकी सलाह ली नहीं होगी।

मैं तो यह समझ रहा था कि शायद कोई न कोई उनको इस प्रकार की सलाह देगा। सलीम ने अनारकली के लिये अपने आपको दीवार में चुनवाना पसंद किया मगर झुकना पसंद नहीं किया और अनारकली को छोड़ना पसंद नहीं किया। उसी प्रकार की आज लड़ाई हुई है। मुझे अफसोस है कि इस सारी लड़ाई में जीत नहीं हुई। मैं नाथूराम जी साहब से निवेदन करूंगा कि आपका तो यह इन्ट्रेस्टेड सब्जेक्ट है।

एक माननीय सदस्य: इनके लिये कैसे कहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सभी के लिये है। आप सभी लोग शांति से सुन रहे हैं। इसलिये कहता हूं दीवार में चुन जाना पसंद किया मगर अनारकली को नहीं छोड़ा। तो आज जो भी स्थिति है, श्री दामोदरजी, यह जो आपने मंत्रियों की टीम रखी है, आपने चार मंत्री बढ़ाये हैं। एक तो आप जो पहले चुनाव में हार गये थे फिर चोर दरवाजे से आये। दूसरे हरिदेवजी जोशी जिनके बारे में चार्जेज सदन में लगाये गये थे और अमृतलालजी जिनके बारे में पानरवा कांड के चार्जेज थे और वृजसुन्दरजी जिनके बारे में आप लोगों ने ही शिकायत की थी। उन चारों को आपने मिनिस्टर बनाया है। उनके खिलाफ आपकी पार्टी में चार्जेज लगे और जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया उनको फिर आपने मिनस्टिर बनाया। श्री आचार्यजी को इससे दुःख होता है क्योंकि दूसरों को ले लिया और आपको नहीं लिया। आपकी आत्मा को बहुत दुःख हुआ और जलन हुई.........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री गृह): जलन कहां हो रही है यह आप जानते हैं। जलन तो आपको हो रही है। आपकी आत्मा इसके लिये जल रही है। मेरी आत्मा में कोई जलन नहीं हो रही है। आत्मा अपना काम कर रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: यह तो आपका रंग बता रहा है जो काला पड़ रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह आपकी गलतफहमी रह गई है। आप अपना रंग देख लीजिये। आप अपना मुंह आइने में देख लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप गलत फहमी के कई बार शिकार हुए हैं। तो मैं इस संबंध में जो कुछ भी स्थिति है, मैंने जो नाथूरामजी साहब के बारे में कहा है उसको छोड़ दीजिये। इस प्रकार का लेजिस्लेशन सदन में आता है जो सुप्रीम कोर्ट से इनवेलिड करार दिया जाता है तो उससे हमारी तौहीन होती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी भावना को समझ गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भावना को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं। इतनी जल्दी समझने में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप एक कॉम्प्रीहेन्सिव रिजोल्यूशन लाकर इस हाउस से पास करवाइये कि संविधान की धारा २५२ के संबंध में जितनी भी लेजिस्लेशन के पॉवर्स राज्य सरकार को हैं वह सब केन्द्रीय सरकार को दे दिये जावें, क्योंकि राज्य सरकार कानून बनाने के मामले में मोस्ट इनएफिशियेन्ट साबित हुई है, क्योंकि उसके बनाये हुए कानून सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इनवेलिड करार दिये गये हैं। उनको वेलिड बनाने के लिये आप वेलिडेटिंग बिल लाते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि यह सरकार इस मामले में इनकॉम्पीटेन्ट है। इसलिये ज्यादा अच्छा हो कि इस प्रकार के कानून बनाने का अधिकार केन्द्र को दे दिया जावे और विधान सभा को भंग कर दी जावे ताकि कम से कम संकट कालीन स्थिति में हम सब अपने अपने स्थानों में जा कर देश की सुरक्षा के काम में लग जावें। नहीं तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ कर हमें यहां पर छोटे-मोटे कानून पास करने होते हैं उसके लिये आना पड़ता है उसका झंझट नहीं रहे। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे पॉवर्स कानून बनाने के केन्द्रीय सरकार को दे दिये जावें इस प्रकार का संकल्प लाया जावे हाउस उसको पास करेगा। केवल सेनिटरी इन्स्पेक्टरों के अधिकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को देना मैं समझता हूं सेनिटरी पोइन्ट ऑफ व्यू से आपने कोई कानून नहीं लगाया और जिससे यहां पर बहुत गंदगी फैली, राजस्थान के हैल्थ मिनिस्टर को इस गंदगी को मिटाने के लिये सेन्टर ने यह जरूरी समझा कि इस प्रकार का कानून बनाया जावे....

श्री दामोदरलाल व्यास (चिकित्सा मंत्री) आपके बच्चे नहीं हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे बच्चे हैं। आपने जो अधिकार दिया है उसको रेगूलेट करने का यह तो पास होगा ही क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने जो आदेश दिये हैं उसका विरोध नहीं होगा और संकटकालीन स्थिति में उसका उल्लंघन करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

संकटकालीन स्थिति में केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन आप कर नहीं सकते, पर मैंने जो दृष्टिकोण रखा है उस पर विचार करके कोई संकल्प लायें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह संकल्प तो पारित करना ही है, यह संकल्प पारित हो पर सरकार अच्छी तरह से विचार करे और ऐसा प्रस्ताव सदन में पेश कर दे कि जिससे सारे लेजिस्लेटिव पॉवर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रान्सफर कर दिये जायं ताकि हम लोग संकटकालीन स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कन्स्ट्रक्टिव वर्क कर सकें। इसलिये मैंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : यह असेम्बली बोरिये बिस्तर बांध कर रवाना हो जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ऐतराज है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत अच्छा सुझाव है आपका । खूब !

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि राजस्थान पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स (टेक्सेशन अमेंडिंग एण्ड वेलिडेटिंग) बिल १९६४ हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो हाई कोर्ट में उसकी क्या व्यवस्था रही, यह नहीं बताया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में चली गई ।

श्री परसराम मदेरणा : तो हाई कोर्ट ने इसे वेलिड करार दिया है, सुप्रीम कोर्ट में इन्टरप्रिटेशन्स का सवाल आता है, इन्टरप्रिटेशन्स अलग अलग होते हैं । तो यह कहना कि हाथ खड़े करा कर कानून मखौल में पास करा लेते हैं, यह उचित नहीं है । हाई कोर्ट ने इसे वेलिड माना है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाइयेस्ट ऑथेरिटी जो जजमेंट देती है उसी से सर्टिफिकेट मिलता है आपको । आपने सुप्रीम कोर्ट में हाउस की इन्सल्ट करा दी ।

श्री परसराम मदेरणा : हाईकोर्ट ने उसे वेलिड माना है, इसलिये राजस्थान सरकार आंख मींच कर काम करती है, यह कहना उचित नहीं है । सुप्रीम कोर्ट में तो लॉ का इन्टरप्रिटेशन होता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : गलतियां सबसे होती हैं ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप गलतियां ही करते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी असेम्बली को १५ वर्ष होने आये हैं, आज तक कितने कानून गलत साबित हुए हैं, कितने नहीं । इस छोटे से रिजोल्यूशन को लेकर के जो असेम्बली को उल्टा करके लटकाने का सुझाव आपने रखा है, आप बड़े बुद्धिमान हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव है आपका, आप विद्वान हैं, आपकी बुद्धि की मोटाई से यह पेश किया गया है, सारा सदन इस पर विचार कर ले ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, सेनिटरी इन्सपेक्टर्स के सम्बन्ध में कानून बनाने का पॉवर सेंट्रल गवर्नमेन्ट को देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा संकल्प लाया गया है । इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । सैनिटरी इन्सपेक्टर्स हैल्थ डिपार्टमेन्ट में और कई जगह काम करते हैं, फूड एडल्टरेशन एक्ट के तहत काम करते हैं, या सबको यूनिफार्मिटी लाना चाहते हैं या केवल हैल्थ डिपार्टमेन्ट में ही लाना चाहते हैं ? सभापति महोदय, आज राजस्थान में सैनिटरी इन्सपेक्टर्स जो ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, वह स्वच्छता के सम्बन्ध में ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, उनको फूड एडल्टरेशन एक्ट के तहत काम करने को भी लगा रखा है । दूध के स्टेन्डर्ड की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग स्टेन्डर्ड हैं, बीकानेर में अलग, नागौर में कुछ और, जोधपुर में कुछ और, अजमेर में, जयपुर में,

(श्री अब्दुलजब्बार)
चित्तौड़ में कुछ और प्रतापगढ़ में कुछ और मिकदार मिलेगी । ऐसी दशा में कानून बनाने का सवाल आता है तो एक स्टेन्डर्ड कायम करना चाहिये । गाय, भैंस, बकरी ऊंटनी इन सबके दूध में फैट अलग अलग होती है, दूध का स्टेन्डर्ड एक होना चाहिये । जो गांवों के किसान शहरी लोगों के लिये दूध लाते हैं, उनका एक स्टेन्डर्ड कायम करें।

आज मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहूंगा, मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि केवल सैनिटरी इन्स्पैक्टर्स के सवाल को लेकर यह संकल्प रखा जा रहा है या सभी को लेकर ? मलेरिया इन्स्पैक्टर को एक महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वह सेनिटरी इन्स्पैक्टर को ६ महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ती है फिर भी सेनिटरी इन्स्पैक्टर्स को पे कम मिलती है और मलेरिया इन्स्पैक्टर्स को ज्यादा पे मिलती है ।

मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय इसका अवश्य स्पष्टीकरण देंगे कि मलेरिया इन्स्पैक्टर और हैल्थ इन्स्पैक्टर की तनख्वाह में क्या फरक है और यह फरक क्यों है ?

फूड में एडल्टरेशन का सवाल आता है तो फूड एडल्टरेशन के तहत सैनिटरी इन्स्पैक्टर्स काम करते हैं पर राजस्थान सरकार ने राजस्थान वाइड या डिस्ट्रिक्ट वाइड कोई कोशिश नहीं की कि लैबोरेटरीज कायम की जायं । साधारणतया मिर्ची में गेरू, हल्दी में पीली मिट्टी, धनिये में आरा मशीन चला कर लकड़ी का बुरादा मिलाया जाता है, इसको रोकने के लिये राज्य सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है । सैनिटरी इन्स्पैक्टर्स को फूड इन्स्पैक्टर्स के तौर पर लगा रखा है पर कोई काम नहीं किया है । मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सेनिटरी इन्स्पैक्टर्स के लिये कानून बनाने के सम्बन्ध में सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट की शेल्टर सीक कर रही है तो यह देखें कि कितने प्रोविन्सेज में ऐसा किया गया है ।

मिल्क में और दूसरी चीजों में इन्फैक्शन होता है, इससे लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं, इनमें किस प्रकार इन्फैक्शन होता है इसको राज्य की ओर से किसी प्रकार की जांच नहीं की जाती है । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

मैं उम्मीद करता हूं कि यह रिजोल्यूशन सरकार ला रही है, सेंटर को अधिकार दे रही है कि हमारे लिये कानून बनाये तो मैं चाहता हूं कि आयन्दा भी सेंट्रल गवर्नमेन्ट को यह कहने का मौका नहीं आये कि इस प्रकार का कानून बनायें ।

श्री दामोदरलाल व्यास (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : सभापति महोदय, इस संकल्प की मंशा समझने के बारे में और किसी ने गलती की या नहीं की हो पर जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरा समझा है, यह मैं जानता हूं । जो बातें उन्होंने कहीं, वक्त भी चूंकि काफी है और समय भी पूरा करना है तो जैसा कि वे चाहते थे गवर्नमेन्ट को कन्डेम करना, पर उन्होंने शायद गवर्नमेन्ट को कन्डेम करने के लिये गलती से या सही तरीके से अपने को कन्डेम कर दिया है ।

उन्होंने तो एक सुझाव दिया जिसका जवाब माननीय श्री नाथूराम जी ने दिया । उन्होंने सुझाव दिया कि जितनी लेजिस्लेटिव पॉवर्स हैं इस विधान सभा की वह सब के सब ट्रांस्फर की जाय केन्द्रीय सरकार को ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)
उसका मतलब यह निकलता है कि उससे शायद वह सहमत हैं लेकिन उनके इरादे कुछ और हो सकते हैं। यह सूझ बूझ उनके दिमाग को हो सकती है। अच्छा होगा यदि इस प्रकार का प्रस्ताव आप सदन में लाएं; फिर देखिये कि उसको कितना सपोर्ट मिलता है, फिर देखिए कि उसका एप्रीसिएशन कितना होता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जितने कानून बने हैं वे कहीं सुप्रीम कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट से अल्ट्रा वायर्स होते हैं। यह गलत है। राजस्थान विधान सभा १६५२ से बनी है। यह राज्य विभिन्न, रियासतों से बना था जिनमें कोई कोडीफाइड लॉज नहीं थे और इस विधान सभा ने कई कानून बनाए जिसके लिये हम सबको गर्व होना चाहिए। हम सबने मिलकर अच्छे पैमाने पर लॉज बनाए। यह हो सकता है एक-आध कानून या एक-आध सेक्शन सुप्रीम कोर्ट से अल्ट्रावायर्स हो गया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने सारे कानून नहीं कहा। लेकिन लैंड रिफार्म्स एक्ट या जागीर रिजम्प्शन अल्ट्रावायर्स हो गए।

श्री दामोदरलाल व्यास : यहां ही नहीं, पार्लियामेंट के कुछ कानूनों से भी ऐसा हुआ है, यह कोई गलत नहीं है। कोर्ट्स अपनी तरफ से इन्टरप्रेट करती हैं और हमें उनको रेस्पेक्ट करना पडता है और फिर अमेंड करना पड़ता है, वैलिडेट करना पड़ता है, ऑर्डिनेन्स करते हैं या एक्ट बनाते हैं। दुनियां के पार्लियामेंट्स और लेजिस्लेचर्स ऐसा करते हैं इसलिये आपने किसी अखबार में पढ़ा हो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिये सारा कानून हमारा अल्ट्रावायर्स हो गया, वह खुद भी जानते हैं कि यह बात नहीं है। खैर उन्होंने सुझाव दिया है, वह खुद भी जानते हैं कि इम्प्लीमेंट होने वाला नहीं है और न वह खुद भी लाने वाले हैं। फिर भी मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगले अधिवेशन में वह सदन में रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि आप विश्वास दें सपोर्ट का।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस सदन का हरेक माननीय सदस्य कानून बनाने में योग्य है, आपकी तरह दिमाग नहीं रखते कि सभी अयोग्य हैं इस संकल्प में दर असल कुछ नहीं है। केवल इतनी सी बात है कि सैनीटरी इन्सपेक्टर्स की ट्रेनिंग, उनका इग्जामिनेशन, उनका स्लेबस, उनके करीक्यूलम सब सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए देश भर में उसके लिए पार्लियामेंट से यह बात हो जाय और कोई बात नहीं है। जैसे नीम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने फूड एडल्ट्रेशन की बातें कहीं, उनसे इसका कोई संबंध नहीं है। तो इस पर बहस की आवश्यकता नहीं थी मगर बहस हो गई, अच्छा हुआ। मैं अर्ज करूंगा कि इस प्रस्ताव को पारित किया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि इसे पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

Page No 98

(३.५४ म. प.)

राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन विधेयक, १९६४

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री विधि): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

अ. (१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर),
(२) श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा),
(३) श्री चोसरसिंह बाबेल (बेंगू):–

राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४ को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

(१) श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल),
(२) श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर),
(३) श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल),
(४) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद),
(५) श्री मान्धातासिंह (महुआ),
(६) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रार्यासहनगर),

आ. "राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन सात दिन में / तीन दिन के अन्दर / तीन माह में/आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में/ एक माह के अन्दर अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)]

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : हम आपके भाषण सुनने को तैयार हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप कहें तो नहीं बोलूं। श्री परसरामजी जवाब देने के लिये तैयार हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आज अदालत में केस नहीं था क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं विधान सभा को ज्यादा इज्जत देता हूं। आपकी तरह असेम्बली से भाग नहीं जाता हूं। सभापति महोदय, राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४ जो पेश किया गया है, उसमें मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है कि इसे जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

(३.५५ म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

मैंने मुख्य रूप से इस भावना से रखा है, वैसे तो यह विधेयक, १९६४ से पेंडिंग है, ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिये नहीं है, किसी टैक्स को वेलिडेट करने के लिये नहीं है, कोई एमर्जेंट नेचर का नहीं है, मैंने सिर्फ इसलिये रखा है कि हमारे राज्य में सिविल कोर्ट्स के सिलसिले में, उनके जुरिस्डिक्शन के सिलसिले में, उनके पावर्स के सिलसिले में, सिविल जजेज और मुन्सिफ्स की तनख्वाहों के सिलसिले में, उनकी पे-स्केल्स के सिलसिले में, एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी के सिलसिले में, केसेज के अर्ली डिस्पोजल के सिलसिले में, सिविल कोर्ट्स का फंक्शनिंग किस प्रकार स्मूथ हो, इन सारे विषयों पर राज्य सरकार कॉम्प्रीहेन्सिवली विचार करके, लॉ कमीशन की

Page No 99

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सिफारिशों के आधार पर एक कॉम्प्रीहेन्सिव लेजिस्लेशन ऐसा लाए इस सदन में जिसके आधार पर जो लॉ कमीशन ने सिफारिशें की हैं और जिन सिफारिशों को इन पार्ट राजस्थान सरकार इम्प्लीमेन्ट करना चाहती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ कमीशन की सिफारिशें हुए काफी दिन हो गए, उनको अभी तक इम्प्लीमेन्ट करना चाहिए था, यह कानून पहले आना चाहिए था। इस कानून को जो आपने इतने दिन पारित नहीं किया इसमें थोड़ी देरी और इसलिए करनी चाहिए जिससे कॉम्प्रीहेन्सिवली लॉ कमीशन के सिफारिशों के आधार पर सिविल कोर्ट्स की सारी समस्याओं पर अंतिम रूप से सदन तय करता। प्रतिदिन कई मामले हमें सुनने को मिलते हैं। मेरी शिकायत है कि लॉ कमीशन की सारी सिफारिशों को राज्य सरकार ने अभी सही ढंग से, पूरी तरह से इम्प्लीमेन्ट नहीं किया है जो करना चाहिए था।

हमारे राज्य में एक कमेटी बनी थी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के सैपरेशन के बारे में; बापना समिति ने सिफारिशें की थी, लेकिन अभी तक पूरा सैपरेशन नहीं हुआ। १६६१ में जिस समय लॉ मिनिस्टर शायद श्री राम किशोर व्यास थे, आश्वासन दिया था कि साल भर में सैपरेशन हो जायगा और अब १९६५ जा रहा है लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इसका वार एफर्ट पर खराब असर नहीं पड़ता, मोराल पर बुरा असर नहीं पड़ता बल्कि जनता का मोराल बनाए रखने के लिए और भी ज्यादा जरूरत इस बात की है कि जनता में कोर्ट्स के प्रति ज्यादा विश्वास हो। जुडीशियरी हमारे संविधान के अंदर बहुत बड़ा अंग है, इसके बारे में अनेक बातें सुनने को मिलती हैं अनेक प्रकार की शिकायतें आती हैं। चाहे राज्य की जुडीशियरी ने अनेक प्रकार के काम किए हैं लेकिन उसके साथ साथ जहां जुडीशीयरी की डिग्निटी को अपहोल्ड करना चाहते हैं वहां उसके लिए आवश्यक है कि जुडीशियरी के संबंध में जो छोटी-मोटी शिकायतें हमारे सामने आती हैं उनको दूर करके राजस्थान की जुडीशियरी का स्ट्रक्चर इस प्रकार बनाया जाय कि छोटी मोटी शिकायत हमारे सामने नहीं आए।

(४. म० प०)

मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि कोई इस प्रकार का स्टेन्डिंग कमीशन, कोई हाई पॉवर कमेटी बना कर रखें जो राजस्थान के सारे जुडिशियल स्ट्रक्चर के बारे में जो भी कम्प्लेन्ट्स आती हैं उन पर विचार करके रफा-दफा की जांय। उदाहरण के तौर पर, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की हाई कोर्ट में रिट पिटीशन्स पेन्डिंग हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ पेन्डिंग हैं, जजेज के खिलाफ पेन्डिंग हैं। हाई कोर्ट में ये मामले चलते हैं। इन पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेटिव जज के खिलाफ, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ यह होते हैं तो यह परिस्थिति कोई अच्छी नहीं है। मैं समझता हूं सरकार को ये सारे मामले रेक्टीफाई करना चाहिये। चाहे आर्बिट्रेशन से करायें, चाहे और किसी तरीके से करायें लेकिन रिट पिटीशन्स को रफा-दफा कराना चाहिये। रिट पिटीशन्स उनके खिलाफ दाखिल की जाएं यह कोई अच्छी चीज नहीं है। आठ-दस रिट पिटीशन्स हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ पेन्डिंग हैं। उससे जो एटमोस्फीयर बनता है वह हमारे लिये

Page No 100

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कन्जीनियल नहीं कहा जा सकता है। जुडिशियरी की जो हालत है, जिस प्रकार से इसका फन्क्शनिंग है उस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये, इस प्रकार की परिस्थितियां उपस्थित न हों। हाई कोर्ट की सुप्रीम ऑथोरिटी चीफ जस्टिस है और उनके खिलाफ रिट पिटीशन्स पेन्डिंग हैं और यहां तक कि उनके खिलाफ कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की रिट पिटीशन्स आती हैं, यह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। राजस्थान में सारी जगह जहां भी जुडिशियरी फन्क्शन कर रही है वहां पर उसमें लूपहोल्स हो जाती हैं तो उनको प्लग कर सकते हैं। संकटकाल में घुसपैठियों के खिलाफ आगे जाकर जिस प्रकार कार्यवाही कर रहे हैं और उनको पोइन्ट प्लग कर रहे हैं इसी प्रकार जो दोष हमारे इसमें आ गये हैं, सारी जुडिशियरी के फन्क्शन्स में वह स्थिति पैदा न हो उस स्थिति का किसी प्रकार निराकरण करना चाहिये। राज्य सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और कोई फॉर्मुला, कोई रास्ता निकालना चाहिये जिससे हाई कोर्ट में जाने की नौबत न आवे। पंच फैसला हो सकता है, और कोई रास्ता हो सकता है इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट्स से राय लें। यह स्थिति जो है वह अच्छी नहीं है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं आप सारी जुडिशियरी के बारे में विचार करेंगे।

एक दूसरी बात इस सिलसिले में कहना चाहूंगा। लॉ कमीशन ने रिकमन्डेशन की है कि दस हजार के प्रस्ताव लेने चाहिए, आपने ५ हजार की लिमिट रखी है। राज्य सरकार के पास अधिकार रखा है और एक्स्पीरियेन्स्ड को ही देते हैं। लॉ कमीशन की रिकमन्डेशन में यह है या नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उसको आए बहुत अर्सा हो गया है। छोटे-छोटे मामले होते हैं, पांच हजार की लिमिट रखने पर विचार करना चाहिये, आज की कन्डीशन्स में जिससे लोगों को ज्यादा राहत मिल सके। पांच हजार के पॉवर्स दे रहे हैं, दस हजार के पावर्स दीजिये। आज लिटिगेशन्स बढ़ रहे हैं। छोटे-छोटे गांवों में पांच-पांच हजार के साधारण मामले माने जाते हैं। उन छोटे छोटे मामलों के लिये जयपुर में आना पड़े जुरिस्डिक्शन होने से यह कोई अच्छा नहीं है इसलिये राज्य सरकार विचार करेगी।

लॉ कमीशन ने इसी प्रकार कई रिकमन्डेशन्स की हैं उन पर किसी प्रकार विचार करके, इम्प्लीमेन्ट कर सकते हैं उनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेन्ट करना चाहिये और सारी व्यवस्था का सुधार होना चाहिये।

मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि जुडिशियरी में काम करने वालों को ईमानदार और इम्पार्शियल रखना चाहते हैं आज के महंगाई के जमाने में उनको जो पे स्केल्स हैं वे इतनी कम हैं अच्छे लोगों को जुडिशियरी की तरफ अट्रेक्ट नहीं करती। आर० ए० एस० और आई० ए० एस० में वे बैठना चाहते हैं और आर० जे० एस० में नहीं आते हैं। आर० ए० एस० में १८००) तक होती है, आर० जे० एस० में उतनी नहीं है। इसमें कैलिबर के लोग आ सकें इसके लिए आवश्यक है कि जुडिशियरी में काम करने वाले मुन्सिफ से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज, चाहे स्मॉल कॉज कोर्ट जज हो, सीनियर जज हो, एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, मजिस्ट्रेट हो, सेशन्स जज हो, जितने जुडिशियरी के लोग हैं उनके वेतन में इतनी असमानता न हो। उनमें और हाई कोर्ट के जज की तनख्वाहों

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में भी बड़ा फर्क है । जहां इनको हायर से हायर १२००) मिलता है वहां हाई कोर्ट के जजेज को ३ हजार रुपया मिलता है । जहां यह एक सीढ़ी चढ़ते हैं वहां वे तीन सीढ़ी चढ़ते हैं । मैं यह नहीं कहता कि उनकी तनख्वाह कम करें । सब प्रकार के एट्रेक्शन से बचाने के लिये इन्डिपेन्डेन्ट सेटिंग देना चाहिये । राज्य सरकार को इन पे स्केल के बारे में विचार करना चाहिये और हिन्दुस्तान के बाकी हिस्सों में इन सर्विसेज के क्या पे स्केल्स हैं उनको देखकर उनको भी कम से कम उतना वेतन देना चाहिये जिससे इम्पार्शियली यह काम कर सकें और ज्यादा महनत से कर सकें । इन मुद्दों पर राज्य सरकार विचार करेगी और भविष्य में कोई कानून इन मुद्दों पर पेश करेगी । इन शब्दों के साथ इसको पारित करने में भी कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह ।

श्री विजयसिंह : मैं नहीं बोलना चाहता ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गंगासिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदया, जो राजस्थान सिविल कोर्टस (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६४ जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने के बाबत प्रस्तुत हुआ है सरकार की ओर से उसमें मैंने एक संशोधन यही रखा है कि तीन दिन के लिये ही सिर्फ इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय ।

सभापति महोदया, राज्य सरकार की ओर से यह बिल लॉ कमीशन की रिकमन्डेशन्स की दृष्टि से रखा गया है वह स्वागत योग्य है । सिवल कोर्टस, मुन्सिफी की जुरिस्डिक्शन बहुत पहले निर्धारित किया था, अब इस समय प्राइस लेवल बहुत बढ़ गयी है इसमें परिवर्तन की बड़ी आवश्यकता है । मुन्सिफ को पांच हजार और सिविल जज को अन-लिमिटेड अगर हाई कोर्ट की राय हो तो मुन्सिफ को दस हजार तक कर सकते हैं, यह अधिकार रखा है । प्राइस लेवल को देखते हुए यह काफी न्याय संगत था । यह तो पहले ही आ जाना चाहिए था । लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर यह बिल लाया गया है, यह उचित है, इससे बहुत से लोगों का खर्चा बचेगा। और बहुत से मामलों में स्थानीय जगहों को देखते हुए मुन्सिफ और सिविल जज के जुरिस्डिक्शन के कारण बहुत लोगों को दूर जाना पड़ता था अब उनका इससे जो खर्चा होता था वह बचेगा । सभापति महोदया, सिविल जज का जुरिस्डिक्शन तो बढ़ गया है लेकिन राज्य सरकार के नोटिफिकेशन के जरिये दस हजार की लिमिट रखी गयी है उसकी सोचने की जरूरत है । दस साल से जो मुन्सिफ काम कर रहा है उसके लिये वैसे ही कानून में अधिकार रख दिये जांय और राज्य सरकार को ही यह अधिकार देना कहां तक उपयुक्त है, यह राज्य सरकार का स्पष्टीकरण इसमें चाहूंगा ।

सभापति महोदया, दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब जुरिस्डिक्शन इनको बढा दी गई है लेकिन राजस्थान में मुन्सिफ व सिविल जजेज के जो आज ग्रेड्स हैं वे दूसरी स्टेट्स से बहुत नीचे हैं जैसे बिहार में साढे ग्यारह सौ का ग्रेड है; गुजरात में ९५० का ग्रेड है । यहां राजस्थान

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

में सिविल जजेज, मुन्सिफ्स, जूनियर सिविल जजेज आदि के ग्रेड्स हैं वे दूसरी स्टेट्स से बहुत कम हैं। राजस्थान में सिविल जजेज और मुन्सिफ्स के एक ही ग्रेड हैं, इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। यहां इनके ग्रेड अलग नहीं हैं। आज जब कि इस कानून द्वारा सिविल जज को अनलिमिटेड जूरिस्डिक्शन दी जा रही है, मुन्सिफ का जूरिस्डिक्शन बढ़ाया जा रहा है वैसी हालत में राज्य सरकार को इनके ग्रेड्स रिवाइज करने के बारे में सोचना जरूरी है। दूसरी स्टेट्स में मुन्सिफ के और सिविल जजेज के अलग अलग ग्रेड्स हैं, इस पर राज्य सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। काम बढ़ जायगा, महत्वपूर्ण विषयों पर उनको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्राइस लेविल भी बढ़ चुका है, दूसरी स्टेट्स के हाई ग्रेड्स हैं इसलिये राज्य सरकार को इनके ग्रेड्स रिवाइज करने की बात सोचना चाहिये। बाकी इसमें कोई कम्प्लीकेटेड क्वेश्चन नहीं हैं इसलिये इस पर ज्यादा सोचना आवश्यक नहीं। एक मुद्दा जरूर है वह यह है कि राज्य सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने की आवश्यकता नहीं है, इस बारे में, राज्य सरकार का स्पष्टीकरण चाहूंगा।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार और भी मुद्दे आना आवश्यक है और कई मुद्दे ऐसे हैं जिनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है, इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को तीन दिन के लिये सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्रीमती सभा सभानेत्री : श्री गोकुलप्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री ज्वालाप्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री मानधाता सिंह।

श्री मानधातासिंह (महुवा) : सभापति महोदया, सरकार द्वारा सिविल कोर्टस् (अमेण्डमेन्ट) बिल प्रस्तुत किया गया है उसका उद्देश्य यह है कि सिविल जजेज और मुन्सिफ्स का जुरिस्डिक्शन बढ़ाया गया है। सिविल जजेज का अन-लिमिटेड किया गया है और मुन्सिफ्स का पांच हजार तक का जुरिस्डिक्शन किया गया है। मुन्सिफ्स जिनको गवर्नमेन्ट रिकमण्ड करे उनका पांच हजार से भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, वह दस हजार किया जा सकता है; यह इस बिल का उद्देश्य है। इस बिल के उद्देश्य और कारण जो बताये गये हैं उनमें यह कहा गया है कि लॉ कमीशन की १४वीं रिपोर्ट के चेप्टर १२ की जो रिकमण्डेशन है उसी प्रकार सबोर्डिनेट जजेज की जुरिस्डिक्शन बढ़ायी जावे। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ कमीशन की कई रिकमन्डेशन्स हैं उनमें से एक यह भी है कि हर स्टेट के अन्दर हाई कोर्ट के जजेज की जो संख्या निर्धारित है उसके लिये पचास प्रतिशत जजेज दूसरी स्टेट के होने चाहियें। यह रिकमन्डेशन इस वजह से की गई है कि जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्स के अधिकार दे रहे हैं। उसमें कमीशन ने यह सोचा था कि अगर जजेज उसी रियासत के रहने वाले होंगे तो उनका दृष्टिकोण इतना इन्डिपेन्डेन्ट नहीं हो सकेगा, इसलिये बाहर से लेने का रखा है। लेकिन सरकार ने यह रिकमन्डेशन को इम्प्लीमेन्ट नहीं किया।

Page No 103

(श्री मानधाता सिंह)

आज हमारे हाई कोर्ट को देखा जावे तो उसके अन्दर जो जजेज हैं उनको देख कर यह स्पष्ट विदित होता है कि हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति में, पोलीटिकल कन्सीडरेशन होता है यह सरकार के लिये शर्म की बात है। हाई कोर्ट के जजेज जो होते हैं वे हाई केलीवर के होते हैं इसलिये उनकी नियुक्ति में पोलीटिकल कन्सीडरेशन नहीं होना चाहिये ....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : हाई कोर्ट के जजेज के लिये एमीनेन्ट लॉयर्स को ही लिया जाता है।

श्री मानधातासिंह : मौजूदा हाई कोर्ट के जजेज हैं उनमें से चार-पांच ऐसे हैं जो कांग्रेस के प्रमुख सदस्य रह चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): आप इन्द्रनाथजी मोदी को भी कांग्रेस का सदस्य मानते हैं क्या ?

श्री मानधातासिंह : मैंने निवेदन किया एक-आध को छोड़कर।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : This is a reflection.

श्री मानधातासिंह : पोलिटिकल कन्सीडरेशन के आधार पर जजेज को नियुक्ति करना अनुपयुक्त है। हाई कोर्ट के जजेज के लिये सबोर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट जजेज में से लिये या एमिनेन्ट लॉयर्स में से लेना चाहिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सभी लॉयर्स हैं, एक भी बता दीजिये बगैर लॉयर के लिया गया हो।

श्री मानधातासिंह : क्या एमीनेन्ट लॉयर्स कांग्रेस के सदस्य होते हैं वे ही हो सकते हैं क्या दूसरे एमीनेन्ट वकील नहीं हैं ? जो केवल कांग्रेस के सदस्य हैं उन्हीं को लिया गया।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इन्द्रनाथ मोदी भी क्या कांग्रेस के सदस्य हैं ?

श्री मानधातासिंह : उनकी नियुक्ति का आधार पोलिटिकल कन्सीडरेशन ही था। उनका पोलिटिकल लिक्वीडेशन किया गया है और हाई कोर्ट का जज बनाया गया। एक श्री लक्ष्मीनारायण छंगाणी, वेदपाल त्यागी, चन्द्रभान भार्गव और दौलतमल भंडारी ये चार जजेज ऐसे हैं जो कांग्रेस के सदस्य थे।

इसके अलावा मेरा निवेदन यह है कि जहां सरकार ने सैपरेशन आफ जुडीशियरी की जो पालिसी अख्तियार की है वह उचित है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्ट नहीं कहा जा सकता। ब्रिटिश काल में हाई कोर्ट का जज जो होता था वह गवर्नर तक की पार्टी में नहीं जा सकता था। आज कल तो देखा जाता है हाई कोर्ट के जजेज और छोटे मोटे जजेज मिनिस्टरों से काफी मिलते जुलते हैं, बाहर जिलों के अन्दर जो जजेज नियुक्त हैं जब उन जिलों में मिनिस्टर्स दौरे पर जाते हैं तो वे लोग उनकी हाजिरी भरते हैं, जो गवर्नमेन्ट के सर्कुलर हैं उनके विपरीत है। गवर्नमेन्ट के इस प्रकार के सर्कुलर्स हैं कि कलैक्टर या एस. डी. ओज तब तक नहीं जावें जब तक उनके पास उनका टूर प्रोग्राम नहीं आवें या आफिशियल विजिट पर नहीं आवे। आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स मिनिस्टर्स की हाजरी भरें इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं लेकिन जुडिशियरी के लोग हाजरी भरते हैं, यह देखकर अफसोस

(श्री मानधाता सिंह)

होता है। जुडिशियरी के सुप्रीम आफिसर्स हाई कोर्ट के जजेज होते हैं वे इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं तो यह बड़े शर्म की बात है।

अभी कुछ महीनों पहले मैं करोली दौरे पर गया हुआ था, मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि वहां डी. आई. जी. आये हुए थे उनसे मिलने के लिये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट गये। कोई जरूरत नहीं थी उनको पुलिस अफसरों से मिलने की। मुन्सिफ के सामने पुलिस फरीक है। गवर्नमेन्ट की ऐसी हिदायतें हैं कि हाइएस्ट पुलिस आफिसर्स भी आवें कलेक्टर्स और एस. डी. ओ. को काल करना चाहिये। गवर्नमेन्ट को यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिये कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसरों की तरह जुडिशियल अधिकारी भी उनसे मिलने जावें। सरकार की इन इन्सट्रक्शन्स के विपरीत इस तरह करते हैं। यह बात एडमिनिस्ट्रेशन और जुडीशियरी दोनो के लिए अच्छी नहीं हैं। खास तौर से जुडीशियरी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और पुलिस अफसरों से सम्पर्क करे या रखे। उनका काम केवल अदालतों में फैसला करने का है। मेरा मतलब कहने का यह है कि जो इन्डिपेन्डेन्ट स्थिति जुडीशियरी की पहले थी, वह अब नहीं रही।

इसका कारण क्या है? यह मैंने निवेदन किया है; फिर निवेदन कर दूं कि जुडीशियरी के प्रोमोशन्स और पोस्टिंग्स वगैरह किसी हद तक गवर्नमेन्ट पर निर्भर हैं। इस लिये हर जज यह चाहता है कि उसका पोस्टिंग और प्रोमोशन ठीक तरह से हो जावे। इस कारण किसी हद तक वह एडमिनिस्ट्रेशन को खुशामद करने के लिये मजबूर होता है, इसलिये अगर इस जुडिशियरी को स्वतन्त्र रखना है तो यह चीज बन्द होनी चाहिये।

साथ ही अभी जुडिशियरी के सेपरेशन के साथ कुछ आर. ए. एस. अफसरों को मुंसिफ मजिस्ट्रेट और जज अपोइन्ट किया है। उनका तरीका जुडीशियरी के तरीके से भिन्न है, क्योंकि उनसे प्रधान वगैरह के नीचे भी काम कराया जाता है और पंचायत समितियों में उल्टी सीधी बातें होती है और इससे वे आर. ए. एस. वाले कई नाजायज कार्यवाही भी करने के लिये मजबूर हो जाते हैं। मेरा यह निवेदन है कि आर.ए.एस. के अफसरों को जुडिशियरीऐं नहीं लाना चाहिये।

हाल ही में जयपुर में एक इन्सीडेन्ट हुआ। उसके बारे में पेपरों में भी समाचार आये। आम तौर से राजदूतों की डिप्लोमैटिक सुविधाएं हैं। सिविल कोर्टस के वे जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। अगर वे कोई ऐसा काम करते हैं जो काम इन कोर्टस के जूरिस्डिक्शन का हुआ तो भी इसके लिये जो उनके देश को लिखा जाता है। लेकिन यदि वह राजदूत किसी कोर्ट में स्वयं आगे होकर जाता है और वहां की कार्यवाही में दखल देता है तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी राजदूत की सुविधाओं का दुरुपयोग करता है। उस सूरत में कोर्ट कार्यवाही कर सकती है। चूंकि उसने अदालत की प्रोसीडिंग्स में इन्टरप्ट किया इसलिए प्रीसाइडिंग अफसर ने कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट की जो कार्यवाही की वह मुनासिब थी और मैं समझता हूं कि सरकार इस कार्यवाही की ताईद करेगी।

एक बात यह भी देखी जाती है कि हाई कोर्ट के जो जजमेन्ट होते हैं उनको यह सरकार

(श्री मानधातासिंह)

परवाह नहीं करती । हाई कोर्ट यदि किसी कानन में नुक्स बताती है तो सरकार उसको मानने के बदले में ऑर्डिनेन्स जारी करके को हुई कार्यवाही को वेलीडेट करने की कोशिश करती है। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक केस था हाई कोर्ट में जिसमें छ जागीरदारों के कम्पेन्सेशन देने में जो विलम्ब हुआ उसके लिये हाईकोर्ट ने उनको उस पीरियड का ब्याज देने का आदेश दिया। यह रूलिंग था। पर सरकार उस जजमेंट को केवल जजमेन्ट इन पर्सोनम मान कर जजमेंट इन रेम नहीं मानती। जनरल नेचर का ले लेती है। तो सरकार को हाई कोर्ट के जजमेन्ट को, सिविल कोर्ट के फैसलों की रेस्पेक्ट करनी चाहिये और जिस भावना से जजमेन्ट दिये जाते हैं उसे मानना चाहिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: आपका मानना है कि सरकार मानती नहीं है।

श्री मानधातासिंह: वह जजमेंट इन पर्सोनम मानती है। लेकिन मौजूदा सरकार का जो रवैय्या है उससे साफ है कि वह जूडीशियरी को दबाती है। इस हालत में यह एक अहम सवाल है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

श्रीमती सभानेत्री: श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): दो मिनट में बोल लेता हूं।

श्रीमती सभानेत्री: आप पहले इन्कार कर चुके थे।

श्री विजयसिंह झाला: बहुत थोड़ासा निवेदन कर दूं। यों इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। पर इस बिल को जिस आधार पर लाया गया है उस लॉ कमीशन की दूसरी भी रिपोर्ट थी जिसको आज दिन तक कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया है। इसलिये मैं डिप्टी मिनिस्टर से यह जानना चाहूंगा कि किस अवधि तक सारी रिपोर्ट को कार्यरूप में परिणत कर दिया जावेगा। क्योंकि जहां तक जूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन का सवाल है, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां आपने सेपरेट कर रखा है वहां भी यह अधूरा है। बल्कि सेपरेशन के नाम पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट की पॉवर छीनी ही है। आई. पी. सी. में जो पॉवर मुंसिफ मजिस्ट्रेट को दे रखी है वे सेपरेशन के नाम पर बहुत सीमा तक छीन गये हैं। बल्कि एक्सीडेन्ट के सारे केस मुंसिफ मजिस्ट्रेट से ले लिये गये। ये केस अब उनके पास नहीं जाते। यह सेपरेशन के सिद्धान्त के विपरीत काम है। इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसके आधार पर किस सीमा तक आप सेपरेशन करना चाहते हैं ?

सभापति महोदया, दूसरा जो महत्वपूर्ण पाइन्ट है वह है मुंसिफ मजिस्ट्रेट और सिविल जज की तनख्वाह का। मैं समझता हूं, सारे देश में भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो इनकी तनख्वाह हैं उनमें सबसे कम तनख्वाह राजस्थान में है। जैसे मैं बताऊं बिहार में ३००) से स्टार्ट होती है और ६५०) तक जाती है। गुजरात में ६७५) है।

महाराष्ट्र में एक हजार तक की तनख्वाह है। यू. पी. में एक हजार की तनख्वाह है जब कि राजस्थान में २५० से स्टार्ट करते हैं और ८००) तक ही जाकर रु जाती है। तो इतनी कम तनख्वाह देकर आप उम्मीद करते हैं

Page No 106

(श्री विजयसिंह झाला)

कि वे सही रूप से काम करें। जहां आर. ए. एस. अफसरों का सवाल है उनकी तनख्वाह भी अच्छी है इनसे, और एक्स्ट्रा फॅसिलिटीज भी दी जाती हैं। बैठने को मोटर, टी.ए. और डी.ए. सब ही मिलता है। इस प्रकार की फॅसीलिटी आर. जे. एस. अफसरों को नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जो एक न्याय की पवित्र संस्था है, जहां से निष्पक्ष न्याय की आशा और मांग करते हैं, उन को सबसे कम तनख्वाह यह बडी लज्जा का विषय है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी तनख्वाह और फॅसिलिटीज वे बढावें। दूसरा पोइन्ट यह है कि आज राजस्थान में सबसे कम व्यक्ति आर. जे. एस. में आते हैं। २५ प्रतिशत। इसका मुख्य कारण यह है कि जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग हैं अधिकांश पंजाबी, उन्होंने बैठा रक्खे हैं। एक आहूजा के कथनानुसार राजस्थान के लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसलिये वे नहीं आते।

क्या राजस्थान के अन्दर लॉ की जानकारी रखने वाले लोगों की कमी है? लेकिन कुछ कारण हैं और वह यह कि हिन्दी भाषा जो कम्पलसरी होनी चाहिए वह आज दिन तक आर. जे. एस. ऑफिसर्स के लिए कम्पलसरी नहीं की गई है। हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है, वहां आर. जे. एस. के लिए जो एग्जामिनेशन्स होते हैं उसके अन्दर हिन्दी भाषा को कम्पलसरी नहीं किया है। यही वजह है कि सबसे कम लोग राजस्थान के अन्दर आर. जे. एस. के अन्दर जा पाते हैं और जो गये भी हैं वह या तो किसी मिनिस्टर के पी. ए. होंगे। इस साल के अन्दर रिजल्ट निकला है और जो आर. जे. एस. में गये हैं वे किसी की सिफारिश के बिना नहीं गये होंगे, किसी मिनिस्टर के पी० ए० होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे, अगर गिनती की जाय कि आर. जे. एस. के अन्दर जो गये हैं तो मालूम होगा कि पी. ए. भी वहां गये जहां कि मिनिस्टर साहब का खास क्षेत्र था। तो आज जुडिशियरी में इस प्रकार का हस्तक्षेप करके जो न्याय देने की शाखा है उसको विकृत करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जडीशियरी में प्रशासन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। वह धीरे धीरे हम अपॉइन्टमेन्ट के जरिये करते हैं, क्योंकि कोई और खुला रास्ता नहीं है। इसी कारण वह सिफारिश के द्वारा जाकर हस्तक्षेप बढा रहे हैं। सभापति महोदया, एक बार विधान सभा में प्रश्न उठा था और उसका जबाब मुख्य मंत्रीजी ने दिया था और वह यह था कि सिविल जज जो कि आर. जे. एस. के हैं उनकी जन्म तिथि कौनसी मानते हैं। बहुत से ऑफिसर्स की जन्म तिथि तो जन्मपत्री के आधार पर मानते हैं और बहुत सों की हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की मानते हैं। जिनको रखना चाहते हैं उसको जन्मपत्री के आधार पर मान कर रख लेते हैं और जिसको निकालना होता है उनकी जन्मतिथि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर मान लेते हैं। तो मैं पर्टीक्यूलरली यह जानना चाहूंगा और मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हम सदन को जानकारी दे देंगे और ७ दिन के अन्दर जानकारी देंगे। वह आज दिन तक जानकारी नहीं आई। तो आपने क्या क्राइटेरिया अपनाया है? किस आधार पर आप जन्मतिथि मानते हैं? मैं इन्हीं तथ्यों के साथ पुनः इसके ऊपर जोर देते हुए लॉ कमीशन की और बापना कमेटी ने भी सिफारिश की है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की तनख्वाह बढानी चाहिए और लॉ कमीशन की दूसरी रिपोर्ट है उसके

Page No 107

(श्री विजयसिंह झाला)
आधार पर आप किस तारीख तक उसको करना चाहते हैं, यह बता दें।

श्रीमती सभानेत्री : उप-मंत्रीजी जबाब दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, हमने भी अमेन्डमेन्ट दिया था लेकिन वह किसी कारण से आया नहीं है, इसलिए हमें भी बोलने का मौका दिया जाये।

श्रीमती सभानेत्री : अगर अमेन्डमेन्ट नहीं आया तो स्वीकृति भी नहीं दी जा सकती।

श्री गिरधारीलाल व्यास : केवल ५ मिनट का समय दे दें।

श्रीमती सभानेत्री : आप उत्तर दें।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : सभापति महोदया, राजस्थान सिविल कोर्ट्स (अमेन्डमेन्ट) बिल के ऊपर माननीय सदस्यों ने दो-तीन बातें खास तौर से रखीं और उन्हीं मुद्दों को दुहराया। खास तौर से उन्होंने यह बात कही कि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उन रिकमन्डेशन्स को इम्प्लीमेन्ट सरकार क्यों नहीं कर रही है और जब लॉ कमीशन की रिकमन्डेशन है तो फिर जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कॉम्प्रिहेन्सिव बिल यहां सरकार को लाना चाहिए था ताकि बार बार अमेन्डमेन्ट्स लाने की आवश्यकता नहीं पड़े। सभापति महोदया, आपकी मार्फत में माननीय सदस्यों को जानकारी देना पसन्द करूंगा कि लॉ कमीशन की पूरी की पूरी रिकमन्डेशन्स पर राज्य सरकार ने गौर कर लिया है। जो लॉ कमीशन की १४वीं रिपोर्ट है जिसमें अलग अलग कानून में अमेन्डमेन्ट करने की सिफारिश है, ज्यादातर जो कहा गया है वह लेजिस्लेचर से संबंध नहीं रखता या राज्य सरकार से संबंध नहीं रखता, एक चीज। दूसरी उसमें जो संशोधन के लिए रिकमन्डेशन है वह रूल्स से संबंधित है और वह राज्य सरकार या लेजिस्लेचर का काम नहीं है, वह हाई कोर्ट के करने का है।

तीसरी रिकमन्डेशन ऐसी है कि जो राज्य सरकार तक ही सीमित है और इसलिए उनके लिए कोई बिल यहां लाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कॉम्प्रिहेन्सिव बिल का तो मैं सोच नहीं सका जैसा कि स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स का है वह हम ले आये इसलिए, सभापति महोदया, राज्य सरकार ने उस पर गौर किया है और सभी रिकमन्डेशन्स जिनको इम्प्लीमेन्ट करना चाहिए था उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया है और जो राज्य सरकार की ओर से करने की बात है उस पर मसले राज्य सरकार के कन्सीडरेशन में हैं। यहां पर यह भी कहा गया सांचोर और जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्यों ने कि राज्य सरकार ही अपने पास में नोटिफिकेशन पॉवर्स के जरिये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन को ५ हजार से १० हजार तक एक्सटेन्ड किया जा सकता है, क्यों ले रही है। यह जो भी प्रावधान किया गया है वह लॉ कमीशन की रिकमण्डेशन के ऊपर है और वह भी प्रावधान इस प्रकार का है कि हाई कोर्ट जब स्पेशल तौर पर रिकमन्ड करे और ऐसे मुन्सिफ के लिए जो कि १० साल से इस मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद पर काम कर रहा हो और जिसको बहुत बड़ा एक्सपीरियन्स हो व सिविल नेचर के सूट्स के मामलों में काफी नॉलेज हासिल कर लेता है उन्हीं के ऊपर यह पॉवर्स कन्फर की जायेंगी और उनके

(श्री परसराम मदेरण)
ऊपर यह पॉवर एक बार कन्फर हो गई तो हमेशा के लिए मानी जाएगी। यहां पर यह भी कहा गया कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन अभी तक नहीं हो रहा है वह हो जाना चाहिए। जैसा कि पहले में बता चुका हूं कि राजस्थान के १३ जिलों में जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन हो चुका है। राजस्थान के ८३ सब-डिविजन्स में से ६१ सब-डिविजन्स में सेपरेशन कर दिया है ....

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): सेपरेशन किया है लेकिन आई. पी. सी. का किया है।

श्री परसराम मदेरणा: आप बैठिये, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने ८३ सब-डिविजन्स में से ६१ सब-डिविजन्स में सेपरेशन कर दिया है, बाकी २२ सब-डिविजन्स में सेपरेशन करना है। जिस समय राज्य सरकार के सामने वापना कमेटी की रिपोर्ट और रिकमन्डेशन्स आई तो राज्य सरकार ने उन सिफारिशों के ऊपर कुछ निर्णय लिया और राज्य सरकार का यह निर्णय था कि जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के सेपरेशन को हम एक फेज प्रोग्राम में पूरा करेंगे और उसी तरह से पूरा किया जा रहा है। क्योंकि में काफी फाइनेन्सेज इन्वोल्व्ड हैं और कुछ ऑफिसर्स भी उनके पास नहीं हैं। जब एक ओर हम मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को पॉवर्स देते हैं तो जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे महुवा से आने वाले कि आर. ए. एस. ऑफिसर्स को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नहीं लगाना चाहिए। आर. ए. एस. ऑफिसर्स हमने कुछ ऐसे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट लगाए थे जिस समय इस स्कीम को लागू किया था उसके बाद में जब नये आदमी रिक्रूट हो गए पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये तो जो आर. ए. एस. ऑफिसर्स मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद पर काम कर रहे थे उनको वापिस रिवर्ट कर दिया। इसलिए उनको लगाने का प्रश्न नहीं है। हाईकोर्ट ने कुछ ऑफिसर्स को मांगा था। उनके पास इतने जजेज नहीं थे, मुनसिफ मजिस्ट्रेट नहीं थे इसलिए राज्य सरकार को कहा था कि कुछ आर. ए. एस. ऑफिसर्स को फोर दी टाइम बींग जुडिशियरी के नीचे देना चाहिए। जब पब्लिक सर्विस कमीशन से नये मुनसिफ मजिस्ट्रेट सिलेक्ट हो गए उसके बाद में हमने उनको मुनसिफ मजिस्ट्रेट लगा दिया और जो आर. ए. एस. ऑफिसर्स वर्क कर रहे थे उनको रिवर्ट कर दिया है और आज एक भी आर. ए. एस. ऑफिसर मुनसिफ मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य नहीं कर रहा है ....

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): अभी तक काम कर रहे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): न केवल आर. ए. एस. ऑफिसर्स मुनसिफ मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं बल्कि नॉन एल एल. बी. भी मुनसिफ मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर: आर. ए. एस. ऑफिसर्स एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की जगह काम कर रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा: मैं उसको अमेन्ड कर रहा हूं वह टेम्पोरेरी बेसिस पर काम कर रहे हैं और कुछ व्यक्ति उसमें से काम कर रहे हैं। १६ के आस-पास शायद काम कर रहे होंगे। जब नये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट

(श्री परसराम मदेरणा)
हो जायेंगे और ट्रेनिंग ले लेंगे तो ट्रेनिंग के बाद में आर. ए. एस. आॅफिसर्स जो कि टेंपोरेरी बेसिस पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं उनको रिप्लेस कर दिया जायगा।

सभापति महोदया, यहां पर यह भी बात कही गई कि जो जुडिशियल्स आॅफिसर्स को पे स्केल्स हैं वे दूसरे राज्यों के कम्पेरीजन में कम हैं। मैं यह मानता हूं कि यहां कोई मेरे पास कुल आंकड़े तो नहीं हैं कि दूसरे स्टेट का और राजस्थान का कम्पेरेटिव चार्ट क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि भारतवर्ष के लॉ कमीशन ने इस बात को सिफारिश की थी कि इनको पे स्केल को बढ़ाने के बारे में गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए। यह विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है और राज्य सरकार इस पर जल्दी हो कोई निर्णय ले लेगी।

श्री मानधाता सिंह : सभानेत्री महोदया, मैंने निवेदन यह किया था कि लॉ कमीशन को मुख्य रिकमण्डेशन यह है कि हाई कोर्ट के जजेज आधे बाहर के होने चाहिए। क्या सरकार इन रिकमण्डेशन्स को क्रियान्वित नहीं करेगी?

श्री परसराम मदेरणा : चेयरमैन महोदया, माननीय सदस्य ने हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति के संबंध में और जुडिशियरी के बारे में कुछ बातें कही हैं। जहां तक हाई कोर्ट के जजेज की नियुक्ति का प्रश्न है यह सेंट्रल सब्जेक्ट है राज्य सरकार का इससे कतई संबंध नहीं है। चीफ जस्टिस··

श्री मानधातासिंह : गवर्नमेंट की रिकमण्डेशन होती है।

श्री परसराम मदेरणा : चीफ जस्टिस आफ इंडिया की एडवाइज पर प्रेसीडेन्ट अपॉइन्टमेंट करते हैं। राज्य सरकार से सलाह ली जाती है लेकिन उस सलाह से वे बाउण्ड नहीं हैं। इसलिये राज्य सरकार कभी भी इनिशियेट लेकर अपने प्रपोजल नहीं भेजती है। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय होती है और राज्य सरकार की भी राय होती है। राज्य सरकार की राय से न तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रिम कोर्ट हो बाउण्ड हैं और न प्रेसीडेन्ट ही बाउन्ड हैं। इसलिये यह कहना कि राज्य सरकार ऐसे लोगों को हाई कोर्ट के जजेज के लिये रिकमण्ड करती है, मैं समझता हूं कि इसमें माननीय सदस्य को गलतफहमी है। न तो हाई कोर्ट के जजेज का अपॉइन्टमेंट राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और न ही यह राज्य सरकार के जुरिस्डिक्शन में है।

श्री मानधातासिंह : मैंने यह नहीं कहा कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के जजेज का अपॉइन्टमेंट करती है। लेकिन उनका नाम रिकमण्ड कराने में राज्य सरकार का हाथ रहता है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार की जो राय है, वह प्रपोजल है, वह रिकमण्डेशन भी नहीं कहलाता है और वह भी ओब्लीगेटरी नहीं है।

श्री विश्वंभरसिंह शाला : आप तो यह बताइए कि आप ने अब तक जितने जजेज के लिए रिकमण्ड किया उनमें से कितने परसेंट बाहर के जजेज की नियुक्ति के लिए रिकमण्ड किया?

श्री मानधातासिंह : आपने कितने नॉन-कांग्रेस लॉयर्स को अपॉइन्ट करने की राय दी?

श्री परसराम मदेरणा : अभी मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के सिलेक्शन का प्रश्न था तब भी आप कहने लगे कि राजस्थान के लोगों को

श्री विजयसिंह झाला : मैं यह नहीं कह रहा हूं। आप दूसरे का जवाब दे रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपको मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति के बारे में बता रहा हूं।

श्री विजयसिंह झाला : मैं तो यह चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बतायें कि हाई कोर्ट के जजेज के अपॉइन्टमेंट के बारे में जो राज्य सरकार राय देती है उसमें अब तक कितने परसेंट जजेज बाहर के नियुक्त करने के लिये राय दी?

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक प्रश्न यह है कि कितने व्यक्तियों को, जिनकी सिफारिश आपने की, प्रेसीडेंट ने अपॉइन्ट नहीं किया है?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ऐसे बहुत हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : नहीं हैं। एक नाम भी बता दो। जो यहां से सिफारिश जाती है उसी पर मोहर लग कर आ जाती है।

श्री परसराम मदेरणा : सभानेत्री महोदया, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद पर राजस्थान के लोगों का सिलेक्शन इसलिये नहीं हो पाता, क्योंकि पी. एस. सी. में बाहर के लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। एक ओर तो यह बात है। जब हम जुडिशियरी के बारे में यह आम धारणा लेकर चलते हैं कि जुडिशियरी इम्पार्शियल और इन्डिपेंडेंट होनी चाहिए और वह है भी। इसके लिए ऑल इण्डिया कॉम्पीटिशन रखा गया है और ऑल इण्डिया के लोग कॉम्पीटिशन में आकर बैठ सकते हैं। फिर उसमें राजस्थान के लोग भी सिलेक्ट होते हैं और दूसरे लोग भी सिलेक्ट होते हैं। यह आपका आरोप निराधार है कि किसी मिनिस्टर का पी. ए. सिलेक्ट क्यों हो गया?

श्री विजयसिंह झाला : मैं बता दूं आपको नाम?

श्री परसराम मदेरणा : पी. एस. सी. के सदस्यों के बारे में और उसके चेयरमेन के बारे में यह स्पष्ट रूप से मालूम है कि वहां किसी प्रकार की रिकमण्डेशन नहीं की जा सकती है। अगर कोई पी. ए. है, या मेरा ही पी. ए. है तो वह मुंसिफ मजिस्ट्रेट नहीं बन सकता यह नहीं हो सकता है।

श्री विजयसिंह झाला : आप तो मुझे बताइये कि राजस्थान में जितने इस वर्ष सिलेक्ड हुए हैं उनमें कितने मिनिस्टरों के रिश्तेदार हैं?

श्री परसराम मदेरणा : हर एक को कॉम्पीटीशन में बैठने का हक है और अगर वह योग्य है तो उसका सिलेक्शन हो सकता है। फिर चाहे वह किसी का पी. ए. हो या कोई एल. डी. सी. ही क्यों न हो, वह सिलेक्ट हो सकता है। अगर किसी कारणवश वह पहले एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सका हो, वह कॉम्पीटीशन में बैठने से महरूम रह गया हो तो अब चूंकि वह किसी मिनिस्टर का पी. ए. है इसलिए उसके दरवाजे बन्द कर दिये जाएं वह नहीं किये जा सकते।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर यह भी बात कही गई कि कांग्रेस के मेम्बरों को हाई कोर्ट का जज बना दिया गया। मुझे इल्म नहीं कि इनमें से कौन कांग्रेस के सदस्य थे पहले। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि जुडिशियरी के बारे में इस तरह का एक्सप्रेशन यहां सदन में किया जाता है तो यह जुडिशियरी के साथ अन्याय करते हैं। राजस्थान का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि हाई कोर्ट इम्पार्शियल है और वह जस्टिस करता है। वह इंडिपेंडेंट है। इस तरह से अगर कोई किसी पार्टी का आदमी है और वह अच्छा लॉयर है तो वह सुप्रीम कोर्ट का जज भी एपॉइन्ट हो सकता है। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की रियायत की गई है। अगर वे लीडिंग एडवोकेट हैं, अच्छे लॉयर हैं और हाई कोर्ट के जजेज अपॉइन्ट होने की योग्यता रखते हैं तो उनका अपॉइन्टमेन्ट किया जा सकता है; भले ही वे किसी पार्टी के हों। इसके साथ मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के जजेज के बारे में, उनके कन्डक्ट के बारे में या दूसरे हाई कोर्ट के मामलों में, जो इस सदन का विषय भी नहीं हैं, उनको यहां सदन में डिस्कस करते हैं तो वह गलत परम्परा डालते हैं और माननीय सदस्य भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, वे भी आर. ए. एस. के व्यक्ति रहे हुए हैं, अच्छे ओहदे पर रहे हुए हैं . . . .

श्री मानधातासिंह : सभानेत्री महोदया, मैंने हाई कोर्ट के कण्डक्ट के बारे में कोई आक्षेप नहीं किया है। मैंने यह निवेदन किया था कि राजस्थान सरकार जिन लोगों को रिकमण्ड करती है फोर अपोइन्टमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, उनमें अधिकांश लोग कांग्रेस के सदस्य होते हैं, और यह फैक्ट है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह तो बता दो कि एडवोकेट इन्द्रनाथ मोदी स्वतंत्र पार्टी के थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बैरी कौन से कांग्रेस पार्टी के हैं। आपको पूरी जानकारी नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं ऐसा समझता हूं कि यह धारणा बिल्कुल निराधार है। यह मैं नहीं कह सकता कि एक-दो हाई कोर्ट के जजेज कांग्रेस के किसी समय में अपोइन्ट हो गए। लेकिन हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइन्टमेंट होने के बाद उनका किसी पार्टी से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरह से जो हाई कोर्ट के कण्डक्ट को डिस्कस किया जा रहा है, मैं माननीय चेयरमेन महोदया, रिक्वेस्ट करूंगा कि हाई कोर्ट के सम्बन्ध में किसी प्रकार का एक्सपर्शन अगर यहां किया जाता है तो यह बिल्कुल वाजिब नहीं होगा।

श्री मानधातासिंह : मैंने एक्सपर्शन नहीं किया है। मैंने तो यह निवेदन किया है कि राजस्थान सरकार जो अपॉइन्टमेन्ट के लिए प्रिफरेंस देती है उनमें कांग्रेस पार्टी के लोग होते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : आपका आर० ए० एस० में अपॉइन्टमेन्ट हुआ तो क्या आपको भी फेवर किया था ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : बेमतलब की बात करने से क्या फायदा ?

श्री मानधातासिंह : मैंने यह नहीं कहा कि जजेज होने के बाद भी पार्टी से सम्बन्ध

(श्री मानधाता सिंह)

रखते हैं। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि राज्य सरकार जो रिकमण्ड करती है जजेज की नियुक्ति के लिए तो वह आम तौर पर उन्हीं लॉयर्स को रिकमण्ड करती है जो कांग्रेस के सदस्य रहे हुए हों।

(दो-तीन माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : कृपया स्थान ग्रहण करें। (श्री मदेरणा से)

आपका उत्तर पूरा हो गया ?

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने यह कहा कि हाई कोर्ट के जो भी जजेज होते हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को ही रिकमण्ड करती है गवर्नमेंट, यह बात गलत है। आज जो भी जजेज हैं हाई कोर्ट में उनमें जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित एकाध ही थे। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नहीं रहे।

श्री विजयसिंह झाला : कांग्रेस पार्टी के सदस्य हों न हों लेकिन पोलिटिकल स्टेण्ट पर नियुक्त किये गये, इस बात को स्वीकार कर चुके हैं। अब आगे बढ़िये।

श्री परसराम मदेरणा : जनसंघ के सदस्य थे उनको भी हमने रिकमण्ड किया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं हाई कोर्ट जज नहीं बनना चाहता।

उनका जो सिलेक्शन होता है वह भी राज्य सरकार के कतई हाथ में नहीं है। आप बिल्कुल गलतफहमी में हैं। वह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया करती है। और जो यह कहते हैं कि यह डाइरेक्शन है कि ५० पर्सेण्ट बाहर के होने चाहिए तो वह भी डाइरेक्शन हमारे लिये कुछ नहीं है। वह भी सेण्ट्रल गवर्नमेंट और प्रेसीडेण्ट के सोचने की बात है। इसमें राज्य सरकार न तो एपॉइन्टमेंट करती है और न बीच में आती है।

श्री विजयसिंह झाला : राज्य सरकार के हाथ में है या नहीं, यह तो लहरसिंहजी मेहता से पूछें कि उनका क्या कहना है। उनको किन ने रिकमण्ड किया और क्या मामला था ?

श्री परसराम मदेरणा : कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप बार बार कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को ही क्यों लेते हैं ? जो गलती करते हैं उसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं ? कांग्रेस पार्टी का ही हो, यह जरूरी नहीं है। आप पक्षपात करते हैं तो उसकी बात करते हैं। आप पचास तरीकों से पक्षपात करते हैं। यह क्या बात हुई कि एक आइटम को सिंगल आउट करके दबाना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप जोर से बोलते हैं तो पक्षपात दूर होगा नहीं।

श्री मानसिंह महार : उन्होंने क्वेश्चन रखा कि आप लहरसिंहजी मेहता का केस बताइये कि आपने क्या गलती की ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या किया ? कुछ नहीं है। यों ही लड़ते हैं जबरदस्ती।

श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई) : बाबाजी यह कानून का मसला है। आपको समझ के बाहर की बात है।

Page No 113

श्री परसराम मदेरणा : जजेज का एपोइन्टमेन्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश के ऊपर प्रेसीडेन्ट करते हैं। यह मामला राज्य सरकार का नहीं है, एक बात। दूसरी बात जिन सेशन्स जज, श्री लहरसिंहजी मेहता के सम्बन्ध में मुद्दा उठाया महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने तो वे यह कह रहे थे कि आप जो हैं एडवोकेट्स को ही क्यों रिकमण्ड करते हैं और जुडिशियरी के जो आदमी हैं उनका जुडीशियल सर्विस में प्रोमोशन होना चाहिए ताकि वे ज्यादा इन्डिपेन्डेन्ट रह सकें। लहरसिहजी मेहता राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज हैं उनमें सबसे सीनियर हैं इसलिए उनको किया था...

श्री विजयसिंह झाला : हाई कोर्ट ने फाईल में क्या रिमार्क लगाया है, क्या आप उसको बता सकते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : कुछ नहीं लगाया है।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें चार्ज का प्रश्न नहीं है। एपॉइन्टमेन्ट का क्या हुआ यह गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के जिम्मे की बात है।

यहां पर यह बात भी कही गई थी कि जुडीशियल सर्विस के लोग दूसरी सर्विस के लोगों के पास आकर बैठते हैं, मिलते हैं। महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने डी० आई० जी० का हवाला दिया कि डी० आई० जी० आये थे करौली में तो उनसे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट मिलने आया। क्या आप यह मानते हैं कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, जूनियर सिविल जज, सिविल जज या हाई कोर्ट जज किसी से सम्बन्ध नहीं रखेगा और वह असामाजिक व्यक्ति हो जायेगा ? क्या वह सिफारिश के लिए ही वहां पर आयेगा ? आपका कोई फ्रेण्ड है वह हाई कोर्ट का जज है, या कोई रिश्तेदार है वह हाई कोर्ट का जज है और आप कहीं जाते हैं और वह मिलने के लिए आता है तो मैं समझता हूं कि वह किस तरह से अपनी जुडिशियरी का जो स्टैण्ड है उसके साथ में कम्प्रोमाइज नहीं करता है। उसके रिश्तेदार होंगे तो वह उनके यहां आयेगा, वे उसके यहां आयेंगे और दूसरे भी जो सामाजिक फन्क्शन हैं उनको अटेण्ड करेगा। किसी रिश्तेदार के यहां अगर शादी है तो वह वहां जायेगा भी। क्या आप यह समझते हैं कि वह कठघरे में बन्द हो जायेगा कि उसका समाज से कोई सम्बन्ध ही न रहे ? कॉल अप ग्रोन करने का मतलब यह है कि मिलने के लिए आते हैं, डी० आई० जी० उनके पास जाता है, मुन्सिफ मजिस्ट्रेट उनके पास जाता है..

श्री मानधातासिंह : गवर्नमेन्ट का ऐसा सर्क्युलर है....

श्री परसराम मदेरणा : सब जानते हैं कि क्या सर्क्युलर है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि यह प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। आप उत्तर दे दें उसके बाद में पूछ लें। (माननीय उपमंत्रीजी के खड़े रह कर बोलने पर) माननीय मंत्रीजी, बार बार उन्हें डिस्टर्ब न किया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : आसन खड़ा था तब भी उप-मंत्रीजी खड़े थे।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : मैं उप-मंत्रीजी महोदय से निवेदन करूंगा कि वे छोटा उत्तर दें।

श्री परसराम मदेरणा : यहां पर यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट के फैसलों को गवर्नमेन्ट नहीं मानती है। यह बात सच नहीं है। गवर्नमेन्ट हाई कोर्ट के जो जजमेन्ट होते हैं उनका बड़ा आदर करती है, लेकिन हाई कोर्ट के जजमेन्ट के फलस्वरूप जो लीगल मुद्दे खड़े हो जाते हैं, लीगल डिफेक्ट्स को पाइंट आउट करते हैं तो उन डिफेक्ट्स को रिमूव करना राज्य सरकार के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए एमेंडमेंट लाये जाते हैं। कुछ मामले लॉ के इन्टरप्रिटेशन के हो जाते हैं। राज्य सरकार एक इन्टर-प्रिटेशन को मानती है और उसके अनुसार कानून बनाती है और जब हाई कोर्ट उसका दूसरा इन्टरप्रिटेशन ले लेती है तो वह वेक्यूम हो जाता है कानून में तो उसकी पूर्ति की जाती है। हाई कोर्ट ने जो फैसला किया हो उस फैसले के स्वरूप एमेंडमेंट इस विधान सभा के द्वारा पास नहीं कराकर राज्य सरकार ने कहीं पर हाई कोर्ट के फैसले को अवहेलना की हो, ऐसा एक भी इन्स्टान्स आप साइट नहीं कर सकते हैं। जुडीशियरी वह हाइएस्ट बोडी है। उसके फैसले से गवर्नमेन्ट भी उतनी ही पाबन्द है जितना कि एक प्राइवेट सिटीजन पाबन्द है। हाई कोर्ट के सब के सब फैसले वह मानती है। लेकिन इन्टरप्रिटेशन का सवाल है या लॉ में कोई लेकुना पोइंट आउट किया गया है तो उसको रिमूव करने के लिए ये एमेंडमेंट लाये जाते हैं।

श्रीमती सभानेत्री: क्या सदन की यह राय है कि जब तक ये दोनों बिल पास न हों तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय, क्योंकि आज सदन ने आश्वासन दिया था कि तीनों बिल पारित किये जायेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कल भी पूरा दिन है। कल तो एक छोटा सा आर्डिनेन्स है उस को जल्दी ही समाप्त कर देंगे।

श्रीमती सभानेत्री : थोड़ा सा समय बढ़ा दिया जाय और इनको आज ही समाप्त कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो मौजूदा बिल है सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक उसको आज पारित कर दिया जाय और जो हकशफा का बिल है वह कल ले लिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : सरकार क्या कहती है? दूसरा बिल कल पर रखा जाय।

श्री विजयसिंह झाला : नहीं साहब, दोनों ही आज पारित कर लें।

श्री परसराम मदेरणा : चैयरमैन महोदया, जिस वक्त यहां पर एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस की जा रही थी तो यह कहा गया था कि दोनों ही बिल पास हो जायेंगे और ज्यादा समय नहीं लेंगे। उसमें ज्यादा समय लग गया तो आज उनके पास कराने पर स्टिक रहना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : यह बिल पास न हो तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ कमीशन की दो रिकमण्डेशन हैं और वे रिकमण्डेशन्स ये थीं, एक तो यह है कि जो सीनियर सिविल जजेज हैं उनके ऊपर पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन

(श्री परसराम मदेरणा)
१० हजार तक का इन्वेस्ट किया जाना चाहिए । दूसरा यह था कि जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैं जिनका कि पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन दो हजार से ज्यादा का नहीं था उनको कम से कम ५ हजार होना चाहिए । हाई कोर्ट सब केसेज को रिकमण्ड करेगी तो राज्य सरकार नोटिफिकेशन के जरिये ऐसे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को जिनकी सर्विस १० साल की हो गई है उन पर इस तरह के पॉवर्स इन्वेस्ट कर सकती है । मैं समझता हूं कि इन दोनों रिकमण्डेशन को क्रियान्वित करने के लिए यह विधेयक सदन के सामने है । मै माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को विचारार्थ लें ।

(५.०० म० प०)

श्री विजयसिंह झाला : मेरे दो प्रश्न हैं । एक तो इस विधेयक को कब से फोर्स में ला रहे हैं, इसमें तारीख नहीं दी है । क्या इसको पास करके पेन्डिंग रखना चाहते हैं ? एक्च्युअल डेट कब बतायेंगे ?

दूसरा बात यह है कि हिन्दी को कम्पलसरी सब्जेक्ट आर० जे० एस० एग्जामिनेशन्स के लिये क्यों नहीं किया ?

श्री परसराम मदेरणा : आपने जो प्रश्न उठाया है कि हमने हिन्दी को आर० जे० एस० एग्जामिनेशन्स के लिये कम्पलसरी क्यों नहीं किया, होना चाहिये; उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आपको शायद जानकारी नहीं है, हिन्दी कम्पलसरी सब्जेक्ट है । आपकी जो धारणा थी उसका जवाब आपको मिल गया ।

दूसरी बात आपने बताई कि यह कब फोर्स में आयेगा, इसमें यह प्रावधान है:

"It shall come into force on such date as the State Government may by notification in official Gazette appoint in this behalf."

बिल पास होने के बाद और गवर्नर की असेन्ट होने के बाद जब यह एक्ट हो जायगा तब डेट तय की जायगी ।

श्री विजयसिंह झाला : पास होते ही फोर्स में आ जायगा, ऐसा क्यों नहीं करते ? यह ऐसा कौनसा पॉलिसी मैटर है ? जैसे ही पास हो जाय वैसे ही फोर्स में क्यों नहीं करते हो ? आपके बिल तीन तीन साल तक पेन्डिंग पड़े हुए हैं । यहां से पास करवा लेते हो और कार्यान्वित नहीं करते हो । एटवन्स क्यों नहीं फोर्स में लाया जाता ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिसका चुनावों पर असर पड़ता हो उसको जल्दी फोर्स में नहीं लाते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : इसको फोर्स में लाने के लिये हमें हाई कोर्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा ।

श्री विजयसिंह झाला : इसका मतलब क्या यह है कि यह लीगली सही नहीं है ? पैसेन्जर टैक्स के बारे में भी यही हुआ था; हमने कहा था कि इस पर प्रेसिडेन्ट की कंसेन्ट ली जाय और आपने कहा था कि इसकी आवश्यकता नहीं है । तब हमने कहा था कि आगे जाकर यह खारिज होगा और वही हुआ; २२ तारीख को यह खारिज हुआ । इसमें क्या लीगल कमी रह गई है जिससे हाई कोर्ट को कंसल्ट करना होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : वह मुद्दा आप फालतू ला रहे हैं, उसमें कोई दम नहीं है। सतीशजी ने कह दिया है प्रेसिडेन्ट की असेन्ट के लिये २२५ में स्ट्रेस दे रहे हैं उसमें ज्यादा फोर्स है। हाई कोर्ट से हमें इसलिये राय लेनी पड़ेगी कि मुन्सिफ को ५ हजार की पॉवर्स देंगे और सिविल जजेज अनलिमिटेड रिस्डिक्शन दिया है इससे अपेलेट जुरिस्डिक्शन बढ़ सकता है। हाई कोर्ट किस डेट से करना पसन्द करेगा यह उनसे पूछना पड़ेगा। इसमें कोई लीगल डिफिकल्टी नहीं है, सिविल जजेज को अनलिमिटेड पिक्यूनरी लिमिट दी है उसकी व्यवस्था करनी होगी।

श्री विजयसिंह झाला : हाई कोर्ट की राय लेना और कंसल्ट करना जरूरी है क्या ? विधान सभा एटवन्स फोर्स में लावे ऐसा नहीं कर सकते क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : विधान सभा को सब कुछ पॉवर्स हैं, एक्ट बनते ही हम कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : तो फिर हाई कोर्ट को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। एटवन्स फोर्स में आना चाहिये। आप गलत बहाना हाई कोर्ट का ले रहे हैं।

श्री मयुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : आपने हाई कोर्ट से पूछ लिया है या नहीं पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बढ़ाने के लिये या अब पूछेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो आपको शक हो रहा है। जिस समय लॉ कमीशन की रिकमन्डेशन आई थीं उसी समय हमने हाई कोर्ट को पूछा था कि आपके कमेन्ट्स क्या हैं ? हाई कोर्ट ने लॉ कमीशन से एग्री किया था और कहा कि यह जरूरी है। हमने उनकी राय ले ली है। लेकिन जहां तक फोर्स में लाने का प्रश्न है, राज्य सरकार की मंशा इसे रोकने की नहीं है। हमारी मंशा यह रही है कि जुडिशियल कोर्ट्स का पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन बढ़ाना चाहिये इसीलिये हमने सिविल जजेज को अनलिमिटेड पॉवर्स दी हैं और मुंसिफ्स की पॉवर्स २ हजार से बढ़ा कर ५ हजार तक की हैं। अब इसको कौनसी डेट से लागू किया जाय, यह इसलिये पूछना चाहते हैं क्योंकि हाई कोर्ट का कंट्रोल इन कोर्ट्स पर है और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स का सवाल है, इसलिये जब से फोर्स में लाने की वे राय देंगे तभी से फोर्स में ले आयेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : हाई कोर्ट की राय कब तक आ जायगी, ६६ में ६७ में या जब तक आप डिप्टी मिनिस्टर हैं तब तक आ जायगी या नहीं ? सभानेत्री महोदया, ये हाई कोर्ट का बहाना लगाकर सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : ६५ में या ६७ तक होगा इस तरह की बात नहीं है। आज यह हाउस के सामने है, हाउस से पारित होते ही हाई कोर्ट से पूछा जायगा। वैसे हाई कोर्ट के कमेन्ट्स आने के बाद ही राज्य सरकार इसे यहां लाई है। राज्य सरकार के पास कोई वजह नहीं हो सकती कि इमीजियेटली फोर्स में नहीं लाया जाय। मैंने पहले ही कहा है कि हाई कोर्ट से उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियेन्स के बारे में पूछा जायगा और जिस डेट से वे कहेंगे, जब तक वे मुकदमे ट्रान्सफर

(श्री परसराम मदेरणा)
कर सकेंगे उस डेट से इसको लागू कर दिया जायगा।

श्रीमती सभानेत्री : अमेन्डमेन्ट्स पहले लिये जायेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

श्री मानधातासिंह : मेरे संशोधन के बारे में अर्ज करूंगा कि मन्त्रीजी ने एक राय जाहिर की; मैंने कहा था कि गवर्नमेन्ट का ऐसा सर्क्युलर है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिये ....

श्रीमती सभानेत्री : आप पहले कह चुके हैं।

श्री परसराम मदेरणा : Those circulars do not apply to the judicial fficers.

गवर्नमेन्ट का जो प्रिसिडेन्स फोर्म करने का सर्क्युलर है वह जुडिशियल ओफिसर्स पर लागू नहीं होता है।

श्री मानधातासिंह : एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को एप्लाई करता है तो जुडिशियरी वालों पर भी एप्लाई करना चाहिये; वे ज्यादा इन्डिपेन्डेन्ट हैं। वहां पर कन्वेन्शन मेन्टेन होना चाहिये। लॉ का मेग्जिम है : "It is not enough that justice should be done but it should also appear to ahve been done."

यदि कोई जज फरीक से मिलता-जुलता है तो उस पर शुबा होता है कि वह फ़रीक़ से क्यों मिलता है। कन्वेन्शन इस प्रकार का है कि जुडिशियल ऑफिसर पुलिस ऑफिसर्स से नहीं मिलता है। आजकल जुडिशियल ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स से मिलते जुलते हैं यह जुडिशियल ऑफिसर्स के लिये शर्म की बात है।

मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान का बच्चा बच्चा-जानता है कि जुडिशियरी इम्पार्शियल है और जस्टिस करती है। आप कहते हैं कि मिलना-जुलना नहीं चाहिये यह पर्सनल रिलेशन्स की बात है। मैं आपके यहां १० बार कॉल कर सकता हूं यह पर्सनल रिलेशन्स की बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जुडिशियरी के बारे में कहा हो ऐसी बात नहीं है उन्होंने एग्जीक्युटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में कहा है।

श्री मानधातासिंह : मेरा आरोप जुडिशियरी के बारे में था।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की राय है कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स विधेयक पर संशोधन दिये हैं उनको स्वीकार किया जाय?

श्री विजयसिंह झाला : हम वापिस ले रहे हैं।

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की राय है कि वापिस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

वापिस लेने की इजाजत दी गई।

श्री विजयसिंह झाला : मैं अपने अमेन्डमेन्ट्स वापिस लेता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : I withdraw by amendments.

श्री राधाकृष्ण गोयल : कई सदस्य उपस्थित नहीं हैं, वे विद्ड्रा कैसे करेंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): उनके अमेन्डमेन्ट्स मूव ही नहीं हुए हैं ?

श्रीमती सभानेत्री: प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४ विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जाय।

श्री अब्दुल जब्बार : मुझे दो शब्द कहने हैं, वे यह है , मन्त्री महोदय लोगों की भलाई के लिये लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर यह संशोधन लाये हैं। कहीं दावा करने वालों को तकलीफ नहीं हो, वे इसके लिये ध्यान दें।

सब-सेक्शन १० है :

"The civil judge may transfer to the Munsif having jurisdiction any original suit or proceeding of a civil nature pending before him under this section".

इसमें "मे" के बजाय "शैल" कर देंगे, तो यह लोगों के भलाई की बात है। दावा करने वालों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, पास ही हो जायेंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : सभानेत्री महोदया, मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : सभानेत्री महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुन्सिफ रहेंगे तो इसमें "शैल" करने से दिक्कत पैदा हो जायगी। कई ऐसी जगह हैं जहां सिविल जज मुन्सिफ का काम करता है, कई जगह पर एडीशनल सिविल जज के पास मजिस्ट्रेट की पॉवर हैं, इसलिये इसमें 'शैल' करने से दिक्कत पैदा हो जायगी।

श्री अमरसिंह (पचपद्रा) : सभानेत्री महोदया, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सभानेत्री महोदया, मैं इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह बात है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : समझ काफी है, एक समर्थन करते हैं और एक विरोध करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्वतन्त्र पार्टी में दो व्यक्ति अलग अलग तरह नहीं बोलेंगे तो फिर स्वतन्त्र पार्टी क्या ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : स्वतन्त्र पार्टी बिल्कुल स्वतन्त्र है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : स्वतन्त्र पार्टी में कोई बन्दिश नहीं है।

श्री अमरसिंह : सभानेत्री महोदया, इसके सम्बन्ध में कई बातें इस सदन में कही गई हैं। मैं ने महसूस किया है कि जो बहुतसी बातें करनी चाहिये थीं वह इस सदन के समक्ष

Page No 119

(श्री अमरसिंह)

नहीं आई हूं। जैसा में ने शुरू में अर्ज किया मैं इस बिल का पूर्णरूप से समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यह लिटिगेटिंग पब्लिक के लिये काफी लाभदायक है। मैंने यह भी सुना, कुछ कमियां और खामियां जुडिशियरी के अन्दर बताई गईं। मेरा इस सम्बन्ध में विनम्र निवेदन है कि महात्माजी का यह कथन था, स्वर्गीय महात्मा गांधी का . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे मर गये।

श्री अमरसिंह : No no, He is living. His soul is living with us. अच्छा उनका यह कथन था कि अंग्रेजों की बहुत कम ऐसी देन रही भारतवर्ष के लिये जिसके लिए भारतवर्ष कृतज्ञ हो सकता है, जो हैं उनमें से एक जुडिशियल सिस्टम है, उसमें जुडिशियल महकमा एक है। (हियर, हियर) जुडिशियरी का रोल भारत वर्ष में हमेशा अत्यन्त वांछनीय रहा है-सराहनीय रहा है। और हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष के अन्दर जुडिशियरी बहुत उच्चस्तर पर रही है, हमारे राजस्थान की जुडिशियरी एक बहुत उच्च स्तर पर रही है। और मैं समझता हूं कि इस समय तक भी वह उच्च स्तर पर है। कुछ यहां पर जो आक्षेप हुए पॉलिटिकल कन्सीडरेशन पर अपॉइन्टमेन्ट होने या न होने के बारे में, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। यह एक कोइन्सीडेन्स हो सकता है। यह मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि जो मौजूदा जजेज हैं, उनका जस्टिस देने के अन्दर किसी प्रकार का पक्षपातपूर्ण रुख है। यह कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आयन्दा के लिये उच्च स्तर के जुडिशियल ऑफिसर के अपॉइन्टमेन्ट हों और उनके अपॉइन्टमेन्ट के अन्दर कोई पॉलिटिकल कन्सीडरेशन नहीं होना चाहिये और योग्यता और इन्डिपेन्डेन्स के क्राइटेरिया के ऊपर हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स का अपॉइन्टमेन्ट हो। तो मैं समझता हूं कि यह हमारे देश के लिये और हमारी सरकार के लिये गर्व की बात होगी। मैं, चेअरमैन महोदया, आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह देश के लिए भी एक वांछनीय चीज है, वैसे ही सरकार के लिये भी एक अत्यन्त वांछनीय चीज है कि हमारी जुडिशियरी इन्डिपेन्डेन्ट रहे और हमारी जुडिशियरी बियोंड सस्पीशियन रहे, और इस दृष्टि से आपके द्वारा ऐसे अपॉइन्टमेन्ट होने चाहिये जिससे कि यह गौरवतापूर्ण पोजीशन यहां पर क़ायम रह सके इसलिये जुडिशियरी की इन्डिपेन्डेन्स को एन्करेज करने में कोई बाधा नहीं पहुंचायें यह मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहने में मेरा कतई कोई आक्षेप नहीं है कि जुडिशियरी में ऐसे जजेज हैं जो इन्डिपेन्डेन्स से काम करने में और अपने कर्तव्य को निभाने में पीछे रहे हैं। यह मेरा कतई मत नहीं है। मेरी जुडिशियरी के प्रति श्रद्धा है और उसके प्रति मेरा आदर है, राजस्थान की जुडिशियरी के लिए, और मैं समझता हूं कि वह उच्च स्तर पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं।

इसके अलावा सरकार का आपके द्वारा दो बातों की तरफ अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि यह समय का तक़ाज़ा है कि जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को सेपरेट किया जाय। मजिस्ट्रेट्स को भी जुडिशियल डिपार्टमेन्ट के सुपुर्द किया जाय और मेरा यह सुझाव है। मुझे खेद है कि जो मजिस्ट्रेट्स हैं, इस वक्त वह

(श्री अमरसिंह)

हाई कोर्ट के सबोर्डिनेट नहीं हैं, इसलिये उन पर कई तरह से इन्फ्ल्युएन्स डाल कर सरकार नाजायज फ़ायदा उठा रही है, और सरकार की जो इच्छा है, उसकी पूर्ति मजिस्ट्रेट्स के द्वारा किया जाना, मैं समझता हूं, एग्जीक्यूटिव के लिये और एडमिनिस्ट्रेशन के लिये उचित नहीं है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जुडिशियल डिपार्टमेंट की तरफ सरकार की कोप दृष्टि रही है। जो उनका हक है वह जुडिशियल डिपार्टमेन्ट को नहीं मिलता है। जो सुविधायें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को मिलती हैं उन सुविधाओं से जुडिशियल डिपार्टमेन्ट को सर्वथा वंचित रखा जाता है। उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि जहां, एक ही हैडक्वार्टर पर हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स और एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं तो वहां एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिये तो मकान वगैरह की सुविधा के लिये बंगले बनाये हैं लेकिन जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि उनको किसी प्रकार प्राइवेट पार्टी की शरण लेकर अपने रहने के लिये मकान की तजवीज करनी पड़ती है, और इस कारण एक तरह से उसे उन लोगों के थोड़े बहुत आभार के अन्दर रहना पड़ता है, लिहाज के अन्दर रहना पड़ता है, जो लैंड होल्डर होता है।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की सुविधायें एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और जुडिशियल ऑफिसर्स-दोनों को बराबर देनी चाहिए। मैं यहां तक निवेदन करूंगा कि जुडिशियल आफिसर्स के लिए विशेष ध्यान देना चाहिये और प्रिफ़रेन्स जुडिशियल ऑफिसर को देना चाहिये। इसके साथ ही जिस समय ग्रेड रिवाइज होती है, तो हमने यह देखा है कि जुडिशियल ऑफिसर्स की ग्रेड के सम्बन्ध में और फ्यूचर प्रास्पेक्ट्स के सम्बन्ध में अवहेलना की जाती है। समय समय पर हमने देखा है कि आई. ए. एस. की ग्रेड रिवाइज की जाती है, उनके लिए बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं, उनकी तनख्वाह अच्छी होती है। मैं, सभानेत्री महोदया, आपके द्वारा सरकार को कहना चाहता हूं कि कृपा करके यह बतावें कि सीनियर स्केल के आई. ए. एस. की राजस्थान में क्या तनख्वाह है और सीनियर स्केल के जुडिशियल ऑफिसर्स को ज्यादा सीनियोरिटी होते हुए भी तनख्वाह क्या है ? मैं यह भी बताना चाहूंगा कि नाम के लिये तो आपने यह लिख दिया है, बारह सौ से अठारह सौ-यह इस तरह का ग्रेड किया है; लेकिन यह किसी ने नहीं देखा कि अठारह सौ की ग्रेड के सीनियर सैशन्स जजेज में कितने ऐसे व्यक्ति होंगे जो रिटायरमेन्ट के समय तक ग्रेड के मैक्सिमम तक पहुंच जायं। मैं समझता हूं, शायद एक दो होंगे। इस हालत में सरकार धोखेबाजी कर रही है जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो फाकेमस्ती की जिन्दगी बिता कर राजस्थान के लिये क्रेडिट ला रहे हैं। उनकी आप हकतलफी करते हैं, उनको आप उनका हक नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं, यह कभी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। इतना बड़ा राजस्थान का जुडिशियल डिपार्टमेन्ट देखते हुए मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जहां २२००) की ग्रेड के आई. ए. एस. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो बहुत से रखे हैं लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि जुडिशियल डिपार्टमेन्ट में क्या वजह है कि केवल दो आदमी ऐसी सुपर स्केल के यहां पर रखे जायं ? इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट है, इतने आदमी मेहनत करके काम करते हैं; मैं

(श्री अमरसिंह)

समझता हूं कि उनकी हालत अच्छी होनी चाहिए, उनकी ग्रेड ऊंची होनी चाहिए और उनकी जो रिक्वायरमेन्ट्स हैं उनकी भी पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने का खराब असर यह होगा कि जुडिशियल डिपार्टमेन्ट में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा। और वर्तमान में जो तमाम वातावरण पैदा हो रहा है और तरह तरह की शंका सुनने में आ रही हैं वह भी एक कारण है। जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सुविधायें मिलती हैं उनसे जुडिशियल ऑफिसर्स वंचित रहते हुए भी उनसे यह एक्सपेक्ट करना कि वे ऊंचे स्तर पर रहें और जुडिशियल ऑफिसर्स की रेपूटेशन कायम रहे, यह ठीक नहीं होगा। इसलिए सरकार उनकी अवहेलना करे और उनके हकों की ओर नहीं देखे तो यह गलत है। सरकार की पॉलिसी गलत है, जो उनकी फरमाबरदारी करते हैं और जो उनकी जो हुजूरी करते हैं उनके लिए तो वह सोचती है और जो इंडिपेंडेन्स रखते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और देश का ऊंचा स्टेन्डर्ड रखते हैं और जनता के लिए न्याय करते हैं उनके साथ सरकार स्टेप-मदरली ट्रीटमेन्ट करती है, मैं समझता हूं, यह कन्डेम करने लायक बात है।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : सभा, नेत्री महोदया,......

श्री **परसराम मदेरणा** (उप–मंत्री वित्त) : बहुत टाइम हो गया है।

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) : अपोज कर रहे हैं।

श्री **राधाकृष्ण गोयल**: मैं अपोज कर रहा हूं। सभानेत्री, भारतवर्ष में गणतंत्र राज्य बनने के बाद भारतवर्ष में जुडिशियरी पर बडी भारी जिम्मेदारी आ गई है। राज्य सरकार गवर्नमेन्ट के द्वारा कोई अन-लॉफुल प्रोग्रेसिव ऑर्डर समय समय पर जारी हो जाते हैं उसके विरुद्ध भी हाई कोर्ट में रिट का प्रावधान है और हाई कोर्ट में वह गलती हाई कोर्ट सुधारती है और समय समय पर सरकार को भी डाइरेक्शन देती है। वास्तव में देखा जावे तो जुडिशियरी ही विश्वसनीय है। यदि देश में जुडिशियरी नहीं हो तो मुमकिन है कि कुछ ही वर्षों में विद्रोह जैसा वातावरण बन सकता है। इसलिए यह हमारे देश-वासियों और हमारी राज्य सरकार का परम कर्तव्य है कि जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्ट बनाया जाए और इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जावे। इसके लिये दो तरीके हैं। एक तो यह कि जिस प्रकार आपने हाई कोर्ट के जजों को बिल्कुल अलग रखा है और उसके लिये संविधान में, प्रावधान किया है, उसी प्रकार उनके लिये भी प्रबन्ध किया जावे। और हमारे सदन का यह कर्तव्य है कि उनको भी इतनी अच्छी तनख्वाह दी जावे, इतने अच्छे इमोल्यूमेंट्स दिये जावें जिससे वे किसी प्रकार के प्रलोभन में, या किसी प्रकार के दबाव में न आएं और अपना काम निष्प-क्षता से करें। इसके लिये जो उनके मौजूदा ग्रेड्स हैं वे उचित प्रतीत नहीं होते हैं। जब आप इस सिद्धान्त को मानते हैं तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट और सिविल जजों का ग्रेड भी अलग अलग होना चाहिए, उनका एक ही रनिंग ग्रेड नहीं होना चाहिये। उन दोनों को एक ही रनिंग ग्रेड में रखना उचित नहीं। आज आप उनको २५० से आरम्भ करते हैं। मैं समझता हूं कि यह जुडिशियल ऑफिसर के लिये उचित नहीं है। उनको सहर्ष साहस और दूरदर्शिता से काम करना पड़ता है इस-लिये ऐसे कामों में आपको किसी प्रकार का लोभ नहीं करना चाहिए।

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

अब में लॉ कमीशन की रिपोर्ट के बारे में जिक्र करूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि जहां पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट सरकार के लाभप्रद होती है उस पोर्शन को सरकार मंजूर कर लेती है और जो सरकार के लाभप्रद नहीं होती उसको मंजूर नहीं करती हैं। आप उस रिपोर्ट को पीसमील में अमल में लाते हैं और जो बात आपके हित में पड़ती है उसको आप मंजूर करते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाई कोर्ट्स के युनिफिकेशन के बारे में लॉ कमीशन ने लिखा है। मगर जयपुर में आप हाई कोर्ट की बेंच लाने के लिये तैयार नहीं हैं, जब कि जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच आना अनिवार्य है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि पीसमील में एमेन्डमेन्ट करने जरूरी नहीं हैं।

अब आपने मुन्सिफ और सिविल जजों के पॉवर्स बढ़ाये हैं। मैं यह कहूंगा कि मुंसिफ को सिविल जज से कई मामलों में ज्यादा पॉवर्स हैं। इसमें साफ लिखा है कि सीनियर सिविल जजों को अनलिमिटेड पॉवर्स हैं लेकिन जूनियर सिविल जजों को अनलिमिटेड पॉवर्स नहीं हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान ने जुडिशियरी को एग्जिक्युटिव से सेपरेट करने का कई वर्ष पहले निश्चय किया और अब कई जगह जुडिशियरी और एक्जिक्युटिव सेपरेट हुई हैं और कई जगह नहीं। जहां पर आपने दोनों को आपस में सेपरेट किया है वहां आपने सिविल जजों को लिमिटेड स्कोप आइ. पी. सी. के केसेज को डील करने के सम्बन्ध में दिया है। आपने मुंसिफ मजिस्ट्रेट को ज्यादा पॉवर्स दिये हैं। सिविल जज को इम्पोर्टेन्ट केसेज में सुनने का अधिकार नहीं है जब कि एग्जिक्युटिव ऑफिसर के पास है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि पूरे के पूरे ही क्रिमिनल केसेज मुंसिफ मेजिस्ट्रेट के पास रखे जावें तो ज्यादा अच्छा हो। पार्शियली जुडिशियरी देने से जनता में विश्वास पैदा नहीं होता। मैं यह कहूंगा कि आपको जुडिशियरी को पूरे पॉवर देकर स्वतन्त्र करना चाहिये, जो नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अलग अलग जगह अलग अलग स्थिति है। कई जगह मुंसिफ के पास सिविल वर्क पहले था उसके साथ साथ आपने क्रिमिनल वर्क भी एड कर दिया। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप विचार करके चलें कि दूसरे केसेज क्रिमिनल भी उनको दिये जावें तो उनके पास काम और भी ज्यादा बढ़ जावेगा। मैं बड़े बड़े शहरों की बात नहीं कहता। बड़ी बड़ी जगह मुंसिफों के पास सिविल जजों से ज्यादा काम है और उनको अतिरिक्त भार देने से और भी मामलों को तय करने में देरी होगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि लॉ कमिशन की रिपोर्ट पर विचार किये बिना यह लाना उचित नहीं है। क्योंकि टीनेन्सी एक्ट भी विचारार्थ आवेगा और दूसरे भी केसेज होंगे वे भी मुंसिफ सुनेगा। इसलिये ऐसी हालत में जो सिविल जज का काम है वह मुंसिफ के पास पहुंचने से सिविल जज के पास काम कम हो जावेगा और मुंसिफ के पास ज्यादा होने से काम में समय ज्यादा लगेगा और बाधा पहुंचेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। मैं अभी दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जैसा मैंने अभी सदन के सामने निवेदन किया कि जुडिशियरी के द्वारा जनता में विश्वास पैदा होता है और मैं ऐसा विश्वास करता हूं

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

कि कोई भी जज जो पहले किसी भी पार्टी में चाहे वे रहे हों, मगर हाई कोर्ट में जाने के बाद वे निष्पक्षता से काम करते हैं, हालांकि सरकार की ओर से अलबत्ता धीरे धीरे यह प्रयत्न जरूर होता है कि वह उन पर अपना प्रभाव डालने और अपना वातावरण का असर जुडिशियल ऑफिसरों पर डालने की कोशिश करती है और मैं समझता हूं कि यह उसका कार्य घृणास्पद है। राज्य सरकार को चाहिये कि इस प्रकार के कार्यों में रोक लगावे और जुडिशियरी को किसी भी प्रकार के दबाव से या राजनीति से बिल्कुल अलग रखा जावे। आपके यहां कई लोग अलग अलग पोलीटिकल विचारों के हो सकते हैं और अपना काम कराने के लिये उनको यह कह दिया जाता है कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनको इस प्रकार का कोई पद दे दिया जावेगा; यह प्रलोभन देना भी, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि जहां जहां चीफ मिनिस्टर का दौरा होता था उसके तुरन्त बाद में चीफ जस्टिस का दौरा होता था। बाद में जब इस प्रकार की बात उनके नोटिस में आई तो चीफ जस्टिस ने इस प्रकार के दौरे करने बन्द कर दिये और चीफ मिनिस्टर ने भी अपने कार्य-क्रम को बन्द कर दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं आशा करता हूं कि जनता में विश्वास और सद्भावना पैदा करने के लिये हमें जुडिशियरी को कमजोर बनाने के बजाय मजबूत बनाना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार का दबाव जुडिशियरी पर न डाला जाए और उसको पूर्ण शक्तिशाली बनाया जाए और उसको पूर्ण स्वतन्त्र करें और जजों को जो जुडिशियरी में काम करते हैं उनको अच्छा वेतन दें जिससे वे किसी प्रकार के प्रलोभन और किसी प्रकार के आकर्षण में या दबाव में नहीं आवें और जिस प्रकार की श्रद्धा और विश्वास जनता में उनके प्रति बना हुआ है वह पहले से ज्यादा बने इसलिये उसको ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री परसराम मदेरणा : सभानेत्री, बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जुडिशियरी के बारे में बताया कि जुडिशियरी डेमोक्रेसी में परम आवश्यक चीज है और उन्होंने जो सुझाव दिये उसके लिये मैं उनका आभार मानता हूं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार आज भी इन आधारों पर जुडिशियरी का ध्यान रखती है।

सेपरेशन के बारे में उन्होंने कहा कि अब तक पार्शियल सेपरेशन हुआ है। मैं यह कहूंगा कि हम पूरा सेपरेशन करने के लिये अग्रसर हैं

श्री अमरसिंह (पचपदरा) : मैं यह निवेदन करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी दोनों का सेपरेशन करिये। जिससे गवर्नमेंट के प्रति लोगों में विश्वास पैदा होगा कि अब हमको जस्टिस मिलेगा। वे यह समझते हैं कि सरकार अपने हाथों में सत्ता रख कर मजिस्ट्रेटों के द्वारा मनमाने काम कराते हैं। और मेरा यह विश्वास है कि जितना जस्टिस हाई कोर्ट के कन्ट्रोल से मिल सकता है उतना जस्टिस आपके कन्ट्रोल से नहीं मिलता है।

I have got an experience and I have got close study of the people's attitude. इसलिये मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कृपा फरमा कर जुडिशियरी

(श्री अमरसिंह)

को जल्दी से जल्दी सेपरेट करवा दें जिसमें आपका हित है; इससे लोगों में गवर्नमेंट के प्रति विश्वास पैदा होता है।

जहां विश्वास का कोलेप्स हो गया वहां परिस्थिति बडी डेलिकेट होती है जो कि सरकार के लिये बडी अवान्छनीय होगी। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात को एड्मिट फरमायें कि जुडिशियरी को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जायगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : यह तो आप पहले फरमा चुके हैं।

श्री अमरसिंह : मैं यह दुबारा रिपीट करना चाहता हूं इसलिये कि शायद मंत्री महोदय स्लिप ओवर कर जायं। यह सबोर्डिनेट जुडिशियरी है, इनकी हालत को दुरुस्त करिये, इनके दिमाग में यह बात होनी चाहिये कि सरकार हमारी है, हमारे लिये भी हमारी सरकार उतनी ही चिन्तित है जितनी कि दूसरे महकमों के लिये है। साथ ही पब्लिक में भी विश्वास होना चाहिये कि सरकार इनके द्वारा ईमानदारी से और न्याय के साथ कार्यवाही कराना चाहती है। यह जुडिशियल ऑफिसर्स और पब्लिक दोनों की भावना है, इसलिये मैंने हालांकि पहले अर्ज कर दिया है फिर भी दुबारा अपील करना चाहता हूं कि आप इसके लिये एड्मिट फरमायें कि जुडिशियरी को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जायगा।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री विधि) : सभापति महोदया, जितना कि माननीय सदस्य ने जुडिशियरी के सेपरेशन का एम्फेसिस किया उतना ही एम्फेसिस दे कर राज्य सरकार चलती है। आर्टिकल ५० में यह है कि जुडिशियरी को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देना चाहिये। इसके लिये सरकार ने बापना कमेटी बैठाई, उस बापना कमेटी ने अपनी रिकमन्डेशन सरकार के सामने रखी और सरकार ने निर्णय लिया कि तीन साल के अन्दर जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन होना चाहिये और इस निर्णय को क्रियान्वित सरकार ने किया है, ८३ सब डिविजन्स में से ६१ में जुडिशियरी का सेपरेशन कर दिया है, और जैसे जैसे आर० जे०एस० वाले हमें अवेलेबल होंगे बाकी जगह भी सेपरेशन किया जायगा....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभानेत्री महोदया, सदन में कोरम नहीं है।

(दो मिनिट तक गणपूरक घंटी)

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि राज्य सरकार का यह निर्णय था कि ग्रेज्युअली सेपरेशन को कन्टिन्यू किया जाय, सरकार ने यह किया है और आगे करने को एग्री कर रही है।

बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जुडिशियरी से एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन नहीं करके सरकार जुडिशियरी का अपने हक में दुरुपयोग करती है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि न राज्य सरकार ने ऐसा कभी किया है और न करेगी।

पे स्केल्स के बारे में उन्होंने कहा, पे स्केल्स के सम्बन्ध में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि पे स्केल का मसला इस बिल से सेपरेट है और वह राज्य सरकार के कन्सीडरेशन में है। आई० ए० एस० और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का ग्रेड एक है, ९००) से १८००) का ग्रेड है....

श्री अमरसिंह : रिटायरमेंट तक मेग्जिमम पर नहीं पहुंचते हैं...

श्री परसराम मदेरणा : तनख्वाह और पे स्केल के बारे में पूछा वह मैंने बताया। मैं इससे इन्कार नहीं करता, यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और राज्य सरकार जल्दी ही निर्णय लेगी। क्योंकि पे स्केल रिविजन के दूसरे मामले इसके साथ जुड़े हुए हैं, इस सम्बन्ध में बहुत जल्दी ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जायगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस अमेंडमेंट की वजह से मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स के पास काम बहुत बढ जायगा। हाई कोर्ट ने यह एक क्राइटेरिया तय कर रखा है कि यदि कहीं कोर्ट्स में ज्यादा वर्क है तो दूसरे कोर्ट्स कायम करने की सिफारिश की जाती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, केसेज में बढोत्तरी नहीं होगी। कई मजिस्ट्रेट्स के पास केसेज की कमी हुई है, स्मॉल कॉज कोर्ट के कुछ पॉवर्स पंचायतों को दिये, १००० फिर १५०० के केसेज के पॉवर्स इनको दिये तो इससे मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स के पास केसेज का नम्बर कम हुआ है। अगर केसेज का ज्यादा नम्बर होगा तो हाई कोर्ट रिकमन्डेशन पर नये कोर्ट्स खोल देगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री सभानेत्री : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिबिल कोर्ट्स (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(५ ३८ म० प०)

राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२

श्री **परसराम मदेरणा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान हकशफा विधेयक, १९६२, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक) : सभापति महोदया, हाउस में कोरम भी नहीं है और समय भी हो गया है। इसलिये इसे कल सबसे पहले ले लिया जाय।

श्री**मती सभानेत्री** : श्री जयलाल !

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी !

(अनुपस्थित)

श्री चौसरसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई !

(बोलने की मौन असम्मति दी)

श्री **मानसिंह महार** (आमेर) : कोई नहीं है, इसे कल ले लिया जाय।

श्री **परसराम मदेरणा** : राजस्थान सरकार इसे हरीडली गो थ्रू नहीं करना चाहती। अच्छी बात है, कल सुबह ले लीजिये।

श्री**मती सभानेत्री** : सदन की कार्यवाही कल सुबह ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर म. प. ५.४० पर सदन की कार्यवाही दिनांक ३० सितम्बर, १९६५ म.पू. ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८१ का उत्तर देखिए)

निगम के डिपो व वर्कशॉप की सूची मय उनमें पड़े हुए मोटर की कीमत का विवरणः--

डिपो व वर्कशाप के नाम		पड़े हुए पार्ट्स की कीमत
१.	जयपुर	शून्य (क्योंकि सभी सामान सैन्ट्रल स्टोर्स से सीधा लिया जाता है)
२.	अजमेर	२,४१,४३५.२७ रु.
३.	जोधपुर	९११.९८
४.	कोटा	४,७४०.४८
५.	आबूरोड	३,७५९.७५
६.	उदयपुर	शून्य
७.	भरतपुर	२,१६५.४०
८.	सिरोही	८७,५९८.६६
९.	अलवर	८३,३९२.०६
	कुल योग	४,२४,००३.६०

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय पर न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बारां पंचायत समिति को पिछड़ी जाति के लोगों के लिये कॉलोनी बनाने के लिये अनुदान

१८७. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां. सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बारां पंचायत समिति को किस सन् में, किस ग्राम में पिछडी जाति के लोगों की कालोनी बनाने के लिये कितना रुपया अनुदान स्वरूप दिया गया था ?

(२) क्या यह सच है कि कॉलोनी के लिये अनुदान का जो रुपया दिया गया था वह उपयोग में नहीं लाया गया ?

(३) यदि हां, तो किन कारणों से और अब कब तक उपयोग में ले लिया जावेगा ?

उत्तर

(१) बोरदा ग्राम में कॉलोनी बनाने हेतु १६,०००) रु० का अनुदान वर्ष १९६०–६१ व ६१–६२ में दिया गया।

(२) जी हां।

(३) भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में समय लगने के कारण अब तक रकम का उपयोग नहीं किया जा सका व अब शीघ्र ही उपयोग कर लिया जायगा।

पंचायतों से ली जाने वाली ग्राम की रोड लाइटों की बिजली की दर

१८८. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने पंचायतों से ग्राम की रोड लाइटों की बिजली का खर्चा-दर प्रति यूनिट के स्थान पर प्रति बत्ती २) रु० लेने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्यों; जब कि हर क्षेत्र में प्रति यूनिट खर्चा लेने का नियम है ?

(२) क्या इसका असर पंचायतों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिक खर्चे को वहन करने हेतु पंचायतों को कुछ अनुदान देने का विचार रखती है ?

(३) यदि नहीं, तो क्या सरकार नियमानुसार प्रति युनिट ही खर्चा लेने का निश्चय पुनः करेगी ?

उत्तर

(१) राज्य विद्युत् मंडल के राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नये टैरिफ के अनुसार नगरपालिकाओं एवं पंचायतों आदि से सडक की बत्तियों पर खर्च होने वाली विद्युत् के लिये निम्न दर हैं :—

२८ पैसा प्रति यूनिट (जल व वाष्प विद्युत् क्षेत्र में)

३५ पैसा प्रति यूनिट (डीजल विद्युत् क्षेत्र में)

किन्तु जल व वाष्प विद्युत् क्षेत्र में रु० २ प्रति बत्ती प्रति माह और डीजल विद्युत् क्षेत्र में रु. २.५० प्रति बत्ती प्रति माह न्यूनतम शुल्क है।

लेकिन जहां पर सडक की बत्तियों पर खर्चा होने वाली विद्युत् मीटर द्वारा नहीं नापी जाती है, वहां पर प्रति बत्ती प्रति माह निम्न दरें विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार लिए जाते हैं :—

(श्री विद्युत् मंत्री)

(अ) जल व वाष्प विद्युत क्षेत्र, ४० वाट के वल्ब के लिये ३), ६० वाट के वल्ब के लिये ५), ७५ वाट के वल्ब के लिये ६), १०० वाट के वल्ब के लिये ८)

(ब) डीजल विद्युत् क्षेत्र --

४० वाट के वल्ब के लिये ४), ६० वाट के वल्ब के लिये ६), ७५ वाट के वल्ब के लिये ७.५०, १०० वाट के वल्ब के लिये १०)।

(२) यह प्रश्न विद्युत् मंडल से संबंधित नहीं है।

(३) यदि मीटर उपलब्ध न हो तभी यह परिस्थिति आती है, अन्यथा नहीं। इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

वर्षाकाल में रुक जाने वाली बसें

१८९. **श्री विजयपाल कटारा** (डूंगरपुर-सु.) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि डूंगरपुर में मेवाडा गलिया कोट से कालिया कुआ वाया ओबटी व सीमलवाडा और गलियाकोट से ओडवा वाया चिखेली, कुवा व सीमलवाडा जाने वाली बसें वर्षाकाल में बन्द रहती हैं? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

यह सही है कि (१) डूंगरपुर के मेवाडा (२) गलियाकोट से कालिया कुआ और (३) गलियाकोट से ओवडा रूट्स पर वर्षा काल में कच्चा रास्ता होने की वजह से गाडियां बन्द हो जाती हैं।

वाकल नदी से बिजली उत्पन्न करने की योजना

१९०. **श्री ललितमोहन** (गोगुन्दा-सु.) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर जिला में वाकल नदी को पानरवा के पास बांध कर उससे विजली उत्पन्न करने की योजना सरकार ने अपने हाथ में ली है और उसकी सर्वे पूरी करली गई है ?

(२) यदि हां, तो उसमें कितना रुपया व्यय होने की संभावना है और कब तक इसका कार्य प्रारंभ हो जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, विभागीय प्रारम्भिक सर्वेक्षण जारी है।

(२) विभागीय प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर इस योजना पर लगभग ६ करोड २७ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है। कार्य प्रारंभ होने के विषय में अभी निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता।

टैक्सी गाडियों का रंग

१९१. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुंडावत** (भीम): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नियमों के अनुसार टैक्सी गाडियों को एक विशेष प्रकार के रंग से रंगाया जाना अनिवार्य होता है ?

(२) क्या यह सही है कि राजस्थान में चल रही टैक्सियां उस विशेष रंग से रंगी हुई नहीं हैं ?

परिशिष्ट

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत)

(३) यदि हां, तो उन्हें क्यों नहीं रंगाया गया है ?

(४) क्या सरकार इस संबंध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, यह सही है कि नियमानुसार टैक्सी गाड़ियों को एक विशेष प्रकार के रंग से अर्थात् पीला टॉप और काली बोडी रंगाना अनिवार्य है ।

(२) जी नहीं, राजस्थान में चल रही टैक्सियों को उस विशेष रंग से रंगाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करदी गई है । जिन्होंने रंग नियमानुसार नहीं करवाया है उनको परमिट और फिटनेस नहीं दिया जा रहा है ।

(३) उत्तर नं० २ पर स्पष्ट है ।

(४) जी हां ।

श्री महावीरजी में बिजली की व्यवस्था

१९२. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन-सु) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या श्रीमहावीरजी में किसी को बिजली का लाइसेन्स दिया हुआ है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सच है कि लाइसेन्स होल्डर बिना किसी निश्चित आधार के बिजली का कनेक्शन चाहे जब काट देते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि आदर्श महिला विद्यालय का कनेक्शन गत साल काट दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

इन्द्रानगर (पाली) में सामूहिक कृषि सहकारी समिति

१९३. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या इन्द्रानगर (पाली) में सामूहिक कृषि सहकारी समिति सन् १९५९ में स्थापित की गई थी ? यदि हां, तो उस समय कुल कितने सदस्य थे और अब कितने हैं ?

(२) इस समिति को कुल कितनी भूमि एलॉट की गई थी ? सन् १९५९ से लेकर १९६५ तक प्रति वर्ष कितना रकबा काश्त किया गया ? क्या एलॉट की गई कुल भूमि समिति के ही कब्जे में है ?

(३) क्या इस समिति को आज तक कोई मुनाफा भी हुआ है ? यदि हां, तो किस वर्ष में कितना ?

(४) क्या इस समिति में सरकारी लगान की बकाया है ?

उत्तर

(१) जी हां । रजिस्ट्रेशन के समय सदस्य संख्या ४८ तथा अब १५८ है ।

(२) इस समिति को कुल ४००० बीघा जमीन एलॉट हुई । सन् १९५९ से लेकर अब तक निम्न प्रकार रकबा काश्त

(श्री सहकार मंत्री)
किया गया एवं समिति को एलॉट की गई पूर्ण भूमि समिति के कब्जे में है ।

वर्ष	रकबा	
१९५९-६०	५००	बीघा
१९६०-६१	६००	,,
१९६१-६२	८००	,,
१९६२-६३	८००	,,
१९६३-६४	८००	,,
१९६४-६५	१५००	,,

(३) जी हां । समिति को जो मुनाफा हुआ है वह वर्षवार निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि लाभ
१९५९-६०	११७-९७
१९६०-६१	५३८-२०
१९६१-६२	८३७-४२
१९६२-६३	७६७-९३
१९६३-६४	९८२-२७
१९६४-६५	११०९-७७

(४) जी हां ।

जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में शुगर फैक्ट्री को बिजली

१९४. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सत्य है कि जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ में शुगर फैक्ट्री और पॉवर लूम लग चुका है लेकिन इनको बिजली नहीं मिलने से ये दोनों कारखाने बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो इनको बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

उत्तर

जी हां; चम्बल पॉवर कट हो जाने के कारण ।

पशु मेला, सांचोर में लगे सिनेमा एवं सर्कस से मनोरंजन कर की वसूली

१९५. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सन् १९६४ में पशु मेला सांचोर में सिनेमा एवं सर्कस लगे थे उनसे मनोरंजन कर वसूल किया गया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पशु मेला में सर्कस एवं सिनेमा कर निर्धारित रेट से कम वसूल किए गए ? अगर हां, तो ऐसा किसने व क्यों किया ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

सीमेन्ट कम्पनी, सवाई माधोपुर की फलौदी शाखा के क्वेरी विभाग के श्रमिक

१९६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सीमेन्ट कम्पनी, सवाई माधोपुर की शाखा फलौदी के क्वेरी विभाग में कुल कितने श्रमिक कार्य करते हैं और इनमें टैम्पोरेरी कितने हैं और पर्मानेन्ट कितने हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस उद्योग में अभी तक वेज बोर्ड की सिफारिशें पूर्णतया लागू नहीं की गई हैं और ग्रेडेशन आदि में मनमानी की जा रही है ?

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(३) वेज बोर्ड की सिफारिशें कब लागू हुई और उनके अनुसार कौन कौन सी सिफारिशें कब कब लागू की गई और कब कब लागू होनी चाहिये थीं ?

उत्तर

(१) सीमेन्ट कम्पनी, सवाई माधोपुर की शाखा फलौदी क्वेरी विभाग में २५०७ श्रमिक कार्य करते हैं। इनमें ५९१ टेम्पोरेरी तथा १९१६ पर्मानेन्ट हैं।

(२) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(३) वेज बोर्ड की सिफारिशें दिनांक १-१-६० से लागू होना था। इनके संबंध में कम्पनी के श्रमिकों व प्रबन्धकों के बीच एक समझौता दिनांक १७-११-६४ को हो गया है। अब कम्पनी और श्रमिकों के बीच कोई विवाद उपस्थित नहीं है।

लालगढ़ से जोली तक सड़क का निर्माण

१९७. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) लालगढ़ से जोली तक सड़क का निर्माण कब शुरू किया गया और अब इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है? इस सड़क पर अब तक क्या क्या काम किया गया है?

(२) इस सड़क की कुल लम्बाई क्या है और कुल अनुमानित खर्चा क्या होगा?

(३) क्या इस सड़क के लिये ली गई भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया है? यदि हां, तो कब और कितना? यदि नहीं, तो अब कब तक दिया जावेगा और उसकी धनराशि क्या होगी?

उत्तर

(१) वर्ष १९६३ से कार्य प्रारंभ कराया गया था और इस कार्य पर ४८,७९१) रु० व्यय हुआ है। ६-१।२ मील में धावला की सड़क बनाई गई, ७ मील में मिट्टी का कार्य कराया गया तथा ६२७३२१ घन फुट धावला व पत्थर इकट्ठा कराया गया है?

(२) २०-१।२ मील है; बाकी कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(३) जी नहीं। राजस्व विभाग से अवार्ड प्राप्त होने पर, जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

उदयपुर जिले की धरियावद पंचायत समिति में बीज व खाद्य का वितरण

१९८. **श्री उदयलाल वर्दिया** (लसाडिया) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या उदयपुर जिले की धरियावद पंचायत समिति में बीज व खाद्य की वितरण व्यवस्था है?

(२) क्या यह सही है कि बीज प्रति वर्ष खेती बो देने के पश्चात् पहुंच पाता है और इससे बीज पड़ा खराब हो जाने पर कम दामों में नीलाम किया जाता है?

(३) इस विकास खंड की स्थापना के पश्चात्, किन किन वर्षों में कितना कितना बीज आया और समय पर वितरण नहीं होने से कितना अनाज खराब होकर कम दामों में बेचा गया?

(श्री उदयलाल वर्दिया)

(४) क्या यह सही है कि गत फसल को बोने के समय में घरियावद में सुधरे हुए बीज का गेहूं १७) रु० प्रति मन मिल रहा था और उसको नहीं खरीद कर २४) रु० में उदयपुर से गेहूं खरीद कर लाया गया और वह गेहूं समय बीत जाने के बाद आया और बोवणी हो जाने से लोगों द्वारा उक्त गेहूं को लेने से इन्कार किया गया ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) जी नहीं ।

सूची

पंचायत समिति घरियावद में वर्षवार प्राप्त बीज व वितरण करने के बाद बचत में रहें बीज को नीलाम करने का विवरण।

वर्ष	नाम बीज	वजन
१९५६–५७	गेहूं	९५ मन
१९५७–५८	,,	१८१२ मन
१९५८–५९	,,	२४८७ मन
१९५९–६०	,,	४२८ मन
१९६०–६१	,,	७४५ मन
१९६१–६२	,,	५४ मन
१९६२–६३	,,	१३६ मन
	शंकर मक्का	६६ किलो
१९६३–६४	गेहूं	७०५ मन
१९६४–६५	,,	१४७ मन
	शंकर मक्का	१५० क्विन्टल
१९६५–६६	गेहूं	१०४ क्विन्टल
	मूंगफली	४६७६ किलोग्राम
	कपास	२ क्विन्टल
	चावल	२८० किलोग्राम

नीलाम द्वारा बेचा गया बीज

गेहूं	४ मन २१ सेर
मूंगफली	१ मन २२ सेर
कपास	१० सेर ४ छटांक
जौ	१६ सेर

खाटू से तरनाऊ जाने वाली सड़क

१९९. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि खाटू से तरनाऊ जाने वाली सीधी सड़क जो उचापडा व सांडीला गांवों से होती हुई जाती है उसे स्टेट हाई-वे में ले लिया गया है ?

(२) अगर हां, तो यह सड़क कब तक बन कर तैयार हो जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि असिस्टेंट इंजीनियर नागौर ने इस सड़क का एस्टीमेट बना कर स्वीकृति के लिए भेज दिया है ? अगर हां, तो स्वीकृति में अब क्या देरी है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(२) यह कार्य तृतीय योजना में स्वीकृत नहीं है। चतुर्थ योजना में शामिल करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(३) जी हां, अर्थाभाव के कारण एस्टीमेट स्वीकृत नहीं किया गया है।

पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ (अलवर) के प्रधान

२००. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ (अलवर) के प्रधान श्री कांतिचन्द्र को सिविल जज, अलवर ने एक केस में प्रधान पद से अपदस्थ कर दिया था ? अगर हां, तो किस केस में और किस तारीख को ?

(२) क्या यह भी सही है कि सिविल जज के फैसले को हाई कोर्ट ने भी मान्यता दे दी थी ? अगर हां, तो उसके बाद उन्होंने प्रधान पद पर कैसे कार्य किया और दुबारा कैसे प्रधान का चुनाव लड़ा ?

उत्तर

(१) अयोग्य माना था। पंचायत समिति गोविन्दगढ के सम्बन्धित चोरी के मुकदमें में प्रधान होते हुए मुल्जिम की ओर से वकालतनामा दाखिल किया उसमें २४-९-६३ को सिविल जज ने निर्णय दिया।

(२) हाई कोर्ट ने अयोग्यता के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया। प्रधान द्वारा त्याग-पत्र दिया गया जो स्वीकार कर लिया गया उप-निर्वाचन में पुनः श्री कान्तिचन्द्र प्रधान निर्वाचित हुए। चुनाव में खड़े होने के लिये कोई कानूनी रोक नहीं थी।

नगरपालिकाओं में नियुक्तियां

२०१. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जो नगरपालिकायें रिक्त पदों पर बिना एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज को नोटिफाई किये नियुक्तियां कर देती हैं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

उत्तर

जो नगरपालिकाएं रिक्त पदों पर बिना एम्प्लॉयमेण्ट एक्सचेंज को नोटिफाई किये नियुक्तियां कर लेती हैं उनके विरुद्ध एम्पलॉयमेंट (कम्पलसरी नोटीफिकेशन ऑफ वेकेन्सीज) एक्ट, १९५९ की धारा ७ (१) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्टीम व डीजल के रोड रोलर्स

२०२. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) विभाग के पास कुल कितने रोड रोलर्स स्टीम व डीजल के अलग २ हैं ?

(२) उक्त रोड रोलर्स में कितने रोड रोलर्स कब से खराब पड़े हैं ? सूची सदन को मेज पर रखें। उक्त रोड रोलर्स को

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
ठीक करने या कराने के लिये विभाग ने क्या कदम आज तक उठाये हैं ?

(३) क्या उक्त रोड रोलर्स से कुछ के लिए आयातित सामान की कमी होने के कारण वे ठीक नहीं हो पाये हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने कभी इसके लिये विदेशी मुद्रा के लिए भारत सरकार को प्रार्थना-पत्र दिया है ?

उत्तर

(१) ८५ स्टीम के तथा ६४ डीजल के रोड रोलर्स विभाग के पास है।

(२) सूची 'अ' प्रस्तुत है। कुछ की मरम्मत विभागीय वर्क शॉप में कराई जा रही है, कुछ पार्ट्स के टेंडर मांगे जा रहे हैं और कुछ में मरम्मत कराये जाने की कार्यवाही चल रही है। जो बिल्कुल बेकार हो गये हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है।

(३) जी नहीं। जो कम्पनियां रोलर सप्लाई करती हैं उन फर्मों को भारत-सरकार देश में चल रहे रोड रोलर्स की संख्या को ध्यान में रखते हुये लाइसेन्स देती है अतः विभाग द्वारा विदेशी मुद्रा के प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।

सूची

रोलर्स की संख्या	समय जब से खराब है
२	१६५८-५६
५	१६५६-६०
२	१६६०-६१
२	१६६२
६	१६६३
२	१६६४
१०	१६६५
२६	

नोट :—सर्वे रिपोर्ट २ रोड रोलर्स की तैयार की जा रही है।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २६ सितम्बर, १९६५)

स्कम्भ सं० १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१३४६	१२	अरेन्जमेन्टस	अरेन्जमेन्ट्स
१३५५	१६	पर्पेज	पर्पज
१३५७	शीर्षक	२६ सित बर,	२६ सितम्बर,
१३६०	२	इम्पोर्टेन्ड	इम्पोर्टेड
१३६१	१	हो ी	होती
,,	१८	पार्टस	पार्ट्स
१३६३	२१	**श्री मथरादास माथुर**	**श्री मथुरादास माथुर**
१३६४	अन्तिम से ७	नियूक्त	नियुक्त
१३६६	,, ६	Metailed	Metalled
१३७१	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	तारांकित प्रश्नोत्तर
१३७६	५	**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा**	**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा**
१३८२	अन्तिम से ६	रिक्रुटमेन्ट	रिक्रूटमेन्ट
,,	,, ३	एसिस्टेन्ट	असिस्टेन्ट
१३८५	५,१६	अनवेलिड	इन्वेलिड
,,	६	कन्फरमेशन	कन्फर्मेशन
,,	अन्तिमे से ५	permenent	permanent
१३८६	१८	हूं।	हैं।
,,	अन्तिम	प्रश्न	प्रश्न है,
१३८७	अन्तिम से ५	म	में
,,	,, ४	एसी	ऐसी
१३९३	शीर्ष	(श्री पंचयत मत्री)	(श्री पंचायत मंत्री)
१३९५	,,	(श्री आयुर्वेद मंत्री)	(श्री आयुर्वेद मंत्री)
,,	७	**श्री जोधसह चौहान**	**श्री जोधसिंह चौहान**
१४०५	१५	**विधयेक**	**विधेयक**
१४०७	२	(अग्रेतर	(अग्रेत्तर
,,	२	विमर्ष	विमर्श
१४१४	१७	**ह**	**है**

१	२	३	४
१४१४	२१	मात्रीमंडल	मंत्रि-मंडल
१४१८	१६	Main enance	Maintenance
१४२१	अन्तिम से २	**श्री निरजननाथ आचार्य**	**श्री निरंजननाथ आचार्य**
१४२२	,, ६	c i ed	called
,,	,, ७	Rule ,	Rules,
१४२४	अन्तिम से ५	12th. 14th. Contract	12th.—14th. Contact
१४२५	,, ८	Embas or	Embassy for
,,	,, ७	Compliance—	Compliance.—F. M.
१४२६	१६	Charge eeted	Charge—Sheeted
,,	२०	telegra cally	telegraphically
,,	अन्तिम से ४	tactics ?	tactics।
१४२७	२२	ca not	cannot
,,	२३	tac ice."	tactics."
,,	११	**श्रीमती नगन्द्रबाला**	**श्रीमती नगेन्द्रबाला**
१४२६	अन्तिम से ८	वि	किया
,,	,, २	सामने स्थिति	सामने स्थित
१४३०	२५	ए ०	एस०
,,	२८	अ के	आपके
,,	२६	ithout	without
,,	२६	Super: ding	Superseding
१४३१	१६	क	का
,,	२०	ने	उसने
,,	२१	लिये f केस	लिये फिट केस
१४३३	२०	ह।	हैं।
१४३६	१	**श्री भरवलाल 'कालाबादल'**	**श्री भैंरवलाल 'कालाबादल'**
१४४१	शीर्ष	(श्री भरवलाल 'कालाबादल'	(श्री भैंरवलाल 'कालाबादल')
,,	अन्तिम से ३	बोलन	बोलने
१४४२	अन्तिम से १०	खड़	खड़े
,,	,, ६	ह	हैं
,,	,, २	सकट	संकट
१४४३	१	उनम	उनमें
,,	५	अनपूरक	अनुपूरक

१	२	३	४
१४४३	६	माग	मांग
,,	१५	हमन	हमने
,,	१८	ह	है
१४४६	१६	लगगा	लगेगा
१४५०	२१	पये	रुपये
१४५२	१५	लगायेंग ।	लगायेंगे ।
,,	२०	**श्री राधाकुष्ण गोयल**	**श्री राधाकृष्ण गोयल**
१४५३	२४	मीटिंगे	मीटिंगें
१४५५	१५	निश्चिय	निश्चय
१४५६	८	श्रीमन्	श्रीमान्
,,	१२	जिनमे	जिनमें
१४५६	२३	ह	है
१४६२	२०	कांफीडेन्शियली	कॉन्फीडेन्शियली
१४६३	१०	तो र	तो बाहर
१४६८	१२	करही	कर ही
१४७१	१२	**श्री भरोंसिंह**	**श्री भैरोंसिंह**
,,	१६	छट	छूट
,,	२१	२८ तारीख	"२८ तारीख
,,	२२	गये ।	गये" ।
१४७२	अन्तिम से २	लडकी की शमेंदीं गाये	लड़की की शादी में गये
१४७३	शीर्षक	२६ सिनम्बर	२६ सितम्बर
१४७५	१	**श्री भरोंसिह**	**श्री भैरोंसिह**
१४७६	१८	फाइनन्स	फाईनेन्स
१४७७	अन्तिम से ३	मा र्ग र्श	मार्ग-दर्शन
१४७८	,, ४	**श्री मुरलीधर व्यास**	**श्री मुरलीधर व्यास**
१४७६	११, १२	एम्मुनिशन	एम्युनिशन
१४८०	६	अवांछनिय	अवांछनीय
१४८१	१०	एक्पन्ज	एक्सपेन्ज
,,	१६	gran:s.	grants.
,,	२४	डिमान्डस	डिमान्ड्स
१४८४	१५	म	में
१४८५	शीर्ष	(मुरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
,,	१६	मत्रि मंडल	मंत्रि-मंडल

१	२	३	४
१४८५	अन्तिम से ३	ास	इस
१४८८	,, १०	देश	देशभक्ति
,,	,, ६	विशेप	विशेष
१४६०	४	प्रत्यक	प्रत्येक
१४६५	१६	hat	that
,,	,,	S spended	Suspended
,,	१८	ext ao d iary	extraordinary
१४६६	१०	पदा	पैदा
१४६७	अन्तिम	**श्री चन्दनमल बेद**	**श्री चन्दनमल वैद**
१४६८	७	चाज	चार्ज
,,	१६	कर ा जाये	कर दिया जाये
,,	१७	दसरा	दूसरा
१४६६	शीर्ष	(श्री मानसहीं महार)	(श्री मानसिंह महार)
१५०१	२०	कारे	कारें
१५०२	१	हिन्ु स्तान	हिन्दुस्तान
१५०५	१७	समाप्त	समाप्ति
,,	२१	ैसा	पैसा
,,	२६	जिसन	जिसने
,,	२७	ाुजारा	गुजारा
१५०६	११	**श्री रामकृष्ण गोयल**	**श्री राधाकृष्ण गोयल**
,,	२३	जसा	जैसा
१५११	अन्तिम	क	एक
१५१२	अन्तिम से ६	मझे	मुझे
१५१३	१८	उ	उठाया
१५१४	३, ६	बंद	वैद
१५१४	२०	प्रश्न ो	प्रश्न को
,,	२१	ऐसा ते	ऐसा समझते
,,	२२	में	में ही
१५१५	अन्तिम से ३	**श्री भीमसन**	**श्री भीमसेन**
१५१६	,, ८	क	के
१५१७	१५	म	में
,,	२१	निंग	ट्रेनिंग

१	२	३	४
१५२०	अन्तिम से २	मालूम	मालूम है
१५२२	,, ६	से तेल	में तेल
१५२४	८	ुड्स	गुड्स
१५२७	शीर्ष	(श्री सती शचन्द्र अग्रवाल)	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	१०	वे लडेटिंग	वेलिडेटिंग
,,	अन्तिम से ८	ाहते हैं ौर	चाहते हैं और
,,	,, ६	ॉ	ऑफ
,,	,, ५	रे	सारे
१५२८	२१	बाना	बना
१५२६	२	एडव इज	एडवाइज
१५३२	२	क ा	करूंगा
,,	२	बनान	बनाने
,,	अन्तिम से २	औैर	ओर
१५३३	,, ८	ऑथेरिटी	ऑथोरिटी
१५३६	१०, ११	औैर	ओर
१५३८	अन्तिम से १०	नीम्ब्राहेडा	निम्बाहेडा
१५३६	१	(संशोधन	(संशोधन)
,,	,, ७	१६६५	१६६४
१५४०	,, ८	जजीज	जजेज
१५४१	४	पाट	पार्ट
१५४३	१७	जीडी शयरी	जुडिशियरी
१५४५	अन्तिम से १२	श्री सभापतिः	श्रीमती सभानेत्री:
१५४७	,, ४	मने	मैंने
,,	,, १	श्रीमती सभा सभानेत्री :	श्रीमती सभानेत्री
१५४६	,, ५	लिये या	लिये जायं या
१५५२	१४	जुडिशियरीएं	जुडिशियरी में
१५५३	२	कानन	कानून
,,	८	लेये	लिये
,,	२०	श्री मानघातासिंह	श्री मानधातासिंह
१५५४	अन्तिम से २	ह	हक
१५५६	६	जडीशियरी	जुडिशियरी
१५५६	अन्तिम से ८	क्योंकि में	क्योंकि इसमें
१५६४	,, १३	सिलेवड	सिलेक्ट

१	२	३	४
१५७२	शीर्षक	विधयक	विधेयक
,,	७	श्रीमती सभानत्री	श्रीमती सभानेत्री
१५७५	८	्रिस्डिक्शन	जुरिस्डिक्शन
१५७७	१५	fficers	officers
,,	अन्तिम से ५	a've	have
१५७६	२	by	my
१५८१	११	ving	living
१५८३	८	दूसरी बात में निवदन	दूसरी बात में निवेदन
१५८४	१६	ग्ेड	ग्रेड
१५८५	अन्तिम से १३	करत	करते
,,	,, ६	महोदया, · · ·र	महोदया, · · ·
१५८७	अन्तिम से ४	आइ.	आई.
,,	,, ३	आपन	आपने
१५८८	१०	क पास	के पास
१५८६	२०	दौण	दौरा
१५६७	२,३,४,५,७,८,६, १०	वल्ब	बल्ब
,,	अन्तिम से ६	चून्डा त	चूंडावत
१५६६	शीर्ष	(श्री सहकार मंत्री)	(श्री सहकारी मंत्री)
१६००	१०	काय	कार्य
१६०२	शीर्ष	निर्भाण मंत्री)	निर्माण मंत्री)
,,	अन्तिम	गय· · ·पनिचिनमेंपुनः	गया। उपनिर्वाचन में पुनः